पंचम माला, खंड 24, अंक 13 बुधवार, 7 मार्च 1973/16 फाल्गुन 1894 (शक)
Fifth Series, Vol. XXIV, No. 13 Wednesday, March 7, 1973/Phalguna 16, 1894 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF LOK SABHA DEBATES

[सातवां सत्र
Seventh Session]

[खंड 24 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XXIV contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये
Price: Two Rupees

[यह लोकसभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिंदी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

71 (21)
1.12.73

विषय सूची/CONTENTS

अंक 13, बुधवार 7 मार्च, 1973/16 फाल्गुन, 1894 (शक)

No. 13, Wednesday, March 7, 1973/Phalguna 16, 1894 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
221.	त्रिपुरा में स्वायत्तशासी जनजातीय प्रादेशिक परिषदों का गठन ।	Formation of Autonomous Tribal Regional Councils in Tripura .	1—2
223.	उत्तराखंड को परिवहन राजसहायता (ट्रांसपोर्ट सबसिडी) ।	Transport subsidy to Uttarakhand .	2—4
225.	पांचवीं पंचवर्षीय योजना में आंध्र प्रदेश में एक परमाणु बिजलीघर की स्थापना ।	Setting up an Atomic Power Station in Andhra Pradesh during Fifth Plan	4—6
229.	पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भूमिहीन श्रमिकों की समस्याओं को हल करने के लिये योजनायें ।	Schemes for solving Problems of Landless Labourers during Fifth Plan	6—9
230.	बड़े उद्योग-गृहों संबंधी सरकार आयोग का अन्तरिम प्रतिवेदन ।	Interim Report by Sarkar Commission on Larger Industrial House	9—10
233.	नान-रिवर्टिबल फोनोग्राम सर्विस का प्रारम्भ करना	Introduction of Non-Revertible Phonogram Service . . .	11—12
234.	अन्य सरकारी कर्मचारियों की तुलना में केंद्रीय मंत्रियों के वेतन तथा भत्तों में वृद्धि की प्रतिशतता	Percentage of increase in Pay and Allowances of Central Ministers *vis-a-vis* other Government Servants.	12—13
235.	टेलीविजन कार्यक्रमों का भारत और मलयेशिया के बीच आदान-प्रदान ।	Indo-Malaysian Exchange of T.V. Programmes	13—14

किसी नाम पर अंकित यह † इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

The sign † marked above the name of a Member indicated that the Question was ctually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
237. गरीबों का प्रतिव्यक्ति उपभोग स्तर बढ़ाने के लिये योजनायें	Schemes to Improve Per Capita Consumption Level of Poor People .	14—16

प्रश्नों के लिखित उत्तर — WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
222. तिलक नगर, दिल्ली के डाकघर से 20,000 रुपये के करेंसी नोटों की चोरी	Currency Notes of Rs. 20,000 Stolen from Post Office, Tilak Nagar, Delhi	16
224. पांचवीं पंचवर्षीय योजना में रूसी वित्तीय और प्रौद्योगिकीय सहायता से चालू की जाने वाली औद्योगिक परियोजनायें	Industrial Projects to be taken up with Soviet Financial and Technological Assistance during Fifth Plan	16—17
226. चौथी पंचवर्षीय योजना में शहरों, कस्बों और गांवों में डाकघर खोलना	Opening of Post Offices in Cities Towns and Villages during Fourth Plan	17
227. बंगला देश में मुक्ति संघर्ष के दौरान आकाशवाणी के कलकत्ता केंद्र के कर्मचारियों द्वारा अर्पित सेवाओं की प्रशंसा	Appreciation of the Services of employees of A.I.R., Calcutta for the work done during Bangladesh liberation struggle . .	17—18
228. बड़े औद्योगिक गृहों की आर्थिक शक्ति पर प्रतिबन्ध	Curb on Economic Power of Larger Industrial Houses . . .	18
231. राज्यों में स्वनियोजित स्नातक इंजीनियर	Self-employed Engineering Graduates in States. . . .	18—19
232. पांचवीं योजना के आकार के बारे में विशेषज्ञों द्वारा व्यक्त की गई चिन्ता ।	Anxiety expressed by specialists in regard to the size of tne Fifth Plan	19—20
236. स्वर्गीय एस० वी० सावरकर को स्वतंत्रता सेनानी के रूप में मान्यता देना	Recognition of late S.V. Savarkar as Freedom Fighter . . .	20
238. सेन्ट्रल बोर्ड आफ फिल्म सेन्सर्ज की सिफारिशों का स्वीकार न किया जाना	Recommendations of Central Board of Film Censors not accepted .	20
239. सरकारी विभागों में रिक्त स्थानों की आकाशवाणी पर घोषणा	Announcement of Vacancies in Government Departments over A.I.R.	20—21
240. मैसूर में केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रम	Central Public Undertakings in Mysore	21

अतारांकित प्र० संख्या — UNSTARRED QUESTIONS

U.S.Q. Nos.		
2201. सिविल सर्विसेज पदोन्नति के कोटे में वृद्धि करना	Raising Promotion Quota of the Civil Services	21—22

उत्तर प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2202.	मैसूर में हरिजनों और अन्य निम्न समुदायों के लोगों को मकानों के निर्माण के लिये दी गई राशि	Amount provided to Harijans and other Lower Communities in Mysore for Construction of Houses	22
2204.	उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश राज्यों का पुनर्गठन	Reorganisation of States of U.P. Bihar and Madhya Pradesh .	22—23
2205.	विभिन्न संस्थानों द्वारा विदेशी वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिये अनुमति लेना	Permission for Receipt of Foreign Assistance by various Institutions	23
2206.	टेलीफोन में मीटर लगाने की व्यवस्था	Provision of Meter to Telephone .	23—24
2207.	औद्योगिक विकास के लिये राज्यों को केंद्रीय सहायता	Central Aid to States for Industrial Development	24—25
2208.	औद्योगिक विकास के लिये आर्थिक मंत्रालयों में समन्वय	Co-ordination of Economic Ministries for Industrial Development	25
2209.	उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में एक हरिजन युवक को जीवित जला देना	Burning of a Harijan Youngman in Banda, U.P.	25—26
2210.	बम्बई सिनेमा जगत के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by Bombay Film Industry Employees	26
2211.	राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारी भाषा	Official Languages of States and Union Territories. . . .	26
2212.	फिल्म सेंसर बोर्ड का गठन	Constitution of Film Censor Board.	27
2213.	केरल विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञान विभाग से प्राप्त अनुसंधान संबंधी योजना ।	Research Scheme received from the Physics Department of the University of Kerala . .	27
2214.	केरल में डाक और तार कर्मचारियों को आवास सुविधायें	Housing Facilities to P & T Employees in Kerala . .	28
2215.	टेलीफोन डायरेक्टरी का छःमाही के बजाय वार्षिक प्रकाशन	Annual Printing of Telephone Directory instead of Half Yearly . .	28—29
2216.	सरकारी क्षेत्र में एक इलैक्ट्रानिक पुर्जों के कारखाने की स्थापना करना	Setting up of an Electronic Components Unit as a Public Sector Undertaking	29
2217.	पश्चिम बंगाल से भूमिगत पाकिस्तानी राष्ट्रिकों का निष्कासन ।	Deportation of Underground Pakistani Nationals from West Bengal	29
2218.	केंद्रीय मंत्रियों द्वारा किये गए ट्रंक कालों पर किया गया व्यय	Expenditure incurred on Trunk Calls put through by Union Ministers.	30
2219.	दैनिक 'अवन्तिका' को अखबारी कागज का आवंटन	Allotment of Newsprint to Daily 'Avantika'	30

उत्तर प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2220.	गुरु नानक के जन्म दिवस पर छुट्टी की घोषणा	Declaration of Holiday on Guru Nanak's Birthday.	30—31
2221.	आगे और पीछे लाइट की व्यवस्था वाली साइकिलों का निर्माण	Manufacturing of Bicycles with lights in the front and rear	31
2222.	दिल्ली मे लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की घटनायें	Incidents of Eve teasing in Delhi.	31
2223.	मध्य प्रदेश में धर्मार्थ तथा शैक्षिक संस्थाओं को विदेशी सहायता	Foreign Assistance to Charitable and Educational Institutions in Madhya Pradesh	31—32
2224.	भारत में मुस्लिम ब्रदरहुड की स्थापना	Establishment of Muslim Brotherhood in India.	32
2225.	बिहार में सहरसा जिले में शाखा डाकघर	Branch Post Offices in Saharsa District, Bihar	32—33
2226.	दक्षिण की तीन नदियों की जीव सम्पदा के लिये सर्वेक्षण	Survey of Three Deccan Rivers for Fauna Wealth	33
2227.	पेटेंट अधिनियम का लागू होना	Operation of Patent Act	33—34
2228.	संतरागाछी (हावड़ा) की रेमन्ड वैगन फैक्टरी और मार्टिन बर्न ऐंड कम्पनी को सरकार द्वारा अपने हाथ में लेना	Take over of Raymond Wagon Factory in Santragachi (Howrah) and Martin Burn and Company.	34
2229.	जेलों में बन्द नक्सलवादियों को कानूनी सहायता	Legal Aid to the Detained Naxalites in Jails	34—35
2230.	विदेशी कम्पनियों द्वारा भारत में बनी वस्तुओं को विदेशी बता कर अधिक मूल्य पर बेचा जाना	Selling of Indigenously Manufactured Goods as Foreign Made Goods by Foreign Companies at Exorbitant Rates	35
2231.	देश में विघटनकारी शक्तियों की गतिविधियां	Activities of Disruptive Forces in the Country	35—36
2232.	त्रिपुरा में भूतपूर्व महाराजा का महल	Palace of Former Tripura Maharaja.	36
2233.	पुलिस विभाग में सुधार	Reforms in Police Department.	36—37
2234.	दिल्ली में अवैध शराब पीने से हुई मौतों के बारे में की गई जांच के पश्चात् की कार्यवाही	Follow-up Action after Enquiry into Deaths due to consumption of Illicit Liquor in Delhi	37
2235.	कलकत्ता में टेलीफोनों के ज्यादा राशि के बिल बनाया जाना	Excessive Billing on Telephone in Calcutta	38
2236.	विकास योजनाओं के सम्बन्ध में भारत और चैकोस्लोवाकिया के बीच बैठकें	Meetings between India and Czechoslovakia on Development Plans.	38—39
2237.	शिक्षित बेरोजगारों के स्व-नियोजन के लिये गुजरात औद्योगिक विकास निगम का कार्यक्रम	Gujarat Industrial Development Corporation's Programme for Self-Employment of Educated Unemployed	39

उत्तर प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2238.	एम० एस० सी० पास युवक द्वारा ठेला गाड़ी चलाना	M. Sc. as Cartman	39—40
2239.	बेरोजगार इंजीनियर	Unemployed Engineers . .	40
2240.	सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में सीमेंट उत्पादन और सप्लाई	Production and Supply of Cement in Public and Private Sectors. .	40
2241.	उत्तर प्रदेश में तुषारपात के कारण सीमा सुरक्षा दल के सैनिकों की मृत्यु	Border Security Men Died due to Snow Frost in Uttar Pradesh.	41
2242.	समाचारपत्रों में विज्ञापनों के रूप में राजनैतिक विचारधारा के लेखों के प्रकाशन पर प्रतिबंध	Ban on Publication of Articles of Political nature as advertisements in newspapers	41
2243.	राष्ट्रीयकृत कपड़ा मिलों में व्यक्तियों को रोजगार	Employment of Persons in Nationalised Textile Mills . .	41
2244.	राष्ट्रीयकृत नमूना सर्वेक्षण कर्मचारी संगठन, कलकत्ता से प्राप्त ज्ञापन	Memorandum received from National Sample Survey Employees, Calcutta.	41—42
2245.	रेशम के उत्पादन में वृद्धि	Increase in the Production of Silk.	42—43
2246.	मनीपुर, बिहार, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा में टसर (सिल्क) का उत्पादन	Production of Tusser (Silk) in Manipur, Bihar, Madhya Pradesh and Orissa	43
2247.	मैसूर और जम्मू तथा काश्मीर में कच्चे रेशम का उत्पादन	Production of Raw Silk in Mysore and Jammu & Kashmir . .	44
2248.	गया काटन मिल में कपड़े का उत्पादन	Production of Cloth in Gaya Cotton Mill	44
2249.	राष्ट्रीय वस्त्र निगम के प्रबन्ध में कार्य करने वाली कपड़ा मिलें	Textile Mills under the National Textile Corporation . .	45
2250.	राष्ट्रीय वस्त्र निगम के प्रबन्ध में चल रही मिलों में नियंत्रित किस्म के कपड़े का उत्पादन	Production of Controlled Cloth in Mills under National Textile Corporation	45—46
2251.	बिहार भूमि सुधार (भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारण और फालतू भूमि अधिग्रहण) (संशोधन) विधेयक, 1972 पर अनुमति	Assent to Bihar Land Reform (Fixation of Ceiling Area Acquisition of Surplus Land (Amendment) Bill, 1972 . . .	46
2252.	जनजाति अनुसंधान केंद्र का कालीकट से केरल में उत्तर वाइनाड में मन्ननथोड़ी में स्थानांतरित किया जाना	Shifting of Tribal Research Centre from Calicut to Mannanthoddy in North Wynad in Kerala	47
2253.	देश में आदिवासी विकास खण्ड	Tribal Development Blocks in the Country	47
2254.	उत्तर प्रदेश में जनजातीय विकास खण्डों की स्थापना	Setting up of Tribal Development Blocks in U.P. . .	47—48

उत्तर प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2255.	अस्पृश्यता की बुराइयों के बारे में लोगों को शिक्षित करना	Educating the People on Evils of Untouchability	48
2256.	बिहार में अनुसूचित जातियों की सूची में बसकोड़ जाति को शामिल करना	Inclusion of Baskar Caste in Scheduled Castes list in Bihar . .	48—49
2257.	जनशक्ति का उपयोग	Utilisation of Manpower . .	49
2258.	ताप बिजली घरों की स्थापना	Setting up of Thermal Power Stations.	49—50
2260.	छोटे समाचार पत्रों को तदर्थ आधार पर अखबारी कागज का कोटा देना	Issue of Newsprint-Quota to Small Newspapers on Ad Hoc basis.	50
2261.	त्रिपुरा के स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देना	Grant of pension to freedom Fighters from Tripura . . .	50—51
2262.	टेलीफोन राजस्व का डिवीजनल मुख्यालय, अगरतला में स्थापित करना	Establishment of Divisional H.Q. of Telephone Revenues in Agartala	51
2263.	उत्तर प्रदेश के पिछड़े पर्वतीय जिलों का विकास	Development of Backward Bill Districts of U.P. . . .	51
2264.	राज्यों द्वारा जिला योजनाए बनाने के लिये मार्गदर्शी सिद्धांत	Guidelines for formulation of district plans by States . . .	51
2265.	'पिछड़े क्षेत्रों के लिये योजनागत परियोजनायें असफल' समाचार	News item Plan Schemes from Backward areas flop. . .	51
2266.	अनुसचिवीय पदों और डिग्रियों का संबंध तोड़ना	Delinking degrees from Secretariat jobs	52—53
2267.	गैर-सरकारी क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिये परिव्यय का कम भाग	Low share of outlay for research and development in private sector.	53
2268.	गांवों में डाक घरों का कार्यकरण	Working of Post Offices in villages	53—54
2269.	आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम के अधीन गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या	Number of persons arrested under Maintenance of Internal Security Act	54—55
2270.	आसूचना विभाग और राजस्व आसूचना विभाग	Departments of Intelligence Bureau and Revenue Intelligence . .	55
2271.	डाकतार विभाग की प्रपत्रों पर एक करोड़ रुपये की बचत करने की योजना	P & T. plan to save Rs. one crore on forms	56
2272.	पांचवीं योजना में हरिजनों और अन्य गरीब वर्गों की आर्थिक दशा सुधारने के लिये विशेष योजनायें	Special Schemes for improving economic condition of Harijans and other weaker sections during Fifth Plan	56—57

उत्तर प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2273.	आंध्र और तेलंगाना क्षेत्रों में डाक व तार घरों के विनाश का अनुमान	Assessment of destruction of P & T offices in Andhra and Telengana regions.	57
2274.	नई दिल्ली के टेलीविजन केंद्र का दर्जा बढ़ाना	Upgradation of New Delhi T.V. Station.	57—58
2275.	पंजाब में परमाणु बिजली घर	Atomic Power Plant in Punjab. .	58
2276.	दिल्ली में टेलीफोन के बिलों में बड़ा-चढ़ा कर दिखाई गई राशि	Excessive telephone billing in Delhi.	58
2277.	समाचार पत्र उद्योग सम्बन्धी विशेष समिति का प्रतिवेदन	Report of Expert Committee on Newspaper Industry. .	58—59
2278.	पांचवीं पंचवर्षीय योजना में डाक घर खोलना	Opening of Post Offices in the Fifth Five Year Plan. . . .	59
2279.	उत्तर प्रदेश बिहार सीमा विवाद	Uttar Pradesh Bihar boundary dispute.	59
2280.	चन्डीगढ़ में साइंस कांग्रेस की बैठक	Science Congress held in Chandigarh.	59—60
2281.	कर्नाटक संगीत को अधिक समृद्ध और लोकप्रिय बनाने के लिये आकाशवाणी की योजना	AIR Scheme to make Carnatic Music richer and more popular. . .	60
2282.	पृथकतावादियों की मांगें	Demands raised by Separatists.	60—61
2283.	निजाम और रजाकारों के विरुद्ध तेलंगाना बगावत में भाग लेने वालों का दर्जा	Status of participants in Telengana uprising against Nizam and Razakars.	61
2284.	राष्ट्रीय विज्ञान और प्रोद्योगिकी समिति के चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति	Appointment of Chairman and Members of National Committee on Science and Technology. . .	61
2285.	भूतपूर्व नरेशों की भूमि, बैंकों में जमा राशि और सम्पत्तियों का मूल्यांकन	Assessment of Land, Bank Balances and Properties of former Rulers.	61
2286.	सरकारी कर्मचारियों की सेवा-अवधि बढ़ाने हेतु मार्गदर्शी सिद्धांत	Guidelines for giving extension in service to Government servants	62
2287.	मंत्रियों को दिये गये सुरक्षिगण	Guards provided to Ministers. .	62—63
2288.	संयुक्त क्षेत्र के अन्तर्गत 'टिस्को'	TISCO under Joint Sector. . .	63
2289.	समस्तीपुर (बिहार) स्थित ठाकुर पेपर मिल्स को पुनः चालू करना	Rehabilitation of Thakur Paper Mills at Samastipur (Bihar)	63
2290.	संगणक सूचना पद्धति में लाइसेंसों और आशयपत्रों की क्रियान्वित का पुनर्विलोकन	Review of implementation of Licences and Letters of Intent with Computorised Information System.	63—64
2291.	ब्रिटेन के अनुसंधान और विकास कार्यक्रम का भारत के उद्योग के लिये संगत होना	Relevancy of Britain's Research and Development Programme to Indian Industry. . . .	64—65

उत्तर प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2292.	उत्तर प्रदेश के नैनीताल जिले में चिन्नी ब्लाक की हरिजन महिलाओं के साथ छेड़छाड़	Molestation of Harijan Women of Chinni Block in Nainital District, U.P.	65
2293.	अनाज और दालों की फसल के बाद की प्रौद्योगिकी के बारे में राष्ट्रीय गोष्ठी	National Seminar on Post Harvest Technology of Cereals and Pulses.	65—67
2294.	पांचवीं योजना के लिए उड़ीसा द्वारा मांगी गई वित्तीय सहायता	Financial Assistance sought by Orissa for Fifth Plan. . .	67—68
2295.	कटक से टेलीप्रिंटर सेवा को अन्यत्र ले जाना	Shifting of Teleprinter Service from Cuttack.	68
2296.	पोस्टल डिवीजनों के लिये जीपों की व्यवस्था	Postal Divisions provided with Jeeps.	68
2297.	लम्बी दूरी वाले सार्वजनिक टेलीफोनों को एस० ए० एक्स० एक्सचेंजों के साथ सम्बद्ध करना	Parenting of long distance P.C.Os. to S.A.X. Exchanges. . .	68—69
2298.	पर्वतीय क्षेत्रों के खण्ड मुख्यालयों में प्राथमिकता के आधार पर सार्वजनिक टेलीफोन	P.C.Os. in Block Headquarters in Hilly areas on Priority Basis. .	69
2299.	चम्बा स्थित उप डाक-घर का दर्जा बढ़ाना	Upgradation of Sub Post Office at Chamba.	69
2300.	पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारों की गारंटी के साथ डाक-घरों, मिले-जुले कार्यालय (कम्बा-इन्ड आफिसेज) और सार्वजनिक टेलीफोनों की व्यवस्था	Opening of Post Offices, Combined Offices and P.C.Os. with State Government Guarantees from Punjab, Haryana and Himachal Pardesh.	70—71
2301.	विज्ञापनों में नग्नता	Nudity in Advertisements.	71
2302.	गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कवि सम्मेलनों और मुशायरों पर किया गया व्यय	Expenditure incurred on Kavi Sammelan and Mushaira organised on Republic Day. . . .	71—72
2303.	शिक्षित बेरोजगारों के लिये रोजगार	Employment for Educated Unemployed.	72
2304.	थुम्बा स्थित अन्तरिक्ष अनुसंधान केंद्र के एक अधिकारी के मकान पर केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा छापा मारा जाना	Raid by C.B.I. on the House of an Officer of Space Research Organization in Thumba. . .	72
2305.	गया जिले में स्वचालित टेलीफोन केंद्र के लिये भूमि का चयन	Selection of Land for Auto-Telephone Exchange in Gaya District	72-73
2306.	उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में आदिवासी लड़कियों से बलात्कार	Rape of Tribal Girls in Gonda Uttar Pradesh. . .	73

उत्तर प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2307.	डाक तथा तार कर्मचारियों के क्वार्टरों के लिये चौथी योजना से धन का नियतन	Allocation of Fund in Fourth Plan for P. & T. Staff Quarters.	73
2308.	उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र	Hill Areas of Uttar Pradesh .	73—74
2309.	1973—74 के लिये मध्य प्रदेश की वार्षिक योजना	Annual Plan for M.P. for 1973-74	74
2310.	पांचवीं योजना में सिरेमिक उपकरणों की मांग	Demand for Ceramics Equipments to Fifth Plan.	74
2311.	आन्ध्र प्रदेश में केंद्रीय रिजर्व पुलिस को तैनात करना	Deployment of C.R.P. in Andhra Pradesh	74—75
2312.	मारुति लिमिटेड के निदेशकों को जारी किये गये लाइसेंस	Licences issued to Directors of Maruit Limited	75
2313.	विदेशी मुद्रा अधिनियम उपबन्धों के कथित उल्लंघन के सम्बन्ध में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा श्री जी० डी० कोठारी के कार्यालय की तलाशी	Search by Enforcement Directorate on the Premises of Shri G.D. Kothari for alleged violation of Foreign Exchange Act Provisions.	75
2314.	भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ द्वारा पृष्ठ मूल्य अनुसूची पुनः लागू करने की मांग	I.F.W.J. Demand for Re-Introduction of Price-Page Schedule	76
2315.	मैसूर में सीमेंट निर्माताओं द्वारा विनियमों का उल्लंघन	Violation of Regulations by Cement Manufacturers in Mysore . .	76
2316.	फिल्म उद्योग के सेवा निवृत तकनीशियनों, कलाकारों आदि की शोचनीय दशा	Poor Condition of Retired Technicians, Artistes of Film Industry .	76—77
2317.	भारत बंगला देश संयुक्त फिल्म निर्माण	Indo-Bangladesh Joint Film Production	77
2318.	सिनेमा घरों का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Cinemas .	77—78
2319.	सीमेंट का उत्पादन और मांग	Production and Demand of Cement	78
2320.	दिल्ली में बिना लाइसेंस वाले रेडियो और टेलीविजन सैट	Radio and T.V. Sets in Delhi without Licences. . . .	78—79
2321.	भारत में अन्तर्राष्ट्रीय ब्रांड नामों का प्रयोग	Use of international brand names in India	79
2322.	मन्नणतोड़ी और तेल्लीचेरी के बीच ट्रंक टेलीफोन लाईन	Trunk Telephone lie between Mannanthody and Tellicherry . .	79—80

उत्तर प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2323.	सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच	Enquiries by C.B.I against Public Servants.	80
2324.	राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा रुग्ण मिलों को अपने नियंत्रण में लेना	Take over of sick mills by National Textile Corporation . . .	80
2325.	तमिलनाडु में उद्योगपतियों के मकानों पर केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा मारे गये छापे।	Raids of C.B.I. on the Premises of Industrialists in Tamil Nadu .	80—81
2327.	टेलीविजन स्टाफ आर्टिस्टों के वेतन-मानों और संवर्ग का पुनरीक्षण	Revision of Pay Scales and Cadre of T.V. Staff Artistes . . .	81
2328.	टेलीविजन कर्मचारियों को विदेशी छात्रवृत्तियां	Foreign Scholarships for T.V. Personnel	81
2329.	बिहार में कटिहार डाक-घर का दर्जा बढ़ाया जाना।	Upgradation of Katihar Post Office in Bihar	81
2330.	फिल्म वित्त निगम द्वारा फिल्म निर्माताओं और निदेशकों को दिये गये ऋणों को बट्टे खाते डालना	Writing off of Loans Advanced to producers and Directors by Film Finance Corporation . .	82
2331.	फिल्म निर्माताओं और निदेशकों को ऋण देने के संबध में फिल्म वित्त निगम के मार्गदर्शी सिद्धांत	Guide-lines for F.F.C. to Advance Loans to Film Producers and Directors	83
2332.	आशय-पत्रों के लिए समय वृद्धि	Extension of Time for Letters of Intent.	83
2333.	टेलीफोन के बिलों की वास्तविक राशि को अधिक दिखाने संबंधी शिकायतों की जांच करने के लिए समिति	Committee to go into Complaints of Excess Billing on Telephone .	83—84
2334.	खाद्य परिष्करण एककों की उपयोग में न लाई जा रही क्षमता	Un-utilised Capacity in Food Processing Units.	84—85
2335.	इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज के तीसरे एकक की स्थापना का निर्णय	Decision of Setting up of Third Unit of I.T.I.	85—86
2336.	पालघाट में टायर फैक्टरी की स्थापना के लिए आशय-पत्र जारी करना।	Issue of Letter of Intent for Setting up of tyre Factory in Palghat	86
2337.	आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों की प्रशासकीय पदों पर पदोन्नती	Promotion of A.I.R. Staff Artistes to administrative positions . .	86
2338.	कम्प्यूटरों का निर्माण	Manufacture of Computers	87
2339.	देश में केन्द्रीय रिर्जव पुलिस के कर्मचारियों की संख्या	Strength of C.R.P. in the Country .	88

उत्तर प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2341.	अखबारी-कागज संबंधी नीति का पुनरीक्षण	Review of Newsprint Policy .	88
2342.	पाकिस्तान की सीमा से लगे पूर्वी राज्यों का समूहीकरण	Grouping of Northern States Bordering Pakistan	88
2343.	भूतपूर्व नरेशों को अनुग्रह-पूर्वक अदायगी	Ex-Gratia Payment to Former Rulers	88—89
2344.	राष्ट्रीय एकता के संवर्धन के लिए उपाय	Steps to Promote National Integration	89
2345.	बड़े नगरों के बीच टेलेक्स सेवा का सुधार	Improvement of Telex Services between Major Cities . . .	89
2346.	नीति निर्धारित करते समय व्यावहारिक विज्ञान को प्राथमिकता देना	Priority to Applied Sciences in Policy	89—90
2347.	पम्प और बिजली के मीटरों की समस्याओं पर विचार करने के लिए समिति का गठन	Composition of Committee to Examine Problems of Pump and Electric Meters . . .	90
2348.	छोटे उद्यमकर्ताओं की विशेष रियायतें	Special Treatment of Small Entrepreneurs	90
2349.	लघु उद्योग क्षेत्र में बड़े पूंजीपति	Big Capitalists in Small Scale Sector	91
2350.	आई० टी० आई० बंगलौर द्वारा डिजाइनीकृत और निर्मित क्रास बार एक्सचेंज को इलाहाबाद में लगाया जाना	Installation of Cross Bar Exchange in Allahabad Designed and Manufactured by I.T.I. Bangalore	91
2351.	कपड़ा मिलों का आधुनिकीकरण	Moderniztion of Textile Mills	92
2352.	महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि	Increase in Prices of Commodities in Maharashtra, U.P. and Madhya Pradesh	92
2353.	केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में राज भाषा कार्यान्वयन समितियां स्थापित करना	Official Language Implementation Committees in Central Government Offices	92
2354.	पुलिस द्वारा गया नगर (बिहार) के बाह्य क्षेत्रों से भूमिगत शस्त्र भंडार का पता लगाना	Underground Arsenal Unearthed by The Police on The Outskirts of Gaya Town, Bihar . . .	93
2355.	निजी पत्रों आदि को सरकार द्वारा बीच में खोलना	Interception of Private Correspondence by Government . .	93
2356.	बड़े व्यापार गृहों की सूची में और नाम जोड़ना	Addition to the lists of Larger Business Houses. . . .	93—64
2357.	पश्चिम जर्मनी की सहायता से प्रादेशिक कम्प्यूटर परामर्शदाता केंद्रों की स्थापना करना	Setting up of Regional Computer Consultancy Centres with the Help of West Germany .	94

उत्तर प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2358.	देश में विलास सामग्री पर व्यय पर रोक	Curb on Luxury Expenditure in the Country.	94
2359.	विश्व में वर्ष 1980 तक आणविक ईंधन की कमी ।	Nuclear Fuel Famine in the world by 1980.	95
2360.	राजस्थान में भारतीय प्रशासनिक सेवा/ भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की समय से पूर्व सेवानिवृत्ति	Pre-Mature Retirement of I.A.S./IPS officers in Rajasthan . . .	95
2361.	समयोपरि भत्ते की कथित अधिक अदायगी की वसूली	Recovery of Alleged over-payment of Over Time Allowance . .	95—96
2362.	न्यू टाउनशिप में डाक व तार कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों का निर्माण ।	Construction of Quarters of P& T. Employees in New Townships .	96
2363.	डाक-घर कालौनी, किदवई पुरी, पटना	P&T Colony, Kidwaipuri, Patna	96—97
2364.	पी० एम० जी० बिहार सर्किल में यात्रा भत्ता बिलों के भुगतान में विलम्ब	Delay in Payment of T.A. Bills in Bihar Circle.	97
2366.	लघु क्षेत्रों के उद्योगों के कच्चे माल की कमी	Shortage of Raw Materials in Small Scale Industries. . . .	98
2367.	पांचवी योजना में लघु उद्योगों की स्थापना	Setting up of smalll Scale Industries in Fifth Plan	98
2368.	कागज के कारखानों का राष्ट्रीयकरण	Nationalization of Paper Factories	98
2369.	पोस्टल डिवीजन बनाने के लिए मापदंड	Criteria for creation of Postal Division.	99
2370.	कटक में डाक व तार कर्मचारियों द्वारा चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के लिए झूठे दावे	Fake Claim for Reimbursement of Medical Expenses by P&T Employees at Cuttack. . . .	99—100
2371.	और अधिक बिजली उत्पन्न करने के लिए अणुशक्ति के उपयोग की योजना	Scheme to Harness Nculear Energy to Generate more Electricity	100—101
2372.	जम्मू और कश्मीर में अखबारी कागज का कारखाना लगाया जाना	Paper Newsprint Factory in Jammu and Kashmir	101
2373.	गैर-सरकारी रेडियो स्टेशन	Private Radio Stations	101—102
2374.	दिल्ली के टेलिफोन एक्सचेंजों में "सुधार अभियान" (आपरेशन रेक्टीफिकेशन)	'Operating rectification' in Telephone Exchange of Delhi .	102

उत्तर प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2375.	मैन्युअल टेलीफोन एक्सचेंजों को आटोमैटिक टेलिफोन एक्सचेंजों में बदला जाना	Conversion of Manual Telephone Exchanges into Automatic Exchanges	102—103
2376.	जटनी उड़ीसा के डाक-तार कर्मचारियों को क्वार्टरों का आवंटन	Allotment of Quarters to P&T Staff of Jatni, Orissa. . . .	103
2377.	जटनी, उड़ीसा में टेलीफोन एक्सचेंज भवन को पूरा करना	Completion of Telephone Exchange Building at Jatni, Orissa. .	103—104
2378.	पिछड़े क्षेत्रों की समस्याओं का पता लगने हेतु जिला योजनाएं बनाने के लिए उड़ीसा को साहयता	Assistance to Orissa for Preparing District Plans for identifying problems of Backward Regions.	104
2379.	प्रत्येक दूसरे वर्ष फिल्मी मेले का समारोह	Festival of Festival Films every Alternate year. . . .	104—105
2381.	वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पुस्तकों का लिखा जाना	Writing of books by Senior officers	105
2382.	भूमिगत पाकिस्तानी नागरिकों का मैसूर राज्य से निष्कासन	Deportation of under gorund Pakistani Nationals from Mysore States.	105--106
2383.	वैद्य पारपत्रों पर तमिलनाडु को यात्रा करने वाले पाकिस्तानी नागरिक	Pakistani Nationals visited Tamilnadu on vaild Passports . .	106
2384.	बिहार में डाक व तार घर	P&T offices in Bihar .	106—107
2385.	सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवैध घोषित किये गए जम्मू व कश्मीर के नौकरी आरक्षण नियम	Job reservation rules of Jammu and Kashmir invalidated by the Supreme Court.	107—108
2386.	आर्थिक, विज्ञान तथा प्रोद्योगिकी के क्षेत्र में भारत तथा रूस के बीच सहयोग के लिए संयुक्त आयोग	Indo—Soviet Joint Commission on Economic Scientific and Technological Co-operation in the field of Science and Technology. .	108
2387.	कोरापुट (उड़ीसा) में कागज बनाने का कारखाना	Paper Mill in Koraput (Orissa) .	108—109
2388.	जम्मू व काश्मीर के लिए 1973-74 की वार्षिक योजना	Annual Plan for Jammu and Kashmir for 1973-74 . .	109
2389.	दिल्ली में पुलिस में भर्ती	Recruitments to Delhi Police.	109
2390.	लघु क्षेत्र में उत्पादन के लिए वस्तुओं का आरक्षण	Reservation of items for small Scale Sector	109—110
2391.	बल्बों का निर्माण	Manufacture of Bulbs . .	110

उत्तर प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2392.	राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच	Inquiries by C.B.I. against Gazetted Officers	110
2393.	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के केन्द्रीय कार्यालय का पुनर्गठन	Reorganisation of Central Office of C.S.I.R.	110—111
2394.	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के गैर-हकदार अधिकारियों द्वारा विमानों से यात्रा करना	Non-entitled officers of C.S.I.R. travelling on tour by Air.	111—112
2395.	अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा डाक टिकटों और लिफाफों की बिक्री	Selling of Postal Stamps and Envelops by unauthorised persons.	112
2396.	बिहार में लघु उद्योगों को कच्चे माल का आबंटन	Allotment of Raw Materials to Small Scale Units in Bihar. .	113—114
2397.	बिहार में "ग्रैफाइट इलेक्ट्रोड" परियोजना का पंजीकरण	Registration of Graphite Electrode Project in Bihar. . . .	114
2398.	सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में ली गई संकटग्रस्त कपड़ा मिलें	Sick Textile Units taken over by Government.	115—117
2399.	कैलसिनेटेड पैट्रोलियम कोक का आयात	Import of Calcinated Petroleum Coke	117
2400.	पांचवी योजना के बारे में राज्यों से परामर्श	Consultations with States on Fifth Plan.	117
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना		Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance .	118—122
अमरीका से आयात किये गये माइलों में 'धतूरे' के वीज के मिले होने का समाचार		Reported presence of dhatura seeds in milo imported from America .	118—122
	श्री धामनकर	Shri Dhamankar	118—119
	श्री फखरूद्दीन अली अहमद	Shri Fakrudin Ali Ahmed .	118—122
सभा-पटल पर रखे गये पत्र		Papers Laid on the Table .	112—123
प्राक्कलन समिति		Estimates Committee . . .	123
	28वां प्रतिवेदन	Twenty-eighth Report	123
लोक लेखा समिति		Public Accounts Committee . .	123
	70वां प्रतिवेदन	Seventieth Report . . .	123
कार्य मंत्रणा समिति के 25वें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव		Motion Re. Twenty-Fifth Report of Business Advisory Committee	124

उत्तर प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
	कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि (संशोधन) विधेयक–पुरःस्थापित	Employee's Provident Funds and Family Pension Fund . . (Amendment) Bill-Introduced .	124 125—126
	वेतन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में मंत्रियों द्वारा दिये गये कथित गलत वक्तवयों के बारे में	Re. Pay Commission's Report on Re. Alleged Wrong Statements made by Ministers . . .	126—131
	रेल बजट 1973-74---सामान्य चर्चा	Railway Budget 1973-74—General Discussion	131—145
	श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव	Shri R. P. Yadav . . .	131—133
	श्री हुकम चन्द कछवाय	Shri Hukam Chand Kachwai .	133
	श्री सी० डी० गौतम	Shri C. D. Gautam . .	133—134
	श्री रणबहादुर सिंह	Shri Ranabahadur Singh .	134
	श्री धरनीधर दास	Shri Dharnidhar Das .	134—135
	श्री एस० ए० शमीम	Shri S. A. Shamim . .	135—136
	श्री के० रामकृष्ण रेड्डी	Shri K. Ramakrishna Reddy	136
	श्री था किरुतिनन	Shri Tha Kiruttinan . . .	136—139
	श्री मुहम्मद खुदा बख्श	Shri Muhammed Khuda Bukhsh.	139—140
	श्री प्रवीण सिंह सौलंकी	Shri Pravinsing Solanki .	140—141
	श्री विक्रम महाजन	Shri Vikram Mahajan . .	141—142
	श्री मधु दण्डवते	Prof. Madhu Dandavate .	142—144
	श्री भागवत झा आजाद	Shri Bhagwat Jha Azad . .	144—145
	श्री सी० एच० मोहम्मद कोया	Shri C. H. Mohamed Koya	145
	श्री विभूति मिश्र	Shri Bibhuti Mishra . . .	145
	आधे घंटे की चर्चा	Half-an-hour Discussion . .	145—149
	औद्योगिक उत्पादन पर बिजली की कमी का प्रभाव	Effect of Shortage of power on Industrial Production . .	145—149
	श्री ज्योतिर्मय वसु	Shri Jyotirmoy Bosu .	145—146
	श्री सुब्रह्मण्यम	Shri C. Subramaniam .	146—149

लोक-सभा

LOK SABHA

बुधवार, 7 मार्च, 1973/16 फाल्गुन 1894 (शक)

Wednesday, March 7, 1973/Phalguna 16, 1894 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

त्रिपुरा में स्वायत्तशासी जनजातीय प्रादेशिक परिषदों का गठन

*221. **श्री वीरेन्द्र दत्त :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में स्वायत्तशासी जनजातीय प्रादेशिक परिषद् या परिषदों के गठन की लगातार मांग की जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) :(क) और (ख) : संविधान की छठी अनुसूची के अथवा मणिपुर (पर्वतीय क्षेत्र) जिला परिषदें अधिनियम, 1971 के उपबन्धों के नमूनों पर त्रिपुरा में आदिवासी क्षेत्रों के लिए जिला परिषदों अथवा क्षेत्रीय परिषदों के गठन के लिए अतीत में सुझाव किये गये थे। इन सुझावों पर 1971 में उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के पुर्व-गठन के समय सदन में विचार विमर्श के दौरान ध्यान दिया गया था। यह स्पष्ट किया गया था कि त्रिपुरा में आदिवासी जनसंख्या सघन क्षेत्रों में बसे हुए नहीं है और सारे राज्य में बिखरे हुए हैं। अत: संविधान की पांचवी अनुसूची के उपबन्धों को त्रिपुरा में लागू किया गया है और उससे एक आदिवासी सलाहकार परिषद् का गठन हो सकता है।

श्री बीरेन दत्त : क्या कोई ऐसा ब्लाक है जो पार्श्ववर्ती है और जिनमें केवल जनजातियों के ही लोग रहते है और यदि हां तो इन क्षेत्रों में प्रादेशिक परिषद् न होने के क्या कारण हैं ?

श्री समर मुखर्जी : उन्होंने बताया है कि कुछ ऐसे ब्लाक हैं जो पार्श्ववर्ती है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : त्रिपुरा में ऐसे पांच ब्लाक हैं और मुझे यह विदित नहीं कि वे पार्श्ववर्ती हैं अथवा नहीं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार त्रिपुरा के विभिन्न सब-डिवीजनों में

जनजातियों के लोग बहुत बिखरे हुए हैं। प्रत्येक सब-डिवीजन में कुछ जन जातियों के लोग रहते हैं। वहां दस सब-डिवीजन हैं और 1971 की जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार केवल एक सब-डिवीजन को छोड़ कर शेष सब-डिवीजनों में जन जातियों के लोगों की संख्या 11·13 से 41·74 प्रतिशत के बीच है। अतः वो इस प्रकार बिखरे हुए हैं। यही समस्या है।

श्री बीरेन दत्त : क्या इन जिलों और ब्लाकों के बनाए जाने के कारण इन लोगों की संख्या को जानबूझ कर विभाजित किया गया है? यद्यपि वे घनी आबादी वाले क्षेत्र में रहते हैं। फिर भी उन की जनसंख्या का विभिन्न ब्लाको में इस प्रकार विभाजन किया गया है जिससे जनजातियों के लोग अल्प संख्या में हो गए हैं। अथवा उनकी संख्या प्रादेशिक परिषद् के गठन के लिए आवश्यक संख्या से कम है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : ऐसा सोचना ठीक नहीं है। लेकिन मैं मानचित्र में यह अवश्य देखूंगा कि वास्तव में ब्लाक कैसे स्थित हैं ऐसा मैं स्वयं करूंगा।

श्री दशरथ देव : माननीय मंत्री ने उल्लेख किया है कि त्रिपुरा के जनजातियों के लोग विभिन्न जिलों में बिखरे हुए है और त्रिपुरा में कोई विशेष जनजातीय क्षेत्र नहीं है। लेकिन यह सच नहीं है। जनजातियों के लोग एक विशेष क्षेत्र में रह रहे हैं। क्या सरकार कुछ समितियों को गठित कर इस प्रश्न की जांच करके और स्थानीय समस्याओं का अध्ययन करके इस संबंध मे वास्तविक तथ्यों का पता लगाने को उत्सुक है?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : तथ्यों का अध्ययन करने के लिए किसी समिति की आवश्यकता नहीं है। यदि मैं विभिन्न जिलों में बसे जनजातियों के लोगों की संख्या की प्रतिशतता का उल्लेख करूं तो माननीय सदस्य स्वयं निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वे बिखरे हुए हैं अथवा नहीं। उनकी प्रतिशतता इस प्रकार है:—26·39, 22.61, 30.52, 29.18, 64.85, 40.28, 41.74, 24.53, 11.13 और 25.11 प्रत्येक सब-डिवीजन में जनसंख्या की प्रतिशतता उतनी है जितनी मैंने बताई है। अतः वे बिखरे हुए हैं।

श्री दशरथ देव : उनकी जनसंख्या सब-डिवीजन में कम हो सकती हैं लेकिन सब-डिवीजन किसी खास पट्टी पर है और जनजातियों के लोग वहां रह रहे हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : वे मुझे सुनने का धैर्य क्यो नहीं रखते। मैं पहले ही श्री वीरेन दत्त को बता चुका हूं कि मैं मानचित्र से उस स्थान का अध्ययन करुंगा जहां जनजातियों के लोग रहते हैं।

Transport subsidy to Uttarakhand

***223. Shri Narendra Singh Bisht :** Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) the criteria on which transport subsidy is granted for the hilly areas;

(b) whether Government propose to give the subsidy to Uttarakhand i.e. hilly areas of Uttar Pradesh for the transportation of consumer goods; and

(c) if so, the time by which Government propose to give subsidy in this regard?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) सरकार ने विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों के लिए नहीं वरन चुने हुए दूरवर्ती इलाकों में उद्योगों का विकास करने के लिए एक परिवहन राज्य सहायता योजना तैयार की है। अतएव पहाड़ी क्षेत्रों में उद्योगों के विकास के लिए अलग से कोई परिवहन राज्य सहायता योजना नहीं तैयार की गई है।

(ख) और (ग) – उत्तर प्रदेश सरकार का एक प्रस्ताव योजना आयोग के विचाराधीन है।

Shri Narendra Singh Bisht : I want to know whether the Government is aware of the fact that in the hilly districts the consumers' goods like clothes, shoes, soaps, Gur, salt, oil, dalda, steel, cement, flour, rice, and pulses etc. are sold at one and a half or double the prices at which they are sold in Delhi. Whereas the purchasing power of the people of these areas is below poverty line?

Shri Ziaur Rahman Ansari : The Government is not aware of the fact..... *(interruptions)*

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : यह परिवहन राज्य सहायता उद्योगों के विकास के लिए है। इसका उपभोक्ता वस्तुओं के परिवहन से कोई सम्बंध नहीं है। इसके लिए एक पूर्णतया पृथक योजना होनी चाहिए। लेकिन इस मंत्रालय का उससे कोई संबंध नहीं है।

Shri Narendra Singh Bisht : I want to know whether the Government will consider to pay transport subsidy for fruit and minerals coming from hilly areas so that these products of Kumaon and Garhwal could be sold at Delhi or Bombay or some other places with a proper margin of profit as those of Kashmir and Himachal Pradesh, as has been recommended by the Wanchu Committee and the Chief Minister of Uttar Pradesh ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : जैसा कि मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूं इस योजना का संबंध दूरवर्ती क्षेत्रों में स्थित उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चे माल की सप्लाई और इन उद्योगों द्वारा निर्मित माल को बाहर उपभोक्ता क्षेत्रों में सप्लाई करने से है। परिवहन राज्य सहायता का उद्देश्य दूरवर्ती क्षेत्रों में उद्योगों को प्रोत्साहन देना है। अन्य वस्तुएं, जिनका माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है आवश्यक हो सकती हैं, लेकिन वे इस योजना के अन्तर्गत नहीं आती।

Shri Jhar Khande Rai : I want to know whether the hon. Minister is aware of the fact that in the hilly areas of Uttara Khand road facilities for setting up industries in the remote areas are not available as a result of which the cost of production of the goods is more there and the goods supplied from Delhi or some other places also cost more. So I want to know whether the Government is considering to prepare some special scheme for the road development in that area ; if so, the time by which action would be taken in this regard?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : यह प्रथक प्रश्न है इसे परिवहन और संचार मंत्रालय को संबोधित किया जा सकता है।

श्री हरि किशोर सिंह : यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह बात समझ में नहीं आती कि सरकार ने इस राज सहायता को केवल आसाम और जम्मू और काश्मीर तक ही क्यो सीमित रखा और देश के अन्य पहाड़ी क्षेत्रों को यह सुविधा क्यों नहीं दी।

क्या देश के अन्य पहाड़ी क्षेत्रों जैसे बिहार को राज सहायता देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है!

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : जैसा मैं पहले उल्लेख कर चुका हं, यह पहाड़ी क्षेत्रों से सम्बन्धित योजना नहीं है। यह योजना दूरवर्ती क्षेत्रों से संबंधित है। इस प्रयोजन के लिए एक समिति नियुक्त की गई थी। और इसने इसके अनेक पहलुओं पर विचार किया था और यह सिफारिश की थी कि आसाम के उत्तर–पूर्वी-क्षेत्र और उत्तर जम्मू और काश्मीर के क्षेत्र ही केवल राज सहायता के अधिकारी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार को अभ्यावेदन योजना आयोग के विचाराधीन है, जैसा कि मैने पहले ही उल्लेख किया ।

श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि टिहरी गढवाल के क्षेत्र और निकटवर्ती जौनसार बाबर क्षेत्र में प्रति व्यक्ति सबसे कम आय है और इन क्षेत्रों में नाम-मात्र को भी उद्योग नहीं हैं मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या इन क्षेत्रों को उद्योगों के लिए प्रोत्साहन देने के लिये सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी !

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : जी हां, वे पिछड़े क्षेत्रों के विकास के अर्न्तगत आते हैं जहां हम रियायती दरों पर वित्तीय सहायता देकर प्रोत्साहन दे रहे हैं और कुछ क्षेत्रों में पूंजी निवेश के लिए राज्य सहायता दी गई है। ये क्षेत्र इस योजना के अर्न्तगत आएंगे।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मै आसाम को उद्योगों के लिये दी जाने वाली राज सहायता के बारे में जानना चाहूंगा। क्या दार्जलिंग, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर को उद्योगों की स्थापना के लिए राज्य सहायता दी जाएगी अथवा नहीं ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : जी हां, यह क्षेत्र परिवहन राज सहायता योजना के अर्न्तगत आता है ।

पाँचवी पंचवर्षीय योजना में आन्ध्र प्रदेश में एक परमाणु बिजली घर की स्थापना

*225. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या परमाणु ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना में आन्ध्र प्रदेश में एक परमाणु बिजली घर की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ? और

(ग) प्रस्ताव की अनुमानित लागत क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग) दक्षिणी क्षेत्र ; जिसमें आन्ध्र प्रदेश शामिल है, में विभिन्न स्थलों की जांच आजकल एक स्थल चयन समिति द्वारा की जा रही है। उस राज्य में परमाणु बिजली घर की स्थापना के बारे में निर्णय उस समिति की सिफारिशों को ध्यान में रख कर किया जायेगा।

श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : 1965 से आन्ध्र प्रदेश राज्य को बिज़ली के गम्भीर संकट का सामना करना पड़ रहा है और राज्य में प्रतिव्यक्ति बिजली की खपत बहुत कम कर दी गई है राज्य की बिजली की अधिकतम मांग, प्रतिस्थापति क्षमता और नई योजनाओं के अर्न्तगत अतिरिक्त प्रतिष्ठापित क्षमता को ध्यान में रखते हुए, वर्ष 1978-79 तक राज्य में बिजली की कुल कमी 600 मेघावाट की हो जायेगी। अत: इन परिस्थितियों में इस गम्भीर विजली संकट को दूर करने के लिए जिससे राज्य के औद्योगिक और आर्थिक विकास में बाधा आ रही है क्या सरकार इस मामले पर विचार करेगी और राज्य में कम से कम 400 मेघावाट शक्ति का परमाणु बिजली घर स्थापित करने के बारे में शीघ्र निर्णय लेगी जिससे औद्योगिक और आर्थिक विकास को बनाए रखा जा सके।

श्री कृष्ण चन्द पन्त : परमाणु बिजली घर के स्थान के बारे में निर्णय लेते समय विभिन्न बातों, जैसे भूतत्वीय पहलू, जल विज्ञान संबंधी पहलू और पानी की उपलब्धता और वातावरण जैसे अनेक पहलूओं पर विचार करना होता है। स्थल के बारे में निर्णय लेते समय इन सब बातों पर विचार किया जायेगा यदि वहां ग्रिड है तो सारी बिजली ग्रिड में चली जाती है। ऐसा होने पर उसकी वास्तविक स्थिति औद्योगिक विकास अथवा ग्रिड की सीमा में किसी भी क्षेत्र को बिजली सप्लाई की दृष्टि से कम महत्वपूर्ण हो जाती है अत: यदि यह ग्रिड

से संबद्ध हो तो संयंत्र चाहे किसी भी स्थान पर लगाया जाय उस स्थिति में उस समस्या को और हल किया जा सकता है। आन्ध्र प्रदेश में बिजली की कमी हो सकती है लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि आन्दोलनों में बहुत अधिक बिजली का दुरुपयोग किया जा रहा है।

श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : स्थान चयन समिति, जिसके बारे में मूल उत्तर में उल्लेख किया गया है, राज्य में श्री हायेट की अध्यक्षता में 1962 में, स्थापित की गई थी। इसने महबूब नगर जिले में सोमसिला नामक एक गांव का चयन लगभग कर लिया था लेकिन इस बीच किसी अन्य स्थल पर बिजली घर स्थापित करने का निर्णय ले लिया गया और यह मामला वहीं समाप्त हो गया। इस सम्बन्ध में सरकार से बहुत पत्र-व्यवहार किया गया और सरकार को अनेक स्मरण-पत्र भेजे गये और वर्ष 1969 में इस मामले को प्रधान मंत्री के स्तर पर भी लाया गया। 1970 में एक अन्य स्थान चयन समिति श्री चक्रवर्ती की अध्यक्षता में स्थापित की गई और उसने भी उक्त क्षेत्र का दौरा किया। गत 10 वर्षों से ऐसा ही चल रहा है। अतः मैं यह जानना चाहूंगा कि सरकार इस मामले पर कब निर्णय लेगी अथवा क्या सरकार निर्णय लेने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित करेगी ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : यह सच है कि हायेत समति ने 1962 में इस मामले की जांच की थी और उसने आन्ध्र प्रदेश के श्री सैलम ज़िले में सोमासिला नाम एक स्थान की सिफारिश भी की थी, किन्तु सूची में इसका नम्बर पहला नहीं अपितु तीसरा था। स्थान चयन समति जोकि इस मामले की जांच कर रही है तथा जिसका उल्लेख माननीय सदस्य ने भी किया है आंध्र प्रदेश में उपयुक्त स्थलों को देख रही है। सरकार समति की सिफारिशें प्राप्त होने के उपरान्त ही इस पर निर्णय ले सकती है।

श्री के० एस० चावड़ा : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या समिति गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में परमाणु बिजली घर के लिए स्थान के चयन के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न तो आंध्र प्रदेश से सम्बन्धित है।

श्री के० एस० चावड़ा : मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है कि समिति देश में विभिन्न स्थलों की जांच कर रही है इसीलिए मैंने यह अनुपूर्रक प्रश्न किया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या दक्षिण गुजरात में भी कोई स्थान चुना जाएगा ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : जहां तक पश्चिमी क्षेत्र का सम्बन्ध है स्थान चयन समिति का कार्य लगभग पूरा हो गया है और समिति के प्रतिवेदन को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

श्री के० एस० चावड़ा : समिति कब तक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी ?

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : पंजाब खाद्यान्न का भंडार है और यदि वहां बिजली की कमी न होती तो हम जरूर 20 लाख टन-अधिक खाद्यान्न दे देते।

क्या पंजाब में एक विद्युत संयत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष है ?

अध्यक्ष महोदय : आप इस संबंध मे पृथक प्रश्न की सूचना क्यों नहीं देते ?

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मंत्री महोदय का कहना है कि आन्ध्र में चुने गए स्थान का नम्बर तीसरा था। मैं जानना चाहता हूं कि पहला और दूसरा स्थान कौन कौन सा है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : वे केरल में नहीं है।

श्री के० एल० चावड़ा : मंत्री महोदय उन दो स्थानों के नाम भी बताएं ताकि सदन को उनके बारे में पता चले।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : इस समिति का गठन 10 वर्ष पूर्व किया गया था। पहला स्थान कलपक्कम तथा दूसरा तामिलनाड़ में बिलिंगुदलू था पर अब स्थिति बदल गई है और इसी कारण एक नई समिति स्थानों की जांच कर रही है।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भूमिहीन श्रमिकों की समस्याओं को हल करने के लिए योजनाएं

*229. **डा० रानेन सेन :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन श्रमिकों की समस्याओं को हल करने के लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कोई विशेष योजनाएं बनाई जा रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) : भूमिहीन श्रमिकों को अपना काम-धंधा शुरू करने तथा वेतन पर रोज़गार देने की स्कीमें पांचवीं योजना में शामिल करने के लिए तैयार की जा रही हैं। इनमें भूमिहीन श्रमिकों को जमीन देना; पशुपालन और अन्य सहायक कार्य-कलापों को शुरू करने के लिए सहायता की व्यवस्था करना शामिल है।

डा० रानेन सेन : क्या यह सच है कि चौथी योजना के दौरान भी समान योजनाएं बनाई गई थीं किन्तु उनके परिणाम संतोषजनक नहीं रहे। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या निरर्थक वक्तव्य देने के अतिरिक्त सरकार ने पांचवीं योजना के दौरान उक्त योजनाओं को ठोस रूप देने के लिए विचार किया है ताकि भूमिहीन श्रमिकों के कष्टों का निवारण किया जा सके ?

श्री मोहन धारिया : यह कहना उचित नहीं कि चौथी योजना के दौरान उक्त योजनाओं को क्रियान्वित नहीं किया गया। दो महत्वपूर्ण योजनाएं इस दौरान आरम्भ की गईं: एक तो सीमांत और छोटे किसानों और भूमिहीन श्रमिकों के लिए और दूसरी ग्रामीण द्रुत रोजगार कार्यक्रम के सम्बन्ध में। यह दोनों योजनाएं असफल नहीं हुई। 1972-73 में ग्रामीण द्रुत रोज़गार कार्यक्रम से लगभग 800 लाख जन दिवसों के कार्य की व्यवस्था की गई और लगभग तीन लाख पचास हजार व्यक्तियों को रोज़गार दिया गया। इसी प्रकार सीमांत के छोटे किसानों की योजनाएं सफल हुई हैं। पांचवीं योजना के दौरान हम इसकी गतिविधियों का विस्तार समग्र देश में करना चाहते हैं, क्योंकि यह हमारी प्रायोगिक परियोजनाएं हैं। इसके साथ-साथ, भूमि की अधिकतम सीमा और भूमि हीन श्रमिकों में भूमि वितरण का मामला भी लिया जाएगा।

डा० रानेन सेन : मैं मंत्री महोदय के वक्तव्य से सहमत नहीं हूं। मेरे विचार में द्रुत कार्यक्रम असफल रहा है। चूंकि सरकार भूमिहीन किसानों को भूमि देने के मामले में बहुत उत्सुक है अत: मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस बात का अंदाजा लगाया है कि देश में कितने भूमिहीन श्रमिक हैं और अधिकतम सीमा नियत करने के बाद उनके पास कितनी भूमि बचती है ? इस भूमि के बारे में जब से बात की जा रही है तब से अब तक ऐसी कितनी भूमि का वितरण हो चुका है ?

श्री मोहन धारिया : भूमिहीन श्रमिकों की निश्चित संख्या का अनुमान लगाना अत्यन्त कठिन है पर मैं इतना अवश्य कह सकता हूं कि उन लोगों की संख्या बहुत अधिक है और उनके लिए कई प्रयोजनाएं आरम्भ करनी पड़ेंगी । राज्य सरकारों से प्राप्त अनुमानों के अनुसार 50 लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि उपलब्ध होगी ।

डा० रानेन सेन : क्या भूमिहीन श्रमिकों की संख्या के बारे में थोड़ा बहुत अंदाजा है और इस 50 लाख एकड़ भूमि में से कितनी भूमि अब तक वितरित की गई है ?

योजना मंत्री (श्री जी० पी० धर) : भूमिहीन श्रमिकों की संख्या के संबंध में दिए गए अनुमानित आंकड़ों में अंतर है । किन्तु हमारे द्वारा विशेष कार्यक्रमों हेतु आरम्भ की गई 41 प्रयोजनाओं में हमारे पास 300,000 भूमिहीन श्रमिक आए और हमने इन सभी को रोज़गार दिया । इस समय कुल भूमिहीन श्रमिकों की संख्या के वास्तविक आंकड़े देना संभव नहीं है । जहां तक वास्तविक वितरण का संबंध है, भूमि सुधारों के परिणामस्वरूप अभी भूमि हमें उपलब्ध होगी और जब तक भूमि हमारे कब्जे में नहीं आती तब तक मैं कैसे कह सकता हूं कि कितनी भूमि वितरित की गई ।

Shri B.P. Maurya : The question of agricultural labourers is very serious. None of the plans of the hon. Minister has succeeded so far. The allottees fail to get the possession of the land allotted to them. To safegaurd their interests, do the Government propose to allot the lands to co-operative societies instead of making allotment to individuals and will they be provided with the other necessities of agriculture? Moreover, what measures would be taken to enable an allottee to build his own house on the land allotted to him?

श्री मोहन धारिया : यह सब कार्यवाही हेतु सुझाव हैं । हमने राज्य सरकारों से इस ओर तत्काल ध्यान देने को कहा है । केन्द्र सरकार केवल निधि का ही आबंटन नहीं करती अपितु ऐसे लोगों के लिए घरों की भी व्यवस्था करती है ।

Shri Nathu Ram Ahirwar : The hon. Minister has just stated that Government is helping marginal and small farmers so that their economic condition may be improved but I would like to tell him that even the Banks do not help those farmers who have got less than five acres of land and how do the Government propose to help those labourers who have no land at all?

श्री मोहन धारिया : सरकार ने सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों और सरकारी वित्तीय संस्थाओं को ऋण सम्बन्धी सुविधाएं प्रदान करने की सलाह दी है । यही नहीं, उनको विभिन्न ब्याज की दरों पर ऋण दिया जाएगा, जैसा कि पिछले दिन वित्त मंत्री ने सदन में कहा था ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : माननीय मंत्री द्वारा दिए गए आंकड़े सही नहीं हैं । आंकड़ों की पुस्तिका में खेतिहर मजदूरों की संख्या 4.74 करोड़ बताई गई है । मेरे विचार में यही श्रमिक भूमिहीन श्रमिक हैं । क्या यह सच नहीं है कि भूमिहीन श्रमिकों की संख्या प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है ? क्या सरकार पिछले तीन वर्षों के तुलनात्मक आंकड़े देने को तैयार है ?

श्री मोहन धारिया : जिस सीमांत किसान और 'खेतिहर किसान' एजेंसी का मैंने हवाला दिया है उसका काम विशेष रूप से खेतिहर मज़दूरों का पता लगाना है । खेतिहर मज़दूर हम ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जिसकी आय का 50 प्रतिशत भाग खेती के कामों से आता हो । इन्हीं खेतिहर मज़दूरों का पता लगाने हेतु हमने प्रायोगिक परियोजनाएं तैयार की हैं ।

अध्यक्ष महोदय : वह भूमिहीन श्रमिकों के बारे में पूछ रहे हैं ।

श्री मोहन धारिया : इन्हीं ऐजेंसियों के माध्यम से हम भूमिहीन श्रमिकों की सही संख्या का पता लगाना चाहते हैं । उपलब्ध अनुमानों के अनुसार इनकी संख्या में वृद्धि हुई है ।

श्री बी० के० दास चौधरी : मंत्री महोदय द्वारा दिए गए वक्तव्य से स्पष्ट है कि शुरू की गई प्रायोजनाओं से 3.5 लाख व्यक्तियों को 8 लाख जन दिवसों के लिए रोज़गार मिलेगा और यह लगभग 233 दिन, अर्थात् वर्ष में 8 महीने के करीब बैठता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का विचार उपायों और द्रुत कार्यक्रम को जारी रखने का है ताकि भूमिहीन श्रमिकों और निर्धन लोगों को सारे वर्ष रोज़गार मिलता रहे ? उनकी दैनिक मज़दूरी या प्रतिमास की आय क्या है ?

श्री मोहन धारिया : मज़दूरी के दरें विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न हैं और इस समय उनके बारे में जानकारी देना अत्यन्त कठिन है। हमने अपने पांचवीं योजना के दृष्टिकोण पत्र में स्पष्ट किया है कि भूमिहीन तथा अन्य श्रमिकों को पर्याप्त आय दिलाने हेतु सभी प्रकार के प्रयत्न किए जाएंगे।

Smt. Sahadra Bai Rai : The hon. Minister has just mentioned about 50 lakh acres of land to be distributed among landless labourers. I want to draw the attention of the hon. Minister to this fact that if a person owns 500 acre of land in his own name, his sons are sure to call themselves landless. In such a situation how are they going to distribute land?

Shri D.P. Dhar : It is obvious that there will be such instances but the law aims at resolving such anomalies.

Shri Atal Bihari Vajpayee : The statistics in 'India 1971-72' show that the surplus land has not so far been distributed. Now the hon. Minister is saying that 50 lakh acres of land is still avilable for distribution. Has he got statewise figures? Moreover, is it not a fact that land will not be distributed as long as the landless labourers are not in majority in the committee constituted for land distribution?

श्री मोहन धारिया : मैंने जो कुछ भी कहा है वह केवल अनुमान है। जब अधिकतम सीमा के बारे में कानून बन जाएंगे और लागू हो जाएंगे तभी राज्यवार सही आंकड़े देना संभव होगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : जब मैंने राज्यवार अधिकतम सीमा के उपरान्त प्राप्त होने वाली अतिरिक्त भूमि के आंकड़ों के बारे में पूछा था तो योजना मंत्री ने कहा था कि राज्यवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं और यह 50 लाख एकड़ के आंकड़े कैसे प्राप्त हो गए ?

श्री मोहन धारिया : यह केवल अनुमान है जो हमें विभिन्न चर्चाओ के दौरान प्राप्त हुए हैं। सही आंकड़ों का पता अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानून बनने और उनके लागू हो जाने के बाद ही पता लगेंगे। मैं आज कैसे बता सकता हूं कि आंकड़े क्या होंगे ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, क्या आप इस उत्तर से संतुष्ट हैं ? मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है कि 50 लाख एकड़ भूमि उपलब्ध होगी। और अब यह कहते हैं कि राज्यवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं फिर उन्हें 50 लाख एकड़ का आंकड़ा कैसे प्राप्त हो गया ?

श्री मोहन धारिया : मैंने केवल अनुमान बताया है। मेरे पास दो राज्यों के आंकड़े हैं। यदि माननीय सदस्य प्रत्येक राज्य के बारे में सही आंकड़े जानना चाहते हैं तो वह केवल कानून लागू हो जाने के बाद ही उपलब्ध होंगे लेकिन यदि वह राज्यों के अनुमानित आंकड़ों को जानने में रुचि रखते हैं तो मैं वे अनुमानित आंकड़े उपलब्ध कर सकता हूं।

श्री के० लकप्पा : ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में से सबसे अधिक दुर्बल वर्ग भूमिहीन श्रमिकों का है। क्या योजना आयोग ने कोई ऐसी योजना तैयार की है जिससे इन लोगों में विभिन्न प्रयोजनाओं में भाग लेने की भावना जाग्रत हो। यदि हां, तो क्या योजना आयोग ने राज्य सरकारों से ऐसी योजनाएं मांगी हैं और क्या कुछ योजनाएं भेजी गई हैं ?

श्री मोहन धारिया : योजना की प्रक्रिया में लोगों को शामिल करने के लिए हम मुख्य मंत्रियों, संसद सदस्यों, विरोधी दल के नेताओं तथा श्रम संघों के कर्मचारियों से बातचीत कर रहे हैं।

Mr. Som Chand Solanki : His Ministry just formulates plans, but has any constructive work been done so far? Has any land been distributed among landless labourers? If so, how much? They just put a drop in the ocean and claim to have done a lot for these people. Landless labourers are mostly Harijans. They belong to schedule castes. I want to know what action Government has taken to provide land and employment to them.

श्री डी० पी० धर : जितनी भी यह योजनाएं बनी उनका मकसद यही था कि हरिजनों को, भूमिहीन श्रमिकों को उनका फायदा हो। प्रश्न केवल हां या न कहने का नहीं। सच तो यह है कि यह योजनाएं सफल हुई हैं और इनके परिणाम भी अच्छे रहे हैं। हम इन योजनाओं को जारी रखेंगे और हमें आशा है कि भविष्य में इनसे और भी अच्छे परिणाम निकलेंगे !

अध्यक्ष महोदय : श्री समर मुखर्जी।

श्री के० एस० चावड़ा : मैं एक प्रश्न बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने की योजनाओं के बारे में पूछना चाहता हूं। अब वह दोष राज्यों को दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, मुझे खेद है। मैं इस प्रश्न की अनुमति नहीं दे सकता। एक इसी प्रश्न पर दर्जन से अधिक अनुपूरक प्रश्न पूछे जा चुके हैं।

बड़े उद्योग-गृहों संबंधी सरकार आयोग का अन्तरिम प्रतिवेदन

*230. **श्री समर मुखर्जी** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बड़े उद्योग-गृहों संबंधी जांच आयोग द्वारा अब तक पूरे किए जा चुके कार्य के आधार पर उससे एक अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहेगी; और

(ख) यदि नहीं; तो क्यों ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) सरकार ने कुछ समय पहले बड़े औद्योगिक गृहों की जांच आयोग को सुझाव दिया था कि कुछ विचारार्थ विषयों और विशेषरूप से अनुसूची ए की मद 8 (कुछ उपक्रमों द्वारा लाइसेन्स प्राप्त क्षमता से अधिक उत्पादन) के बारे में वह अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में विचार करे। आयोग ने सूचित किया है कि यदि कानूनी या व्यावहारिक कठिनाइयां न हों तो अनुसूची ए की मद 8 के संबंध में अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के संबंध में वह विचार करेगा।

श्री समर मुखर्जी : आयोग का गठन फरवरी, 1970 में हुआ था, तीन वर्ष बीत चुके हैं। आयोग को औद्योगिक लाइसेन्सिग नीति जांच समिति द्वारा बताई गई अनियमितताओं, कमियों और

अनुचित बातों की जांच करनी थी । इसे बिड़ला ग्रुप से प्रतिष्ठानों की जांच करने के लिये भी कहा गया था । मैं जानना चाहता हूं कि आयोग अपनी प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत करेगा और क्या आयोग ने समय बढ़ाने के लिये कहा है अथवा नहीं और क्या सरकार ने समय बढ़ाने की अनुमति दी है ?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : आयोग का गठन 18 फरवरी, 1970 को अधिसूचित किया गया था और आयोग ने वास्तव में अपना काम 29 मई, 1970 को शुरू किया । माननीय सदस्य के प्रश्न के अंतिम भाग के उत्तर में यह बताया गया है कि समय 17 फरवरी, 1974 तक बढ़ा दिया गया है ।

श्री समर मुखर्जी : इतना अधिक समय क्यों दिया गया ? मंत्री महोदय के उत्तर से.....

श्री विक्रम महाजन : आप इसे कल क्यों नहीं करते ।

श्री समर मुखर्जी : स्पष्ट है कि 1970 में इस आयोग को जांच की शर्तें बता दी गयी थीं और मैं जानना चाहता हूं कि इतना अधिक समय क्यों दिया गया.....

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : विचारार्थ विषयों की विस्तार से जांच करने तथा आयोग को विभिन्न विभागों से अधिकारी उपलब्ध करने के कार्य को ध्यान में रखते हुए कुछ समय का लगना स्वाभाविक ही था और इसी कारण सरकार ने आयोग की कार्य-अवधि बढ़ायी है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या यह सच है कि कुछ बाधाएं डाली गयीं और आयोग के लिये काम करना असम्भव हुआ ? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या ये बाधायें दूर कर दी गयी हैं और यदि हां, तो ये बाधायें क्या थीं और क्या बिड़ला बंधुओं सहित कुछ बड़े-बड़े व्यापार गृहों द्वारा ये बाधायें नहीं डाली गयी थीं ।

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : वास्तव में आयोग को संगत सूचना प्राप्त करने से रोकने के लिये याचिकाएं दायर की गयी थीं । आयोग को इन याचिकायों के निर्णयों की प्रतिक्षा करनी पड़ी । शुरू-शुरू में इन बातों के बारे में आयोग को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और उन्हें अब दूर कर दिया गया है और जांच करने के लिये कुछ कर्मचारियों को आयोग को सौंप दिया गया है ।

Shri Shankar Dayal Singh : What are the names of the big industrial houses under investigations and what is their number? How many new industrial houses have grown big after the appointment of this commission in 1970 ?

Mr. Speaker : The question pertains to interim report. You have departed from the real issue.

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : क्या मैं उत्तर दूं ?

अध्यक्ष महोदय : यदि आप चाहें तो ।

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : जांच आयोग का गठन वास्तव में बिड़ला बन्धुओं आदि के कार्यों की जांच के लिए किया गया था । विचारार्थ विषयों में कोई नए औद्योगिक गृह नहीं जोड़े गये ।

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : इसमें केवल बिड़ला ग्रुप ही नहीं आता । दत्त जांच समिति के प्रतिवेदन में वर्णित सभी 45 गृहों की जांच होनी है । स्वीकृत क्षमता तथा वे क्षमता से अधिक कैसे उत्पादन करते हैं । इसकी जांच करनी होगी ।

नान-रिवर्टिबल फोनोग्राम सर्विस प्रारम्भ करना

*233. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी:**

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फोनोग्राम भेजने में लगने वाले समय में कमी करने के लिए देश के कुछ नगरों में 'नान-रिवर्टिबल फोनोग्राम सर्विस' प्रारम्भ कर दी गई है,

(ख) यदि हां, तो इसे किन-किन नगरों में प्रारम्भ किया गया है, और

(ग) क्या इस नई 'सर्विस' के बारे में प्रयोक्ताओं की प्रतिक्रिया मालूम कर ली गई है और यह सुनिश्चित करने के लिए क्या यांत्रिक सावधानी बरती गई है कि गलत बिल बनना इस नई प्रणाली के अन्तर्गत दूर किया जा सके ।

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) जी हां ।

(ख) बंगलौर, बम्बई, मद्रास और नई दिल्ली में फोनोग्राम सेवा सोफिस्टीकेटिड 'काल क्यूइंग' और 'नम्बर आइडेंटीफीकेशन' सुविधाओं के साथ चालू की गई है । कोइम्बत्तूर, लखनऊ, मदुरै, पटना सलेम और तिरुचिरुपल्ली में कम सोफिस्टीकेटिड उपस्कर के साथ यह सेवा चालू की गई है ।

(ग) बम्बई में इस तरह की सेवा हाल ही में चालू की गई है । वहां फोनोग्रामों की संख्या 15 प्रतिशत बढ़ गई है । उपभोक्ताओं के बहुत से पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें उन्होंने सेवा की कुशलता में वृद्धि की प्रशंसा की है । यह सुनिश्चित करने के लिए कि उपभोक्ताओं को सही बिल भेजा जाए, 'नम्बर आइडेंटीफिकेशन' सुविधा दी गई है । इस सुविधा से आपरेटर एक दूसरे आउट गोइंग जंक्शन से फोनोग्राम भेजने वाले उपभोक्ता का टेलीफोन नम्बर डायल कर सकता है और संदेश नोट करने से पहले इस बात की जांच कर सकता है कि उपभोक्ता ने जो टेलीफोन नम्बर बताया है वह सही है कि नहीं ।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : 'नान-रिवर्टिबल फोनोग्राम सर्विस' दिल्ली में 1970 में आरम्भ की गई थी । इसे कलकत्ता में जो देश का सबसे बड़ा टेलोफोन एक्सचेंज है, क्यों नहीं आरम्भ किया गया ? कलकत्ता में काम ठीक ढंग से नहीं चल रहा । कलकत्ता में जो सबसे बड़ा शहर है, इसे क्यों नहीं आरम्भ किया गया ?

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : यह विचाराधीन है ।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : इस पर विचार क्यों नहीं हुआ ? इसे कलकत्ता में क्यों नहीं शुरू किया गया ? इसे दिल्ली में 1970 से आरम्भ किया गया है ।

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : जब ये कह रहे हैं कि यह विचाराधीन है तो यह बात बिल्कुल स्पष्ट है । इस योजना के बारे में सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि कुछ स्पैफिस्टीकेटिड उपस्कर नहीं मिलते । मैं कहूंगा कि कलकत्ता बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए मेरे सहयोगी ने कहा है कि यह विचाराधीन है । जल्दी करने पर भी कुछ समय लगेगा ।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : क्या मंत्री महोदय के पास यह सूचना है कि महिला ओपरेटर पुरुष ओपरेटर की अपेक्षा अधिक कार्यकुशल तथा शिष्ट होती है ? दिल्ली में भी नान-रिवर्टिबल फोनोग्राम सर्विस के लिए महिला आपरेटर नियुक्त करने का क्या कोई कार्यक्रम है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा : महिला ओपरेटर सम्बन्धी राय के लिए मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद देता हूं । लेकिन हमारे पास अभी पुरुष ओपरेटर सेवा में है और हम उनके बिना अभी काम नहीं चला सकते ।

Percentage of Increase in Pay and Allowances of Central Ministers vis a vis other Government Servants

***234. Shri Atal Behari Vajpayee:†**
Shri Onkar Lal Berwa: } Will the **Minister of Home Affairs** be pleased to state :

(a) the percentage of increase in the pay and allowances of Central Ministers in the year 1971-72 as compared to that of 1970-71; and

(b) the percentage of increase in the expenditure incurred on the pay and allowances of other Government employees during the said period?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F.H. Mohsin) : (a) and (b). A statement is laid on the table of the House.

STATEMENT

(a) There has been no increase in the rates of pay and allowances of the Ministers, prescribed under the Salaries and Allowances of Ministers Act, 1952 and the Rules made thereunder, in 1971-72 compared to 1970-71.

(b) As stated by the Minister of Revenue and Expenditure in reply to Unstarred Question No. 637 in this House on 23rd February, 1973, the estimated percentage increase in pay and allowances of Central Government employees (including Railways, Defence and P&T) in 1971-72 over 1970-71 calculated with reference to such data as is readily available comes to 21·6.

Shri Atal Bihari Vajpayee : In part (a) of my question, I had asked about the percentage of increase in the pay and allowances of central Ministers in the year 1971-72 as compared to that of 1970-71, but in the reply it has been stated that there has been no increase in the rates of pay and allowances of the Ministers. My question was not regarding the rates. I wanted to know about the amount spent on the pay and allowances of the Minister last year as well as in the current year?

श्री एफ० एच० मोहसिन : वर्ष 1970-71 के दौरान 12.80 लाख रुपये वेतन के रूप में अदा किये गये, जबकि वर्ष 1971-72 के दौरान यह राशि घटकर 12.32 लाख रुपये ही रह गई । परन्तु दौरे सम्बन्धी खर्च में वृद्धि हुई है । वर्ष 1970-71 में दौरे सम्बन्धी व्यय की राशि 18.80 लाख रुपये थी, परन्तु 1971-72 में यह खर्च बढ़कर 36.38 लाख रुपये हो गया था । इस वृद्धि का कारण बंगला देश में संघर्ष के दौरान प्रधान मंत्री और अन्य मंत्रियों द्वारा 1971-72 में विदेशों के दौरे पर जाना था । प्रधान मंत्री संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और ब्रिटेन के दौरों पर गई । जहां तक वेतन का सम्बन्ध है, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, वेतन सम्बन्धी खर्च में वर्ष 1971-72 के दौरान कमी हुई है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : वेतन सम्बन्धी व्यय में कमी के क्या कारण हैं ? मन्त्रियों की संख्या में कमी हुई है अथवा मन्त्रियों ने स्वेच्छा से अपने वेतन में कटौती की है ?

श्री एफ० एच० मोहसिन : 15 अगस्त 1971 से कैबिनेट स्तर के मन्त्रियों और राज्य स्तर के मन्त्रियों ने अपने वेतन में स्वेच्छा से 10 प्रतिशत कटौती की थी और उप मंत्रियों ने अपने वेतन में 5 प्रतिशत स्वेच्छा से कटौती की थी ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि क्या यह सच है या नहीं कि नवम्बर 1969 से पहले प्रधान मंत्री चुनाव के सिलसिले में या पार्टी के अन्य कार्यों के

लिए दौरे किया करतीं थीं, उन सब दौरों का खर्च पार्टी उठाया करती थी, परन्तु नवम्बर 1970 से प्रक्रिया बदल दी गई और अब सारा खर्च राजकोष में से किया जाता है ।

श्री एफ० एच० मोहसिन : यह सच नहीं है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : वे सदन को गुमराह कर रहे हैं । मैं "ब्लू बुक" से एक उद्धरण देकर यह सिद्ध कर सकता हूं । नवम्बर 1970 में सारी प्रक्रिया को अबुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से बदल दी गई ।

टेलीवीजन कार्यक्रमों का भारत और मलयेशिया के बीच आदान-प्रदान

*235. **श्री भागीरथ भंवर :**
श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : } क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में नई दिल्ली में भारत और मलयेशिया के प्रतिनिधियों की एक बैठक हुई थी जिसमें टेलिविजन कार्यक्रमों के आदान-प्रदान पर विचार किया गया था, और

(ख) यदि हां, तो विचार-विमर्श का क्या परिणाम रहा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह): (क) तथा (ख): मलेशिया के सूचना मंत्री और सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री के मध्य एक बैठक हुई थी, जिसमें सामान्य रूप में टेलीविजन के ऐसे कार्यक्रमों, जो दोनों देशों के रुचि के हों, के प्ररूप तथा ऐसे कार्यक्रमों के नियमित आदान-प्रदान के लिए गुंजाइश सहित जन सम्पर्क के क्षेत्र में आपसी हितों के मामलों पर बातचीत की गई ।

Shri Bhagirath Bhanwar : The honourable Minister has stated that there has been a discussion on various matters. I would like to know the subjects on which there has been a satisfactory talk and whether any time schedule has been fixed to have a discussion in future?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : मलयेशिया के माननीय सूचना मंत्री ने भी हमारी तरह ही इस बात की रुचि जाहिर की कि टी० वी० फिल्मों और रेडियो कार्यक्रमों का जहां तक सम्बन्ध है भारत और मलयेशिया के बीच सूचना और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का अधिक पैमाने पर आदान-प्रदान होना चाहिए । भारत में हम इस बात के लिए भी उत्सुक हैं कि अपने पड़ौसी देशों के साथ हमारा अधिक सम्पर्क होना चाहिए और हमें आशा है कि यह बातचीत जारी रहेगी और इसका लाभदायक परिणाम निकलेगा ।

Shri agirath Bhanwar : The hon'ble Minister has stated that there should be more inter-flow of information so far as Radio and Television is concerned and there would be further discussion on this. I would like to know whether there is any proposal under consideration to exchange technical aid between both these countries in this regard.

श्री आई० के० गुजराल : रेडियो और टेलीविजन के क्षेत्र में अगर हमारे माननीय मित्र का तात्पर्य उनसे उपकरण प्राप्त करने अथवा उपकरणों के रूप में सहायता देने से है, तो मैं कहना चाहूंगा कि इसका प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि हमारे देश में अपनी प्रणाली है और मलयेशिया के पास भी अपनी प्रणाली है, जो अब पूरी तरह विकसित है । परन्तु मलयेशिया एशियाई प्रसारण यूनियन की सहायता से बहुत अच्छा टेलीविजन प्रशिक्षण केन्द्र

संचालित कर रहा है और ये सुविधायें हमें भी उपलब्ध हैं जिनका हम समय-समय पर उपयोग करते हैं।

श्री नवल किशोर सिन्हा : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या अन्य देशों के साथ भी टेलीविजन कार्यक्रमों का आदान-प्रदान करने सम्बन्धी प्रस्ताव विचाराधीन हैं और यदि हां, तो उनका क्या ब्यौरा है ?

श्री आई० के० गुजराल : हमने कुछ देशों के साथ कार्यक्रमों के आदान-प्रदान सम्बन्धी समझौते किये हैं और कल ही हमने जर्मन जनवादी गणतन्त्र के साथ भी समझौता किया है। अगर माननीय सदस्य चाहें तो मैं उन्हें पूरी सूची दे सकता हूं। हमारे पास काफी लम्बी सूची है और हम इसमें और भी वृद्धि करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अन्ततोगत्वा हम यह महसूस करते हैं कि जन संचार के कार्यक्रमों का आदान-प्रदान दोनों देशों के लिए लाभदायक है और यह उन देशों के लिए भी लाभदायक है, जिनके साथ हम समझौते करते हैं।

श्री पी० जी० मावलंकर : भारत और मलयेशिया के बीच जिन विभिन्न कार्यक्रमों का आदान-प्रदान मन्त्री महोदय करने जा रहे हैं, उनके निश्चित स्वरूप के बारे में मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या ऐसे आदान-प्रदान कार्यक्रम सम्बन्धी समझौते दक्षिण-पूर्व एशिया के अन्य देशों के साथ भी किये जायेंगे ?

श्री आई० के० गुजराल : मैं एक उदाहरण दूंगा। वर्ष 1972 में हमने टेलीविजन पर मलयेशिया की दो फिल्में अर्थात् "डान्सिज आफ मलयेशिया" और "मलयेशियन म्यूनिक" प्रदर्शित की थी और मलयेशियाई टेलीविजन पर हमारे यहां की दो फिल्में प्रदर्शित की गई थी— उनमें से एक संगीत फिल्म "मधुशाला" थी और दूसरी "डान्सिज आफ वर्ल्ड (विश्व के नृत्य)" थी, जिसे हमने यहां बनाया था।

हम यथासम्भव ऐसे समझौते अधिक से अधिक देशों के साथ करने के लिए उत्सुक हैं। इस समय हम कुछ देशों के साथ इस मामले पर बातचीत कर रहे हैं और हम इस बात के लिए उत्सुक हैं कि विशेष रूप से अपने पड़ौसी देशों के साथ ऐसे आदान-प्रदान कार्यक्रम सम्बन्धी समझौते करें परन्तु इससे भी अधिक मेरे मित्र यह जानने में रुचि रखते होंगे कि हम विशेष रूप से समाचारों के आदान-प्रदान के लिए उत्सुक हैं और केवल रेडियो और टेलीविजन पर ही नहीं, बल्कि समाचारपत्रों में भी समाचारों का आदान-प्रदान होना चाहिए, क्योंकि वर्तमान व्यवस्था के अनुसार एशियाई और अफ्रीकी देशों के बीच बहुत कम मात्रा में समाचारों का आदान-प्रदान हो पाता है और ये समाचार अन्तर्राष्ट्रीय समाचार एजेन्सियों के माध्यम से भेजे जाते हैं, जिससे हम सन्तुष्ट नहीं है।

गरीबों का प्रतिव्यक्ति उपयोग स्तर बढ़ाने के लिए योजनाएं

*237. **श्री जी० वाई० कृष्णन :**
श्री सी० के० जाफर शरीफ : } क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जहां तक प्रति व्यक्ति उपयोग स्तर का सम्बन्ध है सरकार ने गरीबी की दशा सुधारने के लिए कोई योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं और यह योजना कब से लागू की जायेगी; और

(ग) क्या सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना में इस दिशा में कोई कदम उठाये हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) : जी, हां। 1-4-74 से लागू होने वाली पांचवीं योजना में गरीब वर्गों के औसत प्रति व्यक्ति उपभोग के स्तर को बढ़ाने में सहायता देने के लिए जिस कार्यनीति तथा उपायों का अनुसरण करने का प्रस्ताव है उसकी विस्तृत रूपरेखा पांचवीं योजना के प्रति दृष्टिकोण नामक दस्तावेज में दी गई है ।

(ग) सामान्य विकास कार्यक्रमों के अलावा चौथी योजना में विभिन्न स्कीमों में खास कर गरीब वर्गों के लिए जैसे छोटे किसानों, नाममात्र के किसानों तथा भूमिहीन श्रमिकों के लिए विकास अभिकरण सूखा प्रवृत्त क्षेत्रों के लिए ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम, ग्रामीण और शिक्षित बेरोजगारों के लिए विशेष कार्यक्रम और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किये गए हैं ।

श्री जी० वाई० कृष्णन : इन योजनाओं के लिए कितनी धन राशि आवंटित की की गई है ?

श्री मोहन धारिया : यह एक बहुत सामान्य प्रश्न है।

ग्रामीण द्रुत रोजगार कार्यक्रम के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, सूखे की संभावना वाले क्षेत्रों के लिए 20 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है, विशिष्ट रोजगार कार्यक्रमों के लिए 125 करोड़ रु० की राशि की व्यवस्था की गई है । इन धन राशियों के साथ-साथ, चालू वर्ष के बजट में 5 लाख शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 100 करोड़ रु० की अतिरिक्त राशि की व्यवस्था की गई है।

श्री भागवत झा आजाद : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस कार्यक्रम के लिए 30 पैसे और 60 पैसे प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के उपभोग के अनुसार सरकार ने जनसंख्या का वर्गीकरण किया है ? यदि हां, तो वर्तमान उपयोग स्तर क्या हैं और इस नीति के अनुसार इसमें किस प्रकार और कितनी वृद्धि करने का सरकार का विचार है ?

श्री मोहन धारिया : पांचवीं योजना के दृष्टिकोण-पत्र में हमने इन स्तरों का उल्लेख किया है और वर्ष 1978-79 तक इस प्रयास द्वारा हम ग्रामीण क्षेत्रों में 36.64 रु० और शहरी क्षेत्रों में 39.60 रु० प्रति व्यक्ति उपभोगस्तर बढ़ाना चाहते हैं, और यह वृद्धि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में क्रमश: 60 प्रतिशत और 50 प्रतिशत होगी ।

श्री भागवत झा आजाद : वर्तमान स्तर क्या है ?

श्री मोहन धारिया : हमने इसका दृष्टिकोण-पत्र में उल्लेख किया है ।

Shri Hukam Chand Kachwai : The hon'ble Minister has furnished certain figures that an amount of Rs. 50 crores has been earmarked for rural employment programme in fifth Plan and an amount of Rs. 125 crores has been allotted for special employment programme and in addition to this funds have also been allotted for drought-prone areas. The Central Government has also made provision for this purpose in the past, but the state Governments did not utilize the money or they could not spent it properly. I would like to know whether any special scheme has been formulated to ensure proper utilization of the funds allotted and to increase the per capita consumption. The honourable Minister has indicated the plan to provide employment. I would

like to know whether he would furnish the details about it? In Gujarat and Madhya Pradesh People are getting only 13 paise to 50 paise per capita for consumption.

The Minister for Planning (Shri D.P. Dhar) : The honourable Member has ordered that the funds should be utilized properly. I would like to assure him that the funds would be utilised properly.

Shri Hukum Chand Kachwai : Mr. Speaker, Sir, I had asked about the details of employment scheme, but it has not been replied to.

Mr. Speaker : The hon'ble Minister may send his scheme to the honourable Minister.

Shri D.P. Dhar : I would give a list of all the schemes in this connection to the honourable Member.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

तिलक नगर, दिल्ली के डाकघर से 20,000 रुपये की करेंसी नोटों की चोरी

*222. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिलक नगर, दिल्ली के एक डाकघर से फरवरी, 1973 में 20,000 रुपए के करेंसी नोट चोरी हो गये थे,

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है, और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां, 19,935 रुपये 7 पैसे चोरी हुए थे ।

(ख) और (ग) पुलिस मामले की तफतीश कर रही है ।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना में रूसी वित्तीय और प्रोद्योगिकीय सहायता से चालू की जाने वाली औद्योगिक परियोजनाएं

*224. **श्री आर० पी० उलगनम्बी** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवी पंचवर्षीय योजना में सोवियत संघ की वित्तीय तथा प्रौद्योगिकीय सहायता से कौन-कौन सी दीर्घकालीन औद्योगिक परियोजनाएं चालू करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यह सहायता किस सीमा तक दी जायेगी ।

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : **(क) और (ख)** : सभा पटल पर एक विवरण प्रस्तुत है ।

विवरण

जिन प्रमुख औद्योगिक परियोजनाओं में सोवियत संघ के साथ सहयोग की संभावनाओं का पता लगाने के लिए बातचीत चल रही है या अध्ययन किए जा र हैं, वे इस प्रकार हैं:— भिलाई और बोकारो स्थित इस्पात संयंत्रों का विस्तार, मध्य प्रदेश के मलंजखण्ड स्थान पर तांबा खान और संकेन्द्रक (कन्संट्रेटर) का निर्माण, अल्यूमीनियम संयंत्र का निर्माण; ऋषिकेश स्थित एंटीबायोटिक्स संयंत्र में नवीन उत्पादों का निर्माण तथा विकसित जीवाणु का प्रयोग; ऋषिकेश स्थित एंटीबायोटिक्स संयंत्र तथा हैदराबाद में सिंथैटिक ड्रा संयंत्र का विस्तार; और मथुरा तेलशोधक कारखाने के निर्माण तथा कलकत्ता में भूमिगत रेल लाइन बछाने में सहायता ।

सहायता की मात्रा इस बात पर निर्भर करेगी कि बातचीत तथा अध्ययन के क्या परिणाम निकलते हैं ।

चौथी पंचवर्षीय योजना में शहरों, कस्बों और गांवों में डाकघर खोलना

*226. **श्री सी० जानर्दनन :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में शहरों, कस्बों और गांवों में अलग-अलग कितने डाकघर खोले गये थे,

(ख) क्या राष्ट्रीय औसत के अनुसार प्रत्येक सात गांवों के पीछे एक डाकघर हैं, और

(ग) क्या सरकार का विचार गांवों में नए डाकघर खोलने का है और यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) शहरी इलाकों में अभी तक 1,310 डाकघर खोले जा चुके हैं। इनमें वर्गीकृत शहर और टाऊन भी शामिल हैं। गांवों में 11,897 डाकघर खोले जा चुके हैं।

(ख) औसतन हर छह गांवों के लिए एक डाकघर है।

(ग) वर्ष 1973-74 में देश में 3,700 डाकघर खोलने का प्रस्ताव है। इनमें से अधिकांश देहाती इलाकों में खोलने का प्रस्ताव है। यह भी प्रस्ताव है कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के देहाती इलाकों में 31,000 नए डाकघर खोले जाएं।

बंगला देश मुक्ति संघर्ष के दौरान आकाशवाणी के कलकत्ता केन्द्र के कर्मचारियों द्वारा अर्पित सेवाओं की प्रशंसा

*227. **श्री समर गुहा :** क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने बंगला देश मुक्ति संघर्ष के दौरान आकाशवाणी के कलकत्ता केन्द्र के कर्मचारियों द्वारा अर्पित सेवाओं की प्रशंसा की है ;

(ख) क्या बंगला देश पर बंगला समीक्षाओं के लिपिकारों को भी पारितोषिक दिया गया है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में अन्य क्या कदम उठाए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल): (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां।

(ग) श्री देब्दुलाल बन्द्योपाध्याय तथा श्री दिलीप कुमार सेनगुप्त को क्रमश: 1972 तथा 1973 में पदमश्री की उपाधि प्रदान की गई थी। श्री देब्दुलाल बन्द्योपाध्याय के अतिरिक्त कलकत्ता केन्द्र के स्टाफ के दो और सदस्यों को एक-एक हजार रुपये का नकद पुरस्कार दिया गया था। आकाशवाणी के कलकत्ता केन्द्र के एक और सदस्य को नकद पुरस्कार देने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

बड़े औद्योगिक ग्रहों की आर्थिक शक्ति पर प्रतिबन्ध

228. **श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :**
श्री गिरधर गोमांगो :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने बड़े औद्योगिक गृहों की आर्थिक शक्ति को समाप्त करने के लिए किसी ऐसी योजना पर विचार किया है जिसके द्वारा उन्हें राष्ट्रीय महत्व की कम्पनियों में अपने शेरों का हस्तान्तरेण करने के लिए बाध्य किया जा सके, और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मणयम) : (क) और (ख) सरकार के पास आर्थिक शक्ति के संकेन्द्रण पर प्रतिबन्ध लगाने के अनेक साधन हैं। इनमें औद्योगिक लाइसेन्सीकरण तंत्र, एकादिकार तथा ब्यापार व्यवहार प्रतिबन्धात्मक अभिनियम, लोक वित्तीय संस्थाओं द्वारा निजी कम्पनियों को दिये गये ऋणों का इक्विटी में परिवर्तन का उपबन्ध उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन औद्योगिक उपक्रमों के प्रबन्ध का हाथ में लिया जाना, राष्टीयकरण आदि आते हैं प्रभावी रूप से आर्थिक शक्तियों के संकेन्द्रण को रोकने के लिये आवश्यक अध्यायों का सतत पुनरीक्षण और अध्ययन किया जाता है जिससे सामाजिक न्याय के साथ-साथ औद्योगिक विकास को तेज करने के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

राज्यों में स्वनियोजित स्नातक इंजीनियर

*231. **श्री मनोरंजन हाजरा :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री स्वनियोजित स्नातक इंजीनियरों के बारे में 20 दिसम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5049 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में उन स्वानियोजक स्नातक इंजीनियरों की संख्या के बारे में जानकारी एकत्र कर ली गई है, जिन्होंने सरकार द्वारा स्नातकों को अपना रोजगार आरम्भ करने में सहायता देने की योजना के बाद अपना निजी धंधा शुरू कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मणयम): (क) और (ख) उपलब्ध जानकारी सभा पटल पर रखे गये विवरण में दी गई है।

विवरण

(क) राज्य सरकारों से प्राप्त जानकारी

(1) पंजाब

(1) इंजीनियरी उद्यमियों की संख्या जिन्होंने अपने उद्योग लगाये हैं	33
(2) पंजाब सरकार की शिशुक्षता योजना के माध्यम से रोजगार प्राप्त लोगों की संख्या	136

(2) मैसूर

(1) इंजीनियरी स्नातकों तथा डिप्लोमाधारियों की संख्या जिन्हें उद्योग लगाने के लिए सहायता दी गई	37
(2) मैसूर सरकार की शिशुक्षता योजना के माध्यम से रोजगार प्राप्त लोगों की संख्या	374

(3) संघ राज्य क्षेत्र

(1) लकादीव दीप समूह	
(2) अरुणांचल प्रदेश	
(3) दादर और नगर हवेली	
(4) मणिपुर	
(5) पांडिचेरी	
(6) मेघालय	कुछ नहीं
(7) नागालैण्ड	
(8) चण्डीगढ़	

(4) शेष राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से जानकारी अभी प्राप्त होनी है ।

(ख) लघु उद्योग सेवा संस्थानों से प्राप्त सूचना :—

लघु उद्योग सेवा संस्थानों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त 245 इंजीनियरों ने अब स्वयं अपने एकक स्थापित कर लिये हैं।

पांचवी योजना के आकार के बारे में विशेषज्ञों द्वारा व्यक्त की गई चिन्ता

232. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विशेषज्ञों ने पांचवी योजना के आकार और स्वरूप पर चिन्ता व्यक्त की है और कहा है कि यह व्यवहार्य नहीं है क्योंकि इतनी बड़ी योजना के लिए संसाधन जटाना संभव नहीं है, और

(ख) यदि हां तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

योजना मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(क) पांचवीं योजना के प्रति दृष्टिकोण "दस्तावेज में संसाधनों का काफी विस्तृत ब्यौरा दिया गया है ताकि जनता को इस बात का अहसास हो जाय कि यह काम कितना महत्वपूर्ण एवं तर्क संगत है और वे रचनात्मक सुझाव दे सकें। जैसे कि आशा की गई थी, अनेक टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं। इससे सरकार के इस विश्लेषण में कोई परिवर्तन नहीं आया है कि संसाधनों के अनुमान भौतिक रूप से यथार्थ हैं।

(ख) पांचवीं योजना का प्रारूप सितम्बर, 1973 तक तैयार करने का जो कार्यक्रम बनाया गया है उसके अंश के रूप में संसाधनों के अनुमानों की समीक्षा करनी पड़ेगी। इस समीक्षा में 1973-74 के लिए केन्द्रीय तथा राज्यों के बजटों तथा 1972-73 में अर्थव्यवस्था के व्यावसायिक कार्य को ध्यान में रखा जायेगा विशेषज्ञ तथा अन्य व्यक्ति जो टिप्पणयां करेंगे उन पर भी विचार किया जायेगा।

स्वर्गीय एस० वी० सावरकर को स्वतंत्रता सेनानी के रूप में मान्यता देना

236. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वर्गीय स्वातन्त्रय वीर सावरकर को स्वतंत्रता सेनानी के रूप में मान्यता देने के बारे में कोई निर्णय ले लिया है ;

(ख) क्या ब्रिटिश सरकार द्वारा जब्त की गई उनकी सम्पत्ति अभी तक उनके परिवार को नहीं लौटाई गई है; और

(ग) ब्रिटिश सरकार द्वारा जब्त की गई सम्पति उनके परिवार को कब तक लौटा दी जाएगी ?

गृह मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग): स्वर्गीय श्री वी० सावरकर की जब्त की गई सम्पत्ति नीलाम की गई थी और एक तीसरे पक्ष द्वारा इसका अधिग्रहण कर लिया गया था। उस सम्पत्ति को उनके उत्तराधिकारियों को वापस देना कानूनी रूप से व्यवहार्य नहीं समझा गया है।

Recommendations of Central Board of Film Censors not Accepted

***238. Shri M. S. Purthy : Shri Shashi Bhushan :**

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether in certain cases in 1972 the recommendations made by the Central Board of Film Censors were not accepted; and

(b) if so, the number and nature of such cases and the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri I.K. Gujral) :

(a) The Central Board of Film Censors is competent to decide censorship cases under the Cinematograph Act, 1952. The Board does not make recommendations to the Government.

(b) Does not arise.

सरकारी विभागों में रिक्त स्थानों की आकाशवाणी पर घोषणा

*239. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी सरकारी विभागों के रिक्त स्थानों के बारे में आकाशवाणी से घोषणा करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मैसूर में केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रम

*240. **श्री एम० वी० कृष्णप्पा** : क्या **औद्योगिक विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य में अब तक स्थापित किये गये केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक उपक्रमों के क्या नाम हैं, और

(ख) पांचवी पंचवर्षीय योजना में राज्य में और कौन-कौन से केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रम स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) मैसूर राज्य में 31-3-1972 तक स्थापित केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक उपक्रमों के नाम संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ख) पांचवी पंचवर्षीय योजना में शामिल की जाने वाली परियोजनाओं का ब्यौरा अभी तक अन्तिम रूप से तैयार नहीं किया गया है।

मैसूर राज्य में 31-3-1972 तक स्थापित किए गये केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक उपक्रमों के नाम

1. भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड
2. हिन्दुस्तान एयरोनाटिक लिमिटेड---बंगलौर यूनिट
3. हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड---बंगलौर यूनिट
4. भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड
5. इंडियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड---बंगलौर यूनिट
6. तुन्गभद्रा स्टील प्राडक्ट्स लिमिटेड
7. सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड---कुरकुंता यूनिट
8. सेन्ट्रल वेयर हाउसिंग कारपोरेशन---मैसूर यूनिट
9. माडर्न बेकरीज---बंगलौर यूनिट
10. नेशनल मिनरल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन---डोनीमलाई प्रोजेक्ट
11. इण्डियन आयल कारपोरेशन ---मैसूर में लगे संयंत्र ।

पदोन्नति के कोटे में वृद्धि करना

2201. **श्री एम० एस० शिवस्वामी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दो हजार डिप्टी कलेक्टरों का प्रतिनिधित्व करने वाली आल इंडिया फैडरेशन आफ स्टेट सिविल सर्विस एसोसियेशन ने केन्द्रीय सरकार को प्रशासनिक सुधार आयोग की

सिफारिशों की क्रियान्विति के लिये कार्यवाही करने के लिए कहा है जिसने यह जोरदार सिफारिश की थी कि सिविल सेवाओं के लिए पदोन्नति कोटे को 25 प्रतिशत से बढ़कर 40 प्रतिशत कर दिया जाये। और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) (क) और (ख) : आल इंडिया फेडरेशन आफ स्टेट सिविल/ऐडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऐसोसियेशन ने भारत सरकार को लिखा था कि वे प्रशासनिक सुधार आयोग की 'कार्मिक प्रशासन' सम्बन्धी अपनी रिपोर्ट में सन्निहित सिफारिश पर अपने विचार प्रकट करें कि पदोन्नति द्वारा भरी जाने वाली श्रेणी-1 में रिक्तियों का कोटा अधिकतम 40 प्रतिशत तक बढ़ा दिया जाए, जहां पर विद्यमान कोटा इस प्रतिशत से न्यून रह जाता है, जहां तक कि इस सिफारिश का संबंध राज्य सेवाओं की अखिल भारतीय सेवाओं में पदोन्नति से है। यह मामला सक्रिय रूप से केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है।

मैसूर में हरिजनों और अन्य निम्न समुदायों के लोगों को मकानों के निर्माण के लिए दी गई राशि

2202. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972 के दौरान मैसूर में हरिजनों और अन्य निम्न समुदायों के लोगों को मकानों के निर्माण के लिए कितनी राशि दी गई; और

(ख) इस धन के समुचित उपयोग तथा चालू वर्ष के दौरान निर्धनों में इसके वितरण के बारे में जिलावार ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) :

(क) 1972-73 के लिये आबंटन

(लाख रुपयों में)

	मकानों के लिये स्थान	मकान
	रु०	रु०
अनुसूचित जातियां	7.00	3.00
अन्य पिछड़े वर्ग	.30	4.90

(ख) आवंटन अथवा व्यय के जिलेवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश राज्यों का पुनर्गठन

2204. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश , बिहार और मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल तथा इनकी प्रशासनिक सुविधा को देखते हुए इन राज्यों का पुनर्गठन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं, और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) सरकार के पास ऐसा विचार करने का कोई कारण नहीं है कि इन राज्यों के आकार के कारण इनके प्रशासन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

विभिन्न संस्थानों द्वारा विदेशी वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए अनुमति लेना

2205. **श्री अम्बेश :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों अथवा विदेशियों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए धार्मिक अथवा सामाजिक संस्थाएं स्वतंत्र हैं;

(ख) क्या देश की ये संस्थाएं ऐसी वित्तीय सहायता भारत सरकार की अनुमति से प्राप्त करती हैं ; और

(ग) सरकार की अनुमति के बिना इन संस्थाओं द्वारा विदेशों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने पर क्या कार्यवाही की जाती है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) : विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम, 1947 की अपेक्षाओं के अतिरिक्त देश में विदेशी धन के आने पर कोई अन्य कानूनी प्रतिबन्ध नहीं है और धार्मिक अथवा सामाजिक संस्थाओं द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए कानून के अन्तर्गत सरकार से अनुमति आवश्यक नहीं है। सामान्य लेन-देन के अतिरिक्त विदेशी स्रोतों से सहायता प्राप्त करने पर उचित प्रतिबन्ध लगाने के प्रयोजन के लिए विधायी प्रस्तावों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। संसद में एक विधेयक शीघ्र ही पुनः स्थापित किया जायगा।

टेलीफोन में मीटर लगाने की व्यवस्था

2206. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक जांच समिति नियुक्त करने के अतिरिक्त दिल्ली में उन टेलीफोन उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए कार्यवाही की है जिनसे टेलीफोन के बढ़े हुए बिल के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो गत तीन वर्षों में वर्ष-वार, उन्हें कितनी राहत दी गई है, और

(ख) क्या टेलीफोन के बढ़े हुए बिलों की शिकायतों को दूर करने के लिए प्रत्येक टेलीफोन में मीटर लगाने में कोई प्रगति हुई है और यदि हां, तो यह सुविधा कब तक दी जाएगी ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां। टेलीफोन के बढ़े हुए बिलों से संबंधित सभी शिकायतों की जांच विस्तार से की जाती है और जिन मामलों में राहत देने का औचित्य होता है उनमें राहत दी जाती है। पिछले तीन सालों में उपभोक्ताओं को नीचे लिखी रकमों की छूट दी गई थी :

1970	58,407
1971	2,79,704
1972	7,89,311

तथापि यह कहा जा सकता है कि किसी खास वर्ष में जो छूट दी गई है वह उस वर्ष के दौरान और/या उस से पहले के वर्षों में भी प्राप्त हुई शिकायतों पर विचार कर के दी गई है ।

(ख) डाक-तार विभाग के दूरसंचार अनुसंधान केन्द्र द्वारा एक 'एस० टी० डी० चार्ज इंडीकेटर' का डिजाइन तैयार किया गया है जो कि 'सिर्फ एस० टी० डी० कालों' को ही रेकार्ड करने में सक्षम है । इस उपकरण का क्षेत्र-परीक्षण (फील्ड ट्रायल) किया जा रहा है । इस प्रकार के परीक्षणों को संतोषप्रद नतीजे निकलने पर ही ऐसे मीटरों को लगाने के प्रश्न पर विचार किया जाएगा ।

औद्योगिक विकास के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता

2207. **श्री एम० एस० शिवस्वामी :**
श्री मोहम्द शरीफ :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपनी औद्योगिक योजनाओं के लिए किन्हीं राज्य सरकारों ने केन्द्र से हाल ही में कोई सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि की सहायता मांगी गई है और इस बारे में क्या प्रगति हुई है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) और (ख) राज्यों को केन्द्रीय सहायता क्षेत्रों अथवा योजनाओं कार्यक्रमों के अनुसार आवंटित नहीं की जाती है अपितु वार्षिक योजना के आधार पर एकमुश्त अनुदान तथा ऋणों के माध्यम में दी जाती है। योजना आयोग द्वारा स्वीकृत उनकी 1973-74 की वार्षिक योजना के लिए केन्द्रीय सहायता के राज्यवार आवंटन को बताने वाला एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(करोड़ रु० में)

राज्य	अन्तिम रूप से स्वीकृत योजना का आधार	केन्द्रीय सहायता	राज्यों के अपने स्रोत
(1)	(2)	(3)	(4)
1. आन्ध्र प्रदेश	87.59	55.21	32.38
2. असम	52.97	45.34	7.63
3. बिहार	133.04	77.78	55.26
4. गुजरात	122.00	36.43	85.57
5. हरियाणा	71.11	18.11	53.00
6. जम्मू तथा काश्मीर	43.80	34.21	9.59
7. केरल	70.10	40.45	29.65
8. मध्य प्रदेश	145.72	60.39	85.33

(1)	(2)	(3)	(4)
9. महाराष्ट्र	249.52	56.60	192.92
10. मेघालय	12.00	10.02	1.98
11. मैसूर	82.37	40.15	42.22
12. नागालैण्ड	11.00	8.06	2.94
13. उड़ीसा	65.60	37.03	28.57
14. पंजाब	100.73	23.37	77.36
15. राजस्थान	75.10	51.02	24.08
16. तमिलनाडु	120.00	46.60	73.40
17. उत्तर प्रदेश	250.00	121.05	128.95
18. पं० बंगाल	91.86	50.89	40.97
19. मणिपुर	8.91	8.51	0.40
20. हिमाचल प्रदेश	30.58	25.29	5.29
21. त्रिपुरा	12.00	8.62	3.38
योग	1836.00	855.13	980.87

†अनन्तिम ।

औद्योगिक विकास के लिए आर्थिक मंत्रालयों में समन्वय

2208. **श्री एस० एन० शिवस्वामी** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकास और औद्योगिक प्रगति को बढ़ाने हेतु सरकार ने विभिन्न आर्थिक मंत्रालयों में संरचनात्मक और कार्य संबंधी समन्वय सुनिश्चित करने के लिये कोई कार्यवाही की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य रूपरेखा क्या है और इस बारे में कितनी प्रगति हुई है ?

प्रधान मंत्री परमाणु, उर्जा, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्द्रा गांधी): **(क) और (ख)** जिन आर्थिक समस्याओं पर मंत्रालयों में परस्पर समन्वय की आवश्यकता होती है, उन पर विचार करने के लिए मंत्रियों की स्थायी समितियां तथा सचिवों की स्थायी समिति है, जो इन समस्याओं का सामना करने के लिए आवश्यक उपायों के सम्बन्ध में निर्णय करती हैं। इन समितियों के होने की वजह से निर्णय लेने का काम शीघ्रता से पूरा करने में सहायता मिलती है। इन समितियों के गठन और उनके विचारार्थ विषयों के बारे में समय-समय पर समीक्षा की जाती है ।

उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के एक हरिजन युवक को जीवित जला देना

2209. **श्री सतपाल कपूर :**

श्री समर गुह :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 28 जनवरी, 1973 को उत्तर प्रदेश के जिला बांदा में पियार गांव के एक हरिजन युवक को गिरोह के कुछ कुख्यात व्यक्तियों ने जीवित जला दिया था;

(ख) क्या अब तक कोई गिरफ्तारी की गई है; और

(ग) इस जिले में हरिजनों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख). 28-1-1973 को ऐसी कोई घटना घटने की सूचना नहीं है। किन्तु उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 21/22-1-1973 की रात को अग्नेयास्त्रों और लाठियों से लैस चार अज्ञात व्यक्ति जिला बान्दा, थाना बदौसा, गांव पियार में लालुआ नामक हरिजन के मकान पर आये, उसे तंग किया और वे कुछ नकदी तथा जेवरातों समेत कुछ समान ले गये। वे ललुआ पर मिट्टी का तेल छिड़क कर और उसको आग लगाकर भाग गये। बाद में ललुआ जख्मी होने के कारण मर गया। घटना के बाद भारतीय दण्ड प्रक्रिया की धारा 394/397 और 302 के अधीन मामला दर्ज किया गया और जांच पड़ताल की जा रही है। सन्देह किया जाता है कि तथाकथित अपराधों में डकेतों के एक कुख्यात गिरोह का हाथ है।

(ग) ऐसे विशिष्ट मामलों में कानून के अनुसार राज्य सरकार उपयुक्त कार्यवाही करेगी। केन्द्रीय सरकार इस मामले में राज्य सरकार से निकट का निरन्तर सम्पर्क बनाये हुये है और समय-समय पर वह समाज के कमजोर वर्गों के हितों की सुरक्षा की महत्ता पर बल देती रहती है विशेषकर जब कभी कोई ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो जाती है जिसमें कमजोर वर्गों के व्यक्ति शिकार होते हैं। सभी संबंधित प्राधिकारियों को हरिजनों के विरुद्ध किये गये अपराधों की तुरन्त और प्रभावी जांच पड़ताल सुनिश्चित करने के लिये निदेश दिया गया और यह स्पष्ट कर दिया गया है कि ऐसा करने में किसी प्रकार की कमी संबंधित अधिकारियों की ओर से कर्त्तव्य के प्रति गम्भीर अवहेलना होगी।

Strike by Bombay Film Industry Employees

2210. Shri Shankar Dayal Singh :

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether Class III and Class IV employees of the film industry in Bombay went on strike recently;

(b) if so, their main demands; and

(c) the action taken by Government in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha):

(a) No, Sir.

(b) & (c) : Do not arise.

Official Language of States and Union Territories

2211. Shri Shankar Dayal Singh :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the name of the official language of each of the States and the Union Territories in India; and

(b) the names of the States with which the Central Government have correspondence in Hindi?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) A statement giving the required information is enclosed. (Placed in the Library. *See* No. LT—4407/73)

(b) The States are Haryana, Himachal Pradesh, Uttar Pradesh, Bihar, Rajasthan, Madhya Pradesh, Gujarat, Maharashtra and Punjab.

Constitution of Film Censor Board

2212. **Shri Shankar Dayal Singh :**

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the manner in which the Film Censors Board is constituted at present and the names of its present members ; and

(b) When the present Film Censor Board was constituted and when the tenure of this Board would expire ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha): (a) The Board of Film Censors in constituted in accordance with the provisions of Cinematograph Act, 1952. The Chairman of the Board is a whole time Government Officer. Eminent persons in public life, who have distinguished themselves in the Film industry or in relevant fields such as journalism, education, art and culture and social work, are its members.

The names of the present members are as follows:—

Shri V. D. Vyas—Chairman

1. Shri B. R. Agarwal . . . . . Member
2. Shri A. L. Srinivasan . . . . . Member
3. Shri B. R. Chopra . . . . . Member
4. Shri B. N. Sircar . . . . . Member
5. Smt. Veena Duggal . . . . . Member
6. Smt. M. Nasrullah . . . . . Member
7. Smt. Surrinder Gupta . . . . . Member
8. Shri C. R. Sundaram . . . . . Member.

(b) The present Board was constituted on 1st October, 1972 and its term will expire on 31-3-1973.

केरल विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञान विभाग से प्राप्त अनुसंधान संबंधी योजना

2213. **श्री वयालार रवि:** क्या **अन्तरिक्ष** मंत्री केरल विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञान विभाग से प्राप्त अनुसंधान संबंधी योजना के बारे में 6 दिसम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3204 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस पर कोई निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस निर्णय की रूपरेखा क्या है और यदि अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी): (क) तथा (ख). विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र को केरल विश्वविद्यालय से "द्रव्यों के विकास पर अध्ययन" सम्बन्धी एक कार्यक्रम प्राप्त हुआ है । विश्वविद्यालय के संबंधित वैज्ञानिकों के साथ विचार-विमर्श किया गया है । प्रस्तावित अध्ययन के लिए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केन्द्र में पर्याप्त उपकरण उपलब्ध हैं । विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केन्द्र ने विश्वविद्यालय को अध्ययन करने के लिए ये सुविधायें उपलब्ध कराना स्वीकार कर लिया है ।

केरल में डाक और तार कर्मचारियों को आवास सुविधाएं

2214. **श्री वयलार रवि :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल सर्किल में डाक तार कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है और उनका वर्ग-वार ब्यौरा क्या है :

(ख) इनमें कितने कर्मचारियों को आवास सुविधायें प्राप्त हैं और इस सर्किल में 1973-74 में तथा पांचवीं योजना के दौरान मकानों के निर्माण पर कितनी राशि व्यय करने का विचार है; और

(ग) उक्त सर्किल के सभी डाक तथा तार कर्मचारियों को कब तक आवास सुविधायें प्रदान कर दी जायेंगी ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) केरल सर्किल में डाक-तार कर्मचारियों की वर्ग-वार कुल संख्या इस प्रकार है :—

क्वार्टर का प्रकार, जिसे पाने का कर्मचारी वर्ग अधिकारी है ।	कर्मचारियों की संख्या
I	6336
II	9850
III	1160
IV	165
V	17
VI	4
	17532

(ख) (i) कुल 867 कर्मचारियों को रिहायशी मकान दिए गए हैं। इनमें से 169 विभागीय क्वार्टर दिए गए हैं और 698 किराए के मकान लेकर दिए गए हैं । क्वार्टरों के निर्माण में वर्ष 1973-74 में 20 लाख 27 हजार रुपये की रकम खर्च होने का अनुमान है ।

(ii) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में कितनी रकम खर्च की जाएगी, इसका अभी निश्चय नहीं किया गया है ।

(ग) एक निश्चित समय के अन्दर सभी कर्मचारियों को क्वार्टर दे पाना सम्भव न होगा । पांचवीं पंचवर्षीय योजना में 15 प्रतिशत कर्मचारियों के लिए रिहायशी मकानों की व्यवस्था करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

टेलीफोन डाइरेक्टरी का छःमाही के बजाय वार्षिक प्रकाशन

2215. **श्री अरविन्द एम० पटेल :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक और तार विभाग ने विभिन्न शहरों में टेलीफोन डायरेक्टरी का प्रकाशन प्रति छःमाही की बजाए प्रति वर्ष निकालने का निर्णय किया है,

(ख) यदि हां, तो इसके लिए किन-किन शहरों को चुना गया है; और

(ग) इस के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा): (क) और (ख) जी हां, सभी सर्किलों और जिलों में टेलीफोन डाइरैक्टरी के प्रत्येक संस्करण के प्रकाशन की अवधि को बदल दिया गया है। अब डाइरेक्टरी वर्ष में एक बार प्रकाशित की जाएगी।

(ग) यह निर्णय देश में कागज की भारी कमी को देखते हुए किया गया है।

सरकारी क्षेत्र में एक इलेक्ट्रानिक पुर्जों के कारखाने की स्थापना करना

2216. **श्री डी० पी० जदेजा :**
श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र में एक इलैक्ट्रानिक पुर्जे के कारखाने की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो यह कारखाना कहां स्थापित किया जायेगा और इस कारखाने में किन-किन उपकरणों का उत्पादन किया जायेगा; और

(ग) इस के लिये कितना धन नियत किया गया है इस कारखाने में कब तक उत्पादन शुरू हो जायगा ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रहमण्यम्): (क) जी हां। भारत सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के आधीन राजकीय क्षेत्र उपक्रम के रूप में एक इलैक्ट्रानिक पुर्जों के कारखाने की स्थापना करने का निश्चय किया है। इस कारखाने की परिकल्पना विगत वर्षों में राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में विकसित परिशोधित सैरामिक प्रौद्योगिकी पर आधारित इलैक्ट्रानिक पुर्जों के उत्पादन में स्वदेश अनुसंधान तथा विकास का पूर्ण उपयोग करने की दृष्टिकोण से की गई है।

(ख) यह कारखाना नई दिल्ली में नारायणा औद्योगिक सम्पदा में प्रस्थित होगा। इसमें रेडियो में प्रयोग किए जाने वाले सैरामिक कैपासिटर, टेलिवीजन तथा अन्य इलैक्ट्रानिक उपस्कर, एक्स-रे में रोधी के रूप में प्रयोग किए जाने वाले अधिक वाल्टेज के सैरामिक, प्रेषण और टेलिविजन वोलयां, दूर संचार तथा रक्षा उपस्कर, कम्प्यूटर में काम आने वाले स्मरण कोर, तथा टेप रिकार्डर के लिए फीते बनाने के हेतु गामा फेरिक आक्साइड का उत्पादन किया जायेगा।

(ग) इस कारखाने के लिए 2 करोड़ रुपये की विदेशी-पूंजी का अनुमान किया गया है। यह कारखाना संभवतया लगभग दो वर्षों में अपना कार्य प्रारम्भ कर देगा।

Deportation of Underground Pakistani Nationals from West Bengal

2217. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Pakistani nationals, out of 3788 who were underground in West Bengal as on 31st March, 1972, who were searched out and the number out of them who have been deported ; and

(b) the number of the underground Pakistani nationals, District-wise ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) and (b) : The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Expenditure incurred on Trunk Calls put through by Union Ministers.

2218. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the expenditure incurred by Government on payment of trunk calls booked from the telephones installed at the residences of the Union Ministers and the telephones installed at their offices, for their personal use, separately, since 1st January, 1972 to date :

(b) whether more expenditure has been incurred under this head as compared to the last year ; and

(c) the measures proposed to be taken by Government to effect reduction in this expenditure ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) to (c) : The informations being collected and will be placed on the table of the House as soon as received.

Allotment of Newsprint to Daily 'Avantika'

2219. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to refer to the reply given to the Unstarred Question No. 3262 on the 19th April, 1972 regarding incorrect circulation figure of Avantika, Ujjain and state :

(a) whether Government have received reports that the newsprint allotted to the Daily Avantika during 1968-69, 1970-71 and 1971-72 was sold in the black market; and

(b) if so, the action taken by Government in the matter?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) : (a) A complaint has been received to the effect that newsprint allotted to the Dainik Avantika has been sold in the black market.

(b) The allegations are under examination.

गुरु नानक के जन्म दिवस पर छुट्टी की घोषणा

2220. **श्री राम नारायण शर्मा** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 10 नवम्बर, 1973 को गुरुनानक के जन्म दिवस पर केन्द्रीय सरकार की राजपत्रित छुट्टी नहीं है क्योंकि इस दिन दूसरा शनिवार है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार के अनेक कार्यालय, बैंक और अन्य अर्द्ध-सरकारी संस्थाएं दूसरे शनिवारों को बंद नहीं होती हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस वर्ष गुरुनानक के जन्म दिवस पर ऐसे सभी कार्यालयों आदि को खुला रखने का सरकार का निर्णय है?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा): (क) से (ग). सरकार छुट्टियों की एक सूची जारी करती है, जो सरकार के उन सिविल कार्यालयों पर जहां सचिवालय स्वरूप का कार्य होता है, लागू होती है वर्ष 1973 के लिए ऐसी छुट्टियों की सूची के अनुसार, गुरु नानक का जन्म दिवस 10 नवम्बर, 1973 को पड़ता है, जो कि दूसरा शनिवार है और इस प्रकार यह छुट्टी का दिन है। इस तथ्य का उल्लेख छुट्टियों की सूची के नीचे टिप्पणी में भी किया गया है। जहां तक सरकार के गैर-सचिवालय स्वरूप के अन्य प्रतिष्ठानों का संबंध है, वे सामान्यत: कर्मचारियों

के परामर्श से छुट्टियों की सूची को अन्तिम रूप देते हैं। प्राप्त सूचना के आधार पर यह पता चलता है कि डाक व तार के क्रियात्मक कार्यालयों में वर्ष 1973 के दौरान गुरु नानक के जन्म दिवस के अवसर पर छुट्टी रखी जाएगी।

जहां तक सरकारी उपक्रमों स्वायतशासी निकायों, बैंकों और अन्य गैर-सरकारी प्रतिष्ठानों का सम्बन्ध है, वे अपनी-अपनी कार्य प्रणाली अपनाते हैं और उनके संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

आगे और पीछे लाइट की व्यवस्था वाली साइकिलों का निर्माण

2221. **श्री रामनारायण शर्मा** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने साइकिल-निर्माताओं को यह अनुदेश देने के प्रश्न पर विचार कर लिया है कि वे साइकिलों के अगले और पिछले भागों में पृथक न हो सकने वाली लाइट अनिवार्य रूप से लगाएं जिससे बचा जा सके: और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या दुर्घटनाओं से निर्णय किया गया है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रहमण्यम्) : (क) जी, हां।

(ख) बत्ती लगी साइकिलों के निर्माण की व्यवस्था से साइकिलों के मूल्य में पर्याप्त वृद्धि हो जायेगी यह सोचकर इस मामले को और नहीं बढ़ाया गया।

दिल्ली में लड़कियों के साथ छेड़-छाड़ की घटनाएं

2222. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी की सड़कों पर लड़कियों के साथ छेड़खानी की घटनायें बढ़ती जा रही हैं और स्कूल तथा कालिज जाने वाली लड़कियां सड़कों से गुज़रने में असुरक्षा का अनुभव करती हैं;

(ख) क्या पुलिस इन घटनाओं की ओर उस समय तक ध्यान नहीं देती, जब तक कि उनके बारे में औपचारिक रूप से शिकायत नहीं की जाती और उससे उपद्रवियों को प्रोत्साहन मिलता है; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान छेड़खानी के लिये कितने व्यक्तियों को सजा दी गयी और सरकार का ऐसी क्या कार्यवाही करने का विचार है जिससे पुलिस ऐसे मामलों में औपचारिक शिकायत की प्रतीक्षा में समय गंवाये बिना स्वयं पहल करके कार्यवाही कर सके ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं। पुलिस सदैव कानून के अनुसार तुरन्त कार्यवाही करती है।

(ग) 1971 में 288 व्यक्तियों को और 1972 में 111 को सजा दी गई। निरोधात्मक उपाय के रूप में, सादा कपड़ों और वर्दी में पुलिस स्कूलों, कालिजों, दूध के डिपो, बस स्टापों और अन्य भीड़ वाले स्थानों के चारों ओर गश्त लगाती है। मामले के तथ्य प्रमाणित होने पर वे स्वयं भी दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 तथा बम्बई पुलिस अधिनियम के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्यवाही करते हैं।

Foreign Assistance to Charitable and Educational Institutions in Madhya Pradesh

2223. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the names of educational and charitable institutions in Madhya Pradesh which get financial assistance from foreign countries and the amount of such assistance received by them during the years 1970-71 and 1971-72 ;

(b) whether Government are aware that the assistance received by these institutions is being utilised for launching agitations against Government ; and

(c) if so, the action taken to regulate the foreign assistance being received by these institutions ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) According to available information, the quantum of foreign financial assistance to educational and charitable institutions in Madhya Pradesh was Rs. 1,96,790 during 1970-71 and Rs. 4,32,541 during 1971-72.

The names of such institutions are given below :

(i) Social Welfare Centre, Indore.
(ii) Carmel Convent, Bishrampur.
(iii) Home Science Institute, Holy Cross Institute, Ambikapur.
(iv) Danielson Memorial High School, Chhindwada.
(v) Nagrath Charitable Trust, Indore.
(vi) Malwa Church Council, Maschi Sewa Mandal, Indore.
(vii) Adivasi St. Francis Vier Boarding School, Madhya Pradesh.

(b) There is no such information.

(c) Legislative proposals are being finalised for the purpose of imposing suitable restrictions on the receipt of funds from foreign association, agencies or individuals otherwise than the course of ordinary and *bona-fide* transactions. A Bill will be introduced at an early date.

भारत में मुस्लिम ब्रदरहुड की स्थापना

2224. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुस्लिम ब्रदरहुड, जो अफ्रीका-एशियाई मुस्लिम देशों के एजेंट हैं, भारत में स्थापित की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या भोपाल में ताजुल मस्जिद के खुले मैदान में 24, 25 और 26 दिसम्बर को एक बड़ा मेला आयोजित किया गया था जिसमें 70,000 से अधिक व्यक्ति शामिल हुए थे तथा 10,000 से अधिक व्यक्ति विदेशों से आए थे;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अरब, अफ्रीकी तथा अन्य मुस्लिम देशों के इस तीन दिवसीय सम्मेलन में गुप्त रूप से भारत के विरुद्ध प्रचार किया गया था; और

(घ) क्या इस ब्रदरहुड ने भारत के विरुद्ध तथा पाकिस्तान के पक्ष में धर्म के आधार पर मतभेद प्रचार करने के लिए एक संगठन स्थापित किया है और यदि हां, तो क्या सभा को इस सम्बन्ध में पूरी जानकारी उपलब्ध की जाएगी ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन): (क) से (घ) भारत में मुस्लिम ब्रदरहुड की एक शाखा स्थापित करने के सम्बन्ध में सरकार को कोई सूचना नहीं है । किन्तु मध्य प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि तावलिघ जमात के तत्वाधान में एक मेला इजतेमा का भोपाल में 24 से 26 दिसम्बर, 1972 तक आयोजन किया गया था जिसमें सम्पूर्ण भारत से लगभग 70,000 मुसलमान आए थे । कार्यवाही में केवल 14 विदेशी नागरिकों ने भाग लिया था । यह सूचना नहीं है कि इजतेमा में कोई राष्ट्र विरोधी या साम्प्रदायिक भाषण या प्रचार किया गया था ।

Branch Post Offices in Saharsa District, Bihar

2225. Shri Chiranjib Jha : Will the Minister of Communications be pleased to state :

(a) the number of permanent and temporary Branch Post Offices in Saharsa district in Bihar separately ;

(b) the number of the temporary post Offices which have been functioning for more than ten years ; and

(c) the time by which such Post Offices are proposed to be made permanent ones ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) :

(a) Permanent Branch Post Offices . . . 302
Temporary Branch Post Offices . . . 87

(b) 12

(c) It is not possible to say when such Post Offices will become permanent as it will depend upon their working within the permissible limit of loss prescribed by the P. & T. Department.

दक्षिण की तीन नदियों की जीव सम्पदा के लिए सवक्षण

2226. **श्री विश्व नारायण शास्त्री :**
श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण के तीन नदियों की जीव सम्पदा का पता लगाने के लिये सर्वेक्षण किया गया था, और यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ख) क्या ऐसा सर्वेक्षण भारत के समुद्रीतट और अन्दमान द्वीपसमूह में किया गया है; और यदि हां, तो उस सर्वेक्षण का क्या परिणाम निकला ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्): (क) जी हां, तुंगभद्रा जलाशय, नागार्जुनसागर जलाशय, काबेरी नदी तथा मित्तूर जलाशय का सर्वेक्षण इस मुख्य उद्देश्य से किया गया है कि इन जल-स्थलों में प्राकृतिक रूप से होने वाली मछलियों के सभी व्यापक प्रकारों की जानकारी लेने के साथ उनकी जीव-क्षमता को स्थिर किया जा सके। गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों में चयन किये स्थलों के मत्स्याडेम्भ संसाधनों का मूल्यांकन किया गया है । गोदावरी नदी से मछलियों की 120 जातियां, कृष्णा नदी से लगभग 131 जातियां तथा कावेरी नदी से 80 जातियों के विषय में सूचना मिली है ।

(ख) जी हां । भारत के समुद्री तट की जीव सम्पदा विशेषतया मछलियां, क्रस्टेशिया तथा मोलास्का के विषय में पर्याप्त जानकारी प्राप्त हुई है । सर्वेक्षण द्वारा मछली झींगा, तथा कुछ मोलस्क और देश के मूंगा संसाधनों के उपयोग सम्बन्धी जानकारी क्षेत्रों की उपलब्धि हुई है । अन्दमान द्वीप समूह से आर्थिक उपयोग की क्षमता सम्पन्न अनेक पशुओं का संग्रह किया गया है। निकोवार द्वीप समूह के भीतरी स्थलों में कण्टक केकड़े तथा खाद्य केकड़े का संधान किया गया है। ये तट मोलास्का के हजारों जातियों से भरपूर हैं जो खाद्य के स्त्रोत, चूना, सीमेन्ट तथा अलंकार वस्तुओं के उत्पादन में आर्थिक दृष्टीकोण से मुख्य हैं ।

पेटेन्ट अधिनियम का लागू होना

2227. **डा० कैलास :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पेटेन्ट अधिनियम लागू है और यदि हां, तो इसके उल्लंघन के लिए गत दो वर्षों में कितने मामलों में मुकदमें चलाये गये ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्): 20 अप्रैल, 1972 से पूर्व भारतीय पेटेंट और डिजाइन अधिनियम, 1911 लागू था। नया पेटेन्ट अधिनियम, 1970

(1970 का 39) की धारा 12 की उप-धारा (2), धारा 13 की उप-धारा (2), धारा 28, धारा 68 और उसकी धाराएं 125 से 132 को छोड़कर, 20 अप्रैल, 1972 से लागू कर दिया गया है। पिछले दो वर्षों में पेटेन्ट कानून के अधीन अपराध के लिए किसी भी मामले में अभियोग नहीं चलाया गया था।

2. पेटेंटों के उल्लंघन के मुकदमे दीवानी मुकदमें हैं जो पेटेन्ट धारियों या उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा चलाये जाएंगे। सरकार या पेटेंट कार्यालय का पेटेंटों के उल्लंघन से सीधा संबंध नहीं है क्योंकि ये निजी और व्याक्तिक सम्पत्ति के अधिकार को लागू करने से संबंधित मामले हैं। फिर भी, पेटेंट अधिनियम 1970 (1970 का 39) के अंतर्गत गोपनीयता सम्बन्धा उपबंधों का उल्लंघन करने, प्रविष्टियों सूचना देने, अनधिकृत रूप से किए गए दावों तथा जानकारी आदि देने से इन्कार करने या न देने जैसे अतिक्रमणों के लिए शास्ति की व्यवस्था है।

संतरागाछी (हावड़ा) की रेमण्ड वैगन फैक्टरी और मार्टिन वर्न एण्ड कम्पनी को सरकार द्वारा अपने हाथ में लेना

2228. **श्री श्याम प्रसन्न भट्टाचार्य** : क्या **औद्योगिक विकास मंत्री** यह बाताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बन्द पड़ी रैमण्ड वैगन फैक्टरी, संतरागाछी, हावड़ा और मार्टिन बर्न एण्ड कम्पनी को अपने हाथ में लेने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : **(क) और (ख)** औद्योगिक उपक्रम की आर्थिक जीव्यता सम्बन्धी स्थिति गम्भीर होने के कारण, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के उपबन्धों के अधीन मे० रेयन इंजीनियरिंग वर्क्स लि०, हावड़ा का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने का सरकार का प्रस्ताव नहीं है। सरकार ने मे० वर्न एण्ड कम्पनी लि० कलकत्ता, जो रेल के डिब्बे आदि का निर्माण करते हैं के कार्यों की जांच करने के लिये उक्त अधिनियम के अधीन आदेश दिया है तथा जांच समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

(7 मार्च 1973 को उत्तर के लिये)

जेलों में बन्द नक्सलवादियों को कानूनी सहयता

2229. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश की विभिन्न जेलों में नक्सलवादी कहे जाने वाले 30,000 व्यक्ति बन्द हैं;

(ख) क्या वे धनाभाव के कारण अपनी सफाई के लिए किसी वकील की व्यबस्था करने म असमर्थ हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उन्हें कानूनी सहायता उपलब्ध कराने की है; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या प्रबन्ध किये गये हैं ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : **(क) से (घ)** : यह सत्य नहीं है कि देश की विभिन्न जेलों में लगभग 30,000 नक्सलवादी नजरबन्द हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार 1-11-72 को आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम (एम० आई० एस० ए०) के अधीन जेलों में नजरवन्द नक्सलवादियों की कुल संख्या 1,270 थी। तब से और अधिक व्यक्ति नजरवन्द नहीं किये गये हैं।

आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम के अधीन, नजरबन्द व्यक्तियों के मामले उनकी राय जानने के लिये सलाहकार बोर्ड को भेज दिये गये हैं। जैसाकि आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम में व्यवस्था है सलाहकार बोर्डों के कार्य करने की पद्धति में नजरबन्दियों की ओर से वकील करने की अनुमति नहीं है। किन्तु यदि नजरवन्द चाहता है तो वह स्वयं सलाहकार बोर्ड के सामने उपस्थित हो सकता है और उपयुक्त सरकार के लिये अपना अभ्यावेदन तैयार करने में एक वकील की सहायता भी ले सकता है। सरकार इससे अवगत नहीं है कि उपयुक्त अभ्यावेदन तैयार करने में या सलाहकार बोर्डों को अपने मामले पेश करने में आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम के अधीन नजरबन्द नक्सलवादियों को कोई कठिनाई अनुभव हो रही है।

विदेशी कम्पनियों द्वारा भारत में बनी वस्तुओं को विदेशी बता कर अधिक मूल्य पर बेचा जाना।

2230. **श्री निरेन्द्र कुमार गांधी : क्या औद्योगिक विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विदेशी कम्पनियां प्रसाधन सामग्री, रेजर ब्लेड, ताकत की गोलियां (एनर्जी टेबलेट) तथा ऐसी ही अन्य प्रकार की वस्तुओं को देशी फर्मों द्वारा बनवा कर इन पर विदेशी लेबल लगाकर उन्हें विदेशी उत्पादनों के रूप में अत्यधिक मुनाफा लेकर बेच रही हैं और अन्ततःयह मुनाफा भारत से बाहर जा रहा है;

(ख) यदि हां तो क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है और इस तरह से विदेशी मुद्रा के भारत से बाहर जाने पर रोक लगाने के लिये कार्यवाही की है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इन उत्पादनों का निर्माण का पूर्ण रूप से विदेशी फर्मों के लिये ही सुरक्षित रखने का है क्योंकि इन उत्पादनों का निर्माण करने में विदेशी जानकारी की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है और यह 'लो टेक्नोजिकल' उद्योग है?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) भारतीय फर्मों द्वारा निर्मित उत्पादों का विदेशी कंम्पनियों द्वारा उनके अपने ट्रेड मार्क के नाम से विपणन करने के कुछ उदाहरण सरकार की जानकारी में आये हैं।

(ख) और (ग) :—विदेशी मुद्रा विनियमन विधेयक 1972 जिसका मुख्य उद्देश्य विदेशी मुद्रा के निःसरण को रोकना है, इस समय प्रवर समिति के समक्ष है। विधेयक मे 40% और उससे अधिक विदेशी पूंजी वाली विद्यमान कंपनियों के कार्यों की संवीक्षा करने का भी विचार है जिससे विदशी मुद्रा निकासी के कारणों का पता लगाया जा सके और इसमे पूर्णरूप से भारतीय स्वामित्व वाली कंपनियों द्वारा निर्मित उत्पादों का विदेशी ट्रेड मार्क के नाम से व्यापार और विपणन के कार्यों मे लगी कंपनियां भी सम्मिलित होंगी।

देश में विघटनकारी शक्तियो की गतिविधियाँ

2231. **श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह :**
श्री के० लकप्पा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न शक्तियाँ प्रगति सम्बन्धी उपायों में अवरोध पैदा करने के लिए भाषायी, क्षेत्रीय साम्प्रदायिक तथा अन्य उपद्रवों को भड़काने के लिए सभी संभव उपाय कर रही है और प्रधान मंत्री ने देश की विघटनकारी शक्तियों को चेतावनी दी है;

(ख) क्या सरकार के पास देश में ऐसी शक्तियों के कार्य करने के प्रमाण हैं; और

(ग) यदि हां, तो उन पर निगरानी रखने तथा शीघ्रातिशीघ्र उपयुक्त कार्यवाही करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) : सरकार को मालूम है कि विघटनकारी शक्तियों का उद्देश्य सरकार के ध्यान तथा उसकी कार्य शक्तियों को प्रगति सम्बन्धी उपायों के कार्यन्वयन के शीघ्र कार्य से हटाने का है। इस संदर्भ में प्रधान मंत्री सार्वजनिक सभाओं में ऐसी विघटनकारी शक्तियों से सावधान रहनें के लिए समय-समय पर लोगों को चेतावनी दे रही हैं। कड़ी निगरानी रखी जा रही है और जहां ऐसी विघटनकारी शक्तियों की गतिविधियों को कानून के अन्तर्गत अपराधों में गिना जाता है वहाँ उनसे निपटने के लिए उचित कानूनी, निरोधात्मक तथा अन्य कार्यवाही की जाती है ।

त्रिपुरा के भूतपूर्व महाराजा का महल

2232. **श्री बीरेन दत्त :**

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा के भूतपूर्व महाराजा का महल त्रिपुरा सरकार ने खरीदा है;

(ख) यदि हां, तो भूतपूर्व महाराजा को महल का कितना मूल्य दिया गया था;

(ग) क्या वहां लगभग एक हजार परिवार क्वार्टर गिराये जाने वाले हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो क्या प्रभावित परिवारों को कोई मुआवजा दिया जायेगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग) : राज्य सरकार से सुचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन के पटल पर रख दी जायगी ।

पुलिस विभाग में सुधार

2233. **श्री देवेन्द्र सिंह गारचा :**

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 30 जनवरी 1973 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा की गयी जांच की रिपोर्ट पुलिस विभाग की दयनीय स्थिति बताती है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) : प्रश्न के भाग (क) में लिखे गये वाक्य में (हिन्दुस्तान टाइम्स,दिनांक 30 जनवरी, 1973 से उद्धत किया था) श्री महमूद बिन मुहम्मद, उप-निदेशक, पुलिस अनुसंधान तथा विकास ब्यूरो द्वारा किए गए अवलोकन को सही रूप से प्रस्तुत नहीं किया गया है। वास्तव में उन्होंने टिप्पणी की थी कि आज एक पुलिस कर्मचारी में विरोधात्मक स्वभाव, बुद्धिमान व्यक्ति के समान गुण तथा सामान्य बोध, दृढ़ता, तथा चातुर्य, "एक विधिवक्ता की आकर्षणता और एक न्यायाधीश की निष्पक्षता, एक योग्य डाक्टर के उपचारी गुण तथा एक बीमार का धैर्य, गैंडे की जैसी खाल और एक

फिल्म अभिनेता की मुस्कान" जैसे गुण होने की अपेक्षा की जाती है । उन्होंने यह भी अवलोकन किया कि लोकतंत्रात्मक पद्धति में एक सफल पुलिस अधिकारी में जो गुण होने की आवश्यकता है वे हैं, लोगों के लिए एक वास्तविक तथा समान पसन्द, उनकी सेवा करने की ऐसी ही वास्तविक तथा निष्पक्ष, इच्छा, सामान्य बोध तथा प्रसन्न चित्त होना । ये सभी भावात्मक गुण हैं, जो एक व्यक्ति में स्वभावतः होते हैं, पुलिस बल में सही प्रकार के व्यक्तियों की भर्ती के लिए कुछ ढंग की मनोवैज्ञानिक जांच के आधार पर एक चयन तंत्र होने के महत्व पर उन्होंने बल दिया था ।

भारत सरकार ने नवम्बर, 1971 में पुलिस प्रशिक्षण पर एक समिति नियुक्त की थी जिसके विचारार्थ विषयों में पुलिस की भर्ती सम्मिलित है । समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जो इस मंत्रालय में विचाराधीन है ।

दिल्ली में अवैध शराब पीने से हुई मौतों के बारे में की गई जांच के पश्चात् की कार्यवाही

2234. श्री एस० सी० सामन्त :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली तथा नई दिल्ली में मिलावटी अथवा घटिया शराब से हुई अनेकों मोतों के बारे में की गयी जांच के क्या परिणाम निकले हैं;

(ख) विषैले पेय बनाने तथा विक्रय करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध क्या अन्तिम कार्यवाही की गई अथवा की जा रही है;

(ग) कथित दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या मृतकों के परिवारों को कोई राहत अथवा मुआवजा, अथवा निर्वाह भत्ता अथवा अनुग्रह पूर्वक भुगतान दिया गया है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि पुलिस ने दिल्ली/नई दिल्ली में जहरीली/अवैध शराब की बिक्री के लिए 31 मामले दर्ज किये थे । इनमें से 18 मामले न्यायालय में विचारण के लिए लम्बित पड़े हैं, 11 मामलों का पता नहीं लग सका और दो मामले खारिज कर दिये गये । इसके अतिरिक्त प्रशासन ने श्री आर० के० बवेजा को, एक सदस्यीय जांच आयोग के रूप में नियुक्त किया, जिसने शराब की दुखान्त घटना के कारणों की जांच की । आयोग व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं कर सका । बवेजा आयोग की रिपोर्ट पर अनुवर्ती कार्यवाही के लिए दिल्ली प्रशासन द्वारा एक दूसरी समिति नियुक्त की गई, जिसने प्रशासन को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ।

(ख) 39 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये । इनमें से 3 व्यक्ति छोड़ दिये गये और अन्य पर न्यायालयों में मुकदमा चल रहा है ।

(ग) दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने में कोई विलम्ब नहीं हुआ ।

(घ) जी नहीं, श्रीमान ।

कलकत्ता में टेलीफोनों के ज्यादा राशि के बिल बनाया जाना

2235. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में वर्ष 1971 से बहुत बड़ी संख्या में संचार जाली कालों तथा टेलीफोनों के ज्यादा राशि के बिल बनाने संबंधी शिकायतों के बारे में कोई जांच कराई गई है;

(ख) स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं अथवा उठाये जा रहे हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में निरन्तर शिकायतें किये जाने के बावजूद भी विभाग द्वारा इस समस्या का समाधान न कर सकने के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) ऐसी शिकायतों की संख्या बहुत कम है। टेलीफोन के जितने भी बिल भेजे गए हैं उनमें बढ़ी हुई रकम के बिल एक प्रतिशत से भी कम निकले हैं।

(ख) और (ग)—बढ़ी हुई रकम के बिल के सम्बन्ध में भेजी गई प्रत्येक शिकायत की अच्छी तरह छान-बीन की जाती है और जहां कहीं छूट देने का औचित्य होता है, वहां छूट दे दी जाती है। जांच-पड़ताल के आधार पर जिन कारणों से ज्यादा कालें मीटर होने की संभावनाएं पाई गई, उनकी रोक-थाम के लिए कारगर कदम भी उठाए गए हैं और देख-रेख की व्यवस्था मजबूत कर दी गई है।

विकास योजनाओं के सम्बन्ध में भारत और चैकोस्लोवाकिया के बीच बैठकें

2236. **श्री श्रीकिशन मोदी :**
श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपनी विकास योजनाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करार करने हेतु जनवरी, 1973 के दूसरे सप्ताह में भारत और चेकोस्लोवाकिया के बीच कई बैठकें हुई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इन बैठकों से सहयोग के विशिष्ट क्षेत्रों पर करारों को अन्तिम रूप देने के लिए दूसरी एजेन्सियों के लिए कोई रास्ता निकला है; और

(ग) यदि हां, तो दोनों के बीच सहयोग के क्षेत्र में कौन कौन सी मदें आती हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) विचार-विमर्श के दौरान इस बात पर सहमति हो गई है कि भावी पंचवर्षीय योजनाओं को ध्यान में रखते हुए दोनों देशों के बीच दीर्घावधि सहयोग के मोटे तौर पर क्षेत्र इस प्रकार होंगे :—

(1) भारत-चेकोस्लोवाक के व्यापार में विविधिता लाना तथा भारत से गैर-परम्परागत वस्तुओं/परिष्कृत वस्तुओं के निर्यात तथा चेकोस्लोवाकिया से मशीनों और पुर्जों के आयात द्वारा व्यापार को बढ़ाना।

(2) उद्योग तथा उत्पादन के क्षेत्रों में सहयोग जिसमें कि कुछ श्रम सघन क्षेत्रों के शामिल होने की सम्भावना है।

(3) वैज्ञानिक तथा तकनीकी सहयोग; तथा

(4) आयोजना के क्षेत्र में सहयोग।

शिक्षित बेरोजगारों के स्व-नियोजन के लिए गुजरात औद्योगिक विकास निगम का कार्यक्रम

2237. **श्री प्रभुदास पटेल**: क्या **औद्योगिक विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का ध्यान शिक्षित बेरोजगारों को स्व-नियोजन के लिए सक्षम बनाने हेतु गुजरात औद्योगिक विकास निगम के कार्यक्रम की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या केन्द्र राज्य सरकारों से ऐसी योजनायें बनाने के लिए भी अनुरोध कर रहा है अथवा निदेश दे रहा है?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जिआउर्रहमान अन्सारी): (क) जी, हां। गुजरात औद्योगिक विकास निगम द्वारा कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ख) इस योजना में इंजीनियरिंग स्नातकों, कुशल मशीन चालकों कारखाने के कर्मचारियों तथा उद्योगों में लगे तकनीकी एक्जीक्यूटिजों की सहायता दी जायेगी। योजना में अनेक प्रकार की सहायता देने की व्यवस्था है जैसे भूमि, भवन मशीनरी आदि अचल परिसम्पतियों पर शतप्रतिशत सहायता सहित प्रारम्भिक तथा संचालन पूर्व खर्चे तथा कार्यकायी पूंजीगत फुटकर खर्चे, किश्तों की अदागी का स्थागन, व्याज की रियायती दर, आदि।

(ग) सभी राज्य सरकारों/संघ क्षेत्रों की उनके मार्गदर्शन हेतु योजना परिचालित्त कर दी गई है।

"एम०एस०सी० पास युवक द्वारा ठेला गाड़ी चलाना"

2238. **श्री राम भगत पासवान**: क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 जनवरी, 1973 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "एम० एस० सी० ऐज कार्टनेन" शीर्षक के अन्तर्गत (एम० एस० सी० पास युवक द्वारा ठेला गाड़ी चलाना) समाचार की ओर दिलाया गया है? और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया): (क) जी, हां।

(ख) शिक्षित लोगों में व्याप्त चिन्ताजनक बेरोजगारी की पूरी जानकारी सरकार को है। रोजगार-उन्मुख आर्थिक विकास कार्यक्रमों के अलावा जिनसे काफी मात्रा में रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, शिक्षित लोगों में व्याप्त बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए कई विशेष स्कीमें आरम्भ की गयी हैं। 1972-73 में 90 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी

है जो कि अधिकतर नौकरी चाहने वाले शिक्षित लोगों पर खर्च किया जाएगा । आगामी वर्ष में इस राशि से भी अधिक अतिरिक्त 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा रही है ताकि शिक्षित बेकारों के लिए रोजगार अवसर सुलभ हो सकें।

बेरोजगार इंजीनियर

2239. **श्री डी० पी० जदेजा :** क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में, राज्यवार, कुल कितने इंजीनियर बेरोजगार हैं;

(ख) इंजीनियरों के बीच बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों से कहां तक सफलता मिली है;

(ग) इस समस्या के समाधान में राज्यों की गत वर्ष की क्या उपलब्धि है; और

(घ) इस दिशा में केन्द्र ने राज्यों को किस सीमा तक सहायता दी है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (घ) सभा पटल पर एक विवरण प्रस्तुत है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-4408/73]।

सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में सीमेंट उत्पादन और सप्लाई

2240. **श्री एस० एम० मिश्र :** क्या **औद्योगिक विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1972 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्र में पृथक-पृथक सीमेंट की उत्पादन तथा सप्लाई की स्थिति क्या है; और

(ख) 31 दिसम्बर, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में पृथक-पृथक सप्लाई तथा उत्पादन की अनुमानित स्थिति क्या होगी?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख)—निजी और सरकारी क्षेत्र की सीमेन्ट के उत्पादन तथा संभरण सम्बन्धी 31 दिसम्बर, 1972 को समाप्त होने वाली अवधि की स्थिति तथा 31 दिसम्बर, 1973 को समाप्त होने वाली अवधि की पूर्वानुमानित स्थिति नीचे दी जाती है :—

वर्ष	सीमेन्ट का उत्पादन		सीमेन्ट का संभरण	
	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	सरकारी विभाग — रेट संविदा	खाली बिक्री (रेट कान-ट्रैक्ट से भिन्न)
	(लाख मीट्रिक टन)		(लाख मीट्रिक टन)	
1972 . .	1.67	14.04	5.20	10.23
1973 . . .	1.97	15.03	6.50	10.50

उत्तर प्रदेश में तुषारपात के कारण सीमा सुरक्षा दल के सैनिकों की मृत्यु

2241. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ जिले में तुषारापात के कारण सीमासुरक्षा दल के कुछ सैनिकों की मृत्यु हुई है;

(ख) क्या ये मौतें इस कारण हुयी हैं कि ऊंचाई पर हमारी सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिकों के लिए किसी मजबूत आश्रम स्थल की व्यवस्था नहीं थी; और

(ग) क्या मृतकों के परिवारों को कोई मुआवजा दिया गया है और ऐसी दुर्घटनाएं रोकने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) : उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात पुलिस कर्मचारियों के लिए विशेष प्रकार की झोपड़ियों की व्यवस्था की गई थी जो कि सामान्य तुषारापात और तूफानी बाधाओं का सहन कर सकती थी। किन्तु अत्यधिक तुषारापात, तूफानी बाधाओं और बर्फीले तूफानों के कारण पिथौरागढ़ जिले में जनवरी, 1973 में एक झोपड़ी गिर गई थी जिसके कारण एक कांस्टेबल की मृत्यु हो गई थी।

(ग) राज्य के पुलिस महा निरीक्षक द्वारा मृतक के परिवार को 2,000 रुपये की राशि मंजूर की गई थी। मृतक के परिवार को अनुग्रह पूर्वक अनुदान की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए कार्यवाही की जा रही है। ऐसी दुर्घटनाएं रोकने के लिए सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

समाचारपत्रों में विज्ञापनों के रूप में राजनैतिक विचारधारा के लेखों के प्रकाशन पर प्रतिबन्ध

2242. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार समाचार-पत्रों में विज्ञापनों के रूप में दिए गए राजनैतिक विचार धारा के लेखों के प्रकाशन पर प्रतिबन्ध लगाने का है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Employment of Persons in Nationalised Textiles Mills

2243. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state the number of persons provided employment in the textile mills which have been taken over by Government ?

The Minister of Industrial Development and Science and Technology (Shri C. Subramaniam) : The 103 textile undertakings, which are at present under Government management, have on their rolls about 1·63 lakh workers.

राष्ट्रीयकृत नमूना सर्वेक्षण कर्मचारी संगठन, कलकत्ता से प्राप्त ज्ञापन

2244. **श्री समर मुखर्जी** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कर्मचारी संगठन कलकत्ता से हाल ही में कोई ज्ञापन मिला है;

(ख) यदि हां, तो उस ज्ञापन का सारांश क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया): (क) जी, हां।

(ख) उक्त ज्ञापन मुख्यतः राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कर्मचारी संगठन को सरकार द्वारा मान्यता दिए जाने, राष्ट्रीय नमना सर्वेक्षण संगठन के कार्यालय को उसकी वर्तमान स्थिति से भारतीय सांख्यिकीय संस्थान के परिसर में ले जाने, एवं उक्त संस्थान के कर्मचारियों को सरकार में खपाए जाने के फलस्वरूप उठने वाले सेवा-संबंधी अन्य मामलों के बारे में है।

(ग) सरकार उक्त मामले पर विचार कर रही है।

रेशम के उत्पादन में वृद्धि

2245. श्री ईश्वरी चौधरी:

श्री एम० एस० पूरती:

क्या **औद्योगिक विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्नत कृषि पद्धति अनुसन्धान प्रशिक्षण, तकनीकी विकास तथा अन्य उपायों से रेशम का उत्पादन बढ़ाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जिआउर्रहमान अंसारी) : निम्नलिखित योजनायें जिनका उद्देश्य सिल्क के उत्पादन में वृद्धि करना है, सरकार के विचाराधीन है:—

(1) संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन की सहायता से प्रतिवर्ष 800 मी० टन ऊंची किस्म की कच्ची सिल्क का अतिरिक्त उत्पादन करने सम्बन्धी एक परियोजना विचाराधीन है। परियोजना का उद्देश्य इसके प्रारम्भ होने के पांच वर्षों की समाप्ति तक निर्यात के लिए बढ़िया किस्म की कच्ची सिल्क उपलब्ध कराना भी है।

(2) 1972-73 से प्रारम्भ करके 10 वर्ष तक के लिए 80 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर एक द्रुतप्रभावी कार्यक्रम मैसूर राज्य में क्रियान्वयन के लिए सहमति दी गयी है। इस कार्यक्रम में शहतूत की सुधरी किस्म के पौधों का पुनरोपण करने, सिचाई के कुएं खोदने, रेशम के कीड़े पालने वाली 500 सहकारी समितियों का गठन करने; 50,000 पोषणगृहों का निर्माण करना; रेशम के कोटे रखने के 1250 गोदाम तैयार करने; जो गैर-सरकारी क्षेत्र में कार्य करेंगे रीलें तैयार करने वाले 2,000 एककों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। जो गैर-सरकारी क्षेत्र में कार्य करेंगे कार्यक्रम के क्रियान्वयन के 10 वर्षों के अन्त तक प्रतिवर्ष 35 लाख किलोग्राम कच्ची सिल्क का उत्पादन होने का अनुमान है।

(3) मणिपुर में ओक के पौधों से अगले 10 वर्षों में 8.18 करोड़ रुपए की टसर सिल्क का उत्पादन करने की एक परियोजना तैयार की गई है। परियोजना से

प्रतिवर्ष 5.10 लाख किलोग्राम अच्छी किस्म की लपेटी हुई टसर सिल्क तैयार करने का सुनिश्चय किया जाएगा ।

Production of Tusser (Silk) in Manipur, Bihar, Madhya Pradesh and Orissa.

2246. Shri Dhan Shah Pradhan : Will the **Minister of Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether Government have any information about the increase in the production of Tusser (silk) in Manipur, Bihar, Madhya Pradesh and Orisa States during the last two years;

(b) if so, the salient features thereof ; and

(c) the names of the schemes under which financial assistance has been given to them and the amount thereof, State-wise ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Ziaur Rahman Ansari) : (a) and (b) : Production of tusser silk has increased in Orissa and declined in Bihar, Madhya Pradesh and Manipur. Following are the production statistics :

	1970-71	1971-72
	(in lakhs of kgs.)	
Orissa	0·100	0·130
Bihar	1·990	1·680
Madhya Pradesh	1·500	1·250
Manipur	0·014	0·007

(c) A statement is attached.

Statement

Financial assistance to the State of Orissa, Bihar, Madhya Pradesh and Manipur has been given mainly under the following schemes :

1. Production and supply of disease free silkworm seed free of cost to the rearers.
2. Organisation of block plantation of tasar food plants for production and supply of seed cocoons.
3. Establishment of demonstration-cum-training centres for imparting training to sons of Adivasis in raw silk reeling on imporved reeling machines and distribution of reeling machines on subsidised cost.

The following amount of financial assistance has been given :—

(In lakhs of rupees)

	April 1969 to March 1972			1972-73	
	Outlay	State's sanction	Expenditure	Outlay	Expenditure upto Sep. 1972
1	2	3	4	5	6
Bihar	36·130	16·308	14·865	16·00	2·465
Madhya Pradesh	44·200	29·490	15·049	23·50	4·511
Orissa	9·410	3·962	3·504	3·57	0·206
Manipur	5·753	3·802	2·825	6·11 (upto June 1972)	0·189

मैसूर और जम्मू तथा काश्मीर में कच्चे रेशम का उत्पादन

2247. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य में कच्चे रेशम का वार्षिक उत्पादन कितना है ;

(ख) क्या भारत में मैसूर और कश्मीर दो राज्यों में ही रेशम का अधिकतम उत्पादन होता है और क्या इन राज्यों ने रेशम कीट पालन उद्योग के हितों के सम्बर्धन के लिये, विशेतया निर्यात के लिये अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के रेशम के उत्पादन के लिये, संयुक्त प्रयास करने का निर्णय किया है : और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) मैसूर में 1971–72 में 17.55 लाख किलोग्राम कच्ची सिल्क का उत्पादन हुआ था ।

(ख) जी, हां ।

(ग) जम्मू और कश्मीर, मैसूर तथा पश्चिम बंगाल में अन्तर्राष्ट्रीय रूप से निर्यात करने योग्य कच्ची सिल्क के उत्पादन में लगभग 800 मी० टन की वृद्धि करने सम्बन्धी एक प्रस्ताव विचाराधीन है । परियोजना का क्रियान्वयन संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन की सहायता से किया जाएगा । इसकी निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं हैं :—

1. अन्तर्राष्ट्रीय रूप में निर्यात योग्य यूनी बिवोल्टाइन कच्ची सिल्क का प्रतिवर्ष 800 मी० टन अतिरिक्त उत्पादन करना ;
2. जापान जो कि विश्व के बाजारों में कच्ची सिल्क का प्रमुख सम्भरणकर्त्ता था, के हट जाने के फलस्वरूप विश्व बाजार में आई कच्ची सिल्क की कमी को पूरा करने के लिये 600 मी० टन बिवोल्टाइन सिल्क का निर्यात करना ;
3. परियोजना शुरु कर देने के पांच वर्ष की समाप्ति तक निर्यात के लिये बढ़िया किस्म की सिल्क उपलब्ध कराना ।

Production of Cloth in Gaya Cotton Mill

2248. **Shri Shankar Dayal Singh** : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) the present position of the Gaya Cotton Mill acquired by Government ; and

(b) the time by which production of cloth would be started in the Mill and the production capacity thereof ?

The Minister of Industrial Development and Science and Technology (Shri C. Subramaniam) :

(a) The lessees of Gaya Cotton and Jute Mills, Gaya, the management of which has vested in the Central Government by virtue of section 4(1) of the Sick Textile Undertakings (Taking over of Management) Act, 1972, have obtained interim stay order from the Supreme Court of India according to which statusquo is to be maintained. The mill has, therefore, not been started yet by the Custodian appointed under the said Act.

(b) As the matter is sub-judice, it will be pre-mature to state as to when the mill will go into production. It has an installed capacity of 20,468 spindles and 588 looms.

राष्ट्रीय वस्त्र निगम के प्रबन्ध में कार्य करने वाली कपड़ा मिलें

2249. **श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट** : क्या **औद्योगिक विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय वस्त्र निगम के प्रबन्ध में कितनी कपड़ा मिलें कार्य कर रही है तथा उनकी कुल पूंजी और अधिष्ठापित क्षमता कितनी है ; और

(ख) क्या मिलें अपनी पूरी क्षमता पर कार्य रही हैं, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) इस समय 103 कपड़ा उपक्रम हैं, जिनका प्रबन्ध सरकार के सहयोग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 और संकटग्रस्त कपड़ा उपक्रम (प्रबन्ध अधिकार में लेना) अधिनियम, 1972 के उपबन्धों के अधीन अपने हाथ में ले लिया है । इन उपक्रमों की अधिष्ठापित क्षमता लगभग 29.34 लाख तकुए और 0.46 लाख करघे हैं । इस अवस्था में इन मिलों की कुल पूंजी बताना संभव नहीं है क्योंकि कुछ मिलों का वस्तुतः अधिकार अभी तक हाथ में नहीं लिया गया है और सभी मिलों के नवीनतम लेखापरीक्षत तुलनपत्र उपलब्ध नहीं है ।

(ख) जिन मिलों का प्रबन्ध सरकार अपने अधिकार में लिया है वे अपनी पूर्ण क्षमता में काम नहीं कर सकती हैं । इसके कारण मुख्य रूप से निम्नलिखित हैं :—

(1) जिन मिलों का प्रबन्ध सरकार ने अपने अधिकार में लिया है वे अधिकांशत संकटग्रस्त हैं । सरकार द्वारा उनको अपने अधिकार में लेने के पूर्व अधिकांश मिलों में लम्बी अवधि तक उत्पादन नहीं हुआ था । इसलिए अपनी पूर्ण क्षमता में काम शुरु करने में उन्हें समय लगेगा । इसके अलावा मिलों की सारी अधिष्ठापित क्षमता का सदैव पता नहीं लगाया जा सकता क्योंकि मशीनों के कुछ हिस्सों की सफाई, मरम्मत आदि चल रही होगी ।

(2) कुछ मिलों के पास पुरानी और टूटी फूटी मशीनें हैं जो मरम्मत या नवीकरण किए बिना पुनः नहीं चलाई जा सकती हैं । कभी कभी ऐसी मशीनों के फालतू पुर्जे तत्काल उपलब्ध नहीं होते हैं ।

(3) देश में चल रही बिजली की कमी से भी मिलों के काम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है । कुछ मामलों में श्रमिक अशांति जैसे हड़तालों के कारण भी मिलें अपनी सामान्य क्षमता में काम नहीं कर रही हैं ।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम के प्रबन्ध में चल रही मिलों में नियंत्रित किस्म के कपड़े का उत्पादन

2250. **श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट**: क्या **औद्योगिक विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय वस्त्र निगम के प्रबन्ध के अधीन चल रही कपड़ा मिलों में नियंत्रित तथा अनियंत्रित किस्म का कितना-कितना कपड़ा बनाया जाता है और प्रत्येक प्रकार के कपड़े की उत्पादन प्रतिशतता क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार इन मिलों में केवल नियंत्रित किस्म का कपड़ा बनाने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इन मिलों में नियंत्रित कपड़े के नाम में केवल मारकीन, खद्दर तथा मोटी धोतियां ही बनायी जाती हैं, यदि हां, तो अन्य प्रकार का कपड़ा न बनाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या इन मिलों में बनाई जाने वाली धोंतियां बहुत ही घटिया होती है, और यदि हां, तो इनकी किस्म सुधार करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) सूचना इक्ट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) और (ग) : एक विवरण संलग्न है ।

(घ) जी नहीं, । इस सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

विवरण

सरकार के प्रबन्ध में चल रही मिलों में कन्ट्रोल का सभी नियंत्रित क्षेत्र का आरक्षित किस्म का कपड़ा जैसे, धोतियां, साड़ियां, शर्टिंग, लट्ठा तथा ड्रिलें आदि बनता रहा है । जहां तक नियंत्रण मुक्त कपड़े का संबंध है मिलों में विभिन्न प्रकार का कपड़ा यथा, पापलीन, चादरें, तौलिये, पर्दे, मच्छर-दानियों, कोट का कपड़ा, मलमल, वायल, क्रेप, चिन्त, केम्ब्रिक , मजरी कपड़ा, टसर, साटन, दो सूती, चांदनी का कपड़ा तैयार किया जाता है । मिलों को अनयंत्रित क्षेत्र का कपड़ा तैयार करने की स्वतन्त्रता है तथा उनके द्वारा तैयार कपड़ों के किस्मों की प्रतिशत मिल प्रति मिल भिन्न भिन्न होता है । सरकार के प्रबन्ध में चलाई जा रही किसी भी मिल में केवल नियंत्रित कपड़ा तैयार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है इसका कारण अधिष्ठापित मशीनों की सीमायें हैं इसके अलावा केवल नियंत्रित कपड़ा तैयार करके मिलों को भारी हानि हो सकती है ।

बिहार भूमि सुधार (भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारण और फालतू भूमि अधिग्रहण) (संशोधन) विधेयक, 1972 पर अनुमति

2251. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **गृह मंत्री** 13 दिसम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4157 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार भूमि सुधार (भूमि की अधितम सीमा निर्धारण और फालतू भूमि अधिग्रहण) (संशोधन) विधेयक, 1972 पर राष्ट्रपति की अनुमति मिल गई है ; यदि हां तो कब ; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार की भूमि की एक ऐसी नयी श्रेणी बनाने का सुझाव दिया है जिसमें सिंचाई के साधन उपलब्ध हों किन्तु जिस में एक फसल होती हो और जिसकी अधिकतम सीमा 25 एकड़ हो और यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) राष्ट्रपति द्वारा 4 जनवरी, 1973 को विधेयक पर अनुमिति दे दी गई है ।

(ख) जुलाई, 1972 में कृषि की जौत की अधिकतर सीमा के बारे में हुए मुख्य मंत्री सम्मेलन के परिणामों के आधार पर तैयार किये गये निर्देशन समान बनाने के लिये कि एक वर्ष में केवल एक फसल के लिये उपलब्ध सिंचाई के साधन वाली भूमि की अधिकतम सीमा 27 एकड़ से अधिक नहीं होनी चाहिये, राज्य सरकार को यह सुझाव दिया गया था कि उस भूमि की अधिकतम सीमा जिसके लिये एक वर्ष में केवल एक फसल के लिये सिंचाई के साधन उपलब्ध है 30 एकड़ से घटा कर 27 एकड़ की जानी चाहिये ।

जनजाति अनुसंधान केन्द्र का कालीकट से केरल में उत्तर वाइनाड में मन्नथौडी में स्थानांतरित किया जाना

2252. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** :—**क्या गृह मंत्री** 18 दिसम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4816 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि जनजाति अनुसंधान केन्द्र के कालीकट से उत्तर वाइनाड़ स्थित पन्नथोड़ी में स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (एफ० एच० मोहसिन) : इस समय केन्द्र कौंजिकोडे जिले के कौंजीकोडे तालुक में चेवयूर में चलाया जा रहा है। केरल सरकार ने अभी तक केन्द्र को कन्नानोर जिले के उत्तरी वाइनाड़ तालुक में मन्नथौड़ी में स्थानान्तरित करने का निश्चय नहीं किया है क्योंकि कार्यालय के लिये आवास कक्षाओं के लिये कमरे, पुस्ताकालय आदि तथा संबंधित अधिकारियों के निवास के लिये मन्नथोडी में कोई उपयुक्त सरकारी अथवा निजी भवन भी उपलब्ध नहीं है।

Tribal Development Blocks in the Country

2253. **Shri M. S. Purty :**

Shri Narendra Singh Bisht : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state the number of Tribal Development Blocks in the country, State-wise ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : There are 504 Tribal Development Blocks in the country. A statement showing the number of blocks in each State/Union Territory is attached.

Statement

S. No.	State/Union Territory	No. of T. D Blocks
1.	Andhra Pradesh	24
2.	Assam	16
3.	Bihar	63
4.	Gujarat	53
5.	Kerala	1
6.	Madhya Pradesh	126
7.	Maharashtra	44
8.	Meghalaya	24
9.	Manipur	20
10.	Nagaland	15
11.	Orissa	75
12.	Rajasthan	18
13.	Tamil Nadu	2
14.	Tripura	5
15.	Himachal Pradesh	7
16.	Mizoram	9
17.	Dadra & Nagar Haveli	2
	TOTAL	504

Setting up of Tribal Development Blocks in U. P.

2254. **Shri Narendra Singh Bisht** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the tribal population in Uttar Pradesh and whether any tribal development block has so far been set up in that State ; and

(b) if not, the reasons therefor and the time by which Government propose to set up a tribal development block in Uttar Pradesh for the proper development of tribal areas there ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs : (Shri F. H. Mohsin) : (a) and (b) : The tribal population of Uttar Pradesh according to the 1971 census is 1·98 lakhs. The criteria for the opening of T. D. Blocks are :—

(i) A total population of 25,000 ;

(ii) A minimum Tribal concentration of 66 2/3% ;

(iii) An area of 150—200 sq. miles and

(iv) Viability to function as a normal administrative unit.

It has not been possible so far to carve out an area satisfying the above criteria. Two Special Areas Projects were however established in the State on the pattern of Tribal Development Blocks.

अस्पृश्यता की बुराइयों के बारे में लोगों को शिक्षित करना

2255. **श्री जी० वाई० कृष्णन्**: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लोगों को अस्पृश्यता की बुराइयों के बारे में बताने के लिए कदम उठाए हैं, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) : जी हां, श्रीमान् । इस बारे में सरकार द्वारा किये गये उपायों के ब्योरे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के आयुक्त की वार्षिक रिपोर्ट में दिये गये हैं। नवीनतम सूचना 1969-70 वर्ष के लिए अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जन जातियों के आयुक्त की 19 वीं रिपोर्ट में अस्पृश्यता सम्बन्धी अध्याय-8 में उपलब्ध है, जो 22 दिसम्बर, 1971 को सदन के पटल पर रखी गई थी ।

तथापि किये गये उपायों का एक सारांश नीचे दिया जाता है :—

अस्पृश्यता हटाने के लिए जन सम्पर्क साधनों, जैसे रेडियो, प्रैस, चलचित्रों तथा टेलीविजन और विज्ञापनों और गीतों व नाटकों से नियमित आधार पर प्रचार किया जा रहा है । राज्य सरकारें भी अस्पृश्यता की बुराइयों को समाप्त करने के उद्देश्य से इश्तिहारों के माध्यम से ऐसे प्रचार कर रही हैं और हरिजन सप्ताहों अथवा दिवसों, सम्मेलनों, अन्तर जातीय भोजों इत्यादि का आयोजन कर रही हैं । इस सम्बन्ध में गैर-सरकारी संगठनों की सहायता से भी अधिक कार्य किया जाता है ।

Inclusion of Baskar Caste in Scheduled Castes List in Bihar

2256. **Shri Ishwar Chaudhry** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Baskar Caste has been recognised as a Scheduled Caste in Rajasthan whereas the same caste has not been included in the list of Scheduled Castes in Bihar ;

(b) if so, the reasons for non-recognition of the caste as Scheduled Caste in Bihar ;

(c) the number of such other castes included in the list sent by Bihar Government to the Government of India for being recognised as Scheduled Castes ; and

(d) the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) and (b) : There is no community called "Baskar" (बसकोड) scheduled either in Rajasthan or Bihar. If the Hon'ble Member is referring to the "Bansphor" (बंसफोड) community, it may be stated that the Joint Committee on the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Bill recommended that "Bansphor" should be included in the Bihar list as a synonym of "Dom".

(c) *and* (d) : All the proposals made by the State Government were taken into account by the Joint Committee. Based on the recommendation of that Committee a bill was introduced in Parliament in 1967. It lapsed. The question of revision of lists in under consideration.

Utilisation of Manpower

2257. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) whether manpower is available in abundance in the country :

(b) whether Government propose to stop the use of such machines as do away with the need for use of manpower with a view to make fuller utilisation of manpower ;

(c) if so, the fields in which machines are proposed to be replaced by men ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) : (*a*) to (*d*) : A statement is laid on the Table of the House. (Placed in the Library. See No. Lt—4409/73)

ताप बिजली घरों की स्थापना

2258. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी योजना सम्बन्धी दृष्टिकोण पत्र में बताया गया है कि देश में 1978 तक 500 मेगावाट का एक बड़ा बिजली घर स्थापित करना सम्भव होगा ;

(ख) क्या इस समय देश में केवल 200 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने वाले जैनेरेटरों का ही उत्पादन होता है ;

(ग) क्या बिजली के वैकल्पिक साधनों का अनुमान लगाने हेतु विशेषज्ञों के ग्रुप स्थापित किये गये हैं, और

(घ) यदि हां, तो देश में 500 मैगावाट का बड़ा ताप बिजली घर स्थापित करने के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सुब्रह्मण्यम्) : (क) स्वदेश प्रयत्नों से पांचवीं पंच-वर्षीय योजना की समाप्ति तक 500 मैगावाट के एक आदि रूप बिजली घर की स्थापना करने के विचार से बिजली के विकास हेतु अनुसंधान और विकास कार्य के लिए एक "विज्ञान और प्रौद्योगिकी की राष्ट्रीय समिति का संयुक्त योजना आयोग कृतिक दल" की सिफारिश की गयी है। इस 500 मैगावाट के बिजली घर द्वारा पांचवीं पंच-वर्षीय योजना के विद्युत-लक्ष्य की उपलब्धि में सहयोग की प्राप्ति नहीं होगी। परन्तु इसका लक्ष्य प्राथमिक रूप से अनुसंधान और विकास की ओर होगा वर्तमान उत्पादन-सुविधाओं द्वारा पांचवीं योजना के लक्ष्य की पूर्ति की संभावना की जाती है।

(ख) जी हां। टर्बो जनेरेटरों की वर्तमान उत्पादन-क्षमता लगभग 200 मैगावाट तक सीमित है।

(ग) जी हां। बिजली के ऐसे वैकल्पिक साधनों जैसे सौर, रासायनिक सैल, ज्वार, ज्योथर्मल, पवन चक्की तथा मैगनैट-हाइड्रो-डायनामिकों की क्षमताओं के मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञ दलों की स्थापना की गयी है।

(घ) इस 500 मैगावाट के आदि रूप बड़े ताप का बिजली घर की स्थापना से कई विशेष उपकरणों जैसे सहचारी-उपस्कर, वाष्पित्र, टर्बो जनेरेटर, सहायक उपस्कर इत्यादि के डिज़ायन बनाने तथा

उनके विकास करने में सहायता मिलेगी। इस 500 मैगावाट के आदिरूप बिजली घर के निर्माणोपरान्त अग्रिम विकास तथा उपस्करों का मानकीकरण, पीरचालकों का प्रशिक्षण आदि कार्य के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता होगी। इस प्रकार आवश्यक सामर्थ्य तथा प्रौद्योगिकी कुशलता का विकास किया जायेगा ताकि छठवीं योजना के उत्तर-मध्यावधि तक एक वाणिज्यिक बड़े ताप का बिजली घर की स्थापना देश में हो सके। इस प्रथम 500 मैगावाट के आदिरूप की स्थापना का कार्य भारत हैवी इलैक्ट्रिकल लिमिटेड/हेवी इलैक्ट्रिकल्स इण्डिया लिमिटेड को जो उपस्थित एक व्योरेवार प्रायोजना रिपोर्ट बना रहे हैं, सौंपा गया है।

छोटे समाचार पत्रों को तदर्थ आधार पर अखबारी कागज का कोटा देना

2260. **श्री बीरेन दत्त**: क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ छोटे समाचार पत्रों की अखबारी कागज का कोटा तदर्थ आधार पर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए उन्हें लाइसेंस क्यों नहीं दिए गए ; और

(ग) वर्ष 1971–72 में कितने समाचारपत्रों को तदर्थ आधार पर अखबारी कागज का कोटा दिया गया ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख) छोटे तथा बड़े समाचार पत्रों का अखबारी कागज का कोटे का आवण्टन, उनकी खपत संख्या, आवधिकता, पृष्ठों की संख्या तथा पृष्ठ क्षेत्र, पर निर्भर करता है। जब यह विवरण उपलब्ध न हो तो अस्थायी या तदर्थ आधार पर आवण्टन किया जाता है जिसका उद्देश्य प्रकाशकों की कठिनाई को दूर करना है। जैसे ही प्रकाशकों से ये विवरण उपलब्ध हो जाते हैं, आवण्टनों पर निर्णय कर लिया जाता है। आयात लाइसेन्स इन आवण्टनों पर आधारित होते हैं और वे आयात तथा निर्यात के मुख्य नियंत्रक द्वारा जारी किये जाते हैं।

1972-73 वर्ष में अखबारी कागज नीति की घोषणा के तुरन्त पश्चात् इसको सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। न्यायालय के निर्णय देने तक अखबारी कागज के सभी आवण्टन अस्थायी समझे गए थे। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की घोषणा के पश्चात्, 1972-73 के लिए 12 फरवरी, 1973 को एक संशोधित अखबारी कागज नीति की घोषणा की गई थी। संशोधित नीति को ध्यान में रखते हुए, समाचार पत्रों की 1972-73 के लिए हकदारी को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(ग) 19।

त्रिपुरा के स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देना

2261. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ वृद्ध स्वतन्त्रता सैनानियों को, जिन्होंने अपने आवेदन उनके साथ जेलों में रह चुके विधान सभा सदस्यों के प्रमाणपत्रों सहित और सभी अपेक्षित दस्तावेजों सहित त्रिपुरा सरकार के माध्यम से भिजवाए थे, अभी तक पेंशन स्वीकृत नहीं की गई है ;

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं, और

(ग) उन्हें बिना विलम्ब पेंशन देने के लिए सरकार क्या उपाय करेगी ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) राज्य सरकारों से प्राप्त 87 अभ्यावेदनों में से 80 पेंशन की स्वीकृति के लिये अनुमोदित किये जा चुके हैं। दो रद्द कर दिये गये हैं और बाकी 5 विचाराधीन हैं जिन्हें शीघ्र ही निपटा दिया जायेगा।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

टेलीफोन राजस्व का डिवीजनल मुख्यालय अगरतला में स्थापित करना

2262. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीफोन राजस्व का डिवीजनल मुख्यालय, अगरतला (त्रिपुरा) में स्थापित किया जाएगा, और

(ख) यदि हां, तो यह मुख्यालय वहां कब से काम करना आरम्भ कर देगा ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा): (क) और (ख): त्रिपुरा (अगरतला) में एक नया इंजीनियरी डिवीजन खोलने के प्रश्न को इस समय जांच की जा रही है। जब कभी इस प्रस्ताव को अन्तिम रूप दिया जाएगा तो एक डिवीजनल टेलीफोन राजस्व कार्यालय भी स्वत: खोला जाएगा क्योंकि इस तरह के कार्यालय डिवीजनल इंजीनियर के दफ्तर के एक अंग होते हैं।

Development of Backward Hill Districts of U. P,

2263. **Shri Narendra Singh Bisht** : Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) whether the 'border budget' previously being sanctioned for the three border districts of Uttarakhand i. e. Uttrakashi, Chamoli and Pithoragarh has now been discontinued if so, the reasons therefor ;

(b) whether Government are of the view that with the limited budget it would be possible to develop these backward districts, particularly when the demand for 'border budget' has been made by the other five districts of Uttarakhand i. e. Almora, Garhwal, Tehri-Garwalh, Nainital and Dehradun ; and

(c) if not, the action proposed to be taken by Government to develop these backward areas ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) : *(a) to (c)* : Information has been asked for from the State Government and would be laid on the Table of the House as soon as received.

राज्यों द्वारा जिला योजनाएं बनाने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत

2264. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी**: क्या **योजना** मंत्री जिला योजनाओं के लिए मार्ग दर्शक सिद्धान्तों के बारे में 29 नवम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2396 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों ने जिला योजनाएं बनाना आरम्भ कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में विभिन्न राज्यों द्वारा कितनी प्रगति की गई है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी हां।

(ख) सभा पटल पर एक विवरण प्रस्तुत है। (ग्रन्थालय में रखा गया गया। देखिए संख्या एल० टी० 4410/73)।

"पिछड़े क्षेत्रों के लिए योजनागत परियोजनाएं असफल" समाचार

2265. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी**: क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 25 जनवरी, 1973 के "हिन्दुस्तान स्टैन्डर्ड" में "प्लान स्कीम्स फार बैकवर्ड एरियाज़ फ्लाप" शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिला गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) राज्यवार उन स्थानों के क्या नाम हैं जहां ये योजनाएं असफल रही हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) :(क) से (ग) : सरकार का ध्यान दिनांक 25 जनवरी, 1973 के "हिन्दुस्तान स्टेन्डर्ड" में "प्लान स्कीम्स फार बैकवर्ड एरियाज़ फ्लाप" शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है। यह समाचार, 'पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रति दृष्टिकोण' के दसवें अध्याय में से लिया गया एक उद्धरण है, जो कि पहले ही सभा पटल पर रखा जा चुका है। इस प्रकार से यह समाचार 'हिन्दुस्तान स्टेन्डर्ड' के संवाददाता के नहीं, अपितु सरकार के विचारों को ही प्रतिबिम्बित करता है।

दिनांक 28-2-1973 को लोकसभा में पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 123 के उत्तर में यह बताया गया था कि योजना आयोग ने क्षेत्रीय असमानताओं के संबंध में कोई विशेष मूल्यांकन नहीं किया है। फिर भी अनेक संसूचकों के प्रारम्भिक आंकड़ों के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने तथा पिछड़े क्षेत्रों के विकास के सम्बन्ध में चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनाई गई विभिन्न नीतियों तथा कार्यक्रमों का, इस समस्या पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है।

अनुसचिवीय पदों और डिग्रियों का संबंध तोड़ना

2266. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पुर्नगठित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष, डा० जार्ज जैकब के हाल के इस अभिकथन की ओर दिलाया गया है कि साधारण अनुसचिवीय पदों से डिग्रियों का संबन्ध तोड़ना बहुत आवश्यक है जिनके लिए उच्चतर माध्यमिक योग्यता पर्याप्त मानी जानी चाहिये : और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क)तथा(ख) : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष ने एक प्रेस प्रतिनिधि के साथ इन्टरव्यू के दौरान यह उल्लेख किया है कि साधारण अनुसचिवीय पदों जैसे, क्लर्कों, टंककों आदि से डिग्रियों का सम्बन्ध तोड़ना बहुत आवश्यक है। अध्यक्ष ने यह भी उल्लेख किया है कि इन पदों में भर्ती के लिए आयु को घटाया जा सकता है ताकि विश्वविद्यालय के स्नातक इनमें प्रतियोगिता करने में समर्थ न हो सकें। अध्यक्ष द्वारा ये विचार अपने वैयक्तिक आधार पर प्रकट किए गए थे। विद्यमान आदेशों के अनुसार सचिवालय में निम्न श्रेणी लिपिकों (जिसमें टंकक भी शामिल हैं) (रु० 110-180 के वेतनमान में) और आशुलिपिकों (रु० 210–530 के वेतनमान में) के पदों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता मैट्रिकुलेशन या उसके समकक्ष है। इन पदों के लिए हाल ही तक निर्धारित ऊपरी आयु सीमा क्रमश: 21 तथा 24 वर्ष थी। तथापि, संयुक्त परामर्शदात्री व्यवस्था के अधीन गठित राष्ट्रीय परिषद् की एक सिफारिश के आधार पर सरकार के अधीन श्रेणी-III अनुसचिवीय अराज़पत्रित पदों में प्रवेश

के लिए अधिकतम आयु सीमा को बढ़ाकर 25 वर्ष करने के आदेश मार्च, 1972 में जारी किये गए थे। तदनुसार निम्न श्रेणी लिपिक तथा आशुलिपिकों के पदों के लिए ऊपरी आयु सीमा अब 25 वर्ष है।

गैर-सरकारी क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए परिव्यय का कम भाग

2267. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसंधान और विकास के लिये रखे गए प्रतिवर्ष 200 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय में गर-सरकारी क्षेत्र के हिस्से में केवल 16/17 करोड़ रुपये ही आते हैं ;

(ख) यदि हां, तो गैर-सरकारी क्षेत्र के लिए इतने कम अंश के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार गैर-सरकारी क्षेत्र उद्योगों को अपनी निवेश पूंजी का काफी भाग अनुसंधान और विकास के लिए रखने के लिए बाध्य करने का है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) 1971-72 के दौरान देश में अनुसंधान तथा विकास पर व्यय का पूर्ण प्राक्कलन 215 करोड़ रुपये था। इसमें निजी क्षेत्र (गैर-सरकारी) में अनुमानित व्यय 17.5 करोड़ रुपये था

(ख) निजी क्षेत्र में प्रायः सभी औद्योगिक कम्पनियां विदेशी प्रौद्योगिकी के आधार पर स्थापित की गई हैं तथा इनमें से कई ऐसे स्थलों में भी कार्यरत हैं जिन्हें विक्रेता-बाजार की संज्ञा दी जा सकती है। ऐसी दशा में वास्तविक मूल्यों में कमी लाने, उत्पादों का स्तर बढ़ाने तथा विधि की योग्यता को विकसित करने या नए उत्पाद और नयी विधियां प्रारम्भ करने के लक्ष्य से अनुसधान और विकास कार्य के उपक्रम में कम आर्थिक प्रोत्साहन मिलते हैं।

निजी क्षेत्र के अनुसंधान तथा विकास कार्य के लिए मार्ग-निर्धारण का निरुपण, तथा नीति की सिफारिश की दृष्टिकोण से वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महा निदेशक डा० वाई० नायदुम्मा की अध्यक्षता में एक समिति की स्थापना की गयी है। समिति ने औद्योगिक फर्मों से ज्ञापन आमंत्रित किए हैं तथा उद्योगपतियों, तथा व्यापार और उद्योग संस्थाओं से विचार-विमर्श भी किया है। समिति की रिपोर्ट की शीघ्र संभावना की जाती है।

(ग) उद्योग में अनुसंधान तथा विकास कार्य की प्रगति के दृष्टिकोण से विज्ञान और प्रौद्योगिकी की राष्ट्रीय समिति ने अनुसंधान और विकास उप-कर लगाने का प्रस्ताव रखा है। इस उप-कर से पांचवीं पंचवर्षीय योजना में निकटतम 300 करोड़ रुपये के संसाधनों की उत्पत्ति की संभावना है। इससे संग्रहित धन की राजकीय और निजी क्षेत्र की कम्पनियों में, जिनकी अनुसंधान और विकास प्रायोजनाओं को विज्ञान और प्रौद्योगिकी की राष्ट्रीय समिति द्वारा स्वीकृत किया गया है, वितरण करने का प्रस्ताव रखा गया है।

गांवों में डाकघरों का कार्यकरण

2268. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 47,000 गांवों में सप्ताह में केवल एक बार डाक निकाली और बांटी जाती है, और

(ख) यदि हां, तो उन में सेवा के सुधार के लिए क्या उपाय किए जाएंगे ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां।

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों की डाक सेवा में सुधार लाने के लिए डाकघरों के जाल का विस्तार करने का प्रस्ताव है। अधिक डाकघर खोलने का प्रस्ताव है जो कि खास कर ग्रामीण, पिछड़े और पर्वतीय क्षेत्रों में खोले जाएंगे। वर्ष 1973-74 में देश में, 3,700 डाकघर खोलने का प्रस्ताव है। पांचवीं योजना अवधि के दौरान भी विभाग ने नए डाकघर खोलने के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया है, जिसमें देश में 31,000 डाकघर खोलने का अस्थायी प्रस्ताव तैयार किया गया है। इन में से 29,000 डाकघर उन गांवों में खोलने का प्रस्ताव है, जहां ग्राम पंचायत हों, और मौजूदा डाकघर उन से दो मील से अधिक की दूरी पर हों। इनके अलावा अन्य श्रेणियों के अन्तर्गत 2000 और डाकघर खोलने का भी प्रस्ताव है। उपर्युक्त जो कदम उठाए जा रहे हैं उन से ग्रामीण क्षेत्रों में डाक की डिलिवरी में सुधार होगा और डाक ज्यादा बार बांटी जा सकेगी।

आन्तरिक सुरक्षा बनाए रखना अधिनियम के अधीन गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या

2269. **श्री समर गुह** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्तरिक सुरक्षा बनाए रखना अधिनियम लागू होने के बाद से इसके अधीन राज्यवार कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया;

(ख) इस अधिनियम के अधीन राज्यवार कितने व्यक्ति अभी तक गिरफ्तार हैं और

(ग) गत छः मास में उनके मामलों पर समय-समय पर पुनर्विचार करने और उन्हें मुक्त करने की प्रक्रिया क्या रही ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : **(क) और (ख)** : विवरण संलग्न है।

(ग) समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत नजरबन्द व्यक्तियों के व्यक्तिगत मामलों पर पुनर्विचार किया जाता है और जहां भी आवश्यक होता है नजर-बन्दी के आदेश रद्द कर दिये जाते हैं।

विवरण

क्रमांक	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम, 1971 के लागू होने के बाद इसके अधीन 31 जनवरी, 1973 तक नजर बन्द किये गये व्यक्तियों की कुल संख्या (क)	31 जनवरी, 1973 को अधिनियम के अधीन नजर-बन्द व्यक्तियों की संख्या (ख)
1	2	3	4
1.	असम . . .	227	104
2.	बिहार . .	25	1
3.	गुजरात . . .	321	7
4.	हरियाणा . .	11	1

(1)	(2)	(3)	(4)
5.	हिमाचल प्रदेश . .	7	—
6.	केरल . .	53	6
7.	मध्य प्रदेश .	62	5
8.	मणिपुर . .	5	—
9.	मैसूर .	26	—
10.	उड़ीसा . .	2	1
11.	तमिल नाडु .	4	—
12.	उत्तर प्रदेश	53	2
13.	पश्चिम बंगाल	5667	2449
14.	चण्डीगढ़ प्रशासन .	1	शून्य
15.	दिल्ली . . .	68 (केन्द्रीय सरकार द्वारा नजरबन्द 4 व्यक्तियों समेत)	5
16.	गोवा, दमन व दीव . .	1	—
17.	मिजोरम . . .	1	1

उपर्युक्त अवधि के लिये नागालैण्ड राज्य और शेष संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के संबंध में सूचना शून्य है। आन्ध्र प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, महाराष्ट्र, मेघालय, पंजाब, राजस्थान और त्रिपुरा राज्यों से सूचना आनी है।

आसूचना विभाग और राजस्व आसूचना विभाग

2270. **श्री समर गुह :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आसूचना विभाग और राजस्व विभाग को गृह मंत्रालय से हटा कर प्रधान मंत्री के सीधे नियंत्रण के अन्तर्गत मंत्रिमण्डल सचिवालय से सम्बद्ध करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्यों;

(ग) क्या सामान्य और राजस्व आसूचना की सीधी उपलब्धि न होने से गृह मत्रालय के कार्य में बाधा पड़ेगी; और

(घ) यदि नहीं तो यह बाधा कैसे दूर की जाएगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (घ) : राजस्व आसूचना का अर्थ राजस्व आसूचना तथा प्रवर्तन निदेशालय के महा निदेशक से लिया जाता है। यह गृह मंत्रालय को 25 जून, 1970 से 29 जुलाई, 1970 तक केवल एक अल्प अवधि के लिये स्थानांतरित किया गया था। तब से यह कार्मिक विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय का एक भाग रहा है। आसूचना विभाग को गृह मंत्रालय से मंत्रिमंडल सचिवालय को स्थानान्तरित करने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

डाक-तार विभाग की प्रपत्रों पर एक करोड़ रुपये की बचत करने की योजना

2271. **श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :**

श्री प्रभुदास पटेल :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक-तार विभाग ने प्रपत्रों पर एक करोड़ रुपये की बचत करने की कोई योजनाएं बनाई हैं, और

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां ।

(ख) डाक-तार फार्मों की छपाई में कागज की खपत-बहुत ज्यादा है । कार्य-कुशलता में किसी प्रकार का विपरीत असर न पड़े, साथ ही कागज की खपत भी कम हो, इस दृष्टि से सभी डाक-तार फार्मों का पुनरीक्षण करने के लिए डाक-तार महानिदेशालय में एक साल पहले एक छोटा सेल बनाया गया था । इस सेल में एक सहायक महानिदेशक और एक डाक-घर निरीक्षक काम करते हैं । ये अधिकारी उप-महानिदेशक के निर्देशन में काम करते हैं । विभाग में कुल 2125 फार्म इस्तेमाल में लाए जाते हैं । इस सेल में अभी तक इन फार्मों में से 862 फार्मों का पुनरीक्षण किया जा चुका है ।

इस पुनरीक्षण के फलस्वरूप अनुमान है कि विभाग कागज और छपाई की लागत में लगभग 73 लाख 22 हजार रुपये की वार्षिक आवर्ती बचत करने की स्थिति में आ गया है । अतः यह निर्णय किया गया है कि वर्ष 1973-74 के बजट एस्टीमेट में फार्मों की छपाई में 75 लाख रुपये की रकम कम कर दी जाए । जब सभी फार्मों का पुनरीक्षण हो जाएगा, तो ऐसा अनुमान है कि फार्मों की छपाई पर लगभग एक करोड़ रुपये की वार्षिक बचत होने लगेगी । सेल जैसे जैसे फार्मों को अन्तिम रूप देता जा रहा है, उन्हें उत्तरोत्तर अमल में लाया जा रहा है ।

पांचवीं योजना में हरिजनों और अन्य गरीब वर्गों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए विशेष योजनायें

2272. **डा० रानेन सेन :**

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरिजनों और अन्य गरीब वर्गों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना में कोई विशेष योजनाएं शामिल की जा रही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं :

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख) : पांचवीं योजना में सरकार पिछड़े वर्गों के विकास को उच्च प्राथमिकता देने का प्रयास करेगी । ऐसा कृषि, भूमि सुधार, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग जैसे सामान्य क्षेत्रों के आर्थिक विकास कार्यक्रमों, अर्द्ध कुशल तथा कुशल व्यवसायों में रोजगार से सम्बन्धित प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा संचार संबंधी विकास कार्यक्रमों के माध्यम से किया जाएगा । अनुसूचित जातियों के धंधों के विविधीकरण तथा उनके परम्परागत धन्धों के आधुनिकीकरण का प्रयास किया जायेगा ? पांचवीं योजना में पिछड़े वर्गों के विकास से सम्बन्धित नीति के अन्तर्गत इस बात पर अपेक्षाकृत अधिक बल दिया गया है कि मुख्य विकास कार्यक्रमों की व्यवस्था

करने में सामान्य क्षेत्र की मुख्य भूमिका अदा करनी चाहिए। सार्वजनिक उपभोग कार्यक्रमों, विशेषकर न्यूनतम आवश्यकताओं सम्बन्धी कार्यक्रमों में पात्रता के सम्बन्ध में ऐसी शर्तें होंगी जिनके अन्तर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा खानाबदोश आदिम जातियों को उच्च प्राथमिकता दी जायेगी।

इन विकासात्मक प्रयासों के अतिरिक्त पिछड़े वर्गों के प्रतिभावान विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष कार्यक्रम तैयार करने तथा उनकी प्रतियोगिता की क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण स्कीमें तैयार करने का विचार है। माध्यमिक स्कूल के बाद समुचित आजीविका सम्बन्धी आयोजन तथा मार्गदर्शन के लिए प्रयास किए जायेंगे ताकि पिछड़े वर्गों को लाभदायक रोजगार उपलब्ध हो सके।

योजना में अस्पृश्यता के परिणामस्वरूप पैदा होने वाली सामाजिक असमर्थता को दूर करने की दृष्टि से भी कार्यक्रम प्रारम्भ करने का विचार है।

आंध्र और तेलंगाना क्षेत्रों में डाक व तारघरों के विनाश का अनुमान

2273. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :**

श्री नारायणचन्द पाराशर :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्तमान आंदोलन में आंध्र और तेलंगाना क्षेत्रों में नष्ट हुए या क्षतिग्रस्त हुए डाक व तारघरों की संख्या का कोई अनुमान लगाया है, यदि हां, तो प्रत्येक क्षेत्र में उनकी संख्या क्या है, और

(ख) क्या नष्ट हुए या क्षतिग्रस्त हुए डाक व तारघरों की मरम्मत या उनके पुनर्निर्माण का व्यय राज्य सरकार को वहन करने के लिए कहा जाएगा।

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) आन्ध्र क्षेत्र में 4 डाकतार कार्यलय नष्ट किए गए और 6 डाक-तार कार्यालयों को क्षति पहुंचाई गई। तेलंगाना क्षेत्र में इस तरह की कोई दुर्घटना नहीं हुई।

(ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

नई दिल्ली के टेलिविजन केन्द्र का दर्जा बढ़ाना

2274. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नई दिल्ली टेलीविजन केन्द्र का दर्जा बढ़ाने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक हो जाएगा और इस पर आने वाली लागत का क्या अनुमान है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हां। दिल्ली टेलीविजन केन्द्र के वर्तमान ट्रान्समीटर की शक्ति तथा इसके एन्टीना की ऊंचाई, दोनों में वृद्धि की जा रही है। इससे केन्द्र के रैन्ज में वृद्धि हो जाएगी। रेन्ज में और वृद्धि करने के लिए मसूरी में एक रिले ट्रान्समीटर लगाने का भी प्रस्ताव है।

(ख) परियोजना के 1975 के मध्य तक पूरे होने की उम्मीद है और उसका अनुमानित खर्चा 424.95 लाख रुपये है।

पंजाब में परमाणु बिजली घर

2275. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** :

क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने केन्द्र से पांचवां परमाणु बिजली घर पंजाब में लगाने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) विषय विचाराधीन है।

दिल्ली में टेलीफोन के बिलों में बढ़ा-चढ़ा कर दिखाई गई राशि

2276. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :**

श्री मोहम्मद शरीफ :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीफोन बिलों में बढ़ा-चढ़ा कर दिखाई गई राशि के मामलों में गत एक वर्ष में वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और ऐसे मामलों को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगणा) : (क) राजधानी में रकम बढ़ा-चढ़ा कर टेलीफोन के बिल भेजने से सम्बन्धित शिकायतों की संख्या 1971 की तुलना में 1972 में कम हो गई है। वर्ष 1972 में इस तरह की सिर्फ 7979 शिकायतें प्राप्त हुई थीं जबकि वर्ष 1971 में प्राप्त इस तरह की शिकायतों की संख्या 8715 थी।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

समाचारपत्र उद्योग सम्बन्धी विशेष समिति का प्रतिवेदन

2277. **श्री मुखतियार सिंह मलिक :**

श्री के० मालन्ना :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचार पत्र उद्योग के वित्तीय ढांचे और संबद्ध पहलुओं सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति ने अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया है ।

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या-क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(ग) उन्हें क्रियान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) समाचारपत्र उद्योग की अर्थव्यवस्था की जांच करने के लिए स्थापित की गई तथ्य अन्वेषण समिति ने अभी तक अपनी रिपोर्ट नहीं दी है ।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न नहीं उठते ।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना में डाकघर खोलना

2278. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :**

श्री धनशाह प्रधान :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 31,000 नये डाकघर खोलने का है, और

(ख) यदि हां, तो उनका राज्यवार, ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) अस्थायी तौर पर यह प्रस्ताव रखा गया है कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 31,000 नए डाकघर खोल दिए जाएं । इन में से 29,000 डाकघर उन गांवों में खोलने का प्रस्ताव है जहां ग्राम पंचायतों के मुख्यालय हों और जो मौजूदा डाकघरों के दो मील से ज्यादा दूरी पर हों ।

(ख) जब पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावों को अन्तिम रूप दे दिया जाएगा, उसके बाद ही यह फैसला किया जाएगा कि विभिन्न राज्यों में कितने-कितने डाकघर खोले जाएं ।

Uttar Pradesh Bihar Boundry Dispute

2279. **Shri M. S. Purty** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) Whether at a recent meeting of the Revenue Ministers of Uttar Pradesh and Bihar, the problems of boundary disputes were also discussed ; and

(b) if so, the main points of the decisions taken in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : *(a) and (b)* : The Government of Uttar Pradesh have intimated that all problems arising from the transfer of territories from Uttar Pradesh to Bihar and *vice-versa* as a result of fixation of firm boundary between the two States were discussed at a meeting between the Revenue Ministers of Uttar Pradesh and Bihar held at Varanasi on the 28th January, 1973. It was agreed that each State should take adequate steps for maintenance of law and order in its territory during Rabi harvest and that the Commissioners of Varanasi and Patna divisions should convene joint meetings from time to time to sort out problems and resolve them by mutual co-operation. Agreed proceedings of the said meeting are, however, yet to be finalised.

चन्डीगढ़ में साइंस कांग्रेस की बैठक

2280. **श्री डी० बी० चन्द्रगोड़ा** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में चन्डीगढ़ में साइंस कांग्रेस की कोई बैठक हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो उसमें किन बातों पर चर्चा की गई थी और उन पर सरकार ने क्या निर्णय लिए हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) जी हां । भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 60 वां (हीरक जयन्ती) अधिवेशन 3 जनवरी से 9 जनवरी, 1973 तक पंजाब विश्वविद्यालय के तत्वाधान में चन्डीगढ़ में हुआ था ।

(ख) समझा जाता है कि विज्ञान कांग्रेस के विभिन्न अनुभागों में अनेक परिसंवाद और विचार-विमर्श हुए थे तथा कई पत्रों को प्रस्तुत किया गया था । 4 जनवरी, 1973 को भी विज्ञान कांग्रेस संस्था की विज्ञान और आर्थिक विकास समिति के तत्वाधान में "विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजना" पर वार्ता हुई थीं । परन्तु भारतीय विज्ञान कांग्रेस संस्था से भारत सरकार को कोई औपचारिक सिफारिशें प्राप्त नहीं हुई हैं अतएव इस सम्बन्ध में सरकार के निर्णय का प्रश्न नहीं उठता ।

कर्नाटक संगीत को अधिक समृद्ध और लोकप्रिय बनाने के लिए आकाशवाणी की योजना

2281. **श्री एम० बी० कृष्णप्पा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी का प्रस्ताव कर्नाटक संगीत पर राष्ट्रीय गोष्ठी आयोजित करने सम्बन्धी योजना पर विचार करने और इसे अधिक समृद्ध और लोकप्रिय बनाने के लिए अन्य उपाय करने का है;

(ख) क्या कर्नाटक संगीतज्ञों के एक दल को ब्रिटेन, अमरीका और अन्य देशों में भेजने का भी प्रस्ताव है; और

(ग) उन संगीतज्ञों को प्रोत्साहन देने के लिए क्या अन्य कार्यवाही करने का विचार है, जो इस कला में निपुण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) और (ख) : फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ग) आकाशवाणी कर्नाटक संगीत के गायकों को संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में स्थान देकर तथा ऐसे क्षेत्रों, जहां प्राय: हिन्दुस्तानी संगीत लोक प्रिय है, में स्थित केन्द्रों से कर्नाटक संगीत की व्यवस्था करके इन गायकों को प्रोत्साहन तथा बढ़ावा देता है ।

पृथक्तावादियों की मांगें

2282. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** :

श्री जगदीश भट्टाचार्य :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पृथक सौराष्ट्र, पृथक विदर्भ, पृथक कच्छ और पृथक झारखण्ड के लिए पृथक्ता- : वादियों की अनेक मांगों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है !

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : **(क) से (ग)** : लोगों के विभिन्न वर्गों से पृथक सौराष्ट्र, विदर्भ तथा झारखण्ड के लिए मांग होती रही । ये मांग इस धारणा पर आधारित थी कि ये क्षेत्र आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे और उनका पिछड़ापन समाप्त हो जाएगा यदि उनके अलग-अलग प्रशासनिक एकक बना दिए जाएं । सरकार को पृथक कच्छ के लिए किसी विशिष्ट मांग की जानकारी नहीं है । सरकार का सदैव यह दृष्टिकोण रहा है कि आर्थिक विकास में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना अनिवार्य-रूप से एक ऐसा मामला है जो योजना की क्रियाविधि के माध्यम से राज्य

सरकार द्वारा निपटाया जाना चाहिए और यह कि पृथक राज्यों का सृजन इस समस्या का कोई उत्तर नहीं है। अतः सरकार ऐसी मांगों के पक्ष में नहीं है।

निजाम और रजाकारों के विरुद्ध तेलंगाना बगावत में भाग लेने वालों का दर्जा

2283. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निजाम और रजाकारों के विरुद्ध तेलंगाना बगावत को स्वाधीनता संग्राम के भाग के रूप में मानने के प्रश्न पर और इसमें भाग लेने वालों को स्वतंत्रता सेनानियों के रूप में पेंशन देने के बारे में कोई निर्णय किया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख): मामला राज्य सरकार के परामर्श में विचाराधीन है और निर्णय किए जाने के बाद इसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी समिति के चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति

2284. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी समिति के चेयरमैन और स्थाई सदस्यों की नियुक्ति अभी तक नहीं की है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इस विलम्ब का इस संस्था के कार्यकरण पर विपरीत प्रभाव पड़ा है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : सरकार की धारणा है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी की राष्ट्रीय समिति का वर्तमान संगठन सुचारु रूप से कार्यरत है अतएव समिति के गठन में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में उपस्थित कोई प्रस्ताव नहीं है ।

भूतपूर्व नरेशों की भूमि, बैंकों में जमा राशि और सम्पत्तियों का मूल्यांकन

2285. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भूतपूर्व नरेशो की भूमि, बैंकों में जमा राशियों और सम्पत्तियों के बारे में कोई मूल्यांकन किया है ; और

(ग) यदि हां, तो वे कितनी-कितनी है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त): (क) और (ख) : कोई विशेष मूल्यांकन नहीं किया गया है। किन्तु आय-कर विभाग नियमित क्रम में सम्पत्ति-कर के मूल्यांकन के सम्बन्ध में भूतपूर्व नरेशों की कुल सम्पत्ति का मूल्यांकन कर रहा है ।

सरकारी कर्मचारियों की सेवा अवधि बढ़ाने हेतु मार्गदर्शी सिद्धांत

2286. **श्री एस० एन० मिश्रा :**

कुमारी कमला कुमारी :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यक्तगत मामलों के पुनर्विलोकन के पश्चात्, सरकारी कर्मचारियों की सेवा-अवधि बढ़ाने हेतु कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाए जा रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो ये मार्गदर्शी सिद्धान्त क्या हैं ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) : सरकार द्वारा अधिवर्षिता की आयु के बाद सेवा अवधि बढ़ाने की मंजूरी के लिए निर्धारित मानदण्ड के अनुसार, बहुत ही असाधारण तथा आपवादिक परिस्थितियों को छोड़ कर, अधिवार्षिता की आयु के बाद सेवा की अवधि को बढ़ाने की मंजूरी के किसी भी प्रस्ताव पर सामान्यत: विचार नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में भी गैर-वैज्ञानिक/गैर-तकनीकी पदों में 60 वर्ष की आयु तक और वैज्ञानिक/तकनीकी पदों में 62 वर्ष की आयु तक वृद्धि की जा सकती है । सेवा में वृद्धि की मंजूरी के लिए अभिभावी विचार यह होता है कि वह स्पष्ट रूप से लोकहित में होनी चाहिए। सेवा अवधि बढ़ाने की मंजूरी के सम्बन्ध में प्रत्येक प्रस्ताव पर पर्याप्त उच्च स्तर पर विचार करने के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की गई है । श्रेणी-I/श्रेणी-II अधिकारियों की 60 वर्ष की आयु से आगे सेवा में वृद्धि के प्रस्ताव की मंजूरी के लिए, कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग की सहमति लेनी भी आवश्यक होती है । इस प्रकार सेवा अवधि बढ़ाने की मंजूरी के एक एक व्यक्तिगत मामले पर, स्वीकृति दिए जाने से पूर्व, उसकी पूर्णतया जांच की जाती है ।

मंत्रियों को दिए गए सुरक्षिगण

2287. **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रियों को वैयक्तित्व अंग रक्षक और उनके निवास स्थानों पर सुरक्षि-गण दिये गए हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक मंत्री के अंगरक्षकों और उनके निवास स्थान के सुरक्षिगणों की संख्या क्या है; और

(ग) पिछले दो वित्तीय वर्षों में उन पर कितना वार्षिक व्यय हुआ और इस वित्तीय वर्ष में दिसम्बर, 1972 तक कितना व्यय हुआ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) सभी मंत्रियों को अंग रक्षक दिये गये हैं किन्तु केवल आठ मंत्रियों को उनके निवास स्थानों पर सुरक्षिगण दिये गये हैं ।

(ख) एक विवरण संलग्न है । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एच० टी०-4411/73]

(ग) 1970-71—5,71,302.93 रुपये

1971-72—13,50,218.72 रुपये

1-4-72 से — 11,60,010.92 रुपये

31-12-72 तक

(इस में केन्द्रीय वित्त मंत्री के निवास स्थान पर सुरक्षिगणों का व्यय सम्मिलित नहीं है)

संयुक्त क्षेत्र के अंतर्गत 'टिस्को'

2288. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री औद्योगिक विकास तथा पूंजी निवेश सम्बन्धी नीति सम्बन्धी टाटा के ज्ञापन के बारे में 15 नवम्बर, 1972 के तारांकित प्रश्न सं० 50 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन मुख्य बातों को स्वीकार कर लिया है जिन पर संयुक्त क्षेत्र के सम्बन्ध में टाटा के ज्ञापन में बल दिया गया है, और

(ख) यदि हां, तो क्या, टिस्को को संयुक्त क्षेत्र में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) :

(क) संयुक्त क्षेत्र के बारे में सरकार की नीति दिनांक 2 फरवरी, 1973 के प्रेस-नोट के पैरा 10 और 11 में दी गई है जिसकी प्रतियां 21 फरवरी, 1973 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 281 के उत्तर में संलग्न कर दी गई थीं।

(ख) इस समय टिस्कों के विद्यमान इस्पात संयंत्र को संयुक्त क्षेत्र में लाने का कोई विचार नहीं है।

समस्तीपुर (बिहार) स्थित ठाकुर पेपर मिल्स को पुनः चालू करना

2289. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री ठाकुर पेपर मिल्स, समस्तीपुर बिहार को पुन : चालू करने के बारे में 6 दिसम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न सं० 3388 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समस्तीपुर स्थित ठाकुर पेपर मिल्स को चलाने के लिए इस बीच कोई उपयुक्त पार्टी मिल गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जा रहें हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) :

(क) से (ग) :इसको शीघ्रता से पुनः चालू करने के उद्देश्य से मिल के बेचने/पट्टे पर देने के लिए बिहार सरकार बहुत सी पार्टियों के साथ बातचीत कर रही है। अभी तक अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है।

संगणक सूचना पद्धति में लाइसेंसों और आशयपत्रों की क्रियान्विति का पुनर्विलोकन

2290. **श्री भोखेन्द्र झा** : क्या **औद्योगिक विभाग** मंत्री लाइसेंसों/आशयपत्रों के प्रयोग के बारे में 6 दिसम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न सं० 3350 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संगणक सूचना पद्धति से लाइसेंसों और आशयपत्रों की क्रियान्विति के लिए केन्द्रीय-कृत पुनर्विलोकन पद्धति को इस बीच लागू कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकलें हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसको लागू करने की समय सूची क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्)

(क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) आशयपत्रों/औद्योगिक लाइसेंसों को कार्यान्वित करने के बारे में जांच करने की योजना को तकनीकी विकास महानिदेशालय में स्थापित की जा रही संगणक सूचना पद्धति के साथ समन्वित करने का विचार है ।

ब्रिटेन के अनुसंधान और विकास कार्यक्रम का भारत के उद्योग के लिए संगत होना

2291. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :**
श्री पी० गंगा देव :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन और भारत के विशेषज्ञों की एक संयुक्त समिति ने ब्रिटेन के अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों का पन्द्रह दिवसीय सर्वेक्षण पूरा कर लिया है जो भारत के उद्योग के लिए संगत है;

(ख) क्या उक्त समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि भारत ब्रिटेन की अनुसंगी कम्पनीयों को भारतीय प्रोद्योगिकी के लिए ब्रिटेन के अनुसंधान और विकास के लाभों के प्रारम्भिक माध्यम के रूप में कार्य करना चाहिए और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या उक्त समिति के भारतीय सदस्यों ने यह बतलाया है कि ब्रिटेन के अनुसंधान और विकास कार्यक्रम समूचे रूप से भारत पर लागू नहीं हो सकते और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) :

(क) से (ग) :—सम्भवत: माननीय सदस्य का आशय हाल में भारत में आये इण्डो-ब्रिटिश प्रौद्योगिकी ग्रुप के अनुसंधान तथा विकास सब-ग्रुप संबंधी ब्रिटिश दल से है । इस सब-ग्रुप का गठन इण्डो-ब्रिटिश प्रौद्योगिकी दल की नई दिल्ली में 2 से 4 मार्च, 1972 तक हुई तीसरी बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसार किया गया था । सब-ग्रुप को भारत स्थित ब्रिटिश सहायक कंपनियों के अनुसंधान और विकास कार्यों का अधिक गहनता मे अध्ययन करके इण्डो-ब्रिटिश प्रौद्योगिकीय दल की दूसरी बैठक को रिपोर्ट देने का कार्य पूरा करना था ।

ब्रिटिश दल ने कुछ महत्वपूर्ण कंपनियों (ब्रिटिश सहायक कंपनियों तथा अन्य) द्वारा संचालित अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठानों तथा भारत के विभिन्न भागों में स्थित अनुसंधान संस्थानों का जनवरी-फरवरी, 1973 में निरीक्षण किया । उनके निरीक्षण के बाद नई

दिल्ली में सबग्रुपों में विचार विमर्श किया गया था तथा इण्डो-ब्रिटिश प्रौद्योगिकीय दल की अगली बैठक में विचारार्थ के लिए उनके द्वारा एक संयुक्त रिपोर्ट तैयार की गई। इस संबंध में संभावनाओं संबंधी अंतिम निर्णय इण्डो-ब्रिटिश प्रौद्योगिकीय दल द्वारा लिया जायेगा।

उत्तर प्रदेश के नैनीताल जिले में चीन्नी ब्लाक की हरिजन महिलाओं के साथ छेड़छाड़

2292. **श्री प्रसन्न भाई मेहता**
श्री पी गंगा देव: } : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नैनीताल जिले (उत्तर प्रदेश) के चिन्नी ब्लाक के लगभग 250 हरिजन परिवारों पर 4 जनवरी, 1973 को पुलिस ने आंतक फैलाया था, यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या पुलिस ने चिन्नी की हरिजन महिलाओं के साथ मनमाने ढंग से छेड़छाड़ की थी, और

(ग) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने इन घटनाओं की कोई जांच की है, और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) :

(क) तथा (ख) : उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 3 दिसम्बर, 1972 को पिथौरागढ़ से भूमिहीन हरिजन होने का दावा करने वाले लगभग 150 व्यक्तियों ने जिला नैनीताल के टनकपुर क्षेत्र में लगभग 10 हेक्टर सरकारी वन भूमि पर बलपूर्वक कब्जा कर लिया। 10 दिसम्बर, 1972 को जब वन विभाग के अधिकारियों ने अतिक्रमण-कारियों को पेड़ काटने तथा भूमि पर हल चलाने से रोकने का प्रयत्न किया तो लाठियों, कुल्हाड़ों इत्यादि से लैस लगभग 250 व्यक्तियों द्वारा उन पर आक्रमण किया गया। सब-डिवीजनल अधिकारी वन विभाग और कुछ वन व पुलिस अधिकारियों को घेर लिया गया और उनको ड्यूटी करने से रोका गया। सब-डिवीजनल अधिकारी द्वारा लिखाई गई एक शिकायत पर पुलिस द्वारा इस घटना पर एक मामला दर्ज किया गया। 11 दिसम्बर को परगना अधिकारी, तराई, पुलिस के साथ घटनास्थल पर गये और अतिक्रमणकारियों को कानून अपने हाथों में न लेने की चेतावनी दी। इस पर अतिक्रमणकारियों द्वारा वन भूमि खाली कर दी गई और अपने सामान के साथ स्थान छोड़ दिया। पुलिस ने पहले दर्ज किये गये मामले के सम्बन्ध में अतिक्रमणकारियों के दो नेताओं को गिरफ्तार किया। इन गिरफ्तारियों के विरोध में 11 दिसम्बर की रात्रि को लगभग 250 व्यक्तियों द्वारा टनकपुर पुलिस थाने के बाहर एक प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने ईटों व छड़ियों से पुलिस कर्मचारियों पर आक्रमण किया। पुलिस ने आत्म-रक्षा में और पुलिस थाने को बचाने के लिए एक हल्का लाठी चार्ज किया। इस घटना पर एक मामला चलाया गया और आठ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये।

(ग) जी नहीं, श्री मान्।

अनाज और दालों की फसल के बाद की प्रौद्योगिकी के बारे में राष्ट्रीय गोष्ठी

2293. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :**

श्री पी० गंगा देव

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वह "अनाज और दालों की फसल के बाद की प्रौद्योगिकी" के बारे में तीन-दिवसीय राष्ट्रीय गोष्ठी में उपस्थित हुए थे;

(ख) यदि हां, तो किन-किन एजेन्सियों ने उक्त गोष्ठी आयोजित की थी;

(ग) विभिन्न अनुसंधान संस्थाओं के कुल कितने विशेषज्ञों ने उक्त गोष्ठी में भाग लिया था; और

(घ) उक्त गोष्ठी में किन किन विषयों पर चर्चा हुई और क्या क्या निर्णय किये गये ।

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) गोष्ठी का उद्घाटन माननीय औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा दिनांक 21 दिसम्बर, 1972 को किया गया था।

(ख) यह गोष्ठी भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् तथा भारत का खाद्य निगम द्वारा आयोजित की गयी थी ।

(ग) 130 विशेषज्ञ ।

(घ) ऐसे विषय जैसे कटाई, विपणन, शुष्कीकरण, वेष्टन, घोटये अनाज का उपयोग, यातायात, संचयन, पीसना तथा पकाने की प्रौद्योगिकी, उपोत्पाद का उपयोग, स्वास्थ्य-व्यवस्था, जीव विष, स्तर नियन्त्रण, प्रदूषण तथा चारा निर्माण, पर विचार-विमर्श किया गया था । इस विचार-विमर्श के फल-स्वरूप कार्यकलाप योजना की जो मुख्य आकृति प्रतिलक्षित हुई, वह निम्न प्रकार है :

फसल के दौरान झरने से हानि

यह हानि 5 से 15 प्रतिशत के बीच, अनाज के शुष्कीकरण के अनुपात में होती है । अनाज जितना सूखा होगा हानि उतनी अधिक होगी । विभिन्न अनाजों के लिये कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा हाथ या मशीनों से फसल के अवसर पर आवश्यक इष्टतम आर्द्रता निश्चय करने के साथ फसल के लिए रंग-विकास के समतुल्य आर्द्रता स्तर का निर्धारण करने के लिए सुगम उपायों का विकास किया जायेगा । अनाज के सूखने की स्थिति में जल-छिड़काव जैसी प्राविधियों का संवीक्षण तथा मानकीकरण किया जायेगा । प्रत्येक फसल के पूर्व अपनाने योग्य विधि की सूचना व्यापक रूप से दी जायेगी । भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् इस कार्य में सहयोग देगा ।

2. यह आवश्यक है कि बाजारों में सही स्तर तथा परिमाण-मूल्यांकन निर्धारित करने के साथ मूल्य के भुगतान का मार्ग-दर्शन किया जाय । सुविधाओं की कमी तथा यथार्थता में संदेह होने की दशा में झगड़े होते हैं । नई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यह सुझाव दिया गया है कि विपणन सूचकांकों की वृद्धि के साथ मूल्यांकन कार्य को वैयक्तिक निर्णय से मुक्त रखा जाय । सरकार को इन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बाजारों का संयोजन करना चाहिए ।

3. अनाज का शीघ्र शुष्कीकरण करना आवश्यक है ताकि इसे विषाक्त होने से बचाने के अतिरिक्त श्वसन से घटने वाली हानि को रोका जा सके । इस संबंध में नमक-मिश्रण जैसे रासायनिक-प्रयोग का उपयोग आवश्यक है । सिफारिशों को अन्तिम रूप देने के उद्देश्य से शीघ्र ही भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा राष्ट्रीय बीज निगम तथा भारत का खाद्य निगम के सहयोग से कुछ परीक्षणों का संयोजन किया जायेगा । जैव अपोशष्टों के उपयोग से जिनका प्रयोग उपस्थित ईंधन के रूप में हो रहा है, यांत्रिक

ड्रायरों, अधिमानतया "पोर्टेबल ड्रायरों" में, फार्मों, बाजार तथा भण्डारों में प्रयोग के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, भारत का खाद्य निगम तथा कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा निश्चित किये गये परिवर्तनों के साथ अभिवृद्धि की जायेगी। सौर ऊर्जा द्वारा शुष्कीकरण के प्रयोग को सघन किया जायेगा।

4. आगामी रबी की फसल के दौरान उद्योग, केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा फार्मों में अच्छे संचयन के लिये आवश्यक निवेशों को जुटाने की दृष्टिकोण से एक संगठित प्रयत्न किया जायेगा। उचित मूल्यों में आवश्यक निवेशों की सुगमता से उपलब्धि का निर्धारण करने के उपरांत वे आवश्यक साहित्य का निर्माण तथा उसका वितरण भी करेंगे।

5. आधुनिक चावल मिलों की स्थापना के लिए जो अधिकतम वित्तीय परिव्यय संबंधी मूल धारणा है उसे दूर करने के लिये पर्याप्त जानकारी दी जायेगी। चावल की सारी पैदावार को आधुनिक मिलों में संभालने के लिए सरकार द्वारा एक समयानुकूल कार्यक्रम का निर्माण किया जायेगा जिससे चावल के अधिकतम उत्पादन के साथ पोषक उपोत्पादों का उत्पादन भी हो सके।

6. केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान तथा भारत का खाद्य निगम द्वारा प्रदर्शन केन्द्र स्थापित किये जाएंगे, जहां घटिये अनाज तथा असामयिक वर्षा से क्षति-ग्रस्त अनाज के उपयोगों की वृद्धि के लिये मुक्काकरण (पौलंग) के प्रयोग का प्रदर्शन किया जायेगा।

7. भारत का खाद्य निगम तथा राष्ट्रीय पोषण संस्थान द्वारा एक संयंत्र-स्तर पर केसरी दल के हेतु विकसित निर्जीवविषीकरण विधि का प्रयोग किया जायेगा ताकि इस प्रोटीन सम्पन्न खाद्य द्वारा मध्यप्रदेश के आदिम जाति के लोगों में हो रही महान हानि को रोका जा सके।

8. कुछ अनाजों के उपोत्पाद खाद्य के सम्पन्न स्त्रोंत होते हैं। लेकिन इनमें मिश्रण अथवा संसाधन करने की आवश्यकता होती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय पोषण संस्थान तथा भारत का खाद्य निगम से इनकी उपलब्धि तथा इनके उपयोग के उपायों पर एक प्रतिवेदन तैयार करने का अनुरोध किया जाता है ताकि इनसे अधिकतम लाभ उपलब्ध किया जा सके।

9. निर्माता तथा उपभोक्ता की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्तर मानक एक ऐसा विषय है जिसका सभी पहलुओं से पुनर्विलोकन करना आवश्यक है। भारतीय मानक संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् तथा भारत का खाद्य निगम से अनुरोध किया जाता है कि वे ऐसे पुनर्विलोकन कार्य को सम्भालें तथा स्वीकार्य मानकों के विकास के लिए कार्य प्रारम्भ करें।

पांचवी योजना के लिए उड़ीसा द्वारा माँगी गई वित्तीय सहायता

2294. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए उड़ीसा सरकार ने कितनी वित्तीय सहायता, अर्थात् ऋण और अनुदान मांगा है; और

(ख) केन्द्रीय सरकार का विचार कितनी राशि देने का है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) योजना आयोग को अभी तक उड़ीसा सरकार से पांचवीं योजना के बारे में कोई भी औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं। किन्तु उड़ीसा सरकार ने पांचवीं योजना के प्रति दृष्टिकोण नामक दस्तावेज में पांचवीं योजना के लिए मिलने वाली

केन्द्रीय सहायता का अनुमान 582 करोड़ रुपये लगाया है। परन्तु उसमें यह नहीं बताया है कि इस राशि में से कितनी ऋण के रूप में और कितनी अनुदान के रूप में होगी।

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा पांचवीं पंचवर्षीय योजना के लिए राज्यों के मध्य केन्द्रीय सहायता के आबंटन पर अभी विचार किया जाना है।

कटक से टेलीप्रिंटर सेवा को अन्यत्र ले जाना

2295. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कटक से टेलीप्रिंटर सेवा को अन्यत्र ले जाने के क्या कारण हैं और

(ख) लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कटक में कौन-सी वैकल्पिक सेवाओं की व्यवस्था की गई है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) टेलीप्रिंटर सेवा कटक से अन्यत्र नहीं ले जाई गई है। कटक टेलेक्स एक्सचेंज के अतिरिक्त सी० टी० ओ० कटक में 12 टेलीप्रिंटर सर्किट काम कर रहे हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पोस्टल डिवीजनों के लिए जीपों की व्यवस्था

2296. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने देश के किन-किन पोस्टल डिवीजनों के लिए जीपें प्रदान की हैं,

(ख) क्या देश में ऐसे भी पोस्टल डिवीजन हैं जिन्हें जीपों की आवश्यकता है परन्तु उन्हें अभी तक जीपें नहीं दी गई हैं, और

(ग) यदि हां, तो उन डिवीजनों को जीपें कब तक दे दी जायेंगी ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) सरकार ने सात डाक डिवीजनों में जीपें दी हैं। इन के नाम हैं, उत्तर पूर्वी सर्किल में नागालैंड, मिजोराम और त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश सर्किल में पौड़ी और अलमोड़ा, पंजाब सर्किल में शिमला, और उड़ीसा सर्किल में बरहामपुर :

(ख) पहाड़ी इलाकों और पिछड़े इलाकों में डाक डिवीजन हैं लेकिन वहां यातायात की सुविधाएं काफी नहीं समझी जातीं। इन डिवीजनों के लिए जीपें देने का प्रस्ताव रखा गया है।

(ग) मामलों की जांच चल रही है। आशा है कि इन्हें शीघ्र ही अन्तिम रूप दे दिया जाएगा।

लम्बी दूरी वाले सार्वजनिक टेलीफूनों को एस० ए० एक्स० एक्सचेंन्जों के साथ सम्बद्ध करना

2297. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्णय किया है कि लम्बी दूरी वाले सार्वजनिक टेलीफोनों को भविष्य में छोटे एस० ए० एक्स० एक्सचेजों के साथ सम्बद्ध करके स्थापित नहीं किया जायेगा :

(ख) यदि हां, तो यह निर्णय किस तारीख को किया गया था और

(ग) इस निर्णय का देश के पिछड़े ग्रामीण तथा पर्वतीय क्षेत्रों में नए सार्वजनिक टेलीफोनों के खोलने पर क्या प्रभाव पड़ा है?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) इस तरह का कोई प्रतिबंध नहीं रखा गया है। लम्बी दूरी के पी० सी० ओ० कनेक्शन खोलते समय सिर्फ यही शर्त पूरी करनी होती है कि यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि ट्रंक काल सुनते समय कम से कम निर्धारित मानक के मुताबिक आवाज सुनाई दे।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

पर्वतीय क्षेत्रों के खण्ड मुख्यालयों में प्राथमिकता के आधार पर सार्वाजनिक टेलोफोन

2298. **श्री नारायण चन्द्र पाराशर:** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सार्वजनिक टेलीफोन लगाने के लिए सामुदायिक विकास खंड मुख्यालयों को श्रेणी केन्द्र (केटेगरी स्टेशन्स) बनाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर कोई निर्णय किया गया है : और

(ख) यदि हां, तो क्या पांचवीं पंजवर्षीय योजना में पिछड़े और पर्वतीय क्षेत्रों के खंड मुख्यालयों को सार्वजनिक टेलीफोन की मंजूरी देने और खोलने के मामले में प्राथमिकता दी जाएगी।

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान घाटा उठाकर सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के लिए सामुदायिक विकास खंड मुख्यालयों को कैटेगरी स्टेशनों की सूची में शामिल करने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

चम्बा स्थित उपडाकघर का दर्जा बढ़ाना

2299. **श्री नारायण चन्द पाराशर:** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चंबा स्थित उप डाकघर का दर्जा बढ़ाकर उसे प्रधान डाकघर बनाने का कोई प्रस्ताव है, और

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक किया जायेगा?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) :-(क) फिलहाल इस तरह का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) पंजाब सर्किल के पोस्टमास्टर जनरल से कहा गया है कि वे चम्बा के डाकघर का दर्जा बढ़ा कर इसे मुख्य डाकघर बनाने के औचित्य की जांच करें। उनकी रिपोर्ट आ जाने पर प्रस्ताव की आगे जांच की जायेगी।

पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारों की गारन्टी के साथ डाकघरों, मिले-जुले कार्यालय कम्बाइन्ड आफिसेज और सार्वजनिक टेलीफोनों की व्यवस्था

2300. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) **किन-किन स्थानों** के लिए पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारों ने वर्ष 1971 और 1972 के दौरान डाकघर, मिले-जुले कार्यालय और सार्वजनिक टेलीफोन स्थापित करने के लिए किराए और गारंटी की शर्तों की पेशकश की है, और

(ख) ये कार्यालय किन-किन स्थानों पर किन-किन तारीखों से खोले गए हैं?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) कैलेंडर वर्ष 1971 और 1972 के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार ने 9 डाकघर खोलने के लिए चंदे के तौर पर रकम जमा करा देने की पेशकश की है और 3 डाक-तार घर/सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के लिए किराये और गारंण्टी की शर्तें मंजूर की हैं। इनके ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

वर्ष	उन डाकघरों के नाम जिनके लिए चंदे के तौर पर रकम जमा कराने की पेशकश की गई है	उन डाक-तारघरों सार्वजनिक टेलीफोन घरों के नाम जिन के लिए किराया और गारंटी की शर्तें स्वीकार की गई हैं।
1971	करुआना विभागेतर शाखा डाकघर	1. निथार सार्वजनिक टेलीफोन-घर। 2. सुखीबैन सार्वजनिक टेलीफोन घर/डाक-तारघर
1972	1. मंझू विभागेतर शाखा डाकघर	1. नैना देवी सार्वजनिक टेलीफोन-घर/डाक-तारघर
	2. चनौथा विभागेतर शाखा डाकघर।	
	3. भरारी विभागेतर शाखा डाकघर।	
	4. बाजौल विभागेतर शाखा डाकघर।	
	5. देओल विभागेतर शाखा डाकघर।	
	6. सेरी विभागेतर शाखा डाकघर।	
	7. बड़गांव विभागेतर शाखा डाकघर।	
	8. रेनुह कोठी विभागेतर शाखा डाकघर।	

पंजाब और हरियाणा राज्य सरकारों ने वर्ष 1971 और 1972 के दौरान ऐसी कोई शर्तें मंजूर करने की पेशकश नहीं की।

(ख) मंझू विभागेतर शाखा डाक घर और नैना देवी सार्वजनिक टेलीफोन घर को छोड़ कर ऊपर (क) में उल्लिखित स्थानों में सभी डाकघर/सार्वजनिक टेलीफोनघर डाक-तारघर खोल दिये हैं। जिन तारीखों में ये कार्यालय खोले गये हैं, उन की तारीखें नीचे लिखी हैं :—

डाकघर	खोले जाने की तारीख
करुआना विभागेतर शाखा डाकघर	25-6-1971
चनौथ विभागेतर शाखा डाकघर	15-8-1972
भरारी विभागेतर शांखा डाकघर	15-8-1972
बाजौल विभागेतर शाखा डाकघर	15-8-1972
देओल विभागेतर शाखा डाकघर	15-8-1972
सेरी विभागेतर शाखा डाकघर	15-8-1972
बड़गांव विभागेतर शाखा डाकघर	15-8-1972
रेनुह कोठी विभागेतर शाखा डाकघर	15-8-1972
सार्वजनिक टेलीफोनघर और डाकघर-तारघर	**खोले जाने की तारीख**
निथार सार्वजनिक टेलीफोनघर	5-12-1972
सुखीबेन सार्वजनिक टेलीफोनघर/डाक-तारघर	4-3-1972

Nudity in Advertisements

2301. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether photographs of women are misused in advertisements and there is a tendency to encourage nudity in advertisements ;

(b) whether the President of the Central Committee of the Nari Raksha Samiti has complained to Government about the misuse of photographs of women in the advertisements ; and

(c) if so, the concrete steps taken by Government to check it ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) :

(a) : Nude pictures are not published in advertisements. Visuals of women used in certain advertisements could be regarded as indecent and provocative.

(b) Yes, Sir.

(c) Appeals have been made to the newspaper industry to desist from publishing such advertisements. Punitive action is to be taken by the authorities under the State Government concerned.

Expenditure incurred on Kavi Sammelan and Mushaira organised on Republic Day

2302. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the amount of expenditure incurred on the Kavi Sammelan and Mushaira organised on the occasion of the Republic Day in Delhi this year, separately ;

(b) whether these functions provide enjoyment to only a small number of intellectuals and not to the common people ; and

(c) if so, Government's reaction thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) : (a) The Kavi Sammelan and Mushaira held on the occasion of Republic Day this year was not organised by AIR. AIR, however, organised a Sarvabhasa Kavi Sammelan (a multilingual symposium of Poets) on the eve of Republic Day, which provides the basis for a nation-wide broadcast programme. The expenditure incurred on this by AIR, Delhi, was Rs. 10,858'·44P.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

शिक्षित बेरोजगारों के लिये रोजगार

2303. **श्री बयालार रवि** :

श्री ओंकार लाल बैरवा : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1972 के अन्त तक शिक्षित बेरोजगारों का राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(ख) 1973-74 में रोजगार के अवसर बनाने के लिए सरकार का विचार कुल कितनी धनराशि व्यय करने का है और इसका राज्यवार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस उद्देश्य के लिए 1972-73 के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों का अपना अपना आबंटन तथा व्यय कितना है ?

योजना मन्त्रालय मे राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) : एक विवरण सभा-पटल पर प्रस्तुत है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये सं०एल०टी०—4412/73]

थुम्बा स्थित अन्तरिक्ष अनुसंधान केन्द्र के एक अधिकारी के मकान पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा छापा मारा जाना

2304. **श्री वयालार रवि** : क्या **अन्तरिक्ष** मंत्री थुम्बा स्थित अन्तरिक्ष अनुसंधान केन्द्र के एक अधिकारी के मकान पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा छापा मारे जाने के बारे में 6 दिसम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3316 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच मामले की जांच पूरी कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं और उस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

प्रधान मंत्री परमाणु उर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जांच पड़ताल संबंधी रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Selection of Land for Auto-Telephone Exchange in Gaya District

2305. **Shri Ishwar Chaudhry** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :—

(a) whether land has been selected for Auto-Telephone Exchange which is to be constructed in Gaya District of Bihar ; and

(b) if so, the time by which the said exchange would start functioning ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) The land acquired in 1968 and paid for has not been taken over by the Department. The owner filed a suit in the court and obtained stay order against any construction in the site. No other suitable site is available for acquisition.

(b) The programme for the Auto Exchange can be finalised only after land is acquired and taken over.

Rape of Tribal Girls in Gonda, Uttar Pradesh

2306. Shri Ishwar Chaudhary
Shri Chhatrapati Ambesh }: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item appearing in "The Navbharat Times" dated the 4th February, 1973 regarding the rape of tribal girls in Gonda (U.P.) ; and

(b) if so, the action taken against the culprits ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) Yes, Sir.

(b) Facts are being ascertained from the State Government.

डाक तथा तार कर्मचारियों के क्वार्टरों के लिए चौथी योजना में धन का नियतन

2307. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक तथा तार कर्मचारियों के लिए क्वार्टर बनाने हेतु चौथी योजना में कुल कितने धन का नियतन किया गया है ;

(ख) अब तक इसमें से कितना धन व्यय किया जा चुका है और कितने मकान बनाए गए हैं ; और

(ग) पांचवीं योजना के दौरान और कितने मकान बनाए जाएंगे और इस संबंध में कुल कितना व्यय होगा ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) चौथी पंचवर्षीय योजना में डाक-तार कर्मचारियों के लिए क्वार्टर बनवाने के लिए 13 करोड़ 50 लाख रुपयों की रकम की व्यवस्था की गई है।

(ख) अभी तक करीब 7 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और लगभग 3400 क्वार्टर बनकर तैयार हो गए हैं। 3000 क्वार्टरों का निर्माण-कार्य चल रहा है, जोकि वर्ष 1973-74 के अन्त तक तैयार हो जाएंगे ।

(ग) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में 60,000 क्वाटर बनाने का प्रस्ताव है। अभी यह योजना स्वीकृत नहीं हुई है ।

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र

2308. **श्री एस० ए० मुरुगन्नन्तम :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के पर्वतीय क्षेत्र के निवासियों की यह धारणा है कि प्रशासनिक, शैक्षणिक और आर्थिक क्षेत्रों में उनकी उपेक्षा की जाती है;

(ख) क्या इन लोगों के मन में धीरे धीरे यह भावना पनप रही है कि इन क्षेत्रों के लिए अलग राज्य बनने मात्र से ही उनकी समस्याओं का समाधान हो सकता है; और

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार इन क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष सावधानी बरतना चाहती है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग). उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों सहित कुछ क्षेत्रों में जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुये हैं किसी समय ऐसी भावना थी कि यदि ऐसे क्षेत्रों के अलग राज्य बनाये जायें तो उनकी विकास की आवश्यकताओं पर अधिक ध्यान दिया जायगा और उनका पिछड़ापन दूर हो जायगा। सरकार का सदैव यह दृष्टिकोण रहा है कि आर्थिक विकास में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना एक ऐसा विषय है जो राज्य सरकारों द्वारा योजना की व्यवस्था से हल किया जा सकता है और अलग राज्यों का निर्माण इस समस्या का समाधान नहीं है।

Annual Plan for M. P. for 1973-74.

2309. **Shri Shrikrishan Agarwal** : Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) whether the Madhya Pradesh Government have submitted their Annual Plan for the year 1973-74 to the Central Government ;

(b) if so, whether the Central Government have accepted it ; if so, the outlines thereof ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) : (a) and (b). The Government of Madhya Pradesh submitted their Annual Plan 1973-74 proposals amounting to Rs. 145·72 crores which have been approved by the Planning Commission. A Statement showing the sector-wise distribution of the approved outlay of Rs. 145·72 crores is laid on the Table of the House [*Placed in the Library. See No. Lt*-4413/73]

(c) Does not arise.

पांचवीं योजना में सिरेमिक उपकरणों की मांग

2310. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं योजना में सिरेमिक उपकरणों के आयात के लिए 3 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है ;

(ख) क्या देशी सिरेमिक उद्योग पांचवीं योजना अवधि के सिरेमिक उपकरण संबंधी मांग को पूरा करने की स्थिति में है, यदि हां तो सिरेमिक उपकरणों के आयात के लिए पांचवीं योजना में इस व्यवस्था के करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इस संबंध में सिरेमिक उद्योग से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, और यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रोद्यौगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी नहीं। इस उद्योग के लिए पांचवीं योजना में व्यवस्था पर अभी अन्तिम निर्णय किया जाना है।

(ख) जी, हां। केवल कुछ अत्यन्त सूक्ष्म प्रकार की वस्तुओं को छोड़कर जिनका आयात करना पड़ सकता है।

(ग) कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और उनकी जांच की जा रही है।

आन्ध्र प्रदेश में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस को तैनात करना

2311. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में हाल ही में हुए दंगों के संबंध में वहां केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस तैनात की गई है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी कम्पनियों को तैनात किया गया और उसमें कितने पुलिस कर्मचारी थे ;

(ग) क्या राज्य सरकार के अनुरोध पर आन्ध्र प्रदेश में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस भेजी गई थी, यदि हां तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं, और

(घ) गत तीन महीनों के दौरान आन्ध्र प्रदेश में केन्द्रीय रिजव पुलिस तैनात करने पर कुल कितना व्यय हुआ ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री फखरुद्दीन मोहसिन) : (क) से (ग). आन्ध्र प्रदेश सरकार के अनुरोध पर केन्द्रीय रिजर्व की पुलिस की 77 कम्पनियां जिनमें 9560 कर्मचारी हैं राज्य में तैनात की गई हैं।

(घ) 1-3-73 से पूर्व के गत तीन महीनों के दौरान लगभग 90,24,500 रुपया व्यय हुआ है। इसमें राशन वहन पर किया गया व्यय सम्मिलित नहीं है।

मारूति लि० के निदेशकों को जारी किए गए लाइसेंस

2312. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान हरियाणा राज्य में रजिस्टर्ड छोटी कार बनाने वाले फर्म मारूति लिमिटेड कम्पनी के प्रत्येक निदेशक को प्रत्येक वर्ग के कुल कितने लाइसेंस जारी किए गए ; और

(ख) और इस प्रकार जारी किए गए लाइसेंसों की मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रोद्यौगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) मारुति लिमिटेड के किसी निदेशक के लिए कोई औद्योगिक लाइसेंस नहीं दिया गया है। किन्तु 1970 और 1972 की अवधि में ऐसी कम्पनियों को 9 औद्योगिक लाइसेंस दिये गये हैं जिनके ये निदेशक कहे जाते हैं।

(ख) लाइसेंस, चीनी, उर्वरक, डेन्सीटाइण्ड रिकार्डिग पेपर इंजीनियरी और रासायनिक वस्तुओं, के लिए दिये गए हैं।

विदेशी मुद्रा अधिनियम उपबन्धों के कथित उल्लंघन के सम्बन्ध में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा श्री जी० डी० कोठारी के कार्यालय की तलाशी

2313. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मुद्रा अधिनियम की उपबन्धों के कथित उल्लंघन के सम्बन्ध में प्रवर्त्तन निदेशालय के कर्मचारियों द्वारा 25 जनवरी, 1973 को श्री जी० डी० कोठारी कार्यालय की काफी लम्बे समय तक तलाशी ली गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो तलाशी का क्या परिणाम निकला और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) आगे जांच-पड़तालों का कार्य प्रगति पर है।

भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ द्वारा पृष्ठ मूल्य अनुसूची पुनः लागू करने की मांग

2314. **श्री ज्योतिर्मय बसु:** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही के संविधान संशोधनों और समाचार पत्र सुधार प्रस्तावों को ध्यान में रखते हुए भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ ने पृष्ठ मूल्य अनुसूची पुनः लागू करने की मांग की है ;

(ख) क्या संघ ने यह सुझाव दिया है कि पृष्ठ मूल्य अनुसूची की संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल कर उसे सुरक्षा प्रदान की जाए; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में यदि कोई कार्रवाई गई है तो वह क्या है?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख) जी हां (ग) मामला विचाराधीन है

मैसूर में सीमेंट निर्माताओं द्वारा विनियमों का उल्लंघन

2315. **श्री के० लक्कपा:** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य में मैसर्स मैसूर सीमेंटस के विरुद्ध प्रबन्धकों द्वारा सभी औद्योगिक विनियमों का उल्लंघन किए जाने के सम्बन्ध में वर्ष 1972 में उनके मंत्रालय के पास कितनी शिकायतें आई; और

(ख) इन शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) वर्ष 1972 में कोई भी शिकायतें नहीं मिली ।

फिल्म उद्योग के सेवा निवृत्त तकनीशियनों, कलाकारों आदि की शोचनीय दशा

2316. **श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी:** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को फिल्म उद्योग के सेवा निवृत्त तकनीशियनों, कलाकारों आदि की शोचनीय दशा की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उन्हें आवास देने अथवा जीवन यापन के लिए पेंशन देने के लिए राज्य सरकार के सहयोग से एक समिति स्थापित करने के एक कार्यक्रम को हाथ में लेने पर विचार कर रही है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह): (क) तथा (ख) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव मंत्रालय के विचाराधीन नहीं हैं, तथापि संस्कृति विभाग असहाय अवस्था में पड़े सुप्रसिद्ध लेखकों, कलाकारों आदि को आर्थिक सहायता देने के लिए एक योजना चला

रहा है । 150 रुपये तक का मासिक भत्ता दिया जाता है जिसका खर्चा राज्य और केन्द्र सरकार द्वारा 1:2 के अनुपात में वहन किया जाता है। इस योजना में फिल्म कलाकार भी कवर होते हैं।

भारत-बंगला देश संयुक्त फिल्म निर्माण

2317. **श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या वाणिज्य मंत्रालय के सहयोग से इस मंत्रालय का विचार भारत-बंगला देश फिल्म डिवीजन और भारत-रूस फिल्म विभाग के सहयोग से फीचर और वाणिज्यिक फिल्में बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

सिनेमा-घरों का राष्ट्रीयकरण

2318. **श्री शशि भूषण :**
श्री एम० एस० शिवस्वामी : } : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पंजाब सरकार सिनेमा घरों का राष्ट्रीयकरण करने वाली है;

(ख) देश में अन्य कौन-कौन से राज्य सिनेमा घरों के राष्ट्रीयकरण पर विचार कर रहे हैं

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, और

(घ) क्या दिल्ली के सिनेमा-घरों का राष्ट्रीयकरण करने का कोई प्रस्ताव है, यदि हां, तो इस मामले में अन्तिम निर्णय कब तक किए जाने की सम्भावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) ऐसा पता लगा है कि पंजाब सरकार ने पजाब में सिनेमाओं का राष्ट्रीयकरण करने का सैद्धान्तिक निर्णय किया है । राज्य सरकार द्वारा विवरण तैयार किये जा रहे हैं।

(ख) किसी अन्य राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार के किसी प्रस्ताव के बारे में भारत सरकार को जानकारी नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) जी, नहीं ।

सीमेंट का उत्पादन और मांग

2319. **श्री शशि भूषण :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : तीन वर्ष बाद देश में अनुमानत: कितने सीमेंट का उत्पादन होगा तथा कितनी मांग होगी ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : तीन वर्षों के पश्चात् अर्थात् 1975-76 के अन्त तक 85 प्रतिशत की अधिष्ठापित क्षमता के आधार पर सीमेन्ट का आंका गया उत्पादन और मांग का अनुमान क्रमश: 195 लाख मी०टन तथा 222 लाख मी० टन लगाया गया है ।

दिल्ली में बिना लाइसेंस वाले रेडियो और टेलीविजन सैट

2320. **श्री शशि भूषण :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कितने रेडियो और टेलीविजन सैट पाए गए जो बिना लाइसेंस के चलाए जा रहे थे, और

(ख) ऐसे रेडियो और टेलीविजन सैटों के मालिकों के विरुद्ध क्या कार्रवाही की गई है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) :

(क)

1970		1971		1972	
रेडियो	टेलीविजन	रेडियो	टेलीविजन	रेडियो	टेलीविजन
4606	352	5124	301	4569	128

(ख) भारतीय बेतार टेलीग्राफी अधिनियम, 1933 की धारा 6 के अधीन बगैर लाइसेंस रेडियो और टेलीविजन सैट रखने वाले व्यक्ति दंडनीय हैं । जो व्यक्ति बगैर लाइसेंस के कोई रेडियो/टेलीविजन सैट रखता है, उसको लाइसेंस फीस अदा करने के अलावा निर्धारित दरों के मुताबिक सरचार्ज अदा करने के लिए भी कहा जा सकता है ।

जिन मामलों में, लाइसेंस न लेने वाला व्यक्ति लाइसेंस और सरचार्ज की रकम अदा नहीं करता, बेतार टेलीग्राफी अधिनियम, के अधीन ऐसे व्यक्ति के खिलाफ अदालती कार्रवाई की जाती है ।

दिल्ली में वर्ष 1970, 1971 और 1972 में जो सरचार्ज वसूल किया गया और जितने व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की गई, उनके ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

सरचार्ज	योग	कानूनी कार्रवाई के मामले
1970		
रेडियो — 32962.50 रु०		
	41,532.50 रु०	1
टेलीविजन — 8570.00 रु०		
1971		
रेडियो — 57027.50 रु०		
	64,572.50 रु०	129
टेलीविजन — 7545.00 रु०		
1972		
रेडियो — 46933.00 रु०		
टेलीजिन — 2852.00	49,785.00 रु०	92

भारत में अन्तर्राष्ट्रीय ब्रांड नामों का प्रयोग

2321. **श्री एम० के० कृष्णन्:** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कितने अन्तर्राष्ट्रीय ब्राड नामों का प्रयोग किया जा रहा है ;

(ख) इनमें से कितने अपनी वस्तुओं का निर्माण करते हैं ; और

(ग) कितने भारतीय निर्माताओं सहित अन्य स्त्रोतों से वस्तुओं का निर्माण करवाते हैं।

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) यह स्पष्ट नहीं है कि अन्तर्राष्ट्रीय ब्रान्ड नामों का ठीक ठीक मतलब क्या है क्योंकि यह न तो परिभाषित किया गया है और न व्यवसाय और व्यापार मार्क अधिनियम में इस प्रकार की कोई श्रेणी विशेष रूप से विद्यमान है। फिर भी, यह कथनीय है कि 1-1-73 तक ट्रेड मार्क्स रजिस्ट्री द्वारा पंजीकृत 69720 मार्कों में से 25762 ट्रेड मार्क विदेशी राष्ट्रिकों के थे।

(ख) और (ग) इसके विषय में कोई आंकड़े इक्ट्ठे नहीं किए गए हैं और न उनके बारे में ठीक ठीक जानकारी ही उपलब्ध है।

मन्नणतोडी और तेल्लीचेरी के बीच ट्रंक टेलीफोन लाईन

2322. **श्री एम० के० कृष्णन्:** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल में **मन्नणतोडी और तेल्लीचेरी के बीच ट्रंक टेलीफोन लाईन** से जोड़ने के लिए कार्यवाही करने का है, और

(ख) यदि हां तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं और इस मामले में अब तक कितनी प्रगति हुई है।

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) :(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच

2323. **श्री प्रभुदास पटेल :**
श्री पी० ए० सामिनाथन : } : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने दिसम्बर, 1972 के दौरान 115 सरकारी कर्मचारियों के मामलों की खुली जांच की थी ;

(ख) यदि हां तो कितने व्यक्ति दोषी पाये गए और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा): (क) जी हां, श्रीमान्

(ख) उनमें से केवल एक व्यक्ति के विरुद्ध जांच कार्य पूरा हुआ है और उसके विरुद्ध नियमित विभागीय कार्यवाही करने की सिफारिश की गई है ।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा रुग्न मिलों को अपने नियंत्रण में लेना

2324. **श्री फतेहसिंह गायकवाड़** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा कितनी रुग्ण मिलों को अपने नियंत्रण में ले लिया गया है ;

(ख) इनमें से कितनी मिलों को ठीक करके उनमें काम शुरू कर दिया है ;

(ग) शेष मिलें कब तक ठीक कर दी जाएंगी; और

(घ) क्या सरकार का विचार कुछ समय के बाद इन रुग्ण मिलों को विशेष शर्तों पर उनके मालिकों को लौटाने का है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम): (क) 103 कपड़ा मिलों का प्रबन्ध उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 और संकटग्रस्त कपड़ा उपक्रम (प्रबन्ध हाथ में लेना) अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत अधिकार में ले लिया गया है।

(ख) तथा (ग) अस्सी मिलें पहले से ही चल रही हैं। 16 मिलों के विषय में प्रारम्भिक कार्य शुरू कर दिया गया है । शेष सात मिलों को अभी तक वास्तविक कब्जे में नहीं लिया गया है। छः मिलों के संबंध में न्यायालय ने स्थगन आदेश दे दिया है और रिसीवर ने अभी तक एक मिल का कब्जा नहीं दिया है ।

(घ) जी, नहीं ।

तमिलनाडु में उद्योगपतियों के मकानों पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा मारे गये छापे

2325. **श्री पीलू मोदी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने हाल ही में मद्रास में और तमिल नाडू के अन्य भागों में बड़े पैमाने पर अनेक उद्योगपतियों के मकानों पर छापे मारे थे ;

(ख) उद्योगपतियों के मकानों से कितनी सामग्री अथवा साक्ष्य बरामद हुए; और

(ग) उन उद्योगपतियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा हाल ही में कुछ छापे मारे गए हैं।

(ख) बरामद किये गये रिकार्ड संवीक्षाधीन हैं।

(ग) मामलों में अभी जांच पड़ताल चल रही है।

टेलीविजन स्टाफ आर्टिस्टों के वेतनमानों और संवर्ग का पुनरीक्षण

2327. **श्री लाल जी भाई** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या उनका मंत्रालय तकनीशियनों सहित टेलीविजन स्टाफ आर्टिस्टों के वेतनमानों और संवर्ग का पुनरीक्षण करने वाली है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : **(क)** तथा **(ख)**: टेलीविजन में ठेके पर रखे गये स्टाफ के लिये एक मानक स्टाफ ढांचा निर्धारित करने का प्रश्न विचाराधीन है जिसमें फीसों का उपयुक्त ढांचा निर्धारित करना भी शामिल है।

टेलीविजन कर्मचारियों को विदेशी छात्रवृत्तियां

2328. **श्री लाल जी भाई** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में कार्यक्रम तथा तकनीकी विभाग के कर्मचारियों समेत कितने टेलीविजन कर्मचारियों को विदेशी छात्रवृत्तियां दी गई थीं;

(ख) उनमें कितनी छात्रवृत्तियों का उपयोग किया गया है; और

(ग) उनमें से कितनी व्यपगत हो गई तथा उसके क्या कारण हैं :

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : **(क)** से **(ग)** गत तीन वर्षों में विभिन्न देशों से 38 छात्रवृत्तियों के प्रस्ताव प्राप्त हुए इनमें से 27 प्रस्तावों का उपयोग किया गया है या किया जा रहा है। बाकी 11 प्रस्ताव विभिन्न कारणों से प्रयोग में नहीं लिए जा सके; मुख्यतः इसलिए कि सम्बन्धित पाठ्यक्रमों में भारत को उपलब्ध किये गये स्थान स्पोन्सर किये गये उम्मीदवारों से कम थे।

Upgradation of Katihar Post Office in Bihar

2329. Shri G. P. Yadav : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :—

(a) whether Government have under consideration any scheme to upgrade Katihar Post Office in Bihar State;

(b) if so, the time by which it would be given the status equal to that of Purnea Post Office ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) Orders for upgradation of Katihar Sub-Office into Head Office have been issued on 1-3-73.

(b) & (c) : Do not arise.

फिल्म वित्त निगम द्वारा फिल्म निर्माताओं और निदेशकों को दिये गए ऋणों को बट्टेखाते डालना

2330. **श्री ई० वी० विखे पाटिल :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री फिल्म वित्त निगम द्वारा फिल्म निर्माताओं को दिये गये ऋणों को बट्टे खाते डालने के बारे में 15 नवम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 452 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) आठ फिल्म बनाने वाले उन फिल्म निर्माताओं और निदेशकों के नाम क्या हैं जिन्होंने फिल्म वित्त निगम से इन फिल्मों के लिए 12.66 लाख रुपये का ऋण लिया था और जिसे बट्टे खाते डाल दिया गया था ;

(ख) क्या सम्बन्द्ध फिल्म निर्माताओं को ऋण देते समय कोई प्रतिभूति लिखवाया गया था; और

(ग) क्या निगम ने इस धन राशि को वसूल करने के लिए कोई प्रयत्न किया था और यदि हां, तो क्या प्रयत्न किया गया था ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) :

(क)

फिल्म का नाम क्रम संख्या	फिल्म का शीर्षक	ब्याज सहित रकम रुपयों मे
1. त्रिलोक जैटले . .	गो-दान (हिन्दी)	3,29,552.16
2. चित्र शारदा . . .	ते माझे घर (मराठी)	52,935.00
3. गजानन जागीरदार .	सुखाची सवाली (मराठी)	69,852.00
4. विदूषक . . .	घूम भांगेर गान (बंगाल)	2,01,033.65
5. जी० आर० ग्वालनी .	घरधाम (हिन्दी)	96,434.28
6. आर० आर० दवे . .	पुर्नमिलन (हिन्दी)	3,7,2587.79
7. बी० राधाकृष्ण . . .	संत तुकाराम (कन्नड़)	63,647.63
8. सदाशिव जे० रो० कवि .	बे-गाना (हिन्दी)	80,046.83
	कुल योग	12,66,089.34

(ख) फिल्म वित्त निगम के अपने नियमों तथा उप-नियमों के अनुसार फिल्म पर प्रथम अधिकार निगम का होता है जिनके अनुसार फिल्म से हुई तमाम आय निगम को जाती है।

(ग) उपर दिये गये भाग (क) में से, दो में फिल्म 'संत तुकाराम' के निर्माता श्री बी० राधाकृष्ण तथा फिल्म 'सुखाची सवाली' के निर्माता श्री गजानन जागीरदार ने निगम से समझौते के अनुसार परिशोधित राशि निगम को लौटा दी है। बाकी मामलों में, ऋण वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

फिल्म निर्माताओं और निदेशकों को ऋण देने के संबंध में फिल्म वित्त निगम के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत

2331. **श्री ई० वी० विखे पाटिल :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि फिल्म निर्माताओं और निदेशकों द्वारा ऋण हेतु दिये गये आवेदन पत्रों पर विचार करने के लिए फिल्म वित्त निगम द्वारा मार्गदर्शी सिद्धांत अपनाये गये हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : एसोसिएशन के ज्ञापन के अनुसार फिल्म वित्त निगम का मुख्य उद्देश्य अच्छी तथा उच्च स्तर की फिल्में बनाने के लिए धन देना है जिस से देश में निर्मित फिल्मों का स्तर ऊंचा हो सके। इस उद्देश्य के कारण निगम का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वह उन फिल्मों के निर्माणार्थ ऋण दे जो हमारे सिनेमा को नवजीवन देने वाली हो। यह मूलतः प्रोत्साहन सम्बन्धी कार्य है। निगम द्वारा ऋण प्रत्येक फिल्म के गुण दोषों के आधार पर स्वीकृत किए जाते हैं।

Extension of Time for Letters of Intent

2332. **Shri B. S. Chowhan :** Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) the names of applicants whose letters of intent have been extended during the last 6 months ; and

(b) the reasons of granting the extension ?

The Minister of Industrial Development and Science and Technology (Shri C. Subramaniam) :

(a) A statement is attached. (Placed in the Library. See No. L.T—4414/73).

(b) These extensions have generally been granted to enable the applicants to finalise arrangement for foreign collaboration, import of capital goods and phased manufacturing programme.

टेलीफोन के बिलों की वास्तविक राशि को अधिक दिखाने संबंधी शिकायतों की जांच करने के लिए समिति

2333. **श्री एम० एस० संजीवीराव :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीफोन के बिलों की वास्तविक राशि को अधिक दिखाने सम्बन्धी शिकायतों की जांच करने के लिए समिति गठित की गई है,

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं और इसके निदेश पद क्या होंग, और

(ग) समिति का प्रतिवेदन सरकार को कब तक दे दिया जायेगा ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां। दिल्ली टेलीफोन जिले में बिल तैयार करने की पद्धति की जांच करने के लिए एक समिति बनाई गई है।

(ख) समिति का गठन और उसके विचारणीय निम्नलिखित हैं :—

1. श्री जग प्रवेश चन्द्र, उपाध्याक्ष, दिल्ली महानगर परिषद्	अध्यक्ष
2. वायुसेना उपाध्यक्ष, के० ए० जोसेफ, पी० वी० एस० एम० आई० ए० एफ० (रिटायर्ड)।	सदस्य
3. डा० एम० जे० के० थावराज, प्रोफेसर एंड हैड आफ फाइनेन्सियल मैनेजमेंट, यूनिट इंडियन इंस्टीच्यूट आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली।	सदस्य
4. श्री डी० एफ० डी० जोशी, उप महानिदेशक (एम० एस०) डाक-तार बोर्ड, नई दिल्ली।	सदस्य
5. श्री एस० राघवाचारी, उप महानिदेशक (लेखा) डाक-तार बोर्ड, नई दिल्ली।	सदस्य
6. श्री अजय बागची, निदेशक (शिकायत) डाक-तार बोर्ड, नई दिल्ली	सदस्य सचिव

विचारणीय विषय :

(क) बिलों में मीटर की गई कालों के जो चार्ज शामिल किए जाते हैं, वे सही हों इस बात को ध्यान में रखते हुए दिल्ली टेलीफोन जिले में बिल तैयार करने की पद्धति की जांच करना।

(ख) एस० टी० डी० कालों से मीटर पर ज्यादा कालें आने के क्या कारण हैं इस बात को ध्यान में रखते हुए दिल्ली टेलीफोन जिले की उपभोक्कता ट्रंक डायलिंग प्रणाली के कार्य चलन की जांच करना।

(ग) मीटर की हुई कालों के अधिक रकम के बिल भेजने के बारे में दिल्ली टेलीफोन जिले के उपभोक्ताओं द्वारा भेजी जाने वाली शिकायतों को जांच पड़ताल की कार्य-पद्धति की जांच करना।

(घ) मीटर की हुई कालों के अधिक रकम के बिल बनने के कारणों को दूर करना और अधिक रकम के बिलों के बारे में आई शिकायतों को शीघ्र और प्रभावकारी ढंग से निपटाये जा सके इस के लिए प्रभावकारी उपायों की सिफारिश करना।

(ङ) इस समिति का गठन हो जाने के बाद दो महीने के अन्दर समिति से रिपोर्ट मांगी गई है।

खाद्य परिष्करण एककों की उपयोग में न लाई जा रही क्षमता

2334. श्री डी० डी० देसाई : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ खाद्य परिष्करण एकक क्षमता से कम पर काम कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए हैं?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, हां। कुछ महत्वपूर्ण खाद्य परिष्करण उद्योग क्षमता से नीचे कार्य कर रहे हैं :—

1. फल तथा वनस्पति उत्पाद
2. दुग्धशाला उत्पाद जैसे शिशु दुग्धाहार दुग्ध चूर्ण आदि
3. अन्न उत्पाद जैसे आटा पिसाई बिस्कुट कान्फेक्शनरी ग्लूकोज आदि।

फल तथा वनस्पति उत्पाद : कुछ फल तथा वनस्पति परिष्करण एकक विशेषकर वे निर्जलित डिहाइड्रेटेड प्याज तथा वनस्पति तैयार करते हैं। क्षमता से नीचे कार्य करते बताए गए हैं।

दुग्धशाला उत्पाद : दुग्ध उत्पादों के उत्पादन से समाज के लिए अधिक आवश्यक दूध के उपलब्ध कराने को प्राथमिकता दी जाती है। कमी के महीनों की अवधि में दूध की पर्याप्त कमी हो जाती है ? इन बातों से शिशु दुग्धाहार दुग्ध चूर्ण आदि के वर्तमान संयंत्रों में कुछ हद तक क्षमता निष्क्रय रहती है।

अन्न के उत्पाद : इस वर्गों की वस्तुओं में कुछ के विषय में क्षमता के उपयोग का सम्बन्ध मांग से तथा कच्चे माल की उपलब्धि से है। अतएव कुछ एकक क्षमता से नीचे कार्य कर रहे हैं।

(ख) बताए जाने वाले कुछ कारण ये हैं :

1. निर्जलित डिहाइड्रेटेड प्याज के अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में गिरावट
2. डिहाईड्रेटेड प्याज की स्थानीय मांग का पर्याप्त न होना।
3. सूखे की स्थिति के फलस्वरूप यह भी बताया जाता है कि आपूर्ति में कमी आई, कच्चे माल की लागत बढ़ी जिससे अन्तर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतें प्रतिस्पर्धात्मिक न रही।

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में डिहाइड्रेटेड प्याज की गिरती हुई कीमतों को दृष्टिगत रख, सरकार इस उद्योग की आवश्यक सहायता करने के उपाय खोज रही है।

2. राष्ट्रीय योजना में अधिक दूध उत्पन्न कराने की दृष्टि से अन्य बातों के साथ-साथ गहन पशु संवर्धन तथा सुधरी पशु पालन प्रक्रिया सहित एक एकीकृत कार्यक्रम अपनाया गया है।

इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज के तीसरे एकक की स्थापना का निर्णय

2335. श्री ए० के० गोपालन :
डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : } क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज के तीसरे एकक की स्थापना के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी निर्णय कब तक किया जायेगा ;

(ग) क्या केरल सरकार ने उक्त एक्क की केरल में स्थापना करने का अपना दावा प्रस्तुत करते हुए उन्हें अनेक पत्र लिखे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां, । टेलीफोन स्विचिंग उपस्कर के निर्माण के लिए रायबरेली, उत्तर प्रदेश में, एक नया कारखाना स्थापित करने का निश्चय किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) तथा (घ) केरल सरकार सहित बहुत-सी राज्य सरकारों ने, इस कारखाने को अपने राज्यों में स्थापित करने का सुझाव रखा था। भारत सरकार ने सम्बद्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस कारखाने को रायबरेली में स्थापित करने का निश्चय किया ।

पालघाट में टायर फैक्टरी की स्थापना के लिए आशय-पत्र जारी करना

2336. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **औद्योगिक विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पालघाट में टायर फैक्टरी लगाने के लिए किसी गैर-सरकारी पार्टी को अथवा केरल के एस० आई० डी० सी० को कोई आशय पत्र जारी किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी विशेष बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) : सरकार ने 25 नवम्बर, 1970 को मे० रूबी रबड़ वर्क्स लि०, रुबी नगर, चंगनाशेरी, केरल को वालयार जिला पालघाट केरल में 4 लाख आटोमोवाइल टायरों और ट्यूबों का उत्पादन करने के लिये नई आटोमोवाइल टायर फैक्टरी लगाने के लिये एक आशय पत्र जारी किया है । मे० रुबी रबड़ वर्क्स ने उन्हें प्राप्त आशय पत्र का क्रियान्वयन करने के लिये मे० अपोलो टायर्स लि० नाम की कम्पनी का गठन करके आशय पत्रों को मे० अपोलो टायर्स लि० को हस्तांतरित कर दिया है । पार्टी ने अपने लाइसेन्स के आवेदन पत्र में इस बात का उल्लेख कर दिया था कि वे 2-3 वर्ष मे इस परियोजना का क्रियान्वयन कर सकेंगे ।

वे अमरीका के मे० जनरल टायर्स के सहयोग से टायरों का उत्पादन करेंगे ।

आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों की प्रशासकीय पदों पर पदोन्नति

2337. **श्री सरोज मुखर्जी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों को प्रशासकीय पदों पर पदोन्नति के अवसर प्रदान करने के प्रश्न पर विचार कर रही है;

(ख) क्या उनके मंत्रालय को पता है कि आर्टिस्टों को आकस्मिक रूप से नियुक्त करने की वर्तमान पद्धति का सम्बद्ध कर्मचारियों की मन:स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और इससे व्यक्तिगत पक्षपात को बढ़ावा मिलता है और आकाशवाणी के नाम तथा कृत्यों पर धब्बा लगता है; और

(ग) यदि हां, तो इसका सर्वेक्षण करने के लिए क्या उपाय किए जाने हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्म वीर सिंह) : (क) जी, नही परन्तु कलाकारों को अपने संवर्ग में ऊंचे पदों पर पदोन्नति के अवसर प्राप्त हैं ।

(ख) जी, नहीं । केन्द्रों के कार्यक्रमों के लिये आकस्मिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, कलाकारों की थोड़ी अवधि के लिये कैजुअल बुकिंग की वर्तमान प्रणाली अवश्यक समझी गई है । सरकार को यह जानकारी नहीं है कि इस प्रकार की बुकिंग के परिणामस्वरूप संबंधित व्यक्तियों के उत्साह पर किसी प्रकार बुरा असर पड़ा है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

कम्प्यूटरों का निर्माण

2338. **श्री सरोज मुखर्जी :** क्या **इलैक्ट्रानिक्स** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे देश में राज्यवार अलग-अलग कितने कम्प्यूटर काम कर रहे हैं ;

(ख) सरकारी और निजी उपयोग के लिए देश में कितनी कम्पनियों कम्प्यूटरों का निर्माण कर रही हैं और प्रत्येक कम्पनी कितने कम्प्यूटरों का निर्माण कर रही है;

(ग) कम्प्यूटरों के निर्माण में ये कम्पनियां कितने-कितने प्रतिशत विदेशी और देशी सामान का उपयोग करती हैं; और

(घ) पूना स्थित इन्टरनेशनल कम्प्यूटर लिमिटेड द्वारा अपने प्रारम्भ से अब तक अन्य देशों को कम्प्यूटरों का निर्यात करके कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्रपत) : (क) इलैक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा किये गये वर्तमान सर्वेक्षण ने यह संकेत दिये हैं कि देश में 184 कम्प्यूटर हैं जैसे कि 1 जून, 1972 उनका राज्यानुसार बटवारा निम्नलिखित है :—

आसाम	3
आंध्र	13
बिहार	7
दिल्ली	24
गुजरात	10
केरल	5
मध्य प्रदेश	1
महाराष्ट्र	56
मैसूर	17
उड़ीसा	3
पंजाब	1
राजस्थान	1
तमिलनाडु	10
उत्तर प्रदेश	11
पश्चिम बंगाल	22

(ख) देश में निम्नलिखित नाम की कम्पनियाँ वर्तमान में कम्प्यटरों का निर्माण कर रही ह जैसे कि, इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद तथा इंटरनेशनल कम्प्यूटर्स लिमिटेड (द्वारा दि इंटरनेशनल कम्प्यटर्स इंडियन मैन्यूफैक्चर्रस लिमिटेड) पूना तथा बंगलौर में स्थित हैं (जहां कि भारत इलैक्ट्रानिक्स, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के लिये उप-ठेकेदार हैं) प्रत्येक कम्पनी द्वारा बनाये जाने वाले कम्प्यूटरों की संख्या सम्बन्धी सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) तथा (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

देश में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के कर्मचारियों की संख्या

2339. **श्री सरोज मुखर्जी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है तथा वर्ष 1971-72 में राज्य वार केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार ने उन उस पर कितना रुपया खर्च किया ; और

(ख) वर्ष 1971-72 में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस में कितने कर्मचारी भर्ती किये गये ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) संलग्न अनुलग्नक-1 में 1-2-73 तक राज्यबार केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की तैनाती का विवरण दिया गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०-4415/173] अनुलग्नक-II में 1971-72 के दौरान केन्द्रीय रिजर्व पुलिस पर किये गए 32,97,02,800 रुपये के व्यय में से विभिन्न राज्यों से वसूल की जाने वाली धन राशि 11,57,48,204.14 रुपये है जैसाकि अनुलग्नक II दिखाया गया है ।

(ख) 1971-72 के दौरान केन्द्रीय रिजर्व पुलिस में 12743 व्यक्ति भर्ती किए गये थे ।

अखबारी कागज संबंधी नीति का पुनरीक्षण

2341. **श्री रणबहादुर सिंह :**
श्री जी० वाई० कृष्णन : } क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने अखबारी कागज सम्बन्धी अपनी नीति का पुनरीक्षण करने का निर्णय किया है, और यदि हां, तो निर्णय की मोटी रूप रेखा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : सर्वोच्च न्यायालय के 30 अक्तूबर, 1972 के बहुमत के निर्णय को ध्यान में रखते हुए 1972-73 के लिए अखबारी कागज वितरण सम्बन्धी नीति संशोधित कर दी गई है । अखबारी कागज के लिए संशोधित नीति सार्वजनिक सूचना संख्या 22-आई० टी० सी० (पी० एन०)/73, तारीख 12 फरवरी, 1973 तथा आर्ट पेपर के लिए उसी तारीख की सार्वजनिक सूचना संख्या 23-आई० टी० सी० (पी० एन०)/73 द्वारा घोषित की जा चुकी है । इन सार्वजनिक सूचनाओं की एक एक प्रति 20 फरवरी, 1973 को लोक सभा के पटल पर रखी गई थी ।

पाकिस्तान की सीमा से लग पूर्वी राज्यों का समूहीकरण

2342. **श्री पी० वैंकटीसुब्बया : गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार से पाकिस्तान की सीमा से लगे पूर्वी राज्यों का समूहीकरण करने का अनुरोध किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया है ;

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

भूतपूर्व नरेशों को अनुग्रह-पूर्वक अदायगी

2343. **श्री पी० वैंकटासुब्बया : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह निर्णय किया गया है कि प्रत्येक भूतपूर्व नरेश को तभी अनुग्रह-पूर्वक अदायगी की जाये जब वह दी जा रही राशि लेने को राजी हो;

(ख) यदि हां, तो कब तक कितने नरेशों से अदायगी लेने को कहा गया है और कितने नरेशों ने उसे स्वीकार किया है; और

(ग) कितने प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया गया तथा उसके क्या कारण है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग) ऐसा निर्णय किया गया था किन्तु सरकार को सलाह दी गई है कि तब तक कोई अनुगृहात भुगतान न किया जाय जब तक कि दो भूतपूर्व नरेशों द्वारा संविधान (24, 25 तथा 26 वें संशोधन) अधिनियम 1971 की वैधता को चुनौती देने वाली रिट याचिका पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय ज्ञात नहीं हो जाता है ।

राष्ट्रीय एकता संवर्धन के लिए उपाय

2344. **श्री पी० वैंकटासुब्बया:** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय एकता की भावना के प्रसार के लिए गत तीन वर्षों में क्या उपाय किए गए;

(ख) उनके अब तक क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) इस दिशा में आगे क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०-4416/73]

बड़े नगरों के बीच टेलेक्स सेवा का सुधार

2345. **श्री वी० के० दास चौधरी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बड़े नगरों के बीच टेलेक्स सेवा सुधारने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मोटी रूप रेखा क्या है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) जी हां ।

(ख) मोटे तौर पर मौजूदा टेलेक्स सेवा में सुधार लाने के लिए अतिरिक्त जंक्शनें देने, टेलेक्स एक्सचेंजों की वर्तमान क्षमताओं का विस्तार करने और टेलेक्स जाल में नये टेलेक्स एक्सजेंज खोलने की योग्यताएं बनाई गई हैं । किन्तु साज-सामान और वित्त के सीमित साधन होने के कारण इन योजनाओं पर एक सीमा तक ही कार्यान्वय हो पा रहा है । आगामी वर्षों में इन योजनाओं पर उत्तरोत्तर कार्यान्वियन किया जाएगा ।

नीति निर्धारित करते समय व्यावहारिक विज्ञान को प्राथमिकता देना

2346. **श्री वनमाली पटनायक** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नीति निर्धारित करते समय व्यावहारिक विज्ञान को प्राथमिकता देने की वांछनीयता पर विचार किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ; और

(ग) इस दिशा में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) (क) से (ग). 1958 का वैज्ञानिक नीति-संकल्प, जिसमें सरकार की विज्ञान-नीति सम्मिलित है यह पूर्णतया स्पष्टीकरण करता है कि विकास प्रक्रिया में विशुद्ध तथा व्यावहारिक विज्ञान दोनों का प्रत्यक्ष सम्बन्ध है तथा इन्हें एक व्यावस्थित सहायता की आवश्यकता होती है । फिर भी इस दृष्टिकोण से कि वैज्ञानिक प्रयास के परिणाम शीघ्रता सर्व-साधारण को उपलब्ध हो सकें, "व्यवहारिक" अथवा विकास अनुसंधान पर अधिकतम बल दिया गया है, जिसकी आवश्यकता उपस्थित अधिक है । विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजना, जिसका निरुपण किया जा रहा है, इस नीति को पर्याप्त रूप से प्रतिलक्षित करेंगी ।

पम्प और बिजली के मीटरों की समस्याओं पर विचार करने के लिए समिति का गठन

2347. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में बनाए जाने वाले पम्पों और बिजली के मीटरों की समस्याओं का मौके पर जाकर अध्ययन करने के लिए एक समिति नियुक्त की है; और

(ख) यदि हां, तो इस समिति के सदस्य कौन कौन हैं और इसके कृत्य क्या हैं तथा उसका प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत किया जाएगा ।

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम): (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

छोटे उद्यमकर्ताओं को विशेष रियायतें

2348. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **औद्योगिक विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिभाषा के अनुसार लघु उद्योग वह है जिसके संयंत्र और मशीनें पर 7.5 लाख रु० से अधिक पूंजी न लगी हुई है ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अधिकांशत: छोटे उद्यमकर्ताओं में एक लाख से अधिक का निवेश करने की क्षमता नहीं है; और

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे उद्यमकर्ताओं को विशेष रियायतें देने का है जो एक लाख से अधिक का निवेश करने की क्षमता नहीं रखते ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी): (क) तथा (ख) जी, हां ।

(ग) यह सरकार के विचाराधीन है ।

लघु उद्योग क्षेत्र में बड़े पूंजीपति

2349. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **औद्योगिक विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि लघु एककों को मिलने वाली सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए बड़े पूंजीपति आपतिजनक रूप से लघु उद्योग क्षेत्र में घुस गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी): (क) और (ख) चूंकि लघु क्षेत्र के उद्योगों का पंजीकरन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है किसी भी बड़े पूंजीपति के लघु उद्योग क्षेत्र में आपतिजनक रूप से घुसने की बात का पता उन्हीं के स्तर पर लगाया जाना संभव है। फिर भी राज्य सरकारों को बता दिया गया है कि सरकार की लघु उद्योग कार्यक्रम के अधीन दी जाने वाली विशेष सहायता निम्नलिखित बातों की उपस्थिति में नहीं मिलेगी :—

(क) जहां कोई एकक किसी ऐसी कम्पनी के अधीन अथवा उसका सहकारी हो जो लघु उद्योग की परिभाषा में न आती हो ;

(ख) जहां किसी एकक की अधिकांश पूंजी एक या अनेक उन फर्मों द्वारा नियंत्रित हो जो लघु उद्योग एकक की परिभाषा में न आते हों;

(ग) जहां एकक के वित्तीय विवरण से यह स्पष्ट होता हो कि एक ही प्रबन्ध व्यवस्था के अधीन एक अथवा अधिक फर्मों की पूंजी और ऋण निधि परस्पर गुथी हुई है तथा एकक में उत्पादन के सम्बन्ध में न होकर केवल इन्हीं लेने देने के सम्बन्ध में निधि में से ऋण दिये जाते हों; अथवा

(घ) जहाँ बड़े औद्योगिक एककों अथवा धनाढ्य व्यक्तियों द्वारा एकक के लिए अग्रिम धन की गारन्टी दी गई हो।

आई० टी० आई०, बंगलौर द्वारा डिज़ाइनीकृत और निर्मित क्रास बार एक्सचेंज को इलाहाबाद में लगाया जाना

2350. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 4000 लाइनों का एक क्रास-बार स्वचालित एक्सचेंज, जिसका डिजाईन-कार्य और निर्माण कार्य-पूरी तरह इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, बंगलौर में हुआ है, इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश) में लगाया और चालू किया गया है, और .

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश के कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी और लखनऊ नगरों को कब तक इसके अन्तर्गत लिया जायेगा ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, हां।

(ख) आगामी कुछ ही महीनों में आलमबाग (लखनऊ) में 1000 लाइनों का एक क्रास-बार आटोमैटिक एक्सचेंज चालू होने की संभावना है। आशा है कि वर्ष 1973-74 पूरा होने से पहले बेनाझाबर (कानपुर) में 4000 लाइनों का एक क्रास-बार-एक्सचेंज चालू हो जाएगा। आगरा और वाराणसी की टेलीफोनों की मांगे पूरी करने के लिए स्ट्राउजर आटोमैटिक उपस्कर के साथ वहां के एक्सचेंजों की वर्तमान क्षमता बढ़ाने की योजना है। स्ट्राउजर आटोमैटिक उपस्कर का डिजाइन और उनका निर्माण भी पूरी तरह से इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज बंगलौर में ही किया जाता है। आगरा एक्सचेंज में वर्ष 1975-76 में 300 लाइनें बढ़ाई जाएंगी और 1976-77 में 300 लाइनें और जोड़ दी जाएंगी। इसी तरह वाराणसी एक्सचेंज की क्षमता में 1000 लाइने बढ़ाने का काम हो रहा है और अगले साल इसमें 2000 लाइनें और बढ़ा दी जाएंगी।

Modernisation of Textile Mills

2351. Dr. Laxminarayan Pandeya : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) the number of textile mills State-wise, which have been provided financial assistance for the purpose of modernisation and the extent of financial assistance provided to each of them; and

(b) whether the modernisation of the textile mills is likely to have any effect on the workers and result in their retrenchment?

The Minister of Industrial Development and Science and Technology (Shri C. Subramaniam) : (a) A statement giving the required information is attached. [*Placed in the Library. See No. LT—4417/73*]

(b) By and large, the modernisation programme involve renovation of the existing machinery of the mills. Implementation of the modernisation programmes is not expected to lead to any retrenchment.

Increase in Prices of Commodities in Maharashtra, UP and Madhya Pradesh

2352. Dr. Laxminarayan Pandeya : Will the **Minister of Planning** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 547 on 15th November, 1972 regarding per capita income in the States and state the percentage of increase registered in the prices of the various commodities in Maharashtra, Uttar Pradesh and Madhya Pradesh during the last two years?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) : The overall annual price changes, as reflected by the corresponding estimates of State Domestic Product at current and constant prices, are shown below for the three states in question :

State	Percentage increase (+) or decrease (—) in prices over the previous year.	
	1969-70	1970-71
Maharashtra	6·6	4·3
Uttar Pradesh	4·5	(—)4·6
Madhya Pradesh	6·4	0·4

Official Language Implementation Committees in Central Government Offices

2353. Dr. Laxminarayan Pandeya : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Central Government have decided to set up Official Language Implementation Committee in the offices of Central Government in all the States; and

(b) if so, the names of States where such committees have since been set up?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the **Department of Personnel (Shri, Ram Niwas Mirdha) :** (a). Yes, Sir.

(b) Information is not readily available. The number of Central Government offices is very large and scattered all over the States. Time and labour involved in collection of the data will not be commensurate with the results likely to be achieved.

पुलिस द्वारा गया नगर (बिहार) के वाह्य क्षेत्र से भूमिगत शस्त्र भंडार का पता लगाना

2354. **श्री मुहम्मद शरीफ:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुलिस ने 14 फरवरी, 1973 को गया नगर के वाह्य क्षेत्र से एक भूमिगत शस्त्र भंडार का पता लगाया था जिसमें बन्दूकें, पिस्तोल, बिना चले कारतूस, छुरे और रेडियो सैट थे; और

(ख) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई थी और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) **और** (ख). बिहार राज्य सरकार से अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

निजी पत्रों आदि को सरकार द्वारा बीच में खोलना

2355. **श्री वीरेंद्र सिंह राव :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विपक्ष के कुछ संसद सदस्यों के निजी पत्र आदि नियमित रूप से बीच में खोले जाते ह,

(ख) यदि हां, तो क्या उनके टेलीफोन बीच में सुने जाते हैं और इसी तरह टेलेक्स संदेश और तारें भी नहीं बच पातीं, और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)

(क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बड़े व्यापार गृहों की सूची में और नाम जोड़ना

2356. **श्री दिनेश जोरदार :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नए उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर क्या सरकार का विचार एकाधिकार आयोग की रिपोर्ट में दी गई बड़े व्यापार गृहों की सूची में और नाम जोड़ने का है;

(ख) यदि हां, तो बड़े व्यापार गृहों की, परिसम्पत्ति सहित परिवर्धित सूची क्या है; **और**

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) से (ग) औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति जांच समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के उपरान्त वे 20 बड़े गृह जिनकी प्रत्येक की परिसम्पतियां कुल मिलाकर 35 करोड़ रु० से अधिक थी और जो रिपोर्ट के अनुबन्ध 11-क (1) में दर्ज थे, औद्योगिक लाइसेंसीकरण तन्त्र के माध्यम से विनियमनकारी नियंत्रण के अधीन थे। फरवरी, 1973 में घोषित औद्योगिक लाइसेंस नीति में परिवर्तन के फलस्वरूप उन बड़े गृहों के सम्बन्ध में लाइसेंसीकरण के उपबन्धों तथा एकाधिकार और प्रतिबन्धात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम के बीच सभी ऐसी उपक्रमों पर जिनकी अपनी अथवा परस्पर सम्बन्धित अन्य उपक्रमों की परिसम्पत्तियां 20 करोड़ से अधिक हैं लागू लाइसेंसीकरण के माध्यम से विनियमन का भी नियंत्रण के द्वारा समानता

लाई गई है। बड़े व्यापार गृहों की परिसम्पत्तियों के सम्बन्ध में 1967-68 तक के आंकड़े कम्पनी कार्य विभाग के जरनल "कम्पनी न्यूज एण्ड नोट्स" के मई 1970 के संस्करण में जिसकी प्रतियां संसद के पुस्तकालय में हैं। सरकारी नीतियों के समुचित उपयोग की दृष्टि से कम्पनी कार्य विभाग इस जानकारी को अद्यतन स्वरूप होने में कार्यरत है।

पश्चिम जर्मनी की सहायता से प्रादेशिक कम्प्यूटर परामर्शदाता केन्द्रों की स्थापना करना

2357. **श्री शंकर राव सामन्त :** क्या **इलैक्ट्रानिक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रादेशिक कम्प्यूटर परामर्शदाता केन्द्र अथवा कम्प्यूटर प्रशिक्षण संस्थान खोलने का है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं,

(ग) क्या पश्चिम जर्मनी की सरकार ने उक्त केन्द्रों अथवा संस्थानों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव किया है, और

(घ) यदि हां, तो जर्मनी द्वारा किन शर्तों पर कितनी सहायता दी जायेगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) **तथा** (ख) इलैक्ट्रानिक्स विभाग ने कंप्यूटरों की क्षेत्रीय मांग का विश्लेषण करने तथा उपयुक्त प्रणाली के लिये विशिष्टि को निर्धारित करने हेतु मूल्यांकन समिति की स्थापना की थी। ऐसी मांगों की पूर्ति के लिए दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास तथा बंगलौर जैसे नगरों में क्षेत्रीय कम्प्यूटर केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है। ये केन्द्र क्षेत्र में उत्पादन द्वारा अधिकतर उपभोक्ताओं को हर इकाई पर कम कीमत पर सुविधा प्रदान करेंगे और सुसंगत क्षेत्रों में विकास हेतु कंम्प्यूटरों की प्रयोज्यता को प्रोत्साहित करेंगे ।

(ग) तथा (घ) : पश्चिम जर्मनी की सरकार ने मद्रास स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टकनोलाजी की आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव किया है जिससे इंस्टीट्यूट में एक बड़े कंम्प्यूटर केन्द्र की स्थापना की जा सके और जो प्रशिक्षण तथा अनुसंधान की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ-साथ कार्यक्रमों के लिए जो उद्योग के साथ संयुक्त रूप से लिये गये है। विदेशी मुद्रा में 1.9 मिलियन डी० एम० तक की निधि तथा स्थानीय मुद्रा के रूप में 1 करोड़ रुपयों को प्रचालन-कार्मिक की उपलब्धि तथा प्रणाली का उपयुक्त उपयोग करने की शर्त के साथ, प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है।

देश में विलास सामग्री व्यय पर रोक

2358. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विलास सामग्री पर व्यय पर रोक लगाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां।

(ख) पांचवीं योजना के दृष्टिकोण नामक दस्तावेज में इस सम्बन्ध में नीति की विस्तृत रूपरेखा निर्दिष्ट की गई है। इसमें उपभोग की कम आवश्यक तथा महंगी वस्तुओं के उत्पादन को कम करना शामिल है।

विश्व में वर्ष 1980 तक आणविक ईंधन की कमी

2359. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **परमाणु उर्जा** मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 फरवरी, 1973 के समाचारपत्र "दि इंडियन एक्सप्रैस" में प्रकाशित इस समाचार की ओर ध्यान दिलाया गया है कि विश्व में 1980 के अन्त तक आणविक ईंधन की कमी हो जायेगी;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार ऐसी कमी होने पर उसका सामना किस प्रकार करने का है; और

(ग) आणविक ईंधन की इस प्रकार की कमी से देश के सभी क्षेत्रों के विकास पर कहां तक प्रभाव पड़ेगा ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) : यह समाचार विश्व में बिजली के संकट तथा यूरेनियम के अतिरिक्त स्रोतों की आवश्यकता के सम्बन्ध में है। जहां तक भारत का संबंध है, यूरेनियम के प्रमाणित एवं संकेतिक भारत की निकट भविष्य की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए काफी हैं। सरकार का लक्ष्य यह है कि भारत का दीर्घकालीन परमाण विद्युत् कार्यक्रम थोरियम धातु, जिसके देश में बड़े भंडार विद्यमान हैं, पर आधारित हो।

Pre-Mature Retirement of I.A.S./I.P.S. Officers in Rajasthan

2360. Shri Nawal Kishore Sharma : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether some I.A.S./I.P.S. officers in Rajasthan have been retired pre-maturely;

(b) if so, the number of the officers who have been retired in this way; and

(c) the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Home and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a). Yes, Sir.

(b) Three

(c) In Public interest.

समयोपरि भत्ते की कथित अधिक अदायगी की वसूली

2361. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानिदेशक, डाक तथा तार, नई दिल्ली ने अपने पत्र संख्या 10-44/66-पी० ई० 11, दिनांक 17 जुलाई, 1972 के द्वारा आदेश जारी किये हैं कि डी० ई० टी० कार्यालय, रांची के लिपिकों को समयोपरि भत्ते की कथित अधिक अदायगी की वसूली की जाये, और

(ख) यदि हां, तो इस मामले के तथ्य क्या हैं और आदेश जारी करने के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) डाक-तार महानिदेशक ने---कुछ सर्किलों और प्रशासनिक इकाइयों के अध्यक्षों को, जिनमें बिहार के पोस्टमास्टर जनरल भी शामिल हैं, ज्यादा अदा किए गए समयोपरि भत्ते की वसूली करने के लिए तारीख 17-7-1972 के पत्र संख्या 10/14/66-पी० ई० II में आदेश जारी किए हैं।

(ख) प्रशासनिक कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों को जिन सामान्य आदेशों के अन्तर्गत समयोपरि भत्ता दिया जाता है, उन के मुताबिक, निर्धारित काम के घंटों के एक घंटा पश्चात् काम करने पर ही समयोपरि भत्ता दिया जाता है। दूसरे शब्दों में, उन मामलों में भी, जब कर्मचारियों को प्रातः काल कार्यालय शुरू होने के पहले समयोपरि काम के लिए बुलाया जाता है, एक घंटा निःशुल्क काम करना होता है। कुछ इकाइयों में निःशुल्क काम करने का एक घंटा घटाने से संबंधित जो नियम हैं उन का पालन नहीं हुआ और कर्मचारियों को इस एक घंटे के लिए समयोपरि भत्ते का भुगतान कर दिया गया था। अधिक भुगतान की गई इस राशि की छूट देने के प्रश्न पर अच्छी तरह विचार किया गया था किन्तु इसे स्वीकार नहीं किया जा सका। इसलिए अधिक भुगतान की गई इस राशि की वसूली के लिए अंतिम आदेश जारी कर दिए गए थे।

न्यू टाऊनशिप में डाक व तार कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों का निर्माण

2362. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो स्टील सिटी और जमशेदपुर स्टील सिटी को डाक व तार कर्मचारियों के क्वार्टरों के निर्माण के लिए क्रमशः न्यू टाऊनशिप तथा औद्योगिक टाऊन शिप घोषित किया गया है;

(ख) क्या हतिया (रांची), एच० ई० सी० कालोनी एरिया (रांची), एफ० सी० आई० एरिया, बरौनी, आयल कारपोरेशन एरिया टाऊनशिप, बरौनी, पतरातू ताप बिजली घर, पतरातू (रांची जिला), गोमिया एक्सप्लोज़िव फैक्टरी एरिया (हजारीबाग जिला), बड़ाजमदा (सिंहभूमि जिला) के बारे में में भी, जहां परियोजना स्टाफ के लिए नये टाऊनशिप बन गये हैं और वहां पर नियुक्त डाक व तार कर्मचारियों के लिए कोई प्राईवेट मकान उपलब्ध नहीं हैं, ऐसी ही स्थिति है ? और

(ग) क्या डाक व तार कर्मचारियों के प्रयोग के लिए शत प्रतिशत क्वार्टरों के निर्माण के लिए इन टाऊनशिपों को नये टाऊनशिप घोषित करने का सरकार का प्रस्ताव है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं और यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) स्टाफ क्वार्टरों की दृष्टि से दो शहरों को औद्योगिक टाऊनशिप मान लिया गया है।

(ख) जी हां। प्रस्तावों की जांच हो रही है।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है कि शत-प्रतिशत क्वार्टर तैयार कराने की दृष्टि से इन स्थानों को नये टाऊनशिप घोषित किया जाये। यह प्रस्ताव है कि प्रत्येक मामले की जांच उसके गुणावगुण के आधार पर की जाये। इस समय बोकारो स्टील सिटी में जितने डाक-तार कर्मचारी तनात हैं, उन सबके लिए क्वार्टर बनवाने की विभाग ने स्वीकृति दे दी है। आमतौर पर नये औद्योगिक प्रोजेक्टों में डाक-तार विभाग 60 प्रतिशत कर्मचारियों के लिए स्वार्टरों की व्यवस्था करता है।

डाक-तार कालोनी किदवई पुरी, पटना

2363. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री पी० कामेश्वर राव, जो कि उस समय बिहार सर्किल में डायरेक्टर आफ टेलीग्राफ्स थे, की अध्यक्षता में बनी एक समिति ने एक तार कालोनी, किदवईपुरी, पटना का निरीक्षण किया था और विभिन्न सुधारों का सुझाव देते हुए एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था,

(ख) क्या डाक-तार सेवा यूनियन ने भी शिकायतें की हैं कि डाक-तार कालोनी का रखरखाव बहुत ही असंतोषजनक है, और

(ग) यदि हां, तो कालोनी के समुचित रखरखाव के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) पटना के डाक-तार सिविल शाखा के कार्यपालक इंजीनियर से कहा गया है कि कमेटी की रिपोर्ट में जिन खामियों की ओर संकेत किया गया है, वह उन्हें दूर करें। कुछ खामियां दूर कर दी गई हैं। डाक-तार कालोनी, किदवईपुरी, पटना के रखरखाव में सुधार लाने के लिए आगे और कार्रवाई की जा रही है।

पी० एम० जी० बिहार सर्किल में यात्रा भत्ता बिलों के भुगतान में बिलम्ब

2364. श्री रामावतार शास्त्री : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 फरवरी, 1973 को पटना, रांची, जमशेदपुर, गया, दरभंगा और मुजफ्फरपुर टेलीग्राफ इंजीनियरिंग कार्यालयों में अलग-अलग राजपत्रित तथा गैर-राजपत्रित अधिकारियों के कितने तथा कितनी राशि के यात्रा-भत्ता बिल भुगतान के लिए लम्बित थे;

(ख) भुगतान में इस असाधारण विलम्ब के कारण क्या हैं ?

(ग) राजपत्रित तथा गैर-राजपत्रित अधिकारियों के मामले में सबसे पुराने यात्रा भत्ता बिल किस तारीख के हैं; और

(घ) बिलों का भुगतान करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ग) : वांछित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (घ) : इन मामलों पर विचार किया जा रहा है और उचित हिदायतें जारी कर दी जाएंगी।

विवरण

क्रम सं०	तार इंजीनियरी कार्यालय का नाम	राजपत्रित अधिकारियों के टी० ए० बिल जो 1-2-1973 के दिन विचाराधीन पड़े थे			गैर राजपत्रित कर्मचारियों के टी० ए० बिल जो 1-2-1973 के दिन विचाराधीन पड़े थे		
		संख्या	रकम रुपयों में	सबसे पुराना मामला	संख्या	रकम रुपयों में	सबसे पुराना मामला
1.	पटना	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	309	46,000.00	2-1-1973
2.	रांची	9	2,390.00	जुलाई, 72	259	25,800.00	17-11-72
3.	जमशेदपुर	3	729.00	27-9-72	103	10,699.94	4-10-72
4.	गया	6	411.00	मार्च, 1972	77	11,592.00	दिसम्बर, 1971
5.	दरभंगा	3	690.00	जनवरी, 73	477	50,500.00	सितम्बर, 1972
6.	मुजफ्फरपुर	5	551.00	जनवरी, 73	346	49,021.00	अप्रैल, 1972

Shortage of Raw Materials in Small Scale Industries

2366. Shri Mahadeepak Singh Shakya : Will the Minister of **Industrial Develpoment and Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether owners of small industries are not getting adequate quantity of raw material as a result of which their production has declined;

(b) if so, the reasons why the adequate quantity of raw material is not being supplied to them; and

(c) Government's reaction in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Ziaur Rahman Ansari) : (a) to (c) : There is a general shortage of raw materials like steel, commercial grade aluminium sheets and circles, due to limited production in the country. Efforts are being made for increased allocation within the limitations of their indigenous supply and availability of foreign exchange.

पांचवीं योजना में लघु उद्योगों की स्थापना

2367. श्री महावीरसिंह शाक्य : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दो लाख छोटी फैक्टरियों की स्थापना का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो राज्यवार, फैक्टरियों की संख्या क्या है और उन पर कितना व्यय किया जाता है और तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) : लघु उद्योगों के कृतिक बल द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव में पांचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में ग्रामीण उद्योग परियोजना क्षेत्रों, पिछड़े क्षेत्रों तथा अन्य विकासमान केन्द्रों में विभिन्न प्रकार तथा आकार वाले 2 लाख नए एककों के स्थापित करने की संभावनाएं व्यक्त की गई हैं। अभी तक राज्यवार ब्यौरा तैयार करने का प्रयास नहीं किया गया है।

कागज के कारखानों का राष्ट्रीयकरण

2368. कुमारी कमला कुमारी : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में कागज के कारखानों का राष्ट्रीयकरण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) फिलहाल इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पोस्टल डिवीजन बनाने के लिए मापदंड

2369. **श्री बक्शी नायक** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पोस्टल डिवीजन बनाने की कसौटी क्या है,

(ख) गत दो वर्षों में उक्त कसौटी के बिना भी बनाए गए पोस्टल डिवीजनों की संख्या तथा नाम क्या हैं और उसके कारण क्या हैं, और

(ग) क्या सरकार का विचार उड़ीसा राज्य में फूलबनी में एक पोस्टल डिवीजन की मंजूरी देने का है और यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) डाक डिवीजनों के कार्यभार का ब्यौरेवार अध्ययन करने के बाद वित्त मंत्रालय की स्टाफ इंस्पैक्शन यूनिट ने मौजूदा डाक डिवीजनों को दो भागों में विभाजित करने और नये डाक-डिवीजन बनाने के बारे में कतिपय मानदंड बनाए हैं। जब किसी डाक-डिवीजन का कार्य-भार इतना बढ़ जाता है कि स्टाफ इंस्पैक्शन यूनिट के मानदंडों के अनुसार डाक डिवीजन दो हिस्सों में विभाजित करने का औचित्य सिद्ध हो जाता है, तो मौजूदा डाक-डिवीजन को दो भागों में विभाजित करके पृथक् डाक-डिवीजन बना दिए जाते हैं।

(ख) स्टाफ इंस्पैक्शन यूनिट के मानदंडों में ढील दे कर पिछले दो वर्षों में जो 16 डाक डिवीजन बनाए गए हैं, उनकी सूची सभा-पटल पर रखी जाती है। (ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०—4418/73) मानदंडों में ढील देकर पृथक् डाक डिवीजन बनाने के कारण ये हैं कि जिन अत्यन्त पिछड़े इलाकों में संचार की पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं, वहां डाक डिवीजन बनाए जाएं ताकि संचार की संतोषजनक सुविधाएं सुलभ हो सकें और इसके अलावा उन इलाकों में उचित स्थानों में डाकघर खोलने की बेहतर योजना बनाई जा सके, जिससे डाक सुविधाओं में सुधार हो।

(ग) सामान्य मानदंडों में ढील दे कर फुलबनी जिले में एक पृथक् डाक डिवीजन पहले ही बनाया जा चुका है और यह डाक डिवीजन दिनांक 23-10-72 से काम करने लगा है। इस समय यह डिवीजन अपना कार्य-संचालन बरहामपुर से कर रहा है। किन्तु जैसे ही फूलबनी में डिवीजनल कार्यालय के लिए कोई मुनासिब इमारत मिल जाएगी, इस डिवीजन का मुख्यालय फूलबनी में ले जाया जाएगा।

कटक में डाक व तार कर्मचारियों द्वारा चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के लिए झूठे दावे

2370. **श्री बक्शी नायक** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य नें कटक, भुवनेश्वर, बरहामपुर और सम्बलपुर में डाक व तार के कितने कर्मचारी हैं और गत तीन वर्षों में उनके चिकित्सा व्यय को प्रतिपूर्ति के लिए सरकार ने कितना व्यय किया है :

(ख) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों में किसी ऐसे मामले का पता लगाया है जिसमें डाक व तार कर्मचारी ने इस बारे में झूठा दावा पेश किया हो और

(ग) यदि हां, तो सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई और ऐसे कदाचारों को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) आवश्यक सूचना अनुबंध में दी गई है।

(ख) जी हां।

(ग) 58 कर्मचारियों के विरुद्ध मामलों की जांच की गई और उसके परिणामस्वरूप एक कर्मचारी को सेवा से अलग कर दिया गया है और दूसरे कर्मचारियों के मामलों में अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है । ऐसे कदाचारों को रोकने के लिए नीचे लिखे कदम उठाए गए हैं :

(1) नियंत्रक अधिकारियों को स्वविवेक के आधार पर ऐसा निर्णय लेने के अधिकार दिए गए हैं कि चिकित्सा पर व्यय की प्रतिपूर्ति के जिन दावों की सच्चाई के संबंध में वे संतुष्ट न हों, उन्हें रद्द कर दें।

(2) दावों को पेश करने की अवधि सीमा चिकित्सा पूरी होने की तारीख से एक साल तक की थी। इसे घटा कर यह अवधि तीन मास कर दी गई है।

(3) बहुत सी जगहों पर प्राधिकृत चिकित्सकों और औषध विक्रेताओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

(4) कटक और बरहामपुर में विभागीय दवाखाने खोल दिये गये हैं और भुवनेश्वर में दवाखाना खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

विवरण

कटक, भुवनेश्वर, बरहामपुर और संबलपुर में डाक-तार कर्मचारियों की संख्या कितनी है और 1971-72 तक खत्म होने वाले पिछले तीन सालों के दौरान चिकित्सा संबंधी दावों की प्रतिपूर्ति में कितना व्यय किया गया है, उसका विवरण नीचे दिया गया है।

स्थान का नाम	डाक-तार कर्मचारियों की संख्या	चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के संबंध में हुआ खर्च		
		1969-70	1970-71	1971-72
		रुपये	रुपये	रुपये
भुवनेश्वर	801	91,507.00	2,67,678.00	4,75,249.00
कटक	1531	15,05,625.00	3,90,361.00	7,47,739.00
बरहामपुर	483	5,97,400.00	11,34,669.00	12,24,010.00
संबलपुर	365	60,426.00	45,688.00	43,834.00

और अधिक बिजली उत्पन्न करने के लिए अणुशक्ति के उपयोग की योजना

2371. श्री राम सहाय पांडे : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में और अधिक बिजली तथा विद्युत् उत्पन्न करने के लिए देश की अणुशक्ति का उपयोग करने हेतु योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) योजना को अन्तिम रूप कब तक दिया जायेगा ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग) : उद्योग-धन्धों तथा खेतीबाड़ी के लिए कम मूल्य पर बिजली पैदा करने के एक साधन के रूप में परमाणु ऊर्जा का विकास करने के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रम के अंतर्गत तारापुर में एक परमाणु बिजलीघर चालू किया जा चुका है तथा चार अन्य परमाणु बिजलीघर निकट भविष्य में रावतभाटा (राजस्थान) कलपक्कम (तमिलनाडु), नरौरा (उत्तर प्रदेश) तथा पश्चिमी क्षेत्र में किसी स्थान पर, जिसका चुनाव अभी नहीं किया गया है, स्थापित करने की योजना है।

जम्मू और काश्मीर में अखबारी कागज का कारखाना लगाया जाना

2372. **श्री रामसहाय पांडे :**

श्री एम० एम० जोजफ :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और काश्मीर राज्य में उपलब्ध कच्चे माल का उपयोग करने के विचार से वहां पर अखबारी कागज का कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या यह कारखाना सरकारी क्षेत्र में अथवा संयुक्त क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा और तत्संबन्धी परियोजना प्रतिवेदन कब तक तैयार हो जाएगा।

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, हां।

(ख) देवदार तथा स्प्रूस जैसे कच्चे माल पर आधारित 150 टन प्रतिदिन की क्षमता में क्राफ्ट तथा विशेष कागज बनाने की एक परियोजना जम्मू तथा काश्मीर में स्थापित किए जाने का विचार है।

(ग) परियोजना रिपोर्ट पहले ही तैयार की जा चुकी है। यह परियोजना सरकारी क्षेत्र में होगी या संयुक्त क्षेत्र में इसके बारे में अभी निर्णय नहीं किया गया ।

गैर-सरकारी रेडियो स्टेशन

2373. **श्री राम सहाय पांडे** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को किसी गैर-सरकारी पार्टी से कतिपय विदेशों में स्थापित गैर-सरकारी रेडियो स्टेशनों की पद्धति पर एक गैर-सरकारी रेडियो स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली के टेलीफोन एक्सचेंजों में 'सुधार अभियान' (आपरेशन रेक्टीफिकेशन)

2374. **श्री राम सहाय पांडे** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी की प्रमुख टेलीफोन एक्सचेंजों के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए उनमें 'आपरेशन रेक्टीफिकेशन' प्रारम्भ किया गया है;

(ख) क्या इस कार्य के लिए विदेशी विशेषज्ञता आमंत्रित की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) जी हां।

(ख) और (ग)—विदेशी कम्पनी द्वारा सप्लाई किए गए क्रासबार एक्सचेंजों में कुछ तकनीकी खामियां पैदा हो गई। इनके कारण एक्सचेंज के कार्यचालन पर बुरा असर पड़ा। इन खामियों का पता हमारे इंजीनियरों ने लगाया था। इन खामियों को दूर करने के लिए विदेशी कम्पनी के परामर्श से एक कार्यक्रम तयार किया गया है।

मन्युअल टेलीफोन एक्सचेंजों को आटोमैटिक टेलीफोन एक्सचेंजो में बदला जाना

2375. **श्री रामसहाय पांडे** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में टेलीफोन एक्सचेंजों को सेवा को सुधारने के लिए मैन्युअल टेलीफोन एक्सचेंजों को आटोमैटिक टेलीफोन एक्सचेंजों में बदलने की योजना बनाई है।

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उनको बदलने पर कुल कितना व्यय आयेगा और क्या इस उद्देश्य हेतु कोई विदेशी तकनीकी अथवा वित्तीय सहायता अपेक्षित है?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : **(क)** खौर **(ख)**—साज-सामान के साधन सीमित होने के कारण देश में काम कर रहे मैन्युअल एक्सचेंजों को विभिन्न चरणों में आटोमैटिक एक्सचेंजों में बदला जा रहा है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना के मसौदे में ऐसा प्रावधान किया गया है कि मैन्युअल लाइनों की संख्या समग्र रूप से वर्ष 1972 में 2.70 लाख की जगह वर्ष 1969 में 1.97 लाख लाइनें कम कर दी जाए।

(ग) देश के सभी मैनुअल एक्सचेंजों को पूरे तौर पर आटोमैटिक एक्सचेंजों में बदलने के लिए 4.77 लाख मैनुअल लाइनों को बदलने की जरूरत पड़ेगी और स्वदेशी साज-सामान की वर्तमान कीमत के आधार पर लगभग 35 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। मैनुअल एक्सचेंजों को आटोमैटिक बनाने के कार्यक्रम में किसी विदेशी तकनीकी मदद की जरूरत नहीं होगी। तथापि देश में ही साज-सामान के निर्माण की पर्याप्त क्षमता के अभाव में यदि

आटोमैटिक टेलीफोन एक्सचेंज उपस्करों के आयात करने का निर्णय लेना पड़ा तो इसके लिए समुचित विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ेगी।

जटनी, उड़ीसा के डाक-तार कर्मचारियों को क्वार्टरों का आबंटन

2376. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जटनी, जिला पुरी, उड़ीसा में डाक-तार कर्मचारियों के लिए मंजूर किए गए 12 क्वार्टर पूरे कर लिए गए हैं और अब तक कर्मचारियों को आंवटित किए जा चुके हैं ?

(ख) क्या इससे जटनी में नियुक्त सभी कर्मचारियों को क्वार्टरों की मांग पूरी हो जाती है, और

(ग) क्या पुरी पोस्टल डिवीजन के अन्य स्थानों पर भी कर्मचारी क्वार्टरों का निर्माण किया जाना है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) क्वार्टरों का निर्माण कार्य अभी भी चल रहा है।

(ख) जी नहीं। इससे कर्मचारियों की कुल संख्या में से सिर्फ 12 प्रतिशत कर्मचारियों को ही क्वार्टर मिल सकेंगे।

(ग) नीचे लिखे स्थानों पर क्वार्टरों का निर्माण करने का प्रस्ताव है :

(1) पुरी, (2) भुवनेश्वर (3) खुर्दा, (4) साकीगोपाल (5) नयागढ़ (6) नीमा-पारा।

पुरी में 36 क्वार्टरों का निर्माण किया जा चुका है। ये क्वार्टर अलाट भी किये जा चुके हैं। भुवनेश्वर में 176 क्वार्टरों का निर्माण-कार्य पूरा हो चुका है। तारीख 17-11-72 को 82 और क्वार्टरों के निर्माण की मंजूरी दी जा चुकी है।

खुर्दा, साकीगोपाल और नीमापारा में भूमि सुलभ नहीं हो पाई है लेकिन वहां भूमि का अधिग्रहण करने के लिए सर्किल कार्यालय की तरफ से राजस्व प्राधिकारियों के साथ लिखा-पढ़ी चल रही है।

जटनी, उड़ीसा में टेलीफोन एक्सचेंज भवन को पूरा करना

2377. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुरी पोस्टल डिवीजन के अधीन जटनी में प्रस्तावित टेलीफोन एक्सचेंज भवन का निर्माण कार्य अब पूरा कर लिया गया है ?

(ख) यदि नहीं, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा, और

(ग) उड़ीसा में पुरी पोस्टल डिवीजन के अधीन अन्य किन स्थानों पर टेलीफोन एक्स-चेंजों के लिए भवनों का निर्माण किया जाना है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) चूंकि कोई मुनासिब जमीन सुलभ नहीं है इसलिए इमारत बनवाने का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है।

(ख) जमीन का अधिग्रहण हो जाने पर टेलीफोन एक्सचेंज की इमारत तैयार कराई जाएगी। इस संबंध में भूमि अधिग्रहण अधिकारी के साथ लिखा-पढ़ी की गई हैं।

(ग) भुवनेश्वर में टेलीफोन एक्सचेंज की एक नई इमारत तैयार कराली गई है।

(1) साकीगोपाल (2) पुरी, और (3) नयागढ़ में टेलीफोन एक्सचेंज के लिए नई इमारतें बनवाने का प्रस्ताव है। इन स्थानों में जमीनों का अधिग्रहण करने के बाद, उन पर टेलिफोन एक्सचेंज की नई इमारतें तैयार कराई जाएंगी।

पिछले क्षेत्रों की समस्याओं का पता लगाने हेतु जिला योजनाएं बनाने के लिए उड़ीसा को सहायता

2378. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य में पिछड़े क्षेत्रों की समस्याओं का पता लगाने हेतु जिला योजनाएं बनाने के लिए योजना आयोग ने उड़ीसा की सहायता की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन हेतु अब तक कितनी सहायता की पेशकश की गई है;

(ग) उड़ीसा में वे पिछड़े जिले कौन से हैं जिन के लिए राज्य सरकार ने जिला योजनाएं बनाई हैं; और

(घ) बनाई गई जिला योजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (घ)--योजना आयोग ने उड़ीसा सहित सभी राज्यों को जिला योजनाएं बनाने में रीतिविधान सम्बन्धी सहायता प्रदान की है। योजना आयोग ने सितम्बर, 1969 में सभी राज्यों को जिला योजनाएं तैयार करने के सम्बन्ध में मार्गदर्शी सिद्धान्त भेजे थे।

जिलास्तरीय अधिकारियों को जिला-आयोजन के मूलाधार और रीति विधान समझाने के लिए योजना आयोग के अधिकारियों के एक दल ने राज्य सरकार द्वारा बहरामपुर में आयोजित किए गए एक कार्यशाला में गंजम जिले के लिए एक जिला योजना तैयार करने का निर्णय किया गया था (यह अभिनिर्धारित पिछड़ा जिला नहीं है)। उड़ीसा सरकार ने यह बताया है कि गंजम की जिला योजना तैयारी के अग्रिम चरण में है।

राज्य सरकार ने कालाहांडी, बोलंगीर और फूलबानी जिलों को राज्य का सबसे पिछड़ा जिला अभिनिर्धारित किया है। राज्य सरकार ने कालाहांडी और बोलंगीर जिलों के आर्थिक पिछड़ेपन के सम्बन्ध में संक्षिप्त नोट तैयार किए थे, जिनमें भौतिक-भौगोलिक स्थिति, जन सांख्यिकीय विशेषज्ञतायें, चौथी योजना के समय प्रारम्भ किए गए कार्यक्रम, आदि का वर्णन किया गया था। इन जिलों के लिए एकीकृत योजना बनाने के सम्बन्ध में इन नोटों पर योजना आयोग की टिप्पणियां राज्य सरकार को भिजवा दी गई थीं।

प्रत्येक दूसरे वर्ष फिल्मी मेले का समारोह

2379. **श्री एम० कतामुतु** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में बारी-बारी से प्रत्येक दूसरे वर्ष फिल्मी मेले का समारोह करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं, और

(ग) इस शृंखला में प्रथम समारोह कब तक किया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) फिल्म समारोहों में पुरस्कृत फिल्मों का समारोह, जिसे भारत में आयोजित करने का प्रस्ताव है, वह "नान-कम्पीटीटिव" तथा "नान-एक्सक्लूसिव" होगा। प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय समारोहों में पुरस्कृत फीचर फिल्मों तथा वृत्त चित्रों को इस समारोह में आमन्त्रित किया जाएगा ।

(ग) 1973 के शीत काल में ।

वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पुस्तकों का लिखा जाना

2381. श्री प्रबोध चन्द्र : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार के ध्यान में आई है कि अनेक वरिष्ठ अधिकारियों, विशेषकर सैनिक अधिकारियों, ने पुस्तकें लिखना आरम्भ कर दिया है और इन पुस्तकों में वे उस जानकारी का प्रयोग करते हैं जो ऐसे विषयों के भारसाधक के अधिकारी के रूप में उनके ध्यान में आती हैं ;

(ख) क्या अनेक मामलों में पुस्तकों में बहुत ही गोपनीय जानकारी दी गई है जिनका शत्रु देश लाभ उठा सकता है ; और

(ग) यदि हां, तो देश के हितों की सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जबकि थोड़े से अधिकारियों ने ऐसी पुस्तकें प्रकाशित की हैं अत : सरकार को सूचना नहीं है कि उनकी संख्या अधिक है ।

(ख) सरकार को सेवा-निवृत्त सरकारी अधिकारियों द्वारा प्रकाशित पुस्तकों के बारे में ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

(ग) किसी अनधिकृत रूप से प्रकट की गई सूचना जो एक व्यक्ति को सरकार के अधीन एक पद धारण करने अथवा धारण कर चुकने के कारण मालूम हुई हो, से निपटने के लिए कानून में पर्याप्त व्यवस्था है । इसके अतिरिक्त अध्ययन तथा अवलोकन के लिए सरकारी रिकार्ड सामान्यत: केवल 30 वर्ष पश्चात् उपलब्ध किए जाते हैं । उससे पूर्व का रिकार्ड सरकार की विशिष्ठ अनुमति के बिना उपलब्ध नहीं किए जाते हैं । ये नियम सामान्य अनुसंधान करने वाले विद्वानों तथा सेवा कर रहे या सेवा निवृत्त सरकारी अधिकारियों पर लागू होते हैं ।

Deportation of Underground Pakistani Nationals from Mysore State

2382. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) the number of underground Pakistani Nationals deported from various districts of Mysore during the last three years; and

(b) the steps proposed to be taken by Government to deport the remaining underground Pakistani Nationals?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F.H. Mohsin) : (a) and (b). The Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Pakistani Nationals Visited Tamilnadu on Valid Passports

2383. Shri Hukum Chand Kachwai : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Pakistani Nationals, who visited Tamilnadu on valid passports, during the last three years; and

(b) the number out of them who went back before the expiry of the period of their visas?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F.H. Mohsin) : (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

P & T Offices in Bihar

2384. Shri Ishwar Chaudhry, : Shri Hukum Chand Kachwai : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) total number of Post and Telegraph Offices in various Districts of Bihar at present; and

(b) the number of new Post and Telegraph Offices being set up in various Districts of the the State during the Financial Year 1973-74 ?

The Minister of Communications (Shri H.N. Bahuguna) : (a) Number of post offices and telegraph offices functioning in the various districts of Bihar :—

Sl. No.	Name of district	Post Offices	Telegraph Offices
1.	Hazaribagh	218	38
2.	Giridih	174	20
3.	Singhbhum	230	32
4.	Nalanda	236	18
5.	Patna	327	54
6.	Santhal Parganas	480	36
7.	Purnea	476	64
8.	Muzaffarpur	292	33
9.	Vaisali	201	26
10.	Sitamarhi	254	24
11.	Palamau	217	24
12.	Dhanbad	177	29
13.	Gaya	744	94
14.	Saharsa	431	43
15.	Darbhanga	263	20
16.	Madhubani	335	41
17.	Samastipur	331	37
18.	Rohtas	331	25
19.	Ranchi	390	48
20.	Bhagalpur	385	47
21.	Monghyr	396	25
22.	Begusarai	202	32
23.	Saran	361	37
24.	Siwan	314	24
25.	Champaran (East)	348	39
26.	Champaran (West)	243	25
27.	Bhojpur	417	78
	Total	8773	1013

(b) Number of new post offices and telegraph offices proposed to be opened in the various districts of Bihar during the financial year 1973-74 :—

Sl. No.	Name of district	Post Offices	Telegraph Offices
1.	Hazaribagh	18	5
2.	Giridih	18	1
3.	Singhbhum	18	1
4.	Nalanda	10	NIL
5.	Patna	10	4
6.	Santhal Parganas	18	3
7.	Purnea	10	6
8.	Muzaffarpur	10	6
9.	Vaisali	10	9
10.	Sitamarhi	10	8
11.	Palamau	18	4
12.	Dhanbad	18	2
13.	Gaya	10	7
14.	Saharsa	10	7
15.	Darbhanga	10	5
16.	Madhubani	10	6
17.	Samastipur	10	—
18.	Rohtas	10	1
19.	Ranchi	16	—
20.	Bhagalpur	10	8
21.	Monghyr	10	1
22.	Begusarai	10	5
23.	Saran	10	4
24.	Siwan	10	4
25.	Champaran (East)	10	—
26.	Champaran (West)	10	—
27.	Bhojpur	10	1
	Total	324	98

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवैध घोषित किये गए जम्मू व कश्मीर के नौकरी आरक्षण नियम

2385. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सर्वोच्च न्यायालय ने जम्मू व कश्मीर राज्य के नौकरी आरक्षण नियमों को अवैध ठहराया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या इस बारे में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पहले दिये गये निर्णयों को राज्य सरकार ने नजर अन्दाज कर लिया था ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) **से (ग)** :किसी राज्य सरकार के अधीन सेवाऐं एकमात्र उसी सरकार के क्षेत्राधिकार में होती हैं; और उसी प्रकार से राज्य सेवाओं में अनुसूचित जातियों

तथा पिछड़ी जातियों आदि के लिए आरक्षण भी राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में होता है। प्रेस में छपी रिपोर्टों के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में जम्मू व कश्मीर अनुसूचित जातियां तथा पिछड़ी जातियां (आरक्षण) नियम, 1970 के कुछ नियमों को संविधान के अनुच्छेद 16 का उल्लंघनकारी ठहराया है। निर्णय की एक प्रति प्राप्त की जा रही है। तथापि, जम्मू व कश्मीर सरकार, जो कि इस मामले से सम्बन्ध रखती है, निःसंदेह सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की जांच करेगी और इसके कार्यान्वयन के लिए यथावश्यक कदम उठाएगी।

आर्थिक, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत तथा रूस के बीच सहयोग के लिए संयुक्त आयोग

2386. **श्री के० बालदन्डायुतम :**
डा० हरी प्रसाद शर्मा : } क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्थिक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का सहयोग संबंधी भारत-रूस संयुक्त आयोग में, जिसकी हाल में नई दिल्ली में बैठक हुई थी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दोनों देशों मे सहयोग के किन्हीं विशेष प्रस्तावों पर चर्चा हुई थी;

(ख) यदि हां, तो किन प्रस्तावों पर चर्चा हुई थी ;

(ग) उन पर क्या निर्णय लिए गये ;

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रहमण्यम्) : (क) आर्थिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी सहयोग के सम्बन्ध में भारत-रूसी संयुक्त समिति की बैठक के लिए रूसी प्रतिनिधि-मण्डल की यात्रा के दौरान कुछ रूसी तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के विशेषज्ञों द्वारा फरवरी, 1973 में दिल्ली में विचार-विमर्श किया गया था। इसमें व्यावहारिक विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के सहयोग के एक कार्यक्रम को अन्तिम रूप दिया गया था।

(ख) 1973-74 वर्ष के लिए सहयोग का कार्यक्रम भारतीय प्रतिनिधि मण्डल की, अक्तूबर, 1972 में रूस यात्रा के दौरान अभिज्ञात मदों के आधार पर बनाया गया था। इस कार्यक्रम में 19 मद सम्मिलित हैं। इनमें से कुछ मुख्य मद "मेगनेटो-हाइड्रोडायनामिक जोनत्र", संश्लिष्ट रबड़ प्रौद्योगिकी, रबड़ उत्पादों की जांच तथा खनिज सर्वेक्षण के लिए द्वारा-भास इत्यादि के विकास के सम्बन्ध में है।

(ग) कार्यक्रम के अन्तिम रूप के अनुसार 1973-74 के दौरान दोनों दलों के विशेषज्ञों की एक बैठक होगी जिसमें इनमें से प्रत्येक मद पर कार्यान्वयन की दृष्टिकोण से विचार विमर्श करने के अतिरिक्त इनके लिए ब्यौरेबार प्रस्ताव बनाए जायेंगे।

कोरापुट (उड़ीसा) में कागज बनाने का कारखाना

2387. **श्री डी० के० पंडा** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के कोरापुट, जिले में कागज बनाने के एक कारखाने की स्थापना के प्रस्ताव को कार्यरूप दिया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसको कब तक पूरा किया जाएगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) से (ग) : प्रतिवर्ष 60,000 मी० टन लुगदी तथा कागज का निर्माण करने के लिए जिला कोरापुट, उड़ीसा में एक नया औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने के लिए मैसर्स बस्ती शुगर मिल्स कम्पनी लिमिटेड को 30-1-71 को एक आशय पत्र जारी किया गया था, परियोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। एक कागज परियोजना को पनपने में लगभग पांच वर्ष का समय लगता है।

Annual Plan for Jammu & Kashmir for 1973-74

2388. Shri Shiv Kumar Shastri : Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) the outcome of the talks held recently with the Chief Minister of Kashmir in connection with the Annual Plan for 1973-74 for that state; and

(b) whether certain specific arrangements are being made to set up industries in that State in order to make it self-reliant?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) : (a). Annual Plan outlay for 1973-74 for the State has been approved at Rs. 43·80 crores in the recently held meeting. This is proposed to be financed through Central Assistance of Rs. 34·21 crores and Rs. 9·59 crores of State's resources.

(b) Yes, Sir. The feasibility reports sent by the State Government are under examination.

Recruitment to Delhi Police

2389. Shri Hari Singh : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether recruitment of Police constables for the centrally administered territory of Delhi was made several times in various batches during the period from 1971 to 12th February, 1973; and

(b) if so, the total number thereof and the number of the constables belonging to Scheduled Castes recruited during the aforesaid period?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F.H. Mohsin) : (a) Yes, Sir.

(b) During the period under reference 1414 constables were recruited in all and out of them 242 belonged to the Scheduled Castes.

लघु क्षेत्र में उत्पादन के लिए वस्तुओं का आरक्षण

2390. श्री हरी सिंह : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने लघु क्षेत्र में उत्पादन के लिए आठ और वस्तुओं के आरक्षण का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन के नाम क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जियाउर्रेहमान अंसारी) : (क) और (ग) : सरकार 49 और वस्तुओं के आरक्षण पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है। अन्तिम निर्णय लेने के पश्चात् वे वस्तुऐं प्रकाशित की जायेंगी।

Manufacture of Bulbs

2391. Shri Hari Singh : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that small units manufacturing bulbs in the country are disappearing day by day; and

(b) if so, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Ziaur Rahman Ansari) :

(a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Inquiries by C.B.I. against Gazetted Officers

2392. Shri Hari Singh : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) the number of gazetted officers against whom cases of corruption, bribery, cheating and forgery were investigated by the Central Bureau of Investigation during 1972 and the number of officers found guilty therein; and

(b) the action taken against the guilty officers and the punishment given to them?

The Minister of State in the Ministry of Home and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) and (b). C.B.I. investigated cases of 1211 Gazetted Officers during 1972 for alleged corruption, bribery, cheating and forgery. Out of these, material for taking action was found against 551 Gazetted Officers.

Action as follows was taken against these officers :—

Prosecuted	61
Reported for Regular Departmental Action . . .	323
Reported for such action as considered appropriate by Departmental authorities.	167

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के केन्द्रीय कार्यालय का पुनर्गठन

2393. श्री नगेन्द्र प्रसाद यादव : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् को मैसर्स इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड से तीस हजार रुपये से अधिक की लागत से नई दिल्ली स्थित अपने केन्द्रीय कार्यालय के पुनर्गठन करने के बारे में प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, यदि हां, तो उस की मुख्य बातें क्या हैं :—

(ख) क्या इस योजना में अनुभाग अधिकारियों, अवर सचिवों तथा उप-सचिवों की वर्तमान स्थायी संख्या में भारी कटौती करने तथा फलस्वरूप वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के मुख्यालय में कार्य कर रहे तथाकथित वरिष्ठ वैज्ञानिकों को प्रशासनिक कार्य सौपने की बात कही गई है ; और

(ग) क्या ये तथाकथित वरिष्ठ वैज्ञानिक उन व्यक्तियों में से हैं जिन को सरकारी समिति ने दोषी पाया है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, हां। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् प्रधान कार्यालय के कार्मिक प्रशासन अध्ययन पर इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड द्वारा दिये प्रतिवेदन की मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार हैं :—

(अ) सी० एस० आई० आर० प्रधान कार्यालय निम्नलिखित दस मुख्य समूहों में पुर्न-गठित होना चाहिये :—

(1) वित्त
(2) प्रशासन
(3) भवन
(4) कार्यक्रम विश्लेषण
(5) कानून (विधि)
(6) उच्च प्रौद्योगिकी
(7) वैज्ञानिक एंव तकनीकी जनशक्ति
(8) सूचना
(9) प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण
(10) योजना मूल्यांकन

उपर्युक्त समूहों को तेतालीस उप-समूहों में और आगे विभाजित किया गया है।

(आ) प्रधान कार्यालय के अन्तर्गत विभिन्न समूहों को व्यापक अधिकार और उत्तरदायित्व सौंपे जाने चाहिये।

(इ) सी० एस० आई० आर० पुर्नगठन अवधि में "उच्च प्रौद्योगिकी", कार्यक्रम विश्लेषण समूह "वैधानिक" "डाटा बैंक" और सुव्यवस्थित राष्ट्रीय रजिस्टर जैसे कुछ नये समूहों में योग्य व्यक्तियों को नियुक्त किया जाना चाहिये।

(ई) निष्पादन-गणना चार्ट (स्थिति-मार्ग दर्शनी) एवं उपयुक्त निष्पादन मूल्यांकन फार्म एक निष्पादन निरीक्षण सिद्धांत में प्रयोगार्थ तैयार किये जाने चाहिये।

(ख) प्रतिवेदन में वर्तमान तेरह अधिकारियों में से दस को नयी व्यवस्था में "प्रशासनिक समूह" के अन्तर्गत कार्यों का पुर्नआवंटन बताया गया है। उत्तर के भाग (क) में निर्दिष्ट दस समूहों के मुख्य उत्तरदायित्व और उद्देश्य भी प्रतिवेदन में बताये गये हैं।

(ग) प्रधान कार्यालय में कार्यरत वरिष्ठ वैज्ञानिकों में से किसी को भी सरकार समिति ने दोषी नहीं पाया है।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के गैर-हकदार अधिकारियों द्वारा विमानों से यात्रा करना

2394. श्री नगेन्द्र प्रसाद यादव : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के मुख्यालय के प्रति मास अठारह सौ रुपये से कम वेतन पाने वाले अधिकारी दौरों के समय विमानों से यात्रा करते हैं जबकि वे इस प्रकार की यात्रा करने के हकदार नहीं हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन अधिकारियों डिवीजन-वार, गत दो वर्षों में कितने दौरे के समय विमान से यात्राएं की हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) जी, हां, । समर्थ प्राधिकारी की स्वीकृति से उन्होंने जन-हित में विमान से यात्रा की थी ।

(ख) गत दो वर्षों की अवधि में ऐसे अधिकारियों की जिन्होंने विमानों से यात्राएं की हैं डिवीज़न-वार कुल संख्या इस प्रकार है :—

डिवीज़न (विभाग)	वर्ष 1971-72	1972-73 से 28-2-73 तक
1. अनुसंधान समन्वय एवं औद्योगिक सम्पर्क विभाग	7	6
2. अनुसंधान सर्वेक्षण एवं योजना विभाग	—	26
3. वैज्ञानिक एवं तकनीकी कार्मिक विभाग	—	2
4. इंजीनियरिंग एकांश . .	24	24
5. प्रौसेस इवैल्यूएशन सैल . .	3	5
6. अन्तर्राष्ट्रीय हाईड्रोलोजीकल डिकेड की राष्ट्रीय समिति . .	—	2
7. साइंस रिपोर्टर एकांश .	—	2
8. प्रशासन	17	24

अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा डाक-टिकटों और लिफाफों की बिक्री

2395. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक टिकटों और लिफाफों की बिक्री के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है :

(ख) क्या सरकार को पता है कि देश में, दिल्ली स्थित, अनेक दुकानों में रेजगारी के स्थान पर डाक टिकटें दी जा रही हैं और इस प्रकार हर रोज कानून का उल्लंघन किया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां ।

(ख) ऐसे दृष्टांत देखने में आए हैं जिनमें कि दुकानों इत्यादि पर रेजगारी के बदले में डाक टिकटें दी गई हैं । तथापि दुकानदारों द्वारा रेजगारी की एवज में डाक टिकटें देने से यह प्रकट नहीं होता कि भारतीय डाकघर अधिनियम या उसके अन्तर्गत निर्मित नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बिहार में लघु उद्योगों को कच्चे माल का आवंटन

2396. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में लघु उद्योगों को कच्चे माल के अभाव में संकट का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ख) विभिन्न लघु उद्योगों की विभिन्न कच्चे माल की मांग क्या है और केन्द्र ने वस्तुतः उन्हें कितना कच्चा माल आवंटित किया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जियाउर्रेहमान अंसारी) : (क) और (ख) वर्ष 1970-71 और 1971-72 की अवधि में बिहार राज्य के लिये विभिन्न प्रकार की कच्ची सामग्री का वास्तविक आवंटन संलग्न विवरण में दिया गया है। यद्यपि कच्ची सामग्री की कमी का प्रभाव बिहार सहित समस्त लघु उद्योगों पर पड़ा है। सरकार बिहार में हुए इस क्षेत्र के किसी विशेष संकट से अवगत नहीं है।

विवरण

(रु० लाखों में)

	1970-71	1971-72
1. कच्ची सामग्री		
(1) आयात की गई कच्चा माल .	156.00*	201.00*

*बिहार राज्य के लघु उद्योग एककों को जारी किये गये आयात लाइसेंस का मूल्य

2. दशीय कच्ची सामग्री :

(मीटर टनों में)

	1970-71	1971-72
(1) ई० सी० ग्रेड एल्यूमिनियम	1723	2259
(2) कमर्शियल ग्रेड एल्यूमिनियम	कुछ नहीं	69
(3) ज़िंक .	—	94.78
(4) ऐंटीमनी . .	1.7	1.9
(5) भेड़ बकरियों की चर्बी	1000	1000
(6) सोडा एश .	कुछ नहीं	140
(7) पैराफिन वैक्स	1249	1484

लघु एककों के लिये बिहार राज्य की इस्पात का आबंटन करने तथा भेजने में हाल ही में सुधार हुआ है जैसा कि नीचे दी गई तालिका से पता चलता है :—

(मी० टन में)

अवधि	लघु क्षेत्र को किया गया कुल आवंटन	बिहार को आबंटन
जनवरी से मार्च, 1971 .	51,421	1693
अप्रैल से जून, 1971	40,461	719
जुलाई से सितम्बर, 1971	44,238	1138
अक्तूबर से दिसम्बर, 1971	32,277	1039
जनवरी से मार्च, 1972 .	45,959	901
अप्रैल से जून, 1972	66,579	1943
जुलाई से सितम्बर, 1972 . . .	—	—
अक्तूबर से दिसम्बर, 1972	75,428	1761
भेजा गया माल		
1970-71	4,000	
1971-72	4,900	

बिहार में "ग्रेफाइट" इलैक्ट्रोड परियोजना का पंजीकरण

2397. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में राज्य औद्योगिक विकास निगम ने तकनीकी विकास निदेशालय को दिसम्बर, 1971 में ग्रैफाइट इलैक्ट्रोड परियोजना पंजीकरण हेतु प्रस्तुत की है ; और

(ख) क्या निगम ने राष्ट्रीय उद्योग विकास निगम के तत्वाधान में यह परियोजना प्रतिवेदन तैयार कराया हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस में विलम्ब के क्या कारण हैं और इस को कब तक स्वीकृति मिल जाएगी ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) तकनीकी विकास के महानिदेशालय द्वारा राज्य सरकार निगम ने एक पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी कर दिया है ।

सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में ली गई संकटग्रस्त कपड़ा मिलें

2398. **श्री बसन्त साठे** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने अब तक राज्यवार कितनी संकटग्रस्त कुप्रबन्ध वाली कपड़ा मिलों को अपने नियंत्रण में लिया है ;

(ख) गत तीन वर्षों में इन मिलों में कितने कपड़े का उत्पादन हुआ तथा उनका निर्यात किया गया और उससे कितना लाभ अथवा हानि हुई तथा कितने व्यक्तियों को रोज़गार मिला ; और

(ग) इन मिलों को पुन: सक्षम बनाने तथा उनकी प्रबन्ध व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और उन्हें पुन: नया रूप देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) इस समय 103 कपड़ा मिलें हैं जिनका प्रबन्ध भारत सरकार ने उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनिमय, 1951 तथा संकटग्रस्त कपड़ा मिल (प्रबन्ध हाथ में लेना) अधिनियम, 1972 के उपबन्धों के अधीन अपने हाथ में ले लिया है इन उपक्रमों का राज्यवार ब्यौरा इस प्रकार है :

राज्य का नाम	हाथ में ली गई मिलों की संख्या		
	उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन	संकटग्रस्त मिल अधिनियम के अधीन	कुल
आन्ध्र प्रदेश	3	3	6
असम	1	—	1
बिहार	1	1	2
गुजरात	10	2	12
केरल	2	3	5
मध्य प्रदेश	5	2	7
महाराष्ट्र	12	10	22
मैसूर	2	2	4
उड़ीसा	—	1	1
पंजाब	—	4	4
राजस्थान	1	2	3
तमिलनाडु	7	7	14
उत्तर प्रदेश	2	3	5
पं० बंगाल	8	6	14
दिल्ली	1	—	1
पांडिचेरी	2	—	2
	57	46	103

केवल 30 मिलों के कपड़े के उत्पादन के बारे में तुलनात्मक आंकड़े उपलब्ध हैं, जो इस प्रकार हैं :—

वर्ष	कपड़े का उत्पादन (लाख मी० में)
1970	3421.14
1971	3548.70
1972 (अक्तूबर तक) . .	3310.94

गत तीन वर्षों में सभी मिलों द्वारा किया गया निर्यात इस प्रकार है ।

वर्ष	निर्यात (लाख रु० में)
1970 . .	444.32
1971 . .	361.11
1972	442.07

गत तीन वर्षों में 30 मिलों की कुल 8.78 करोड़ रु० का घाटा हुआ ।

सभी मिलों के उपस्थित रजिस्टर में दर्ज कर्मचारियों की कुल संख्या 1.63 लाख है ।

(ग) एककों के पुनर्वास दृढ़ीकरण तथा उनके प्रबन्ध के पुनर्गठन करने हेतु निम्नलिखित अभ्युपाय हाथ में लिए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है ।

(1) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के उपबन्धों के अधीन हाथ में ली गई 57 मिलों में से 47 मिलों के सम्बन्ध में कुल 18.68 करोड़ रु० के परिव्यय की मंजूरी उनके आधुनिकरण कार्यक्रम के लिए दी गई है । शेष मिलों के सम्बन्ध में इसी प्रकार के कार्यक्रम तैयार करने तथा मंजूरी देने का कार्य विचाराधीन है ।

(2) मिलें अपनी इष्टतम क्षमता तक कार्य कर सकें इस हेतु कार्यकारी पूंजी स्वरूप उनके लिए पर्याप्त निधियों की व्यवस्था है ।

(3) मिलों को कपास की थोक आपूर्ति में सहायता पहुंचाने सही और उचित समय में लाभप्रद कीमतों पर सामग्री की आपूर्ति हेतु राष्ट्रीय वस्त्र निगम एक कपास खरीद योजना चला रहा है जिसके अन्तर्गत बैंकों से मार्जिन धन नकद उधारी मिलने तथा थोड़े रु० लेने की सुविधाएं उपलब्ध हैं ।

(4) राष्ट्रीय वस्त्र निगम एक श्रमिक राष्ट्रीकृत योजना भी चला रहा है जिसमें ऐच्छिक सेवा निवृत्ति/फालतू कर्मचारियों की अर्धवार्षिकी की व्यवस्था है ।

(5) मिलों के प्रबन्ध को सुदृढ़ बनाने हेतु प्रधान अधिशासी अधिकारी अनुभवी अधिकारियों की महा प्रबन्धक सर्वप्रभारी नियंत्रकों के पदों पर नियुक्तियां की गई हैं ।

(6) मिलों के प्रबन्ध में प्रधान अधिशासी अधिकारियों, महाप्रबन्धकों, नियंत्रकों को परामर्श देने हेतु परामर्शदात्री समितियां पर्यवेक्षक समितियां बृहत आधार की बनाकर गठित की गई हैं।

(7) कुछ मिलों में कपास आदि खरीदने हेतु समितियां भी स्थापित की गई हैं।

(8) मिलों में वित्त सम्बन्धी समुचित नियंत्रण रखने हेतु उन्हें वित्तीय सलाहकार तथा मुख्य लेखा अधिकारी नियुक्त करने की सलाह दी गई है।

(9) राष्ट्रीय वस्त्र निगम की सीधी प्रभारित मिलों में एक अधिकारी प्रशिक्षण योजना नामक योजना बनाई गई है जिसके अन्तर्गत प्रतिभाशाली नौजवान भर्ती किए जाते हैं तथा उन्हें विभिन्न क्षेत्रों यथा तकनीकी वित्तीय कास्टिंग अकाउन्टेन्सी तथा प्रबन्ध कार्य आदि में प्रशिक्षित करके अन्ततः मिलों के प्रबन्धकीय केडर में खपा लिया जाता है।

कैलसिनेटेड पैट्रोलियम कोक का आयात

2399. **श्री त्रिदिव चौधरी** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय विभिन्न प्रयोजनों के लिए विदेशों से कुल कितनी मात्रा में कैलसिनेटेड पेट्रोलियम कोक का आयात किया जाता है?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : 1972-73 में कैलसिनेटेड पैट्रोलियम कोक का बिल्कुल आयात नहीं किया गया है।

पांचवीं योजना के बारे में राज्यों से परामर्श

2400. **श्री एस०आर० दामाणी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं योजना परिव्यय में राज्यों के भाग के बारे में उनसे परामर्श किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उनका कुल परिव्यय कितना होगा और क्या वे इस उद्देश्य हेतु साधन जुटाने के लिए सहमत हो गये हैं ; और

(ग) उन योजनाओं का स्वरूप क्या है जिन्हें राज्यों को बनाने का परामर्श दिया गया है और इनको अन्तिम रूप कब दिया जायेगा ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) अभी विचार-विमर्श हो रहा है।

(ग) पांचवीं योजना तैयार करने के लिए योजना आयोग ने राज्यों को कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए हैं, जिसमें इन बातों पर जोर दिया गया है—एकीकृत विकास, विशेषतः कृषि, सिंचाई व बिजली के कार्यक्रम ; कई प्रकार की परियोजनाएं तैयार करना ताकि पूंजी-निवेश के लिए अधिक सार्थक निर्णय लिए जा सकें ; पिछड़े क्षेत्रों का विकास तथा रोजगारप्रद कार्यक्रम तैयार करना। इसके अलावा उन्हें यह सलाह दी गई है कि जनसंख्या के कमजोर वर्गों के लाभार्थ, विस्तृत रूप से न्यूनतम आवश्यकताओं वाले कार्यक्रमों को पता लगायें तथा उन्हें सूत्रबद्ध करें। आशा है कि 1973 के अन्त तक राज्य की पांचवीं योजना को अंतिम रूप मिल जाएगा।

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

"अमरीका से आयात किए गए माइलो में 'धतूरे' के बीज मिले होने के समाचार"

श्री धामनकर (भिवंडी) : मैं कृषि मन्त्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं तथा उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :

"अमरीका से आयात किये गये माइलो में 'धतूरे' के बीज मिले होने के समाचार"

कृषि मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : संयुक्त राज्य अमेरिका से खरीदी गई माइलो का पहला प्रेषण बम्बई बन्दरगाह पर फरवरी, 1973 के पहले सप्ताह में पहुंचा था। इस अनाज के पहुंचने पर तुरन्त इसका निरीक्षण किया गया और उसमें धतूरे के बीज पाये गए। राज्य सरकारों को उचित मूल्य की दुकानों से वितरण करने के लिए स्टाक न देने के लिए तुरन्त पग उठाए गए। इसके साथ-साथ गोदी तथा भारतीय खाद्य निगम के डिपो में माइलो से धतूरे के बीज निकाल कर उसे साफ करने के प्रबन्ध किए गए।

2. साफ करने के बाद माइलो में आम तौर पर धतूरे के बीज नहीं रहे। हाफकिन्ज इन्स्टीट्यूट, बम्बई ने इसका विश्लेषण करने के बाद यह प्रमाणित किया है कि साफ की गई माइलो से तैयार आटा विषाक्त सामग्री से मुक्त है और उन्होंने साफ किए गए अनाज से उत्पादित माइलो के आटे के वितरण की सिफारिश की है।

3. भारतीय सप्लाई मिशन, वाशिंगटन ने संयुक्त राज्य अमेरिका में सम्बन्धित प्राधिकारियों के साथ यह मामला उठाया है। तथापि यह उल्लेखनीय है कि अतीत में संयुक्त राज्य अमेरिका से प्राप्त गेहूं के कुछेक प्रेषणों में भी धतूरे के बीज होने के इसी प्रकार के मामले ध्यान में आए थे और ऐसा स्टाक रोलर फ्लोर मिलों को उचित सफाई के बाद गेहूं के पदार्थ बनाने के लिए दिया गया था। कृषि फसलों के साथ धतूरा बीज खरपतवार के रूप में पैदा होता है और मशीनों से फसल की कटाई के समय धतूरे का बीज अनाज में मिल जाता है। संयुक्त राज्य अनाज मानकों के अनुसार धतूरे के बीज विषाक्त नहीं समझे जाते हैं। यह विजातीय पदार्थ और/या बीज के आकार पर निर्भर कर डाकेज समझा जाता है। यह मालूम हुआ है कि स्वयं संयुक्त राज्य सरकार भी अब अपने कार्यक्रम के अधीन इसी प्रकार की माइलो खरीद रही है और कई देशों को सप्लाई कर रही है लेकिन मानव उपभोगार्थ समेत उसी प्रकार का प्रमाणीकरण करना पड़ता है।

4. माइलो से धतूरे के बीज निकाल कर उसे साफ करने के आवश्यक प्रबन्ध किए गए हैं और सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि उचित मूल्य की दुकानों से दी जाने वाली माइलो में धतूरे के बीज न हों।

श्री धामनकर : मैं माननीय मन्त्री के वक्तव्य से संतुष्ट नहीं हूं। स्थिति यह है कि महाराष्ट्र में धतूरा मिले माइलो को मिलों तथा बम्बई में वितरण केन्द्रों में भी भेज दिया गया था। इस मामले को महाराष्ट्र विधान सभा तथा विधान परिषद में भी उठाया गया था।

भारत में धतूरा को विषैला पदार्थ समझा जाता है। 'हाफकिन्स इन्स्टीट्यूट ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि इस से नशा हो जाता है। माइलो के वितरण से पूर्व 'धतूरे' के बीजों को इससे अलग कर दिया जाना चाहिए था। महाराष्ट्र में इस समय गम्भीर सूखे तथा अभाव की स्थिति है। अतः यह माइलो पिछड़े क्षेत्रों को भेजा जायेगा और इसका वितरण मजदूरों तथा आदिवासियों में किया जायेगा। विभिन्न आटा मिलों ने, जिनको यह माइलो भेजा गया था, इस बारे में जिम्मेदारी लेने से इन्कार कर दिया है। जब तक माइलो से धतूरे के बीज पूरी तरह अलग नहीं कर दिए जाते तब तक खाद्य निगम को इसे वितरित नहीं करना चाहिए। मैसूर, राजस्थान तथा गुजरात राज्यों को भी माइलो भेजा गया है। वहां से भी शिकायतें प्राप्त होंगी। क्या वितरण से पूर्व माइलो को साफ किया जायेगा ताकि इसमें धतूरे के बीज बिल्कुल भी न रहे।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : जैसे ही हमें यह पता लगा था कि माइलो में धतूरे के बीज हैं हमने अनुदेश जारी कर दिए थे कि इसको उपभोक्ताओं में वितरित न किया जाये। मैंने बम्बई में जांच कराई थी और मुझे पता लगा था कि धतूरा मिले माइलो को उपभोक्ताओं को नहीं दिया गया है। मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि धतूरा मिले माइलो को उपभोक्ताओं में वितरित नहीं किया जायेगा।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : माननीय कृषि मन्त्री ने ध्यान दिलाने वाली इस सूचना को जिस प्रकार लिया है उससे ऐसा लगता है कि यह अमरीका से सम्बन्ध सुधारने का एक प्रयास है। महाराष्ट्र विधान सभा में वहां के पूर्ति मन्त्री ने एक खतरनाक वक्तव्य दिया था। उन्होंने कहा था कि इस बारे में अनुदेश जारी किए गए हैं कि इस बात की पूरी सावधानी बरती जाए कि इससे उपभोक्ताओं को कोई हानि न हो। उन्होंने यह भी बताया कि आटा मिलों को अनुदेश दिये गये हैं कि वे माइलो को साफ करके उसका आटा बनायें। परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि बम्बई की दो आटा मिलों ने इस बारे में जिम्मेदारी लेने से इन्कार कर दिया है। अब महाराष्ट्र विधान सभा में कहा गया है कि किसी भूल के लिए आटा मिलों पर जिम्मेदारी नहीं थोपी जा सकती। इसका अर्थ यह है कि महाराष्ट्र सरकार इनकी भूल को सहन करने को तैयार है। हाफकिन्स इन्स्टीट्यूट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि एक किलो में 2 अथवा 3 बीज ही रह जाते हैं तो उसके परिणाम यद्यपि घातक तो नहीं होंगे, परन्तु गला सूखेगा और शरीर में घुटन उत्पन्न होगी। क्या सरकार इन सब बातों को देखते हुए इस आटे का वितरण सहायता कार्यों में लगे लोगों में करेगी क्योंकि वहां काम कर रहे लोगों की सहन शक्ति बहुत कम है और वे धतूरे के प्रभाव को सहन नहीं कर सकेंगे। सब से निन्दनीय बात यह है कि महाराष्ट्र के पूर्ति मन्त्री ने कहा है कि इस माइलो का वितरण महाराष्ट्र में रहने वाले आदिवासियों में किया जायेगा। हम देश के पिछड़े लोगों से इस प्रकार व्यवहार करने जा रहे हैं।

यदि किसी निजी व्यापारी से अपमिश्रित खाद्यान्न बरामद होता है तो इसके लिए उसे जिम्मेदार ठहराया जाता है और उसके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है। मैं जानना चाहता हूं कि यदि हम निजी व्यापारियों को बन्दी बनाते हैं तो सम्बन्धित मन्त्री को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा सकता। यहां पर मन्त्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया है, वह महाराष्ट्र विधान सभा में वहां के पूर्ति मन्त्री द्वारा दिए गए वक्तव्य से मेल नहीं खाता।

क्या माननीय मन्त्री को पता है कि महाराष्ट्र विधान सभा में पूर्ति मन्त्री द्वारा दिए गए वक्तव्य से न तो विरोधी दलों के सदस्य संतुष्ट थे और न ही सत्तारूढ़ दल के सदस्य ही सन्तुष्ट थे। स्वयं विधान सभा के अध्यक्ष भी उनके वक्तव्य से सन्तुष्ट नहीं थे। केन्द्र की ओर से इस बात का निरीक्षण कौन करेगा कि सप्लाई किए जाने वाले माइलो के आटे में धतूरे का तत्व बिल्कुल नहीं होगा? माननीय मन्त्री को इस बारे में स्पष्ट रूप से उत्तर देना चाहिए।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : अमरीकी अनाज स्टैण्डर्ड से इस तत्व को जहरीला नहीं समझा जाता। परन्तु हम धतूरे को विषैला तत्व समझते हैं। अतः उपभोक्ता को सप्लाई करने से पूर्व माइलो को साफ करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

यह ठीक है कि भारतीय खाद्य निगम ने महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात के विभिन्न डिपुओं को माइलो सप्लाई किया है परन्तु इन डिपुओं से उपभोक्ताओं को माइलो नहीं दिया गया है। उन्हें अनुदेश दे दिए गए हैं कि जब तक माइलो से धतूरे को पूरी तरह नहीं अलग कर दिया जाता, उपभोक्ताओं को माइलो न दिया जाए। अतः किसी को माइलो सप्लाई करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। पहले प्रेषण के प्राप्त होने के पश्चात ही हमारे किस्म निमन्त्रण यूनिट ने यह पता लगा लिया था कि माइलो में धतूरा मिला हुआ है। हमने इस मामले को वाशिंगटन स्थित सप्लाई मिशन के साथ उठाया है। वाशिंगटन स्थित भारतीय सप्लाई मिशन तथा अमरीकी सरकार के बीच इस बारे में बातचीत चल रही है कि ऐसा किन परिस्थितियों में हुआ है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) : भारतीय खाद्य निगम द्वारा इसके वितरित किए जाने के क्या कारण हैं।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : इसको केवल गोदामों में भेजा गया था।

श्री संझियान (कुम्बकोणम) : क्या वाशिंगटन स्थित भारतीय सप्लाई मिशन में भी किस्म नियन्त्रण की कोई व्यवस्था है ताकि माल को भेजने से पूर्व उसकी जांच की जा सके? इसकी जांच करने में भारतीय सप्लाई मिशन के असफल रहने के क्या कारण हैं। हाफ-किन्स इन्स्टीट्यूट के अनुसार यदि एक किलो में दो अथवा तीन बीज भी धतूरे के रह जाते हैं तो वह मानव उपयोग के योग्य नहीं है। क्या पहले भी कोई ऐसा स्टैण्डर्ड नियत किया गया था अथवा यह प्रथम बार है कि इस इन्स्टीट्यूट ने यह राय व्यक्त की है? मेरे विचार में आटा मिलों के उत्पाद पर परीक्षण किया गया है। ऐसे मामले में धतूरे के बीजों में माइलो के साथ आटे में पिस जाने की सम्भावना है। क्या महाराष्ट्र सरकार को ऐसे किसी मामले के समाचार मिले हैं जिसमें कुछ व्यक्तियों पर धतूरा मिले माइलो खाने का प्रभाव पड़ा हो?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : अभी तक ऐसे किसी मामले का समाचार नहीं मिला है। मेरी जानकारी के अनुसार धतूरा मिले माइलो सप्लाई ही नहीं किया गया है। आटा मिलों द्वारा कुछ मात्रा में माइलो का आटा बनाया गया था। उस आटे की जांच हाफकिन्स संस्था द्वारा की गई थी और उसे विषैले तत्व से मुक्त पाया गया था। इसके पश्चात ही इस आटे को वितरण केन्द्रों में भेजा गया था। हम इस बारे में आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं कि धतूरा मिला माइलो वितरित न किया जाए और इस बारे में आवश्यक अनुदेश भी जारी किए जा चुके हैं।

वाशिंगटन स्थित भारतीय सप्लाई मिशन ने बताया है कि अमरीकी स्टैण्डर्ड से माइलो में 6 प्रतिशत अन्य तत्व मिलाये जाने की अनुमति है। अतः माइलो की सप्लाई उसी स्टैण्डर्ड से की गई है। उनसे और जानकारी मांगी गई है। उत्तर प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

श्री बसन्त साठे (अकोला) : मैं इस बात के लिए माननीय मन्त्री का धन्यवाद करता हूं कि यह माइलो लोगों को तब तक सप्लाई नहीं किया जायेगा जब तक इससे धतूरे की बीज नहीं निकाल दिए जाते। माननीय मन्त्री ने अपने वक्तव्य में कहा है कि माइलो के यहां पर आते ही यह पता लगा लिया गया था कि उसमें धतूरा मिला हुआ है। फिर उसे महाराष्ट्र सरकार को सप्लाई किए जाने के क्या कारण हैं और महाराष्ट्र सरकार ने उसे उचित मूल्य की दुकानों पर क्यों भेजा?

इस बात को, कि माइलो में धतूरा मिला हुआ है, रेडियो द्वारा भी प्रसारित किया जाना चाहिए था और लोगों को बताया जाना चाहिए था कि वह धतूरा निकाले बिना इसका उपयोग न करें। माइलो को किसी भी हालत में लोगों को नहीं दिया जाना चाहिए। आटा मिलों द्वारा धतूरा निकाले जाने के पश्चात इसका आटा बनाकर ही लोगों को सप्लाई किया जाना चाहिए। लोगों के लिए माइलो से धतूरे के बीज निकालना सम्भव नहीं है। दूसरे अमरीकी स्टैण्डर्ड के अनुसार नहीं बल्कि भारतीय स्टैण्डर्ड के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। अमरीका में माइलो जानवरों को खिलाया जाता है।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : मैं पहले ही कह चुका हूं कि हम अमरीकी स्टैण्डर्ड को स्वीकार नहीं करते। मैं यह भी कह चुका हूं कि धतूरा मिला माइलो लोगों को सप्लाई नहीं किया गया है। इस बारे में अनुदेश जारी कर दिए गए थे। उपभोक्ताओं को शुद्ध माइलो ही सप्लाई किया जायेगा। इस बारे में आवश्यक कार्यवाही की गई है। माइलो को आटे के रूप में सप्लाई करने पर भी विचार किया गया है। अतः हम यह प्रयत्न कर रहे हैं कि माइलो का आटा बनाकर सप्लाई किया जाये।

श्री सी० के० चन्द्रापन (तेल्लीचेरी) : माननीय मन्त्री ने जो कुछ कहा, उस पर विश्वास करना बहुत कठिन है। महाराष्ट्र के सिविल सप्लाई मन्त्री ने महिलाओं को इस बारे में सावधान रहने को कहा है जबकि केन्द्रीय मन्त्री ने कहा है कि धतूरा मिले माइलो को बिल्कुल सप्लाई ही नहीं किया गया है।

स्वयं माननीय मन्त्री ने बम्बई में कहा था कि उपभोक्ताओं को चाहिए कि वह माइलो से धतूरे के बीजों को निकाल कर ही उसका खाना तैयार करें।

माननीय मन्त्री ने अपने वक्तव्य में उल्लेख किया है कि अमरीका के स्तर के अनुसार धतूरे को जहरीला नहीं समझा जाता। उन्होंने अपने उत्तर में यह भी कहा है कि विदेशों से जब हम अनाज अथवा माइलो अथवा अन्य वस्तु का आयात करते हैं तो उसमें 6 प्रतिशत विदेशी सामग्री के मिश्रण की अनुमति दी जाती है। यह कहना उचित नहीं है कि धतूरा जहरीला नहीं होता। जिस संस्थान को यह मामला भेजा गया है उसने भी यह कहा है कि धतूरे से सिर में चक्कर आता है।

माननीय मन्त्री किसी व्यक्ति को संरक्षण देने का प्रयास कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में जांच की जानी चाहिए और विदेशी सामग्री के नाम पर धतूरे का आयात करने के लिए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए।

जैसे ही माइलो बम्बई बन्दरगाह पर पहुंचा, भारतीय खाद्य निगम ने उसका वितरण लोगों को करना आरम्भ कर दिया था। भारतीय खाद्य निगम द्वारा ऐसा किए जाने के क्या कारण थे?

सरकार इसकी खरीद के लिए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है? दूसरे क्या सरकार इस बारे में जांच करेगी और तीसरे सरकार को इस मामले को साधारण नहीं समझना चाहिए। अब तक प्राप्त सब सूचनाओं के अनुसार माइलो जहरीला था।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद: बम्बई में मैंने जो वक्तव्य दिया था, माननीय सदस्य को उसके बारे में गलतफहमी है। मेरे से जब पूछा गया था कि क्या मुझे इस बात की जानकारी है कि उपभोक्ताओं को धतूरा मिले माइलो की सप्लाई की गई थी तो मैंने उत्तर दिया था कि मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है। महाराष्ट्र सरकार के मन्त्री द्वारा इस बारे में दिए गए वक्तव्य की मुझे जानकारी नहीं है। जांच के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उपभोक्ताओं को माइलो का वितरण नहीं किया गया और मैं अपने वक्तव्य पर दृढ़ हूं। (**अन्तर्बाधाएं**) ऐसा कोई मामला मेरी जानकारी में नहीं लाया गया है, जिसमें धतूरा मिले माइलो के वितरण की शिकायत की गई है। जहां तक वाशिंगटन स्थित हमारे सप्लाई मिशन द्वारा इसकी खरीद का प्रश्न है, इस बारे में जांच की जा रही है। माइलो की खरीद निर्धारित किस्म के अनुसार किये जाने के बारे में जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। (**अन्तर्बाधाएं**)।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) संशोधन विनियम

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा): मैं संविधान के अनुच्छेद 320 के खण्ड (5) के अन्तर्गत संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) संशोधन विनियम, 1973 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 24 फरवरी, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 168 में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण सभा पटल पर रखता हूं।

[**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4403/73**]

आंतरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम, 1971 के प्रवर्त्तन के बारे में सांख्यिकीय जानकारी और भारत इलेक्ट्रानिक्स निगम लिमिटेड, हैदराबाद के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा परीक्षित लेखे

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) 'आंतरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम, 1971 के 7 मई, 1971 से 30 जून, 1972 तक की अवधि के प्रवर्त्तन के बारे में सांख्यिकीय जानकारी' की एक प्रति।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 4404/73]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) भारतीय इलेक्ट्रानिक्स निगम लिमिटेड, हैदराबाद, के वर्ष 1971—72 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय इलेक्ट्रानिक्स निगम लिमिटेड, हैदराबाद, का वर्ष 1971—72 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 4405/73]

'जन संचार के माध्यम का समन्वय' सम्बन्धी प्रसारण और सूचना माध्यम समिति का प्रतिवेदन

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : मैं 'जन-संचार के माध्यम का समन्वय' के सम्बन्ध में प्रसारण और सूचना माध्यम समिति के प्रतिवेदन के भाग 2 और 3 में की गयी सिफारिशों पर की गयी कार्यवाही का एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4406/73]

प्राक्कलन समिति

ESTIMATES COMMITTEE

28वां प्रतिवेदन

श्री कृष्ण चन्द्र हालदार (औसग्राम) : मैं चाय बोर्ड के सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति के 18वें प्रतिवेदन में की गयी सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के बारे में वाणिज्य मंत्रालय (विदेश व्यापार विभाग) सम्बन्धी समिति का 28वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

लोक लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

70वां प्रतिवेदन

श्री ईश सेज्ञियान (कुम्बकोणम) : मैं पूर्ति मंत्रालय के सम्बन्ध में लोक लेखा समिति के 38वें प्रतिवेदन में की गयी सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के बारे में समिति का 70वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

कार्य मंत्रणा समिति के 25वें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

MOTION *RE* TWENTY-FIFTH REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरमैया) : मैं प्रस्ताव करता हूं : "कि यह सभा कार्य-मंत्रणा समिति के 25वें प्रतिवेदन से, जो 6 मार्च 1973, को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमन्ड हार्बर) : मैं इस बारे में एक टिप्पणी करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : हम पहले ही निर्णय ले चुके हैं कि इस मामले पर तब चर्चा की जा सकती है जब सभा की कार्यवाही के बारे में घोषणा की जाये। इस मामले पर सभा पटल पर प्रतिवेदन रखते हुए विचार नहीं किया जा सकता।

श्री ज्योतिर्मय बसु : हमने यह निर्णय लिया था कि नियम 184 और 193 के अन्तर्गत कम से कम दो बार चर्चा की जानी चाहिये। (**अन्तर्बाधायें**)।

अध्यक्ष महोदय : इन विषयों पर आप कार्य मंत्रणा समिति में चर्चा कर सकते हैं। प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 25वें प्रतिवेदन से, जो 6 मार्च, 1973, को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

कर्मचारी भविष्य निधि और कुटम्ब पेंशन निधि (संशोधन) विधेयक

EMPLOYEES PROVIDENT FUNDS AND FAMILY PENSION FUND (AMENDMENT) BILL

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटम्ब पेंशन-निधि अधिनियम, 1952 का और संशोधन करने तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 405 में उससे संसक्त स्पष्टीकारक उपबंध को सम्मिलित करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 का और संशोधन करने तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 405 में तत्संसक्त एक व्याख्यात्मक उपबंध जोड़ने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

श्री रघुनाथ रेड्डी : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

वेतन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में

RE PAY COMMISSION'S REPORT

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : There is a news that the members of the Pay Commission differ in their views. The House has not been told anything regarding Pay Commission. Members have not been taken into confidence in this regard. It appears that the report of the Pay Commission will not be unanimous. There may be more than one note of dissent. The Government should ask the Pay Commission to give the information regarding its report to the Government first, instead of giving it to the Press.

I doubt whether the Pay Commission's report will be submitted by the 31st March. In case it is not submitted by 31st March, the Government should again consider to pay an interim relief to the Government employees.

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूं कि वेतन आयोग का प्रतिवेदन लीक हो रही है । (अन्तर्बाधायें) इसके परिणामस्वरूप सरकारी कर्मचारियों की आशाओं पर पानी फिर गया है । ऐसा विदित हुआ है कि न्यूनतम वेतन 180 रुपये निर्धारित किया जायेगा । हम न्यूनतम वेतन 250/– रुपये चाहते हैं । यदि वेतन आयोग के सदस्यों में उसके प्रतिवेदन के बारे में मतभेद हो गया है तो सरकार को सरकारी कर्मचारियों को कुछ अन्तरिम सहायता देनी चाहिये ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमन्ड हार्बर) : वेतन आयोग को नियुक्त किये तीन वर्ष और 9 महीने हो गये हैं । अभी तक आयोग ने प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है । लोगों को अन्धकार में रखा गया है । समाचार पत्र इस बारे में जानकारी देने के लिये बधाई के पात्र हैं । अब समाचार पत्रों द्वारा यह बात प्रकाश में लाई गई है कि किसी प्रश्न पर वेतन आयोग के सदस्यों में मतभेद हो गया है । हम यह जानना चाहते हैं कि सरकार इस बारे में मौन क्यों है और हमें ये सब बातें समाचार-पत्रों से पढ़ कर सरकार को बतानी पड़ती है । यदि सरकार इस संबंध में कोई बात छिपाना नहीं चाहती तो इसे इसी समय एक वक्तव्य देना चाहिये ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : समाचार पत्रों में प्रकाशित इन समाचारों की सरकार को कोई जानकारी नहीं है । सरकार को आयोग के सदस्यों के विचारों के बारे में कोई जानकारी नहीं है । (अन्तर्बाधायें) सरकार ने आयोग की स्थापना की थी और हमने सदन को यह सूचित किया है कि आयोग अपना प्रतिवेदन मार्च के अन्त तक प्रस्तुत कर देगा । सरकार के लिये यह पता लगाना अनुचित होगा कि क्या आयोग के सदस्यों के बीच मतभेद है अथवा नहीं (अन्तर्बाधायें) ।

श्री एस० एम० बनर्जी : संसद का जब सत्र चल रहा होता है तो कोई भी प्रतिवेदन हो चाहे वह किसी आयोग अथवा समिति का हो, अन्तरिम अथवा अन्तिम प्रतिवेदन हो, उसकी संसद में घोषणा की जाती है । प्रतिवेदन के मामले में समाचार पत्रों में पहले ही बहुत सी बातें प्रकाशित हो गई हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय लीकेज के लिए जिम्मेदार नहीं हैं ।

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : The Student of Faridabad Medical College are on Strike. The Home Minister should make a statement in this regard.

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : फरीदाबाद मेडिकल कालेज की स्थिति की गम्भीरता की मुझे जानकारी है । उक्त स्थिति को एक सप्ताह में हल करने का प्रयास किया जा रहा है । अत: इस बारे में माननीय सदस्यों को प्रतीक्षा करनी चाहिए । इस समस्या को

हल करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अभी तक इस समस्या का कोई अन्तिम हल नहीं निकाला जा सका है। इस स्तर पर मैं कोई वचन देने के लिए तैयार नहीं हूं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री को इस समस्या का सभा के सम्मुख शीघ्र हल रखना चाहिए। (अन्तर्बाधाएं) किसी भी कालेज के राष्ट्रीयकरण का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : मंत्री महोदय ने अभी उल्लेख किया था कि वह इस समस्या को एक सप्ताह में हल कर देंगे। लेकिन कुछ समय बाद ही उन्होंने उल्लेख किया है कि वह इस सम्बन्ध में कोई वक्तव्य देने को तैयार नहीं हैं। उन्हें अपने शब्दों पर दृढ़ रहना चाहिए।

श्री आर० के० खांडिलकर : समस्या को हल करने के प्रयास किए जा रहे हैं (अन्तर्बाधाएं)।

मंत्रियों द्वारा दिये गये गलत वक्तव्यों के बारे में—जारी

RE. ALLEGED WRONG STATEMENTS MADE BY MINISTERS—*contd.*

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगुसराय) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि क्या विधि मंत्री इस मामले में विधि विशेषज्ञ अथवा मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में, जिसकी संयुक्त जिम्मेवारी होती है, हस्तक्षेप करेंगे?

श्री एच० एन० मुखर्जी (कलकत्ता–उत्तर-पूर्व) : आपने अभी बताया कि आप इस विषय पर विधि मंत्री के विचार जानना चाहेंगे। यदि आप किसी विषय पर निश्चय करने के लिए दलील सुनना चाहें तो आप ऐसा अपने कक्ष में अथवा अन्य स्थान पर कर सकते हैं। लेकिन यदि आप किसी विषय पर सदन में विचार सुनते हैं तो वे वक्तव्य सदन की सम्पत्ति हो जाते हैं और यदि आप उनके बारे में किसी प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं तो सभा को सदन में दिए गए वक्तव्य पर चर्चा करने का अधिकार होगा अतः जो भी विधि मंत्री कहेंगे उस पर सभा को चर्चा करने का अधिकार होगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमन्ड हार्बर) : यह मामला नियम 222 के अन्तर्गत उठाया गया था। अतः सभा इस विषय पर चर्चा कर सकती है। यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाना चाहिए। आप हमें यह बताएं कि आप इस मामले को प्रक्रिया के किन नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही कर रहे हैं? इस मामले का प्रधान मंत्री के पुत्र से सम्बन्ध है अतः हमें इस मामले में बड़ी सावधानी से काम लेना चाहिए और कोई अनुचित बात नहीं कहनी चाहिए।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Shri Mishra raised this issue under Rule 222. It is not still clear, as to under which rule you have permitted him to raise this issue. I want to know whether after listening to the views of the Law Minister, you will yourself like a decision is this matter or you will provide an opportunity to the House to discuss on it. We also want that the Statements of Shri Mishra, Shri Shukla and the Law Minister should be Circulated to the members. You should not take the responsibility of taking any decision in this matter.

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मैंने यह स्पष्ट लिखा था कि मैं इसे नियम 222 के अन्तर्गत उठाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य से सहमत नहीं हूं। पिछली बार जब यह मामला उठा था तो माननीय सदस्य ने कहा था कि वह इस मामले को नियम 377 अथवा निर्देश 115 के अन्तर्गत

नहीं उठाना चाहते बल्कि वह इसे विशेषाधिकार प्रस्ताव मानने की बात कह रहे थे। तब मैंने स्पष्ट कहा था कि अगर ऐसी बात है तो मैं इस पर विचार करूंगा कि यह विशेषाधिकार प्रस्ताव बन भी सकता है या नहीं और इसके लिए मुझे दूसरे पक्ष की भी बात सुननी होगी। पर यदि आप इसे विशेषाधिकार का मामला न मानकर साधारण मामला बना कर चर्चा करना चाहते हैं, तो मैं कुछ सदस्यों को इसमें भाग लेने को कहूंगा और यह स्थिति थी मैंने इसे स्पष्ट कर दी थी।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : क्या **विधि** मंत्री कानून विशेषज्ञ के रूप में यहां आए हैं।

अध्यक्ष महोदय : यदि इस पर नियम 222 के अन्तर्गत चर्चा नहीं की जानी है, तो मुझे इस पर होने वाली चर्चा पर कोई आपत्ति नहीं है और यदि यह विशेषाधिकार का मामला है, तो मुझे नियमों का अनुसरण करना पड़ेगा। माननीय सदस्य अब अचानक कह रहे हैं कि वह इसे विशेषाधिकार का मामला बनाना चाहते हैं।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : अचानक नहीं कह रहा हूं, मैंने अपने पत्र में भी लिखा था।

अध्यक्ष महोदय : विशेषाधिकार सम्बन्धी प्रस्ताव सभा के समक्ष तब तक कैसे प्रस्तुत हो सकता है, जब तक मैं उसे.....

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मैं यह कहता हूं कि दो मंत्रियों ने जानबूझकर सदन को गुमराह किया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु :(डायमंड हार्बर) : आप किस नियम के अन्तर्गत विधि मंत्री को वक्तव्य देने की अनुमति दे रहे हैं?

श्री एच० एन० मखर्जी : (कलकत्ता—उत्तर-पूर्व) : मैंने रिकार्ड देखा है और सुना भी है कि यह मामला नियम 222 के अन्तर्गत उठाया गया था।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप विधि मंत्री का वक्तव्य नहीं सुनना चाहते, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर): हम इस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : लेकिन इसे विशेषाधिकार प्रस्ताव मान कर नहीं। यदि मंत्री महोदय का वक्तव्य सुनकर माननीय सदस्य कहें कि यह साधारण मामला नहीं है और वह इस पर विशेषाधिकार प्रस्ताव रखना चाहते हैं, तो मैं इस पर अपना निर्णय दूंगा। यदि माननीय सदस्य ने अपनी पहली बैठक में मुझे यह कहा होता कि वह इसे विशेषाधिकार का मामला मानते हैं, तो मेरी प्रतिक्रिया भिन्न होती।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : यदि यह चर्चा नियम 222 के अन्तर्गत नहीं है तो फिर यह किस नियम के अन्तर्गत है?

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जाइए।

श्री पी० जी० मावलंकर : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं बहस नहीं करना चाहता। क्या यह नियम 222 के अन्तर्गत है या नहीं और मानलो अगर आप विधि मंत्री के वक्तव्य को सुनकर यह निर्णय देते हैं कि यह मामला विशेषाधिकार समिति के पास जाने के योग्य नहीं है, तो इसका यह अर्थ हुआ कि सदन के सदस्य होने के नाते हमारे सारे अधिकार नष्ट हो गए। यदि आपको मामले पर कानूनी राय लेनी थी, तो विधि मंत्री को क्यों बुलाया गया है। महान्यायवादी को बुलाया जाता तो ज्यादा अच्छा था।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न कानूनी राय का नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वह माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रश्नों का जवाब देना चाहते हैं अथवा नहीं। यदि आप लोगों की इच्छा नहीं है, तो मैं उन्हें बोलने को नहीं कहूंगा।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : माननीय सदस्य श्री मिश्र द्वारा उठाए गए मामले का सार यह है कि क्या कानून का उल्लंघन हुआ है और इस आशय का वक्तव्य कि कानून का उल्लंघन नहीं हुआ है, सही है अथवा गलत। इस मामले के तथ्यों पर भारत रक्षा निर्माण कार्य अधिनियम 1903 के अन्तर्गत विचार किया जा सकता है। वास्तविक स्थिति मंत्री महोदय ने सदन में स्पष्ट कर दी थी।

कुछ रक्षा निर्माण कार्यों के बचाव के लिए 1903 के अधिनियम के अन्तर्गत कुछ प्रतिबन्ध लगाए जा सकते हैं। प्रतिबंध लगाने की विधि और ढंग निर्धारित हैं।

[श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए]

SHRI N. K. TIWARI *in the Chair*

तदनुसार 1962 में पहली अधिसूचना जारी की गई थी जिसमें घोषणा भी सम्मिलित थी। पहला प्रश्न यह है कि 1962 में जारी की गई अधिसूचना में की गई घोषणा का उल्लंघन हुआ है। यह अधिसूचना नियम की धारा 3 के अन्तर्गत प्रकाशित हुई थी। दूसरा प्रश्न यह है कि क्या उसके पश्चात् 1969 की अधिसूचना का कोई उल्लंघन हुआ है।

इस अधिनियम की धारा 3 में कहा गया है कि यदि सरकार किसी भूभाग के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना रक्षा या किसी अन्य दृष्टि से आवश्यक समझे, तो इसके लिए सरकार को घोषणा करनी होगी।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

MR. SPEAKER *in the Chair.*

और इसी धारा के भाग (ii) में कहा गया है कि ऐसी घोषणा को सरकारी गजट में प्रकाशित किया जाएगा और उसमें जमीन का नक्शा तथा जिस ज़िले जिस क्षेत्र में वह है, सब कुछ लिखा जाएगा। मैंने 1962 की घोषणा को ध्यान से पढ़ा है। मैंने जो कुछ तथ्य दिए हैं, उनसे ऐसा लगता है कि इस अधिनियम की धारा 3 (i) और (ii) के उपबन्धों के साथ साथ घोषणा का पालन किया गया है।

मैं यह उपेक्षा नहीं करता कि विरोधी दल के सदस्य मुझ से सहमत हों। मेरे सहयोगी द्वारा दिए गए वक्तव्य में यह कहा गया है कि वह अधिसूचना गोला बारूद डिपो के उद्देश्य से जारी की गई है। अधिसूचना में यही कहा गया है कि गोला बारूद डिपो की बाहरी सीमा के 1000 गज़ की दूरी पर हो।

यह स्पष्ट रूप से धारा के अनुसार है क्योंकि इस धारा में बताया गया है कि इस सीमा के बारे में अवश्य बताया जाना चाहिए जिसके भीतर यह अधिसूचना लागू होगी अर्थात् इन सीमाओं के बारे में अवश्य बताया जाना चाहिए जिनके भीतर धारा 7 (6) के अनुसार अपेक्षित सीमाओं पर यह अधिसूचना लागू होगी। जहां तक अधिसूचना का प्रश्न है इसमें संदेह नहीं। यह अपने आप में वैध थी। किन्तु सभा में यह कहा गया था कि जिस बारूद डिपो के लिए यह अधिसूचना जारी की थी वह अधिसूचना जारी करने के बाद वहां से उठा लिया गया।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : मेरी जानकारी यह है कि वहां से यह डिपो हटाया नहीं गया। मेरा अनुरोध है कि एक संसदीय प्रतिनिधि मंडल से इसकी जांच कराई जाए और मैं इस तथ्य की पुष्टि कर सकता हूं।

श्री एच० आर० गोखले : जहां तक तथ्यों का सम्बन्ध है, मैं उन्हें मंत्रालय से प्राप्त कर लूंगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मंत्री महोदय हमें विशेषाधिकार के मामले पर निर्णय देने को कह रहे हैं। इस प्रकार वह विशेषाधिकार समिति को उसके अधिकारों से वंचित कर रहे हैं।

श्री एच० आर० गोखले : इस धारा के अन्तर्गत अन्य उपबन्ध यह हैं कि मानचित्र में जिसका उल्लेख धारा 3 (2) में किया गया है, सीमाओं का सीमांकन किया जाना चाहिए जैसा कि धारा 7 में उल्लेख किया गया है। जो कुछ धारा 7 (ख) में बताया गया है, वह कानून की आवश्यकता है और उसका अनिवार्य रूप से पालन किया जाना चाहिए। धारा 7 (ख) की आवश्यकतानुसार 1962 की अधिसूचना में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि "गोला बारूद डिपो की बाहरी सीमा के 1000 गज की दूरी के भीतर ही पड़ी हुई भूमि का उपयोग"। इस अधिसूचना द्वारा तथा बेशक धारा 7 (ख) के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 3 की आवश्यकता के अनुसार सीमांकन सीमा गोला बारूद डिपो के बाहरी सीमा से 1000 गज़ होनी चाहिए। अतः इस तथ्य के अतिरिक्त कि गोलाबारूद डिपो का वहां से अन्तरण हो गया, वह क्षेत्र जो वायु सेना प्रतिष्ठापन को दिया गया है, वह बिल्कुल वही नहीं है, जो गोला बारूद डिपो को दिया गया था। इस क्षेत्र के कुछ भाग को, जो गोला बारूद डिपो के पास था अधिग्रहण से मुक्त कर दिया गया और वायु सेना प्रतिष्ठान को नहीं दिया गया।

इसका परिणाम यह हुआ कि जिस रूप में 1962 की अधिसूचना जारी की गई, उस रूप में तथा नई परिस्थिति में इसे लागू नहीं किया जा सका। यह स्थलाकृति सम्बन्धी नई स्थिति थी, जिसका सम्बन्ध वायु सेना प्रतिष्ठान से था। इसी प्रकार की पूरी तरह परिवर्तित स्थिति में मानी हुई स्थिति यह है कि स्पष्ट और आवश्यक जटिलताओं द्वारा यह अधिसूचना लागू नहीं रही।

एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि बाद में 1969 में एक अधिसूचना जारी की गई है। यह अधिसूचना चाहे वैध थी या अवैध, लागू हुई या न हुई---इस तथ्य का स्पष्ट संकेत थी जिससे आवश्यक जटिलताओं के कारण पहली अधिसूचना रद्द हो गई। वैध रूप से इस बात का पता नहीं चला कि आवश्यक जटिलताओं के कारण ऐसे मामले भी हुए हैं कि न केवल अधिसूचना यहां तक कि संविधियों का भी निरसन किया गया। मैंने 1962 की अधिसूचना के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट कर दी है। आप चाहे इसे स्वीकार करें या नहीं, यह अलग बात है।

जहां तक 1969 की अधिसूचना का संबंध है यह 1962 की अधिसूचना की भांति आक्रमणीय नहीं है। इसके कई कारण हैं। सर्वप्रथम इसमें जो कुछ भी उल्लेख किया गया और अनुसूची में दिया गया है वह भूमि का विवरण है। इसमें क्षेत्र के बारे में बताया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं पर सीमाओं का उल्लेख नहीं किया गया। सबसे महत्वपूर्ण अंश जिसे सार्वजनिक सूचना बनाया गया था, धारा 3(2) का अंतिम भाग है। इस धारा के अनुसार क्लेक्टर अमुक अमुक स्थान में सुविधाजनक स्थलों में दिए जाने वाले कथित घोषणा के सार की सार्वजनिक सूचना देगा। इस धारा को देने का कारण यह है कि जैसे ही घोषणा जारी की जाती है, कतिपय प्रतिबन्धों को, जिन्हें लगाया जाना है, लागू किया जाए। धारा 7(ख) प्रतिबन्धों को लागू करने के लिए सशर्त पूर्वोदाहरण होगी। जब तक सूचना प्रकाशित नहीं की जाती, धारा 7 के अन्तर्गत कानून के अनुसार कोई भी प्रतिबन्ध लागू नहीं किया जा सकता। यह स्व निष्पादित उपबन्ध है। अब इसका प्रभाव यह है कि जैसा कि इस मामले में सार्वजनिक सूचना नहीं दी गई और जैसाकि मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में कहा है, प्रतिबन्धों को लागू करने का प्रश्न ही नहीं उठता। केवल इस कारण नहीं कि, सरकार ने किया है बल्कि इस कारण कि यह स्व निष्पादित उपबन्ध है।

यह कानून विधान सभा द्वारा 1903 में बनाया गया। इन शब्दों का 'सूचना से, और उसके प्रकाशित होने के बाद' इसके अतिरिक्त कोई अन्य अर्थ नहीं हो सकता कि सूचना का प्रकाशन अवश्य होगा और प्रकाशन के बाद उल्लिखित प्रतिबंध लागू होंगे। अतः मेरा आपसे तथा सदन से निवेदन है कि चूंकि यह सूचना प्रकाशित नहीं हुई थी, इसलिए अधिसूचना लागू नहीं होगी।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : इस अधिसूचना में कहा गया है कि नक्शे की रूप रेखा डिप्टी कमिश्नर, गुड़गांव, के दफ्तर में देखी जा सकती है। लेकिन हमें दूसरी सूचना कहां से मिलेगी।

श्री एच० आर० गोखले : मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि सूचना के प्रकाशन के बाद ही पहला भाग लागू होगा और जब तक सूचना प्रकाशित नहीं होती, स्वनिष्पादित उपबन्ध लागू नहीं हो सकता।

श्री सी० एस० एम० स्टीफन (मबत्तपुजा) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आपने विधि मंत्री की बात सुन ली है और आप अब अपना निर्णय दें। जब तक आप अपना निर्णय नहीं देंगे, तब तक इस पर चर्चा नहीं की जा सकती।

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखिए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने सभी सदस्यों की बात सुन ली है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मैंने 'कमांडिग आफिसर' को जो पत्र भेजा था उसका क्या हुआ ? उस पत्र को व्यर्थ किसने किया? मैंने इस पर स्पष्टीकरण चाहा था।

अध्यक्ष महोदय : वह कहते हैं कि वायु सेना के अधिकारी ने वह पत्र लिखा था। जो वक्तव्य उन्होंने दिया उसमें 1956 का संदर्भ है .....

श्री श्यामनन्दन मिश्र : 1962 का भी।

अध्यक्ष महोदय : उसी संदर्भ में मैंने वह पत्र देखा और उन्होंने उत्तर भी दे दिया है ...

श्री श्यामनन्दन मिश्र : वह पत्र आपके पास है.....

अध्यक्ष महोदय : वह 1956 से सम्बद्ध था.....

श्री श्यामनन्दन मिश्र : दोनों से सम्बद्ध था। आप वह पत्र पढ़िए।

श्री ज्योतिर्मय बसु : 1966 से सम्बद्ध था।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : 1956 के संदर्भ वाला पत्र एवं परिपत्र था जिसमें 1903 के अधिनियम का उल्लेख किया गया है कि वह सक्षम अधिकारी जिसे उस अधिनियम के अन्तर्गत अधिकार होता है, जब कोई आपत्ति करता है, तो उस आपत्ति का क्या होता है ? उस आपत्ति को व्यर्थ किसने साबित किया ? हम इस बारे में यह जानना चाहते हैं।

श्री एच० आर० गोखले : पत्र के तथ्य सम्बन्धी भाग के सम्बन्ध में मेरे सहयोगी बता चुके हैं।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : परन्तु उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं बताया कि उस पत्र को व्यर्थ किसने साबित किया।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता हूं...

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : एक चर्चा होने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : विशेषाधिकार के प्रश्न पर नहीं।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : इस बात का खण्डन नहीं किया गया है कि यह विशेषाधिकार का मामला है।

अध्यक्ष महोदय : जहां तक विशेषाधिकार के प्रश्न का संबंध है, मैं इस पर चर्चा की अनुमति नहीं दे सकता।

(अन्तर्बाधाएं)

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मेरा निवेदन है कि जिस पत्र को मैंने उद्धृत किया है उसका मंत्री महोदय द्वारा खंडन नहीं किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : जहां तक विशेषाधिकार का सम्बन्ध है, पहले जब कोई मंत्री या सदस्य गलत उल्लेख कर देता था, तो निदेश 115 के अधीन उसे गृहीत कर लिया जाता था तथा मंत्री उसमें शुद्धि कर देता अथवा स्पष्टीकरण दे देता था परन्तु इसे कभी विशेषाधिकार का उल्लंघन नहीं समझा जाता था।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : वह तथ्य सम्बन्धी बात सही-सही न बताने के बारे में है।

अध्यक्ष महोदय : अब वह अपने भाषण के दौरान कहते हैं कि ऐसा जानबूझ कर दिया गया है। दूसरा पक्ष इसकी अपने ढंग से व्याख्या करता है। वे कहते हैं कि 1969 की अधिसूचना सक्रिय नहीं थी।

हमें भविष्य में कोई प्रक्रिया अपनानी होगी, मैं इसे विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं समझता।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मैं कल दूसरा विशेषाधिकार का प्रश्न प्रस्तुत करने के अपने इरादे की सूचना दे रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप विशेषाधिकार का प्रश्न उठाएंगे, तो उस पर गुणों के आधार पर निर्णय किया जाएगा। भविष्य में आप विशेषाधिकार का मामला लेकर आयें, तो मुझे बताएं कि यह विशेषाधिकार का मामला है।

(अन्तर्बाधाएं)

अध्यक्ष महोदय : आप तथ्यों के बारे में चर्चा कर सकते हैं परन्तु विशेषाधिकार के प्रश्न पर नहीं। मैं व्याख्या अथवा वैधता के प्रश्न पर विनिर्णय नहीं दे सकता।

(अन्तर्बाधाएं)

श्री श्यामनन्दन मिश्र : हम इसके विरोध में सभा से बाहर चले जाएंगे। (व्यवधान)

रेलवे बजट 1973—74—सामान्य चर्चा (जारी)

RAILWAY BUDGET 1973-74—GENERAL DISCUSSION—*Contd.*

Shri R. P. Yadav (Madhepura) : Sir, I rise to support the Railway Budget.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

The Railway Budget for the year 1973-74 shows a deficit of Rs. 53 crores and in order to meet this deficit, the fares and freights have been increased.

Some of the hon. Members have raised objections to the increase in fares and freights but concessions have been allowed on the freight rates for the essential commodities like foodgrains, salt, kerosene etc. which shows that it is a socialistic budget. Even in railway fares there is the least increase for the third class passengers and maximum for the first class passengers.

The hon. Minister has arranged special facilities to the youths and students for enabling them to have tours in the country.

With a view to reducing over crowding, the provision for new trains and diesel locomotives in passenger trains is commendable.

The hon. Minister deserves all appreciation for his views in regard to labour participation in management. Not only this, he also deserves thanks for his assurance to implement various tribunals like Miabhoy Tribunal.

The proposal for opening a cell for increasing exports is commendable.

The hon. Minister has made reference to recognise the Railway Protection Force. The insecurity and lawlessness should be put to an end.

Keeping in view the root-cause the regional imbalance of the poor condition of the country, the hon. Minister has paid special attention to the development of backward regions.

In this connection. I want to put certain demands :

(1) that Dauram, Madhepura should be connected with Beerpur,

(2) and if it is not possible, it should, at least, be connected with Sinheshwar immediately which is at a distance of 5 miles from Madhepura.

Similarly, Bihariganj railway station should be connected with Mansi which can keep develop this most backward area.

I would like to request the Government to re-start the old-line from Saraigarh to Darbhanga *via* Nirmali.

One Express train from Mansi to Katihar *via* Saharsa, Purnea should be started.

I would like to thank the hon. Minister for his announcement in regard to conversion of Barauni–Katihar line into broad-gauge.

It is also necessary to set-up Saharsa Court Station.

The Jamalpur workshop in Bihar used to repair steam-engines previously. The repair-work of diesel engines should have been given to Jamalpur workshops but it has not been done and as a result of that the number of workers has gone down. I would like to appart the hon. Minister to set-up in 'wheel and axle plant' at Jamalpur with a view to providing unemployment to the unemployed labourers.

Patna-Gaya single line should be converted into double line for the development of the area.

The survey for laying a railway line from Nangal Dam to Talwada and Mukerian has almost been completed and this line, which is very important from the defence point of view should be lend expeditiously.

Under the scheme of 'Intensive Improvement Programme' formulated by the Railways, the big station will be covered small stations should also be covered under this programme.

On big stations the foot-over bridges should be constructed or the existing foot-over-bridges be so made that people can easily come-and go.

People should be so educated not to make railway property a target for expressing their resentments.

Railways is the largest public undertaking and if larger employment opportunities we created in it, it will solve the problem of unemployment to some extent.

Catering contracts should be given to co-operatives and citizen councils as far as possible. The system of contract labour should be abolished. Those who are working for more than three years should be confirmed.

The Railway Board which is a white elephant should be wound up.

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : I oppose the Railway Budget and increase in fares and freights . If the Railway Administration exercises vigilance and efficiency to check prevalent corruption, ticketless travelling, that of railway goods, there will be no need to increase fares and freights.

On the advice of the Planning Commission, the railways expended their net-work but they are not getting proportionate return on the capital invested.

It is an old British convention that the Railway Budget is presented separately. There should be an integrated budget so that that can be discussed widely.

To-day there exists various categories of unions in Railways but only two of them are recognised. Either the ballot system should be introduced or recognition should be given to various categories of unions.

I oppose the recommendation of Education and Re-employment Committee which is about reducing the retirement age from 58 to 55 years. It will not result in much saving.

The Railway Ministry should draw from the Pension Fund only the amount which is most essential for them. In the past they have drawn Rs. 3·5 crores more than their requirement.

The promotion on ad-hoc basis is decided by the officers and the recognised unions and as a result of that some entitled persons are deprived of the promotion. Therefore, a committee should be formed with the representatives of workers to recommend names of the employees for promotion.

The railway employees should be given bonus of 8·33 per cent.

The Janta and Taj Express trains should be extended upto Gwalior?

The discrimination in railway expenditure on the northern and southern regions should be abolished.

Saloons should be withdrawn. The Railway Board should also be wound up.

T.T.E.s should be included in running staff.

Licences for catering on railways should be issued only to such persons who have actually been doing the catering work for long. There licences should not be allowed to be transferred to other vendors.

उपाध्यक्ष महोदय : कांग्रेस के मुख्य सचेतक ने अनुरोध किया है कि कांग्रेस के बहुत से सदस्य बोलना चाहते हैं अतः उनमें प्रत्येक को पांच मिनट का समय दिया जाए ।

Shri C. D. Gautam (Balaghat) : I rise to support the proposals of the Railway Budget. I want to give certain important suggestions. Large copper deposits have been explored at Malanj Khand in the district of Balaghat in Madhya Pradesh and the construction of a railway line from Malanj Khand to Bihar, Ukava, Manegaon, Balaghat and Gondia is essential. If the narrow -gauge line between Balaghat and Gondia is converted into broad-gauge, it will help develop that area.

The former Minister of Railway found it proper to convert Jabalpur-Gonida narrow-gauge line into broad-gauge one. Similarly, it is essential to make a broad-gauge line between Jabalpur and Nagpur via Nayanpur and there was propsoal to make a broad-gauge line from Gondia to

Chamdrapur. Surveys for these lines were also conducted but it is not known what action has been taken on it. This is a backward area and broad-gauge line will be helpful in the development of this area.

There is a railway line from Balaghat to Katangi on the south-Eastern Railway but there is no railway line from Tirodi to Katangi and the distance between Tirodi and Katangi is eight miles. There are manganese mines nearby and trade of foodgrains is also transacted in this area. In this connection, I received a letter from the Ministry of Railway saying that in the absence of passengers and traffic, the construction of this line is not necessary but this agrument is baseless.

In order to remove traffic bottleneck near Sarekha, an over bridge there is very essential.

A fast passenger train should be started on the narrow-gauge line between Gondia and Jabalpur.

रणबहादुर सिंह (सिंधी) : रेलवे के राष्ट्रीयकरण के समय यह तर्क दिया गया था कि रेलवे अनिवार्य सेवा के अन्तर्गत आती है। परन्तु खेद का विषय है कि वर्तमान बजट में विस्तार कार्यों की कसौटी मात्र धन है। मैं समझता हूं कि रेलों को पिछड़े क्षेत्रों के विकास कार्यक्रमों को हाथ में लेने में संकोच नहीं करना चाहिए।

हम अपने पिछड़े क्षेत्र के लिए जब भी रेलों के विस्तार के लिए लिखते हैं, तो ऐसे प्रस्ताव यातायात सर्वेक्षण के लिये भेज देते हैं जोकि बाद में रद्द कर दिए जाते हैं। पिछड़े क्षेत्र के लिए रेलों के विस्तार कार्य को आर्थिक सम्भावनाओं पर बिना विचार करते हुए करने का यत्न करना चाहिये।

इस विस्तार कार्य के लिए किसी प्रकार के आयोग की स्थापना की जाए। खेद है कि सतना-रीवां लाइन के लिए आवंटित राशि को घटा दिया गया है। सतना-रीवां लाइन के स्थान पर हरपाल-छत्तरपुर-पन्ना सतना-रीवां-हनुमाना-मिर्जापुर लाइन अधिक उपयोगी रहेगी।

नई कटनी मोरवा लाइन पर माल और यात्री यातायात की नियमित व्यवस्था करने में देर की जा रही है। इस लाइन पर मधवा और जीब नाम के दो स्थान है। विवाद यह चल रहा है कि किसे प्रथम दर्जे का रेलवे स्टेशन बनाया जाए। रेलवे को इस मामले में निष्पक्ष जांच करके किसी निश्चय पर शीघ्र पहुँचना चाहिए।

छः वर्ष से सतना में ऊपरी पुल निर्माणाधीन है। यातायात के लिए महत्वपूर्ण इस पुल के कार्य को शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए।

मैहर के स्थान पर राजपत्र संख्या 7 और मध्य रेलवे का क्रास होता है और यह इलाहाबाद और जोधपुर को जोड़ता है। वहां पर रेलवे मंत्रालय को एक ऊपरी पुल की स्थापना करनी चाहिए। इससे यातायात में सुविधा रहेगी।

श्री धरनीधर दास (मंगलदायी) : प्रबन्ध में कर्मचारियों को स्थान देने तथा क्षेत्रीय और अन्य समस्याओं को हल करने में संसद् सदस्यों और विधान सभाओं के सदस्यों को सम्मिलित करना अच्छी बाते हैं।

रेलवे सब से बड़ा सरकारी क्षेत्रीय उपक्रम हैं। इसे समाजवाद के आदर्श के तौर पर सेवा करने में समर्थ होना चाहिए। रेलवे से संबंधित वेतनमानों विकास रोजागार और व्यापार के संबंध में निश्चित नीतियां बनानी चाहिए।

वर्तमान रेलवे बोर्ड के रहते रेल मंत्री इस राष्ट्रीयकृत उपक्रम को चलाने में अपेक्षित कार्य नहीं कर सकते हैं। रेल मंत्रालय में अधिकारी तंत्र के बहुत से काम हैं जो समाज वाद के विरोधी हैं। रेलवे बोर्ड के 1600 कर्मचारियों में से उच्च पदों पर आसीन 22 अधिकारियों पर बोर्ड के लिए आवंटित राशि का 1.3 प्रतिशत अथवा 34000 रुपया खर्च हो जाता है। कर्मचारियों में निम्न श्रेणी के 25 प्रतिशत कर्मचारियों पर, प्रेत्येक पर, 998 रुपए वार्षिक खर्च होते हैं। इस प्रकार राष्ट्रीयकरण का मुख्य लाभ बड़े-बड़े अधिकारियों को प्राप्त होता है। इस प्रकार रेलवे बोर्ड की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री डी० एन० तिवारी (गोपालगंज) : रेलवे बोर्ड के स्थान पर आप कौन सी व्यवस्था का सुझाव देते हैं।

श्री धरनीधर दास : रेलवे मंत्रालय जनरल मैनेजरों के माध्यम से सीधे विभिन्न रेलवे का कार्य चला सकता है।

कुछ विकसित क्षेत्रों में रेलों का जाल सा बिछा हुआ है। जबकि सरकार इन क्षेत्रीय असमानताओं को समाप्त करने के लिए वचन बद्ध है।

असम के लोग बहुत समय से बरास्ता गोहाटी-बोंगाई गांव से तिनसुखिया तक की मीटर गेज लाइन के स्थान पर ब्राड गेज लाइन की मांग करते चले आ रहे है। इस मांग की निरन्तर उपेक्षा की जाती रही है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि बोंगाई गांव से गोहाटी तक के भाग को ब्राड गेज लाइन में बदला जा रहा है। मैं चाहता हूं कि रेल मंत्री इसे कार्यान्वित कराएं।

काफी समय से रंगिया में डिवीजन मुख्यालय स्थापित करने की मांग चली आ रही है। मुझे मुख्य मंत्री से पत्र प्राप्त हुआ है। इस बारे में रेलवे तथा आसाम सरकार द्वारा नियुक्त की गई एक संयुक्त समिति द्वारा चयन की गई भूमि रेलवे अधिकारियों को सौंप दी गई है। परन्तु रेलवे बोर्ड पिछड़े क्षेत्रों में विकास कार्य को करेगा, इसमें संदेह है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वह इस पर ध्यान दें।

रेल मंत्री ने गोहाटी में आश्वासन दिया था कि 80 प्रतिशत पद स्थानीय लोगों को दिये जायेंगे। अभी तक उस बारे में कुछ नहीं किया गया है।

श्री एस० ए० शमीम (श्रीनगर) : मैं रेलवे बजट पर पहली बार बोल रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपके वर्ग के असंबद्ध सदस्यों में से श्री शिव कुमार शास्त्री का नाम पहले आता है।

श्री एस० ए० शमीम : कृपया पांच मिनट मुझे दे दीजिये और पांच मिनट उनको।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है।

श्री एस० ए० शमीम : मैं भारत सरकार का धन्यवाद करता हूं कि पठानकोट से जम्मू तक की 67 मील की रेलवे लाइन पर 26 वर्ष लगा दिए हैं। इस प्रकार तो श्रीनगर तक रेल लगभग 100 वर्ष में जा सकेगी। तब तक हमें जापानियों द्वारा एशिया, 1972 में प्रयुक्त की गई ट्रेन दे दी गई है। मंत्री महोदय श्रीनगर तक रेल का विस्तार शीघ्र करें।

उर्दू के कवि ठाकुरी की मृत्यु रेलवे अधिकारियों की लापरवाही के कारण हुई।

मेरा सुझाव है भ्रष्टाचार रोकने के लिए पहले तीसरी श्रेणी को लिया जाए क्योंकि तीसरी श्रेणी के यात्री भ्रष्टाचारियों द्वारा और अधिक उत्पीड़न सहन नहीं कर सकते। दूसरे श्री ठाकुरी की मृत्यु की जांच कराई जाए।

श्री के० राम कृष्ण रेड्डी (नलगौंडा) : पिछड़े क्षेत्रों के लिए कुछ लाइने देने के लिए मैं मंत्री महोदय का धन्यवाद करता हूं। इस बारे में की गई व्यवस्था के अनुसार आन्ध्र प्रदेश की सरकार को बिना मूल्य भूमि देने के लिए कहा गया है। राज्यपाल इस मामले पर विशेष ध्यान दे रहें हैं।

निजाम रेलवे के समय 6 करोड़ रुपए की बचत होती थी और यह आश्वासन दिया गया था कि इस 6 करोड़ रुपए को नई रेलवे लाइनों के विकास पर लगाया जाएगा। मुझे खेद है कि भारत की स्वतंत्रता के पश्चात वहां एक मील लाइन का निर्माण भी नहीं किया गया है। मंत्री महोदय इस कार्य को प्राथमिकता दें।

आन्ध्र प्रदेश सरकार ने अपने बजट में भूमि के अर्जन के लिए 50 लाख रुपए की व्यवस्था की है और वड़ा पल्ली में रेलवे-एवं-सड़क पुल के निर्माण के लिए आधा खर्च भी इसमें शामिल है। इस प्रकार इस कार्य को शुरू करने में रेलवे बोर्ड को कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए।

आन्ध्र प्रदेश में कुछ और महत्वपूर्ण लाइनें हैं। उनमें से एक रामगुडम से निजामाबाद तक हैं। भद्राचलम और कोबूर को मिलाकर हम आध्र प्रदेश के पूर्वी बैल्ट को विशाखापत्तनम क्षेत्र से मिलायेंगे। इस बारे में आवश्यक कदम शीघ्र उठाए जाने चाहिए।

जनता एक्सप्रेस गाड़ियां अधिक किराया लेती हैं और कम गति से चलती हैं। देश के विभिन्न भागों में जनता एक्सप्रेस गाड़ियां चलायी जानी चाहिएं। यदि किसी यात्री को रिजवशन नहीं मिल पाता तो उसे अगले दिन सीट दे दी जानी चाहिए।

माल डिब्बों की कमी की समस्या का सही रूप से समाधान किया जाना चाहिए।

प्रत्येक तीसरे दर्जे के यात्री को, जो प्रातः 9 बजे से 6 बजे तक यात्रा करता है, स्वतः स्थान मिल जाना चाहिए। सभी एक्सप्रेस और सवारी गाड़ियों का विद्युतीकरण किया जाना चाहिए। महानगरीय गाड़ियों का विद्युतीकरण किया जाना जाहिए।

दिल्ली और हैदराबाद के बीच कोई राजधानी एक्सप्रेस नहीं चलती। यहां पर दक्षिण एक्सप्रेस जैसी एक अलग गाड़ी चलाई जानी चाहिए। नरीकुडा-डीवीनगर लाइन, जिस पर विचार हो रहा है, का कार्य शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए।

श्री था किरुतिनन (शिवगंज) : रेलवे बजट में रेल-सड़क समायोजन के बारे में कोई उल्लेख नहीं हैं।

भारत सरकार गर्व करती है कि रेलवे राष्ट्र का सबसे बड़ा उपक्रम है जिसमें 4333 करोड़ रुपए की पूंजी लगी है तथा जिसमें 13.9 लाख कर्मचारी कार्य करते हैं। उनके पास 11,150 इंजन, 35,000 कोचेज़ और 3,82,000 माल डिब्बे हैं। प्रति दिन 10,900

गाड़ियां चलती हैं जिनमें 69 लाख लोग यात्रा करते हैं। प्रतिदिन 540,000 टन कोयला ढोया जाता है जिस पर 33,000 माल डिब्बे लगते हैं।

खेद की बात है कि रेलवे मंत्रियों को शीघ्र इस पद से पृथक किया जाता है।

प्रत्येक रेलवे बजट नए रेल मंत्री द्वारा रखा जाता है और कोई भी रेल मंत्री भाड़े और किरायों में वृद्धि करने में चूकता नहीं है।

रेलवे की क्षति राष्ट्र की क्षति है। रेलों में सब प्रकार की क्षति को रोकने के लिए उपयुक्त कदम नहीं उठाए गये हैं।

रेलवे प्रशासन अप्रभावी बन गया है। रेलवे बोर्ड को उच्च स्तर से ही विभिन्न क्षेत्रों की समस्याओं की गहराई और महत्ता का पता ही नहीं है और उसकी ओर ध्यान देकर उसमें सुधार करने में असफल रहा है।

रेलवे बोर्ड एक पुराना अनुपयोगी नौकरशाही ढांचा है। इसे बंद किया जाना चाहिए। इसके स्थान पर हमें स्वायत्तशासी क्षेत्रीय निगम बनाने चाहिएं, जो समस्याओं को सुलझा सकें।

तमिलनाडु के साथ रेल भवन भेदभाव पूर्ण बर्ताव करता है।

श्री मुहम्मद शफी कुरैशी : यह सही नहीं है।

श्री था किरुतिनन : मैं इसे नहीं मानता।

दक्षिण में रेलवे में विकास सम्बन्धी कार्य शून्य के बराबर है। करुर-डिंडीगल–तूती-कोरिन को बड़ी लाइन में बदलने और आरतांगी–टोंडी–मनामुदुराई–डिंडीगल–करायकुटी बरास्ता तिरापत्तुर के बीच नई लाइन का निर्माण करने की सार्वजनिक मांग को अभी क्रियान्वित नहीं किया गया है। मद्रास–विजयवाड़ा और मद्रास–अरकोनम लाइन के विद्युतीकरण के बारे में क्या हुआ है ?

माल डिब्बों के कम उत्पादन के कारण बढ़ती हुई मांग की तुलना में सप्लाई में कमी हो गई है। इस कमी को पूरा करने के लिए दूर-दर्शितापूर्ण नीति अपनाई जानी चाहिए।

बुक किए जाने वाले माल की चोरी और उठाई गीरी की घटनाओं में आये दिन वृद्धि होती जा रही है। बड़े-बड़े यार्डों, कर्मशालाओं और डिपुओं में चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं जिससे रेल प्रशासन को क्षतिपूर्ति के रूप में भारी राशि का भुगतान करना पड़ता है। इस बारे में दी गई क्षति पूर्ति की राशि वर्ष 1969-70 में 4.95 करोड़, वर्ष 1970-71 में 5.43 करोड़ तथा वर्ष 1971-72 में 5.85 करोड़ थी। मेरा सुझाव है कि वर्कशापों, यार्डों आदि में अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को बन्द किया जाना चाहिए। इन स्थानों पर बिजली के चेतावनी देने वाले यंत्र लगाये जाने चाहिएं। इस बारे में विदेशों द्वारा अपनाए गये उपायों पर भी ध्यान देना चाहिए।

कुछ बक्सों में रद्दी या मिट्टी भर कर उनको बुक करा दिया जाता है तथा उनमें इंजीनियरिंग का सामान बताया जाता है। इस प्रकार व्यापारी लोग अधिकारियों से सांठ-गांठ करके लगत् वस्तुओं से पूरा मुआवजा प्राप्त कर लेते हैं।

रेलवे बोर्ड रेलवे कर्मचारियों की समस्याओं पर ध्यान नहीं देता जिसके फलस्वरूप कर्मचारी भी रेलवे सम्बन्धी समस्याओं की ओर ध्यान नहीं देते और इस कारण रेलवे को हानि होती है। अतः इस मामले पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।

रेलवे प्रशासन ने आठ घंटे की दैनिक कार्यविधि के विषय को अभी तक पूरी तरह लागू नहीं किया तथा बहुत से कर्मचारियों को प्रतिदिन 12 से 14 घंटे तक कार्य करना पड़ता है। रेलवे में नैमित्तिक श्रमिकों की भी कठिनाइयां हैं। आठ से पन्द्रह वर्ष तक वहां कार्य करने पर भी उन्हें सेवा से निकाल दिया जाता है। उनकी न्यूनतम मंजूरी भी अन्य श्रमिकों की अपेक्षा कम है।

राज्य सरकारों, बैंकों तथा अन्य विभागों के कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता बढ़ाया गया है किन्तु रेलवे कर्मचारियों के बारे में कोई विचार नहीं किया गया। रेलवे सम्बन्धी समितियों तथा न्यायाधिकरणों की सिफारिशों को पूरी तरह लागू नहीं किया गया तथा संगचल कर्मचारियों की मांगों पर भी प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। स्टेशन मास्टर, गार्ड आदि तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की मांगों पर भी प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया है।

मैं मंत्री महोदय को यह भी सूचना देना चाहता हूं कि सितम्बर, 1972 में हुए आन्दोलन के दौरान भारत सुरक्षा नियम के अन्तर्गत कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध मामले दर्ज किये गये थे तथा उनकी सेवा में ब्रेक किया गया था। आन्दोलन समाप्त होने पर यह आश्वासन दिया गया था कि उक्त आदेशों को वापस ले लिया जाएगा किन्तु उन्हें अब तक नहीं लिया गया। दक्षिण रेलवे में नई भर्ती पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है जिससे बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है।

दक्षिण रेलवे में पेराम्बूर वर्कशाप में लगभग 1500 रिक्त पद हैं। इसी प्रकार गोल्डन रौक वर्कशाप तथा पोडानूर वर्कशाप में भी लगभग इतने-इतने पद ही रिक्त पड़े हैं। इन पदों के लिये आवेदन पत्र भी मांगे गये थे किन्तु उन्हें अभी तक नहीं भरा गया। मितव्ययिता के नाम पर दक्षिण रेलवे में हजारों पद रिक्त पड़े हैं जिससे वर्तमान कार्मचारियों पर कार्य का बहुत भार बढ़ा है। ताम्बरम तथा पोडानूर के रेलवे कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता तथा नगर प्रतिपूर्ति भत्ता भी नहीं दिया जाता जबकि वहां के अन्य कर्मचारियों को यह भत्ते मिलते हैं।

कर्मचारियों को न मकान मिलते हैं और न पीने का पानी। उन्हें वर्दी भी समय पर नहीं मिलती। मेरा सुझाव है कि रेलवे कर्मचारियों को औद्योगिक विवाद अधिनियम, बोनस अधिनियम और फैक्ट्री अधिनियम के अन्तर्गत लाया जाना चाहिये क्योंकि रेलवे को उद्योग माना गया है। रेलवे कर्मचारियां को बोनस दिये जाने के बारे में रेलवे बजट में कोई घोषणा न किये जाने पर मैं असन्तोष व्यक्त करता हूं। अन्य सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों के लिये बोनस की व्यवस्था की गई है किन्तु रेलवे कर्मचारियों के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गई। तीसरे वेतन आयोग के प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण में असाधारण विलम्ब के कारण कर्मचारियों में भारी असन्तोष है। यदि इसी प्रकार से कर्मचारियों को संशोधन में रखा गया तो इसके गम्भीर परिणाम होंगे। अतः सरकार को एक निश्चित तिथि की घोषणा करनी चाहिए।

कई मामलों में मान्यता प्राप्त मजदूर संघ अधिक कर्मचारियों की मांगों का समर्थन नहीं करते तथा वे कुछ सीमित श्रेणियों के कर्मचारियों का ही हित देखते हैं। इस समस्या के समाधान के लिये विभिन्न जोनों के महाप्रबन्धकों को यह अधिकार दिया जाना चाहिये कि वे गैर-मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघों से भी विचार-विमर्श करें।

श्रेणी चार के रिक्त पदों को भरे जाने के बारे में दिये गये आश्वासन को भी पूरी तरह पूरा नहीं किया गया है। भविष्य निधि अंशदान पर बहुत कम ब्याज मिलता है उसे बढ़ाया जाना चाहिये।

इंजीनियरिंग विभाग तथा संकेत और दूर संचार आदि विभागों में नियुक्त किये गये नैमित्तिक कारीगरों को अभी तक नियमित सेवा में नहीं लिया गया है जबकि उन्हें कार्य करते लगभग 15 वर्ष हो गये हैं। मेरा निवेदन है कि उन्हें नियमित सेवा में खपाया जाना चाहिये।

रेलवे कर्मचारियों पर कार्य का भार बहुत बढ़ गया है किन्तु बहुत समय से उनके कार्य-भार की जांच नहीं की गई तथा पर्याप्त संकट में कर्मचारी नियुक्त नहीं किये गये जिससे कि उनकी कार्य कुशलता बढ़ सके तथा रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो सके।

दूर जाने वाली रेलगाड़ियों में क्षेत्रीय डिब्बा लगाये जाने की प्रणाली आरम्भ करने से प्रकाश सम्बन्धी फिटरों पर कार्य भार बढ़ गया है किन्तु जिनका कार्य बढ़ा है उतने कर्मचारी नहीं बढ़ाए गए हैं। मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस समस्या की ओर भी दिलाना चाहता हूं। ओलकोट डिवीजन के प्रथकीकरण की मांग भी पूरी नहीं की गई। जिससे वहां की जनता में असन्तोष है।

दक्षिण रेलवे की प्रिंटिंग प्रैस में सीनियर और जूनियर बाइंडर हैं जिनको समान कार्य करना पड़ता है किन्तु जूनियर बाइंडरों को वेतन समान नहीं मिलता। इस समस्या का समाधान होना चाहिये।

आन्ध्र प्रदेश में ईमानदारी से कार्य करने वाले कई रेलवे कर्मचारियों की दुखद मृत्यु हुई है। मैं अपने दल की ओर से उनकी मृत्यु पर सम्वेदना प्रकट करता हूं। मेरी मांग है कि भविष्य में कर्मचारियों की सुरक्षा के लिये पूरे प्रयत्न होने चाहियें। दूसरी श्रेणी के पासधारी कर्मचारियों को पहली श्रेणी के पास दिये जाने चाहियें क्योंकि इस सुविधा को समाप्त करने से कोई विशेष लाभ नहीं होगा।

श्री मुहम्मद खुदाबख्श (मुर्शिदाबाद) : रेलवे बजट पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए आपने जो समय दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूं।

रेलवे बजट में स्पष्ट बताया गया है कि रेलवे की आय की तुलना में व्यय अधिक है जिसके कारण 44.35 करोड़ रुपयों की अतिरिक्त आवश्यकता हुई। इस आवश्यकता को किराये और भाड़ों में वृद्धि करके ही पूरा किया जा सकता है। सभी श्रेणियों के किराये में वृद्धि की गई है। जहां तक प्रथम श्रेणी में यात्रा करने वाले व्यक्तियों का सम्बन्ध है यह माना जा सकता है कि वे लोग अधिक किराया दे सकते हैं। किन्तु तीसरे दर्जे के किराए में वृद्धि करने से साधारण जनता को अत्यन्त कठिनाई होती है।

मेरा सुझाव है कि सरकार को उर्वरक और खली के भाड़ों में वृद्धि नहीं करनी चाहिये क्योंकि इससे किसानों को कठिनाई होगी तथा कृषि उत्पादन पर इसका बुरा असर पड़ेगा।

बिना टिकट यात्रा की समस्या पर रेलवे बजट में कुछ नहीं कहा गया । इस समस्या का समाधान करने से रेलवे की बहुत सी कठिनाइयां दूर हो जाएंगी तथा यात्रियों को भी सुविधा होगी और राजस्व में भी वृद्धि होगी । कई विद्यार्थी रेलगाड़ियों में अशोभनीय व्यवहार करते हैं । मेरा सुझाव है कि विद्यार्थियों के लिये दो डिब्बे अलग से लगाए जाएं तथा उन्हें अपने डिब्बों में ही बैठने को कहा जाए । रेलवे कर्मचारियों की उनसे टिकट मांगने की हिम्मत नहीं होती । अतः मेरा सुझाव है कि इस सम्बन्ध में कुछ उपयुक्त व्यवस्था की जाए । सरकार चाहे उन्हें फ्री पास दे अथवा उन्हें कोई अन्य सुविधा दे किन्तु यह अवश्य सुनिश्चित करे कि वे अपने ही डिब्बों में बैठें तथा अन्य यात्रियों को तंग न करें ।

मुख्य डाक गांड़ियों में सभी यात्रियों द्वारा सीट रिजर्व कराये जाने के बारे में मेरा विचार है कि इससे यात्रियों की असुविधा बढ़ेगी तथा भ्रष्टाचार में भी वृद्धि होगी । तीसरे दर्जे के मासिक टिकटों का किराया अधिक बढ़ाया गया है । मेरा सुझाव है कि मंत्री महोदय इससे सम्बन्धित आदेशों को वापस लेलें ।

आश्चर्य है कि मंत्री महोदय ने मार्टिन रेलवे के बारे में कुछ नहीं कहा । इस लाइन के बन्द होने से हजारों लोगों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है । मेरा सुझाव है कि सरकार पश्चिम बंगाल सरकार के साथ परामर्श करके इस लाइन को पुनः चलाने की व्यवस्था करे ।

मंत्री महोदय ने कृष्णनगर लालगोला सैक्शन के विद्युतीकरण का कोई उल्लेख नहीं किया है । डम-डम में बोन गांव तथा रेलवे लाइन को दोहरा करने की ओर भी मंत्री महोदय का ध्यान नहीं गया । बंगलादेश के साथ मित्रता तथा उसके साथ व्यापार में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सरकार को यह कार्य यथाशीघ्र आरम्भ करना चाहिये ।

मैं यह भी सुझाव देना चाहता हूं कि कोयले की ढुलाई के लिये अधिक माल डिब्बे दिये जाने चाहियें जिनसे देश की क्षमता को पर्याप्त कोयला मिल सकें तथा बिजली परियोजनाओं और अन्य उद्योगों को समय पर कोयला प्राप्त हो सके ।

गत 20 वर्षों के दौरान दुर्घटनाओं की संख्या में काफी कमी हुई है। कुल दुर्घटना सूचकांक पर से घटकर 10.5 रह गया है । इसके लिये मैं मंत्री महोदय की सराहना करता हूं कि यातायात में वृद्धि होने पर भी सुरक्षा के उपायों के कारण दुर्घटनाओं में कमी हुई है ।

रेलवे में विभागीय खान पान सेवा में भोजन के मूल्यों में वृद्धि के साथ-साथ भोजन की किस्म में बहुत गिरावट आई है । यह विचारणीय विषय है कि क्या इस सेवा को बनाए रखा जाए अथवा नहीं ।

रेलवे बोर्ड को समाप्त करने अथवा उसमें आमूल परिवर्तन करने की मांग से मैं सहमत नहीं हूं क्योंकि यह एक विशिष्ठ व्यवस्था है तथा इसमें गम्भीरता से विचार किये बिना कोई कदम उठाना लाभप्रद नहीं होगा ।

श्री प्रवीण सिंह सोलंकी (आनन्द) : महोदया परिस्थितियों ने विवश कर दिया है कि बजट इसी प्रकार का बने जैसा प्रस्तुत किया गया है । भयानक बाढ़ों के कारण कई रेलवे लाइने उखड़ गई जिन्हें पुनः बनाया गया । भारत और पाकिस्तान के युद्ध के दौरान रेलवे ने जो सराहनीय कार्य किया है इसके लिये मैं रेलवे प्रशासन को बधाई देता हूं ।

हिंसात्मक कार्यवाहियों द्वारा रेलवे की सम्पत्ति को नष्ट किया जाता है जिससे रेलवे को भारी हानि होती है । इन्हीं कारणों से मैं रेलवे बजट की आलोचना नहीं करता ।

मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं । यद्यपि गुजरात राज्य भी अकालग्रस्त क्षेत्र हैं तथापि इन परिस्थितियों में मैं यह मांग नहीं करता कि अन्य राज्यों की भांति वहां भी नई रेलवे लाइनें बनाई जाएं । किन्तु मैं यह सुझाव अवश्य देना चाहता हूँ कि कपडवंज मोदासा लाइन और भावनगर–तारापुर लाइन को दोहरी लाइन बनाई जाए जिसकी बहुत दिनों से मांग की जा रही है ।

कमर्शियल क्लर्कों को भारतीय रेल विभाग के आरम्भ से अब तक स्थाई नहीं बनाया गया । उनकी कठिनाइयों को अभी तक नहीं सुना गया । रेलवे प्रशासन उनकी कठिनाइयों को केवल इस आधार पर नहीं सुनता कि वे किसी मान्यता प्राप्त मजदूर संघ के सदस्य नहीं है। रेलवे प्रशासन का यह रवैया दोषपूर्ण है। मंत्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिये ।

भूतपूर्व रेल मंत्री ने दक्षिण रेलवे के लोको कर्मचारियों को कार्य के घंटों में कमी तथा आवास की व्यवस्था के बारे में कुछ आश्वासन दिये थे । ड्राइवरों आदि के द्वारा दुर्घटनाओं के बारे में जब भी कोई रिपोर्ट दी जाती है प्रशासन उनकी उपेक्षा कर देता है।

मैं यह भी सुझाव देना चाहता हूं कि वोलंटरी हैल्थ कमेटी जैसी कमेटियों को समाप्त कर देना चाहिए क्योंकि ऐसी समितियां रेलवे का दुरुपयोग करती हैं। जब श्री गुलजारी लाल नन्दा रेलवे मन्त्री थे तब वोलन्टरी हैल्थ कमेटी के चेयरमैन को बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़ा गया था। श्री पाई ने उस समिति को समाप्त कर दिया जो सराहनीय कार्य है।

राजधानी एक्सप्रैस गाड़ी में सीटों के आरक्षण में बहुत घोटाला किया जाता है। गैर-सरकारी एजेंटों को यह कार्य देने से आरक्षण में चोर बाजारी होती है। मन्त्री महोदय इस समस्या का समाधान करने का प्रयत्न करें।

बहुत से यात्री इन गाड़ियों में बहुत अधिक सामान ले जाते हैं जिससे अन्य यात्रियों को असुविधा होती है। उत्तर रेलवे के कर्मचारी इस सम्बन्ध में पश्चिम रेलवे के कर्मचारियों के साथ सहयोग नहीं करते। इस समस्या का समाधान किया जाना चाहिए।

मन्त्री महोदय को रेलवे बोर्ड से कहना चाहिए कि वह छोटे कर्मचारियों की समस्याओं को भी सुने। रेलवे बोर्ड तथा मन्त्री महोदय को पारस्परिक सहयोग से यात्रियों की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए।

श्री विक्रम महाजन (कांगड़ा) : हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रेलवे बजट में किरायें और भाड़ों में वृद्धि की गई है। ऐसा कोई प्रयत्न नहीं किया गया जिससे देश की अर्थ व्यवस्था के विकास में सहायता मिल सके।

देश के विभिन्न भागों में कोयला और सीमेंट की भारी कमी है किन्तु रेलवे प्रणाली में कोई सुधार नहीं किया गया। पठानकोट से दिल्ली तक माल पहुंचाने में अब भी लगभग एक महीना लग जाता है।

रेलवे विभाग ने पिछड़े हुए क्षेत्रों की भी उपेक्षा की है। हिमाचल प्रदेश में एक नैरोगेज लाइन है जिसे उखाड़ने का प्रस्ताव था और उसके स्थान पर अन्य मार्ग से लाइन बनाने का प्रस्ताव था। अब रेलवे मन्त्रालय ने उस लाइन को उखाड़ने का निर्णय किया है किन्तु उसके स्थान पर दूसरी लाइन बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इससे वहां की जनता को भारी असुविधा का सामना करना पड़ेगा क्योंकि आवाजाही की कोई अन्य व्यवस्था नहीं है। मैंने इस सम्बन्ध में रेलवे प्रशासन को वहां की जनता की अनेक कठिनाइयों से अवगत कराया किन्तु कोई लाभ नहीं हुआ। केवल 22 मील का रास्ता है जिसे यदि सरकार चाहे तो शीघ्र ही पूरा कर सकती है। पिछड़े हुए क्षेत्रों के साथ सौतेला व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए।

रेलवे से माल की बहुत चोरी होती है तथा बुकिंग क्लर्क भी बिना घूस लिए माल बुक नहीं करते। इसके साथ ही माल के नियत स्थान पर पहुंचने में बहुत समय लगता है। गत 25 वर्षों में नई रेलगाड़ियां चलाने की दिशा में भी प्रगति नहीं की गयी।

रेलवे विभाग द्वारा मितव्ययता बरतने के सम्बन्ध में भी कोई उपाय नहीं किया गया जिससे यात्रियों को अधिक सुविधाएं दी जा सकतीं। मेरा सुझाव है कि पहले दर्जे के डिब्बों को साथ साथ रखा जाए जिससे चार-पांच बोगियों के लिए एक ही अटेंडेंट दिया जा सके।

मेरा यह भी सुझाव है कि रेलवे स्टेशनों पर पहले, दूसरे तथा तीसरे दर्जे के टिकट बांटने के लिए एक ही खिड़की होनी चाहिए, अलग-अलग नहीं क्योंकि हम समाजवाद में विश्वास रखते हैं। इसके साथ ही एयरकंडीशंड कोचों के स्थान पर एयर कंडीशंड चेयर कार होनी चाहिए। जिसमें अधिक व्यक्ति यात्रा कर सकें तथा हम सुविधा का अधिक व्यक्ति लाभ उठा सकें।

रेलवे स्टेशन से खान-पान की व्यवस्था करने से यात्रियों को कठिनाई होगी तथा स्टेशन स्थित किचिन से विभिन्न समयों पर पहुंचने वाली गाड़ियों के यात्रियों को खान-पान की व्यवस्था करने में कठिनाई होगी तथा यात्रियों को बासी भोजन मिलेगा।

पुरानी दिल्ली स्टेशन पर खान-पान व्यवस्था को सरकार ने राष्ट्रीयकृत कर दिया है। जिन लोगों को इस कार्य के लिए नियुक्त किया गया है वे इसे आगे ठेके पर दे देते हैं। मन्त्री महोदय को इसकी जांच करनी चाहिए।

नांगल-तलवाड़ा रेलवे लाइन को टेरेस तक बनाया जाना चाहिए जिससे उस लाइन को हिमाचल प्रदेश से जोड़ा जा सके।

शिमला तक जाने वाली रेल-मीटर में सामान ले जाने की अनुमति दी जानी चाहिए तथा उसके भाड़े में भी कमी होनी चाहिए। साथ ही इसमें सीटों की संख्या बढ़ानी चाहिए जिससे अधिक यात्री इसका उपयोग कर सकें।

अन्त में मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि रेलवे बोर्ड में श्रमिकों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए।

श्री मधु दण्डवते (राजापुर) : रेलवे के विस्तार कार्यक्रम में सबसे बड़ी बाधा देश में व्याप्त गम्भीर बिजली संकट है। वर्तमान संकट को प्रभावशाली ग्रिड प्रणाली से दूर किया जा सकता है। उस कार्यक्रम के अन्तर्गत बढ़िया किस्म का कोयला विभिन्न खानों से अन्यत्र

भेजा जाता है और घटिया किस्म के कोयले का उपयोग तापीय बिजली घरों द्वारा किया जाता है और इससे पैदा की गई बिजली को अन्य स्थानों पर भेजा जाता है। एक बार बिजली का संकट दूर होने पर रेलवे के विस्तार कार्यक्रम को प्रभावशाली ढंग से चलाया जा सकता है।

प्रथम श्रेणी और तीसरी श्रेणी के डिब्बों के स्तर में भारी अन्तर है। विश्व के किसी भाग में भी प्रथम श्रेणी और तीसरी श्रेणी के डिब्बों के स्तर में इतना अन्तर नहीं है। उक्त अन्तर को कम किया जाना चाहिए जिससे जन साधारण को यात्रा की सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।

रेल उद्योग देश के विकास के लिए मूल ढांचा तैयार करता है। अतः जब तक रेलों के मूल ढांचे को तैयार करने के लिए और संचार तथा यातायात के विकास को प्राथमिकता नही दी जाती, तब तक देश में क्षेत्रीय असंतुलन दूर नहीं किया जा सकता।

यह दुःख की बात है कि प्रधान मन्त्री और महाराष्ट्र के मुख्य मन्त्री ने योजना आयोग की स्वीकृति के बिना महाराष्ट्र के पश्चिम तट पर कोंकण रेलवे परियोजना की घोषणा की, लेकिन बजट में इसके लिए व्यवस्था न किए जाने के कारण इसे स्वीकृति न मिल सकी। इस बारे में मन्त्रिमंडल-स्तर पर भी निर्णय नहीं लिया गया था।

पश्चिमी तट रेलवे परियोजना, जो महाराष्ट्र, मैसूर और केरल को जोड़ेगी, पश्चिमी तट के विकास के लिए महत्वपूर्ण परियोजना है। लेकिन उक्त परियोजना को भी पूरा नहीं किया गया है।

क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए महाराष्ट्र, कोंकण और मराठवाड़ा क्षेत्रों में पश्चिमी तट कोंकण रेल मार्ग, बर्शी—उसमानाबाद लेटूर बड़ी लाइन, अहमदनगर—बीर पटाली मार्ग, शोलापुर—औरंगाबाद मार्ग और मनमाद-मदखड़ रेल मार्ग पर रेलवे लाइनें बिछाई जानी चाहिए।

विदर्भ में विकास की गति को तेज किया जाना चाहिए।

[श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए]

[SHRI K. N. TIWARI *in the Chair*]

रेलवे में भी शीघ्र बोनस अधिनियम लागू किया जाना चाहिए।

वेतन आयोग के प्रतिवेदन के प्रस्तुत किए जाने में विलम्ब होने के कारण रेलवे कर्मचारियों में असन्तोष फैल रही है।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए संयुक्त सलाहकार तन्त्र और औद्योगिक सम्बन्धों के लिए अस्थायी रूप से निर्मित तन्त्र को अधिक प्रभावशाली बनाया जाना चाहिए। विभिन्न कार्मिक संघों का प्रतिनिधित्व करने के बारे में देश में लगातार समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं। इस बारे में स्पष्ट सिद्धान्त बनाये जाने चाहिए। नैमित्तिक श्रम समाप्त कर नियमित रोजगार की व्यवस्था की जानी चाहिए। बिहार की जमालपुर वर्कशाप में रोजगार की व्यवस्था में सुधार किया जाना चाहिए। कोयले के भाड़े में वृद्धि से कीमतों में और वृद्धि होगी और रेल के भाड़े में वृद्धि का साधारण जनता, विशेषकर मध्यमवर्ग के लोगों पर प्रभाव पड़ेगा। अतः उसे समाप्त किया जाना चाहिए।

अब समय आ गया है जब हमें रेलवे बोर्ड के ढांचे पर पुनः विचार करना चाहिए।

रेलवे के बारे में ये मुख्य कार्यवाही और सुधार किए जाने के बाद ही रेलवे का विकास सम्भव है।

श्री भागवत झा आजाद : (भागलपुर) : यह बजट परम्परागत है जिसका सम्बन्ध किराये और भाड़े से है। रेलवे ने अतिरिक्त सेवाएं दिए बिना किराये में वृद्धि की है। बजट में कुछ नई रेलवे लाइनें बिछाने का भी उल्लेख किया गया है, जिसके लिए मैं मन्त्री महोदय को बधाई देता हूं। बजट में सड़क, नदी और परिवहन के समन्वय का उल्लेख नहीं किया गया है। इसमें पिछड़े क्षेत्रों के विकास का भी उल्लेख नहीं किया गया है।

प्रत्येक रेलवे मन्त्री यह कहते हैं कि यह वृद्धि बहुत कम है और इससे बहुत कम प्रभाव पड़ेगा। माननीय मन्त्री को तीसरी श्रेणी के किराये में वृद्धि नहीं करनी चाहिए। यात्री कर को हटाना एक हास्यास्पद बात है।

अनाज, दालों और अत्यावश्यक वस्तुओं के भाड़े में वद्धि करने के लिए मैं मन्त्री महोदय को धन्यवाद देता हूं। कोयला, सीमेन्ट और उर्वरक के भाड़े में वृद्धि से मूल्यों में वृद्धि होना स्वाभाविक है। इसके परिणामस्वरूप देश में मुद्रा स्फीती होगी और इसका सबसे पहले रेलवे पर प्रभाव पड़ेगा।

इनसे 44.35 करोड़ रुपए की प्राप्ति होगी, लेकिन घाटा 8 करोड़ रुपए का होगा। किरायों से 14 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि होगी। 950 लाख के प्रस्तावित यातायात की अपेक्षा 564 लाख का यातायात होगा। इस कमी के बावजूद भी रेलवे को 16 करोड़ रुपए से अधिक प्राप्त होगा, जैसा कि प्रस्ताव किया गया है। रेलवे में अनुमान और वास्तविकता में भारी अन्तर है।

रेलवे अभिसमय समिति ने उल्लेख किया है "कि रेलवे में आधुनिक प्रबन्ध की प्रभावशाली प्रणाली नहीं है"। रेलवे के पास अपने राजस्व, यात्रियों तथा माल यातायात का अनुमान लगाने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। अतः प्रतिवर्ष इस बारे में विभिन्न आंकड़े देकर देश को गुमराह किया जाता है।

जब भी पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए नई रेलवे लाइनें बिछाने का अनुरोध किया जाता है हमें हमेशा यही उत्तर मिलता है कि इसके लिए धनराशि नहीं है, लोग पिछले 25 वर्षों से भागलपुर होकर दिल्ली और हावड़ा के बीच तेज गति से चलने वाली दिल्ली एक्सप्रेस अथवा तूफान एक्सप्रैस जैसी गाड़ी चलाने का अनुरोध कर रहे हैं। लेकिन इसका उत्तर 'नहीं' में मिलता रहा है। कोई भी ऐसी एक्सप्रैस गाड़ी नहीं है जो भागलपुर होकर हावड़ा जाती है। 1 अप्रैल से भागलपुर से होकर हावड़ा और दिल्ली के बीच एक्सप्रैस गाड़ी चलाई जानी चाहिए।

रेलवे की कार्यचालन क्षमता नहीं के बराबर है, इसमें सुधार किया जाना चाहिए। यह निश्चित है कि रेलवे प्रणाली में कहीं न कहीं कुछ त्रुटि है।

यदि ऐसा नहीं है तो देश के सबसे बड़े उपक्रम में प्रतिवर्ष हानि क्यों हो रही है? यदि विकास पर हुए 20 करोड़ के खर्च को वार्षिक योजना में से न काटा जाये, तो यह हानि और भी अधिक होगी।

रेलवे सुरक्षा दल पर जो 12 करोड़ रुपया खर्च किया जाता है वह उसके अनुरूप लाभदायक नहीं है। यह उपक्रम लाभ पर चल सकता है यदि हम चित्तरंजन, पैराम्बूर तथा रेलवे सुरक्षा बल की कार्य-कुशलता की ओर ध्यान दें। प्रशासन को सुव्यवस्थित किया जाना चाहिए।

अन्त में मैं कहूंगा रेलवे बजट एक घिसा-पिटा बजट है। पर इसके लिए मैं मंत्री महोदय को दोषी नहीं ठहराता क्योंकि उन्होंने जुम्मा-जुम्मा आठ दिन हुए ही इस मंत्रालय का भार संभाला है। पर मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में वे इसे सभी प्रकार से एक अच्छा रूप देंगे।

श्री सी० एच० मोहम्मद कोया (मंजेरी) : हम इतनी जल्दी-जल्दी रेल मंत्रियों को बदल रहे हैं कि उसे अपना काम करने तक का समय नहीं मिल पाता। आशा है वर्तमान मंत्री कुछ समय रुकेंगे।

लोको शेड, रेलवे वर्कशाप और बैगन फैक्टरी के सम्बन्ध में केरल राज्य की उपेक्षा की जाती रही है। प्रत्येक दक्षिणी राज्य में उपरोक्तमें से कोई न कोई अवश्य है। केरल के साथ ऐसा वर्ताव क्यों? नई रेलवे लाइनों के सम्बन्ध में भी केरल भाग्यशाली नहीं रहा है। गत 20 सालों में केवल एर्नाकुलम क्वलिन रेलवे के अतिरिक्त अन्य सभी भागों की उपेक्षा की गई है। तेलीचेरी को मैसूर से रेल द्वारा मिलाने की योजना पता नहीं कहां कोने में दबी पड़ी है। नीलाम्बुर-शोरानूर लाइन के लिए लम्बे समय से मांग की जाती रही है पर अभी तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इस लाइन को कालीकट तक बढ़ा कर आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद बनाया जा सकता है।

मेरा यह कहना है कि दिन प्रति दिन भाड़ा और किराया बढ़ा कर सरकार सोने का अण्डा देने वाली मुर्गी को अपने हाथ से खोना चाहती है क्योंकि इस लगातार होने वाली वृद्धि के कारण रेलवे के बजाय लोक सड़क यातायात की ओर आकर्षिक हो रहे हैं। फिर रेल गाड़ियां धीमी चलती हैं। इनकी रफ्तार बढ़ाई जानी चाहिए।

दिल्ली से मंगलौर जाने वाली जनता ऐक्सप्रेस को फिर से चलाया जाना चाहिए। डीजल गाड़ियां चलाने के सम्बन्ध में भी दक्षिण की उपेक्षा की गई है।

भूतपूर्व रेलवे मन्त्री ने राज्य सभा में यह आश्वासन दिया था कि रेलवे सेवाओं में हरिजनों और मुसलमानों के प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर विचार किया जायेगा और पिछड़ी हुई मुस्लिम जाति को उचित प्रतिनिधित्व दिया जायेगा। आशा है कि मंत्री महोदय इस प्रश्न पर विचार करेंगे।

Shri Bibhuti Mishra (Motihari) : I hope the new minister will try to develop the backward areas of the country. One thing I would like to say that there should be a Railway service Commission in Bihar also, because from Bihar the candidates have to go to Calcutta or Allahabad, where they do not get accommodation easily.

A new railway line should be laid in Hizipur, Suganli or Betiah sector.

Muzaffarpur should be linked with Gorakhpur by Railway after constructing railway bridge on Gondak at Narayanpur.

औद्योगिक उत्पादन पर बिजली की कमी का प्रभाव*

EFFECT OF SHORTAGE OF POWER ON INDUSTRIAL PRODUCTION**

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमन्ड हार्बर) : हाल ही में हुई बिजली की कमी के कारण लगभग सभी राज्यों में उत्पादन में गिरावट आई है। बिजली की इस कमी का कारण बिजली उत्पादन के प्रति

*आधे घंटे की चर्चा।

**Half-an-hour discussion.

उदासीनता का रुख अपनाना है। यह कहना सर्वथा सही नहीं है कि बिजली की यह कमी वर्षा की कमी के कारण हुई है। इसका एक मुख्य कारण योजना का उचित कार्यान्वयन न होना है। पुरानी और बेकार मशीनों का उपयोग अभी भी चालू है।

देश में बने उपकरणों से चौथी योजना में केवल 48.59 लाख किलोवाट बिजली पैदा हुई जबकि लक्ष्य 92.40 लाख किलोवाट का था। इसका अर्थ यह हुआ कि हम पूरी तरह से विदेशी उपकरणों पर निर्भर हैं।

'इकानामिक टाइम्स' में प्रकाशित एक समाचार के अनुसार 1,000 करोड़ रु० की क्षति हुई है। इसके अनुसार पिछले पांच छः महीनों के दौरान उत्पादन में 1,000 करोड़ रु० की क्षति हुई है।

दामोदर घाटी निगम की क्षमता 1,060 मैगावाट बिजली उत्पादन करने की है और इसकी वर्तमान उत्पादन क्षमता 424 मैगावाट है जो 40 प्रतिशत ही है और इस समय मांग 650 मैगावाट है।

पांचवीं योजना के प्रारम्भ में ही जो कमी है, वह कृषि, सिंचाई और उद्योग के क्षेत्र में योजनाबद्ध गतिविधियों को अर्थहीन बना सकता है।

"इकानामिक एण्ड पालिटिक्स वीकली" के अनुसार आपात उत्पादन अभियान के बावजूद गेहूं के उत्पादन में पिछले वर्ष की अपेक्षा 30 से 40 लाख टन ही अधिक उत्पादन होने की सम्भावना है। अगर बिजली के गैर-उत्पादन प्रयोग पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया, तो जिन 1,52,000 नलकूपों को बिजली देने का लक्ष्य रखा गया है, उसे मार्च के अन्त तक पूरा नहीं किया जा सकता।

मन्त्रियों के कमरों में 4-8 एयर कन्डीशनर्स और 4-6 पंखे होते हैं। 1 अप्रैल, 1971 से 31 जनवरी, 1972 की अवधि के दौरान केन्द्रीय मंत्रियों के बंगलों के आवासीय भाग के बिजली बिल पर 87,922 रु० खर्च किये गये। श्री वाई० बी० चह्वाण का बिजली का बिल 4,856 रु० था, श्री ललित नारायण मिश्र का बिल 4,880 रु० था, एक अन्य मन्त्री का बिल 4,188 रु० था।

दृष्टिकोण पत्र में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में बिजली सप्लाई की विषम स्थिति है, यद्यपि वहां प्रति व्यक्ति बिजली की खपत 105.4 किलोवाट आवर है जो अखिल भारतीय औसत 58.8 किलोवाट आवर से अधिक है। पश्चिम बंगाल में बिजली की दरें इतनी ज्यादा हैं कि वहां उद्योगों की स्थापना करने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता।

कलकत्ता बिजली निगम को दामोदर घाटी निगम 5 पैसे की दर से बिजली बेचता है। ढाई करोड़ रु० भारी मात्रा में मुनाफा कमाने वाली कम्पनी में लगाया जा रहा है। व्यावहारिक पहलू पर आते हुए, डा० के० एल० राव में अपने उत्तर में प्रतिबन्ध लगाने में अनिच्छा प्रकट की। वे ब्रिटिश एकाधिकारी फर्म के हितों को हानि नहीं पहुंचने देना चाहते।

अगर सरकार पूंजीवाद के मार्ग पर अग्रसर होना और गरीबों के हितों के प्रति उदासीनता को नहीं छोड़ेगी, कुछ भी परिवर्तन होने वाला नहीं है।

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : I would like to show about the targets of power production for First, Second, Third and Fourth Plan and as also the short fall therein and to which extent they were achieved ? What is the target of power production for industries in Fifth Plan and how far it is likely to be achieved ? There is no equitable distribution of power in different states. Is there any specific policy regarding distribution of power to the big industries.? I would like to know whether Government is considering a proposal to permit big industries to produce power for their own use ?

*श्री ई० आर० कृष्णन (सलेम) : मैं औद्योगिक विकास मन्त्री से यह जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय मन्त्रियों की मन्त्रिमण्डलीय समिति को जो देश में बिजली की कमी और औद्योगिक उत्पादन पर उसके प्रभाव का अध्ययन करने के लिए नियुक्त की गई थी, तमिलनाडु, सरकार का यह अनुरोध बता दिया गया था कि वर्तमान बिजली के संकट का सामना करने के लिए 500 जेनरेटरों का आयात करने की अनुमति दी जाये।

क्या इस मन्त्रिमण्डलीय समिति को तमिलनाडु बिजली बोर्ड के अध्यक्ष की यह चेतावनी भी प्रेसित कर दी गई थी कि 26 मई, 1972 से आगे तमिलनाडु में बिजली का संकट गम्भीर हो जाएगा। तमिलनाडु के सभी तापीय बिजलीघरों के लिए कोयले की आवश्यकता के बारे में 3 जून, 1972 को पत्र लिखा था, क्या उसकी जानकारी भी मन्त्रिमण्डलीय समिति को दी गई थी और यदि हां, तो तमिलनाडु सरकार के विभिन्न प्रस्तावों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

Dr. Laxminarain Pandeya (Mandsaur) : I would like to know about the effect of shortage of power on industrial growth during 1972-73 and 1973-74 and the steps being taken to meet this shortage of power ? Is there any proposal to manufacture generating sets so that whenever there is shortage of coal or water, it could be met ? Shortage of power has also adversely affected the agricultural production.

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : यह एक स्वीकृत तथ्य है कि सारे देश में बिजली की भारी कमी है। क्या यह सच है कि तमिलनाडु की कोथायार हाइड्रो-योजना पूरी हो चुकी है, परन्तु वह अभी तक चालू नहीं की गई है ?

दूसरे, क्या अखिल भारतीय स्तर पर आवश्यक उद्योगों के लिए प्राथमिकताएं निर्धारित करने के लिए कोई आदेश जारी किए गए हैं ? मेरे राज्य उत्तर प्रदेश में कुछ उद्योगों को प्राथमिकता दी गई है, परन्तु रक्षा उद्योग को प्राथमिकता नहीं दी गई है, जो देश की रक्षार्थ आधुनिकतम उपकरणों का निर्माण कर रहे हैं। कुछ गैर-सरकारी उद्योगों को बिजली की कटौती से मुक्त रखा गया है।

क्या तमिलनाडु सरकार ने समायानल्लूर तापीय-बिजलीघर को तोड़ने और बेचने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुमति मांगी थी ?

क्या सरकार ने ऐसी कोई नीति बनाई है जिससे बिजली की कमी होने की स्थिति में उसका उचित उपयोग किया जा सके ? उत्तर प्रदेश के बारे म मैं जानना चाहूंगा कि रक्षा सामग्री का उत्पादन करने वाले कारखानों को बिजली की कटौती से छूट क्यों नहीं दी गई है ?

औद्योगिक विकास और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : सरकार स्थिति की गम्भीरता के प्रति पूरी तरह सजग है। बिजली की कमी और उसके कारणों के बारे में 28 फरवरी, 1973 को सिंचाई और बिजली मन्त्री ने एक वक्तव्य दिया था, इसलिए इस बारे में मैं ब्यौरे में नहीं जाना चाहूंगा।

देश में 2,010 लाख यूनिटों की प्रतिदिन आवश्यकता है और 1,660 लाख यूनिटों की प्रतिदिन उपलब्धता है अर्थात् 350 लाख किलोवाट आवरे की कमी है, परन्तु कुछ क्षेत्रों में बिजली की अत्यधिक कमी है, जबकि कुछ अन्य क्षेत्रों में स्थिति सन्तोषजनक है।

*तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

कमी की स्थिति से निपटने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

(1) वर्तमान तापीय बिजलीघरों की बिजली उत्पादन क्षमता को यथासम्भव अधिकतम स्तर तक बढ़ाया जायेगा ।

(2) बड़े तापीय बिजलीघरों को कोयले की सप्लाई और परिवहन के एक केन्द्रीय कक्ष के माध्यम से किया जा रहा है, जिससे पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित हो सके । एन्नौर में पर्याप्त मात्रा में कोयले की सप्लाई की जा रही है ।

(3) जिन तापीय बिजलीघरों की मरम्मत हो रही है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर उपकरणों की सप्लाई करने का काम किया जा रहा है ।

(4) इस बात की भी व्यवस्था की जा रही है कि गैर-सरकारी उद्योग वैकल्पिक साधन के रूप में डीजल सेटों और कैप्टिव संयंत्र स्थापित करें । जिन जनरेटिंग सेटों का आयात किया जायगा, उनमें से तमिलनाडु के बिजली संकट को देखते हुए सेट वितरित करते समय प्राथमिकता दी जाएगी ।

(5) जिन बिजली परियोजनाओं का कार्य अपने अन्तिम चरण में है, उन्हें शीघ्र पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं ।

(6) राज्य सरकारों से यह अनुरोध किया गया है कि वे परियोजनाओं की प्रगति पर ध्यान रखने और बाधाओं को दूर करने के लिए क्रियान्वयन सेलों की स्थापना करें ।

बिजली की सप्लाई के लिए भी हमने प्राथमिकताओं का निर्धारण किया है : (1) खेती की सिंचाई सम्बन्धी कार्यों के लिए, (2) उर्वरक कारखाने, (3) इस्पात, धावनशालाएं और खानें और (4) ऐल्यूमिनीयम, जिन्क, तांबा आदि । खाद्य उत्पादन और रेलमार्ग के लिए उच्च प्राथमिकता निर्धारित की गई है । बिजली की कमी सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन करने के लिए मन्त्रियों की एक समिति भी नियुक्त की गई है और मैं सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि बिजली की कमी की कठिनाइयों को दूर करने के लिए हम आपात कार्यवाही करने का प्रयास कर रहे हैं ।

रक्षा उत्पादन कारखानों के मामले में 20 प्रतिशत की बिजली की कटौती की जा रही है, जबकि उत्तर प्रदेश में अन्यत्र 40 प्रतिशत कटौती की गई है । देश की सुरक्षा को खतरे में नहीं पड़ने दिया जाएगा ।

मैंने अपने उत्तर में स्पष्ट रूप से कहा है कि बिजली की कमी का औद्योगिक उत्पादन पर प्रभाव पड़ेगा । प्रत्येक राज्य में कितनी और किस क्षेत्र के लिए कटौती की गई है और औद्योगिक उत्पादन के लिए क्षेत्र पर कितना प्रभाव पड़ेगा, इस बारे में अध्ययन किया जा रहा है । आंकड़े उपलब्ध होते ही उन्हें मैं सदन में प्रस्तुत कर दूंगा ।

सारे देश को यह आश्वासन दिया गया है और हैवी इलैक्ट्रीकल्स के प्रबन्धक भी इस आश्वासन के प्रति बचनबद्ध हैं कि तापीय बिजलीघरों सम्बन्धी उपकरणों के किसी भी क्रमादेश के लिए 36 महीने के अन्दर उपकरणों की सप्लाई कर दी जाएगी । विदेशों से उपकरणों का आयात करने के लिए भी 36 महीने न्यूनतम अवधि है । पन-बिजली परियोजनाओं के लिए आवश्यक उपकरणों को 48 महीने के अन्दर उपलब्ध कर दिया जायेगा, आयात में भी इतना ही समय लगता है ।

बायलरों को आयातित बायलर के बराबर की कीमत पर उपलब्ध किया जायेगा । जहां तक अन्य उपकरणों का सम्बन्ध है, उन्हें दो वर्षों तक तो आपात-मूल्य से 10 प्रतिशत अधिक की कीमत पर

उपलब्ध किया जाएगा, परन्तु दो साल बाद आयात-मूल्य के बराबर की कीमत पर ही उपलब्ध किया जायेगा । मुझे खुशी है कि पिछले एक वर्ष के दौरान काफी प्रगति हुई है और क्षमता के उपयोग में भी वृद्धि हुई है ।

श्री एस० एम० बनर्जी ने समयानल्लूर में जनरेटर की बिक्री का प्रश्न उठाया । यह बड़े खेद और दुर्भाग्य की बात है कि तमिलनाडु, सरकार ने एक ऐसे समय में जनरेटर की बिक्री की । आपात स्थिति के कारण उसकी कीमत अब पांच, छः गुनी बढ़ चुकी है । 30 मैगावाट के जनरेटर से स्थिति में काफी सुधार हो सकता था ।

Shri Hukam Chand Kachwai : Sir, My question has not been replied as to what was the target in each of the Four Five Year Plans and to what they were achieved ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : सरकार की नीति बिजली का सारा उत्पादन सरकारी क्षेत्र में ही करने का है । मैं सदस्यों के प्रति आभारी हूं कि उन्होंने स्थिति की गम्भीरता की ओर सरकार का ध्यान दिलाया । सरकार स्थिति का सामना करने के लिए हर संभव कार्यवाही करेगी ।

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 8 मार्च, 1973/17 फाल्गुन, 1894 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Thursday, March 8, 1973/Phalguna 17, 1894 (Saka).